द्वादश माला, खंड 7, अंक 14

गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1998

26 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1998/ 26 अग्रहायण, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (iv)	4	II	11
4	18	*522	*261
73	नीचे से 13	2975	2973
131	17	2045	3045
177	11	(क) जी हाँ । के आगे प 387	(क) जी हाँ ।
177	नीचे से 10	पंक्ति के शुरू में (ख) जोड़े ।	
210	अंतिम पंक्ति	जी	जी, नहीं ।

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1998/26 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
इराक पर अमरीकी सैनिक हमला		1-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	261 से 264	4-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	265 से 280	32-56
अतारांकित प्रश्न संख्या	2943 से 3172	56-238
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य		
ब्रिटेन और अमरीका द्वारा इराक पर हवाई हमले		
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		238-239
सभा पटल पर रखे गए पत्र		239-244
समितियों के प्रतिवेदन		
प्राक्कलन समिति		
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण — *सभा पटल पर रखा गया*		245
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन		245
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन		246
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति		
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — *प्रस्तुत*		246
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		
उनचासवां प्रतिवेदन — *सभा पटल पर रखा गया*		246
उपाध्यक्ष का निर्वाचन		
प्रस्ताव — *स्वीकृत*		246-250
उपाध्यक्ष को बधाइयां		
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		250
श्री शरद पवार		251
श्री इन्द्रजीत गुप्त		252
श्री चन्द्रशेखर		252
श्री इन्द्र कुमार गुजराल		253

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री पूर्णो ए० संगमा	253-254
श्री बसुदेव आचार्य	255
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	255
श्री के० येरननायडू	256
श्रीमती कृष्णा बोस	256
श्री आर० मुथैया	257
श्री मुरासोली मारन	257-259
श्री शकुनी चौधरी	259
श्री नवीन पटनायक	259
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	259
श्री मधुकर सरपोतदार	260
श्री सनत कुमार मंडल	260-261
श्री आरिफ मोहम्मद खां	261
श्री आर०एस० गवई	261-262
प्रो० सैफुद्दीन सोज	262-263
श्री ई० अहमद	263-264
श्री अमर राय प्रधान	264
श्री सुरेन्द्र सिंह	264-265
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	265
श्री किशन सिंह सांगवान	265
श्री एस०एस० ओवेसी	266
श्री ए० गणेश मूर्ति	266
श्री बूटा सिंह	266-267
श्री था० चौबा सिंह	267
श्री बी०एम० मेनसिंकाई	267
श्री बलराम जाखड़	267-270

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंट

श्री जगमोहन 275-284

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए स्वीकृत धनराशि को केवल उनके कल्याण के लिए ही खर्च करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते 284

(दो) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहने वाली चम्बल नदी पर मुरैना में उदसघाट पर पुल का निर्माण किए जान की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 285

विषय कॉलम

(तीन) उत्तर प्रदेश में उरई में दूरदर्शन केन्द्र की रिले क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 285

(चार) शोलापुर में बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार शिंदे 285-286

(पांच) बांदीकुई और आगरा के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 286

(छह) आई.डी.पी.एल. को पुनः चालू किए जाने तथा उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाए जाने की आवश्यकता

श्री नादेन्दला भास्कर राव 286-287

(सात) महाराष्ट्र के पुणे जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल 287

(आठ) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पालघाट इकाई पर लगाई गई देयताओं का बोझा हटाने और उसे एक सरकारी उपक्रम बनाए रखने की आवश्यकता

श्री एन०एन० कृष्णदास 287-288

(नौ) बरास्ता पांडिचेरी टिंडीवनाम और कुड्डालोर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री एम०सी० दामोदरन 288

(दस) देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 288-289

(ग्यारह) थीन बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा 289

संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) विधेयक – *पुरः स्थापित*

श्री मदन लाल खुराना 289-290

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक के बारे में

श्री मदन लाल खुराना 290-292

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० अजीत कुमार मेहता 292

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या 296

श्री वारकला राधाकृष्णन 299

श्री के० बापीराजू 302

प्रो० सैफुद्दीन सोज 304

श्री भगवान शंकर रावत 307

विषय — कॉलम

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह . . . 309

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी . . . 310

डा० एम तम्बी दुरई . . . 311-321

खंड 2 से II और I . . . 321

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . 321

विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री लाल कृष्ण आडवाणी . . . 321

श्री मोती लाल वोरा . . . 323

श्री चमन लाल गुप्त . . . 324

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक . . . 326

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह . . . 332

श्री खारबेल स्वाईं . . . 333

श्री एस० सुधाकर रेड्डी . . . 335

श्री सी० कुप्पुसामी . . . 337

श्री के०एस० राव . . . 338

श्री मोहन रावले . . . 340

श्री सी० गोपाल . . . 341

खंड 2 से 5 और 1 . . . 344-347

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . 348

लोक सभा

गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1998/26 अग्रहायण, 1920(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

इराक पर अमरीकी सैनिक हमला

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इराक पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हवाई हमले किये जाने पर चर्चा करने के लिए प्रश्न काल स्थगित करने की सूचना दी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विपक्ष के नेता को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, आज अमरीका ने बगदाद और इराक पर हमला करने का जो एक्शन लिया है, उससे विश्व शांति पर एक जबरदस्त चोट पैदा होने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है *(व्यवधान)* यह मेरे सम्मान का सवाल है। *(व्यवधान)* इंडिया टुडे पत्रिका ने मेरे से बिना पूछे रिपोर्ट लिखी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, जीरो आवर में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने माफी कैसे मांगी है। *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई है। यह बात सच है कि भारत सिक्युरिटी काउंसिल की रिजर्वेशन का एक हिस्सेदार है और जहां तक इंस्पैक्शन की बात है, इसमें यदि किसी ने सहयोग की अपेक्षा की है तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अमरीका ने आज जिस तरह से हमला किया है, जिस तरह बगदाद शहर और उसके आसपास बौम्बिंग करने का कौम किया है, मुझे लगता है कि उसने दुनिया की शांति पर एक जबरदस्त प्रहार करने का काम किया है और आज इसे कन्डैम करने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति में चीन हो, रशिया हो, सैक्रेटरी जनरल ऑफ युनाइटेड नेशन्स हो, सभी ने इस बारे में अपनी भावना सख्ती से कही है। मुझे लगता है कि इस पर भारत सरकार को अपना बयान देकर अपनी परिस्थिति देश और दुनिया के सामने साफ करने की आवश्यकता है। जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे, इंदिरा जी या राजीव जी थे, तब उन्होंने ऐसी परिस्थिति में पहल करने की कोशिश की थी और भारत की एक नीति दुनिया को दिखाई थी। इसी तरह इस समय भारत की तरफ से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बारे में भारत सरकार को अपनी नीति, अपनी राय देश के सामने रखने की आवश्यकता है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज अमरीका ने एक मर्तबा फिर से जो जारजीयत दिखाने का काम किया है, श्री शरद पवार, लीडर ऑफ ओपोजीशन ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने आपको जोड़ता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा है मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। यह संयुक्त राज्य द्वारा साफतौर पर आक्रमण किया जा रहा है। वे कुछ दिनों से तैयारी कर रहे थे। हमें खाड़ी में उनकी सशस्त्र सेनाओं के इकट्ठे होने के समाचार पढ़ने को मिल रहे थे। यह और कुछ नहीं, बल्कि राष्ट्रपति क्लिंटन के महाभियोग और अन्य बातों से बचने अथवा उसमें विलम्ब करने का प्रयास मात्र है। ऐसा करने के लिए और उस विषय से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इराक पर खुले तौर पर यह आक्रमण किया है। बमबारी की जा रही है। बी.बी.सी. ने बगदाद नगर पर बमबारी की सीधी तस्वीरें दिखाई हैं। रिहायशी इलाकों पर बर्बरतापूर्वक आक्रमण किये जा रहे हैं।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस हमले की निन्दा करते हुए जोरदार वक्तव्य के साथ आगे आना चाहिए क्योंकि इससे उस पूरे क्षेत्र की शान्ति और विश्व शान्ति को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर कुछ करे क्योंकि इस मामले पर भारत की राय अत्यन्त महत्वपूर्ण और अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर हम सभी माननीय विपक्ष के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ हैं। यही पूरे देश की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सरकार को निश्चित और अत्यन्त स्पष्ट नीति के साथ आगे आना चाहिए। भारत सरकार को अमरीका को बता देना चाहिए कि वह इस तरह से मानवता का संहार नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी बड़े अफसोस की बात है कि आज अमरीका ने एक मर्तबा फिर से जारजीयत दिखाने का काम किया है, श्री शरद पवार, लीडर ऑफ ओपोजीशन ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने आपको जोड़ता हूं। इराक हमारा दोस्त मुल्क रहा है। उसने बराबर हमारे क्राइसेज के समय भारत का साथ दिया है। आज वह मुश्किल में है, चारों तरफ से उसकी घेराबंदी हो रही है। हमने बी.बी.सी. पर बराबर तीन घंटे देखा कि अमरीका द्वारा पूरे बगदाद के ऊपर सिविलियन इलाके पर हमला हो रहा है। इसलिए सदन को इसकी निन्दा करनी चाहिए और भारत सरकार इसमें पहल करे तथा भारत सरकार का इस पर स्टेटमेंट आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : इससे सभ्य विश्व की आत्मा को झटका लगा है। इराक में निर्दयता पूर्वक आक्रमण जारी है।

अभी मैंने दूरदर्शन पर देखा कि अमरीका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वे इराक को दण्ड देने जा रहे हैं। यह हमला सैनिक ठिकानों पर नहीं, बल्कि रिहायशी बस्तियों पर किया जा रहा है। यह बमबारी सुनियोजित ढंग से की जा रही है। वह कहती हैं यह बमबारी कई दिन और हफ्ते जारी रहेगी।

हमें इस आक्रमण की भर्त्सना करते हुए इस सदन में एक संकल्प पारित करना चाहिए। यह और कुछ नहीं बल्कि शक्ति का अहंकार है। अमरीका विश्व के लिए कोई व्यवस्थापक शक्ति नहीं है। अमरीका को मानवता पर आक्रमण करने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। एक महान सभ्यता समाप्त हो जाएगी।

श्री हन्नान मोल्लाह : संयुक्त राज्य अमरीका ने अनवरत आक्रमण का आदेश दिया है। उसके द्वारा घोषित किये गए हवाई अभियान की कोई सीमा नहीं है। पहले ही छः लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों आहत हो गए हैं। सदन को सर्वसम्मति से उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। माननीय मंत्री को यहां वक्तव्य देना चाहिए और संयुक्त राज्य अमरीका के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और इस बर्बरता के विरुद्ध जनमत जुटाना चाहिए। हम इस आक्रमण की निन्दा करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : इराक ऐसा देश है जिसने हमेशा कश्मीर के मामले पर भारत को समर्थन दिया है। संयुक्त राज्य अमरीका की यह कार्यवाही सुरक्षा परिषद के समादेश के बिना की गई है। सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए बिना ही यह कार्यवाही की गई है। इस तरह संयुक्त राज्य विश्व व्यवस्थापक के रूप में उभर रहा है। मैं समझता हूं, सरकार को शब्दाडम्बर में न पड़ कर अपने इस मित्र के लिए, जो कठिन समय में हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ है, स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और इस आक्रमण की भर्त्सना करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : दुनिया के देशों का संगठन जो यू.एन.ओ. है, उसमें अमेरिका कोई उसकी पुलिस फोर्स नहीं है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो अमेरिका बमबारी करके डरा दे, लेकिन उसकी यह प्रवृत्ति बन रही है। जो नाटो-सिएटो के लोग हैं, ये बराबर चाहते हैं कि दूसरे देशों को कैसे दबाकर रखा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लेविंस्की मामले में फंसे हुए हैं इसलिए वे चाहते हैं कि जब तक यह मामला खत्म न हो, तब तक बमबारी जारी रखें। हम सबको अमेरिका की इस दादागिरी के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री आर० मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, हमारे सदन और हमारे राष्ट्र को इराक पर संयुक्त राज्य अमरीका के निर्दयतापूर्वक आक्रमण की भर्त्सना करने के लिए आगे आना चाहए। कई कारणों से यह आक्रमण अनुचित है।

हमारे माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका की संसद में महाभियोग से बचने के लिए श्री बिल क्लिंटन ने इराक पर इस नृशंस आक्रमण का आदेश दिया।

इस सदन और इस सरकार को इस जघन्य आक्रमण की निन्दा करने के लिए आगे आना चाहिए।

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस सदन; संसद और निसन्देह भारतीयों की चिन्ता और व्यथा में सहभागी है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।

महोदय, यदि आप सबकी राय हो और सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की है, सुविधाजनक हो तो 12 बजे अथवा उसके बाद शीघ्र ही सरकार संसद के दोनों सदनों में इस बारे में एक विस्तृत वक्तव्य प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न काल आरम्भ करते हैं।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाराष्ट्र में पेयजल आपूर्ति

+

*522. **श्री डी.एस. अहिरे :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में पेयजल की कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में पेयजल आपूर्ति हेतु सन् 1991 में ब्रिटेन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं के लिए किन-किन राज्यों को विदेशी सहायता मिल रही है और प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता मिली है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पेयजल की आपूर्ति राज्य का विषय है। आबादी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए जल आपूर्ति सेवाओं में बढ़ोत्तरी के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों की होती है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति का दायरा क्रमशः अनुबन्ध I और II में दिया गया है।

राज्य सरकारों के सामने पेयजल के अभाव की निगरानी इस मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है और न राज्य सरकारों द्वारा इसकी सूचना ही, विशेष रूप से मांगे जाने के अलावा, दी जाती है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में इस वर्ष बहुत अच्छी वर्षा हुई है। इसलिए राज्य में पेयजल की अभी कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के जलगांव, धूले और नासिक जिलों के 187 गांवों तथा एक कस्बे (नंदगांव) को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को 71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की समेकित जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना वर्ष 1990-91 से अंग्रेज सरकार के ओवरसीज डेवलपमेंट एंड-मिनिस्ट्रेशन की सहायता से कार्यान्वयन में है। जलगांव और नासिक जिलों के 136 गांवों के संबंध में परियोजना पूरी हो गई है और उसे संचालन एवं रखरखाव के लिए संबंधित जिला परिषदों को सौंप दिया गया है। शेष 51 गांवों, जलगांव के 48 गांवों और धूले के 3 गांवों, हेतु परियोजना के 31.3.1999 तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति स्कीमों हेतु विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे राज्यों के नाम क्रमश: अनुबन्ध III और IV में दिये गये हैं।

अनुबन्ध-I

भारत में शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई की स्थिति
31.3.93 तक लाभान्वित जनसंख्या

(आबादी हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 93 के अन्त तक अनुमानित आबादी	आबादी जिन्हें इन माध्यमों से जल आपूर्ति की जाती है			
			एच एस सी	स्टैंड पोस्ट	कुल आबादी	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	15339	8953	3853	12806	83.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	111	78	33	111	100.00
3.	असम@ एन	2593	185	110	295	11.37
4.	बिहार	11892	4187	5327	9514	80.00
5.	दिल्ली	10300	4730	4540	9270	90.00
6.	गोवा	506	311	135	446	88.14
7.	गुजरात	15127	11910	2977	14887	98.41
8.	हरियाणा	3864	2705	1159	3864	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	480	274	206	480	100.00
10.	जम्मू और कश्मीर	2030	1421	609	2030	100.00
11.	कर्नाटक	14039	10247	2888	13135	93.56
12.	केरल	8217	2360	2690	5050	61.45
13.	मध्य प्रदेश	15851	9064	5216	14280	90.08
14.	महाराष्ट्र	32115	20284	11296	31580	98.33
15.	मणिपुर	548	402	60	462	84.30
16.	मेघालय	302	107	111	218	72.18
17.	मिजोरम	175	40	60	100	57.14
18.	नागालैंड	214	63	151	214	100.00
19.	उड़ीसा	4332	688	1617	2305	53.20
20.	पंजाब$	6217	2922	560	3482	56.00

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	10864	8503	2361	10864	100.00
22.	सिक्किम	195	95	25	120	61.53
23.	तमिलनाडु	22941	8720	2514	11234	48.96
24.	त्रिपुरा एन	344	128	55	183	53.19
25.	उत्तर प्रदेश	29470	19643	8418	28061	95.21
26.	प. बंगाल	19412	9493	7167	16660	85.22
	योग	227478	127513	64138	191651	84.25
	संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एन	90	55	22	77	85.55
2.	चण्डीगढ़	617	617	0	617	100.00
3.	दादरा और नगर हवेली	14	9	4	13	92.85
4.	दमन और द्वीव?	27	10	17	27	100.00
5.	लक्षद्वीप	29	0	29	29	100.00
6.	पांडिचेरी	517	349	168	517	100.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1294	1040	240	1280	98.91
	कुल योग	228772	128553	64378	192931	84.33

अभ्युक्तियां :

एच एस सी – एच एस सी (नल)
एल सी एस – कम लागत (सफाई)

? आंकड़ों में विसंगति है। संबंधित एजेंसी को पत्र लिखा गया है।

@ असम राज्य से मिले आंकड़े 1985 में भेजे गए आंकड़ों से कम हैं। सफाई प्रबंध के बारे में निदेशक, पालिका प्रशासन विभाग असम सरकार से आंकड़े भेजने का अनुरोध किया गया है।

$ पंजाब जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड ने 31.12.91 को समाप्त अवधि के लिए संशोधित आंकड़े भेजे हैं। कम लागत के सफाई प्रबंध से संबंधित 31.3.93 के आंकड़े 31.12.91 के आंकड़ों से कम दिखाए गए हैं।

एन इन राज्यों की सूचना पहले के वर्षों की है–जैसे आंध्र प्रदेश-1990, त्रिपुरा-1986 तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह–1991

& इन एजेंसियों से सीवेज तथा सफाई–प्रबंध से संबंधित आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

अनुबन्ध-II

ग्रामीण जल आपूर्ति

1.4.98 तक गांवों की स्थिति तथा 1998-99 के दौरान लाभान्वित गांव

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1.4.98 तक स्थिति				1998-99 के दौरान लाभान्वित		
		जिन्हें लाभान्वित नहीं किया गया	आंशिक रूप से लाभान्वित	पूर्णत: लाभान्वित	कुल गांव	जिन्हें लाभान्वित किया गया	आंशिक रूप से लाभान्वित	कुल गांव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0	28083	41649	69732	0	2301	2301

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	666	1248	2384	4298	1	2	3
3.	असम	8623	23485	38561	70669	688	198	886
4.	बिहार	2522	7596	195318	205436	248	721	969
5.	गोआ	35	45	325	405	0	1	1
6.	गुजरात	1008	5898	23363	30269	216	217	433
7.	हरियाणा	60	573	6912	7545	3	275	278
8.	हिमाचल प्रदेश	4590	14047	26730	45367	543	311	854
9.	जम्मू व कश्मीर	2618	4544	8564	15726	9	150	159
10.	कर्नाटक	1942	13898	40842	56682	336	1998	2334
11.	केरल	990	6889	1884	9763	17	91	108
12.	मध्य प्रदेश	6909	30714	122245	159868	2054	6988	9042
13.	महाराष्ट्र	2985	40689	33450	77124	1293	1376	2669
14.	मणिपुर	220	592	1979	2791	55	45	100
15.	मेघालय	1005	1621	6013	8639	1	58	59
16.	मिजोरम	24	642	245	911	0	30	30
17.	नागालैंड	448	745	332	1525	0	0	0
18.	उड़ीसा	7136	6360	100603	114099	1770	1191	2961
19.	पंजाब	6000	3123	4326	13449	44	0	44
20.	राजस्थान	7077	41341	55648	104066	1707	1919	3626
21.	सिक्किम	0	862	817	1679	0	50	50
22.	तमिलनाडु	0	24945	41686	66631	0	3257	3257
23.	त्रिपुरा	888	2102	4422	7412	21	93	114
24.	उत्तर प्रदेश	384	27012	247245	274641	0	11797	11797
25.	प. बंगाल	0	26109	54268	80377	0	1677	1677
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	21	472	504	0	0	0
27.	दादरा और नगर हवेली	128	216	172	516	0	18	18
28.	दमन और द्वीव	0	1	28	29	0	0	0
29.	दिल्ली	0	62	138	200	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0	0	0
31.	पांडिचेरी	0	0	276	276	0	5	5
32.	चण्डीगढ़	0	0	24	24	0	0	0
	योग	56269	313473	1060921	1430663	9006	34769	43775

टिप्पणी : एन सी – जिन्हें लाभान्वित नहीं किया गया।
पी सी – आंशिक रूप से लाभान्वित।
एफ सी – पूर्ण रूप से लाभान्वित।

अनुबन्ध-III

राज्यों की सूची जिन्हें शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विदेशी सहायता मिल रही है

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	ऋण देने वाली एजेंसी	ऋण सहायता की राशि (मिलियन)	उपयोग में लाई गई ऋण की राशि
1.	तमिलनाडु	11 चेन्नई वाटर सप्लाई	विश्व बैंक	अमरीकी डालर 86.5	अमरीकी डालर 22.19
2.	महाराष्ट्र	अरबन सिटी वाटर सप्लाई	ओ.ई.सी.एफ. जापान	येन 6788	येन 3634.5
3.	तमिलनाडु	फंक्शनल इंप्रूवमेंटस टू चेन्नई वाटर सप्लाई एंड से निरेशन सिस्टम्स	ओ.ई.सी.एफ. जापान	येन 17098	येन 306.4
4.	कर्नाटक	बंगलौर वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज	ओ.ई.सी.एफ. जापान	येन 28452	येन 312.7
5.	केरल	केरल वाटर सप्लाई	ओ.ई.सी.एफ. जापान	येन 11997	—

अनुबन्ध-IV

विदेशी एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ग्रामीण क्षेत्र) को लागत के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना की लागत (लाख रु० में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5048.00
2.	गुजरात	8056.00
3.	कर्नाटक	49340.10
4.	केरल	6564.00
5.	उत्तर प्रदेश	41164.20
6.	तमिलनाडु	4330.00
7.	महाराष्ट्र	7100.00
8.	मध्य प्रदेश	1907.00
9.	राजस्थान	68500.00

श्री डी०एस० अहिरे : यह बताया गया है कि 187 गांवों में पेय जल योजनाएं पूरी हो गई हैं। लेकिन धूले के कई गांवों में अब तक कोई योजना पूरी नहीं हुई है, न कोई योजनाएं कार्य कर रही हैं।

यह बताया गया है कि 55,625 गांव जिन्हें स्वच्छ पेयजल योजनाएं प्रदान की जानी हैं। यह बताया गया है कि वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 187 गांवों में ऐसी योजनाएं शुरू की गई थीं। इतना विलम्ब क्यों हुआ है और अन्य गांवों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

श्री राम जेठमलानी : जल आपूर्ति राज्य का विषय है और इस सरकार को सिवाय इसके कि जब कभी हमसे सहायता की मांग की जाए तो हम परियोजना विशेष को सहायता प्रदान कर दें, इस विषय में कुछ भी नहीं करना होता है। राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं की सिफारिश की जाती है। माननीय सदस्य धूले, जहां से वह चुनकर आए हैं, के निकट क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के बारे में कह रहे हैं। धूले में हुआ यह कि वहां एक योजना इंगलिश एजेन्सी द्वारा वित्तपोषित की जा रही है और यह पाया गया है कि जिन तीन गांवों का वर्णन किया गया है वे धूले में आते हैं। वहां कुछ भी नहीं किया जा सका क्योंकि मूलत: तापी नदी, जहां से मूलत: पानी की आपूर्ति की जानी थी, से जल आपूर्ति नहीं हो रही है और धूलै के इन तीन गांवों में कोई अन्य वैकल्पिक साधन भी नहीं पाया गया है। इसीलिये यह योजना पूरी तरह असफल रही ? और छोड़ दी गई है। अतिरिक्त जानकारी मुझसे नहीं बल्कि राज्य सरकार से प्राप्त की जा सकती है।

श्री डी०एस० अहिरे : यह योजनाएं अभी भी कार्य नहीं कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ? यह नए सदस्य हैं कृपया इन्हें अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री डी०एस० अहिरे : ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया गया था। धनराशि अभी तक खर्च नहीं की गई है।

श्री राम जेठमलानी : ब्रिटिश सरकार के साथ 187 गांवों में जल संसाधन विकसित करने के लिए समझौता किया गया था। इन में से केवल 136 गांवों में अब तक ये योजनाएं पूरी की गईं। धूले जिले के तीन गांवों सहित शेष गांवों में योजना छोड़ दी गई है अथवा पूरी नहीं हुई है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया ? तीन गांवों को जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस बारे में छानबीन करे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शिन्दे, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : तीनों गांवों को पानी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुपूरक प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित उत्तर में दो एनैक्सचर दिए गए हैं। एक एनैक्चर में अर्बन इलाकों के अन्दर पानी की सप्लाई के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 100 प्रतिशत अर्बन एरियाज में पानी की सप्लाई पूरी हो चुकी है। मैं मंत्री महोदय के स्टेटमेंट को चैलेंज करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन जिलों—कठुवा, उधमपुर और डोडा — में पानी की बहुत कमी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त, यह प्रश्न महाराष्ट्र में पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : महोदय, एनैक्शर में पूरे देश के बारे में बताया गया है, इसलिए केवल महाराष्ट्र का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० विजय सोनकर शास्त्री, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राम जेठमलानी : मैं स्वीकार करता हूं कि प्रश्न का पहला भाग अखिल भारत से सम्बन्धित है और यह केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है अत: मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि तीन जिलों—डोडा, उधमपुर और कठुवा —. में पानी की बहुत किल्लत है और सौ प्रतिशत पीने के पानी की सप्लाई उपलब्ध नहीं है। मेरे प्रश्न का सैकेंड पार्ट है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप इसे पूरा पढ़िए। आपको प्रश्न काल की प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : महोदय, प्रश्न के उत्तर में अर्बन और रूरल के बारे में अलग-अलग बताया गया है। हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में कहा गया है कि सन् 2000 तक सभी गांवों में पानी देने की स्कीम है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य के अन्दर इन्होंने कितने गांव इस साल कम्पलीट करने के लिए हैं और खास तौर से उधमपुर, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, के बारे में बतायें ?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैंने पहले ही इस सभा को सादर सूचित किया है कि जल-आपूर्ति करना हमारा काम नहीं है। इसकी देख-रेख और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार करती है।

श्री चमन लाल गुप्त : यह आपके राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कहा गया है कि आप सन् 2000 तक सभी गांवों को जल आपूर्ति कर देंगे।

श्री राम जेठमलानी : कृपया मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

डा० विजय सोनकर शास्त्री : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस बारे में कहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० विजय सोनकर शास्त्री जी मंत्री जी को रोकने का यह कोई तरीका नहीं है। जब मंत्री जी अपना उत्तर दे रहे हैं तो आप उन्हें बाधित कैसे कर सकते हैं ? कृपया बैठ जाइए।

श्री राम जेठमलानी : महोदय यह सच है कि शासन की राष्ट्रीय कार्यसूची में यह खास वादा किया गया था कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी पांच वर्षों में सभी को पेय जल उपलब्ध हो। मैं उससे सहमत हूं। उसमें ऐसा ही है। आप जो अनुबंध I और II से बता रहे हो वह स्थिति 16 मार्च, 1998 से पहले की है। यह स्थिति मेरे से पहले से चली आ रही है और वही मैं आपको बता रहा हूं। और, यह सूचना राज्य सरकारों ने भेजी है मैंने नहीं। अगर आप कहते हैं कि यह सूचना झूठी है, तो मैं आपका आरोप राज्य सरकारों को भेज दूंगा और उनसे उनकी टिप्पणियां मांगूंगा। परन्तु, राज्य सरकारों की स्वायत्तता में इससे अधिक हस्तक्षेप करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल आपके निर्वाचन क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि पूरे भारत से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रूरल एरियाज से संबंधित है, लेकिन उत्तर अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री महोदय दे रहे हैं, जबकि उत्तर रूरल मिनिस्टर को देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, 1990-91 में जलगांव, धूले और नासिक जिलों के लिए 71 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन यह स्कीम अभी तक पूरी नहीं हुई है। 136 जिलों में अभी तक लोगों को पानी नहीं मिला है। जितना पैसा दिया जाता है, उससे स्कीम पूरी नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं, इसकी मोनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है ? साथ ही जो पैसा दिया जाता है, वह शहरों के विकास पर खर्च किया जा रहा है। बम्बई शहरी के विकास पर खर्च कर रहे हैं और रूरल क्षेत्रों के विकास पर खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जब यह स्थिति है, तो महाराष्ट्र सरकार को पैसे किस प्रकार दिए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, अगर निधियों का बड़े पैमाने पर ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं यह बात वर्तमान सरकार को बताऊंगा ताकि वह पता लगाये कि पिछली सरकारें क्या कर रही थीं।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, पेयजल का मसला राष्ट्रीय मसला है। वर्तमान सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में लिखा हुआ है कि पूरे देश में सभी लोगों को पेयजल यह सरकार पहुंचाएगी।

मगर आज जो प्रश्न का उत्तर आया, जो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं इसका आधा हिस्सा अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और आधा हिस्सा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। इन दोनों के उत्तरों को जोड़ कर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मेरी प्रार्थना यह है कि इस सदन में पेयजल के ऊपर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। दूसरा, राजस्थान के बारे में इस स्टेटमेंट में लिखा है कि राजस्थान में पेयजल की समस्या पूरे देश से अधिक गंभीर है। वहां जो ग्राउंड वाटर मिल रहा है वह बहुत डेन्जर्स है, *(व्यवधान)* उसमें फ्लोराइड कंटेंट्स और साल्ट कंटेंट्स इतने हैं कि उसको पीने से लोगों की सेहत खराब हो रही है, बच्चों की जिन्दगी खराब हो रही है। मैं इनकी कठिनाई को समझता हूं, क्योंकि इनके मंत्रालय में केवल अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आती है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत, खास कर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल का प्रावधान किया जाए ताकि वहां के लोगों को स्वच्छ और ठंडा-मीठा पानी पीने को मिले, जो कि इस सरकार का कमिटमेंट है। ऐसा करने में सरकार को कितनी देर लगेगी, मैं यह पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : महोदय, राजस्थान सरकार ने बताया है कि कुछ बहुत ही विशिष्ट क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में जहां पानी की आपूर्ति संभव नहीं है शत-प्रतिशत जनता को पानी की आपूर्ति की जाती है।

श्री बूटा सिंह : यह सही नहीं है। आप कृपया राजस्थान का दौरा कीजिए और आप स्वयं ही यह देख लेंगे। *(व्यवधान)* आप राजस्थान के किसी सदस्य से पूछें वह आपको बता देगा। *(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : कृपया मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, जरा रुकिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि *[हिन्दी]* आप हुक्म करेंगे तो मैं राजस्थान में जाकर देख कर आऊंगा और आपको पूरी स्थिति की रिपोर्ट दूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय सदस्य भविष्य के बारे में कुछ चाहते हैं। भविष्य का अर्थ यह है कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए हमने एक कार्य योजना तैयार की है जिसे अब हमने योजना आयोग को तथा विभिन्न मंत्रालयों को परिचालित किया है। इसे हमने टिप्पणी के लिए राज्य सरकारों को भेजा है। इस कार्य योजना के स्वीकार होते ही हम इसे लागू कर देंगे। परंतु हमें अपना वादा पूरा करने के लिए पांच वर्ष का समय दीजिए।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : महोदय, अगली सहस्राब्दी में देश में पीने के पानी की काफी कमी हो जाएगी। बहुत सी परियोजनाओं, विशेषकर द्रुत जल आपूर्ति योजना को विदेशी एजेन्सियां सहायता प्रदान कर रही हैं। विदेशी एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित इन परियोजनाओं में केरल राज्य को यह कठिनाई हो रही है कि जमीन को इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पानी के टैंक और अन्य संबंधित कामों के लिए जमीन प्राप्त करना कठिन है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जमीन को इस परियोजना की स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मेरे विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है। परंतु चूंकि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है इसलिए मैं केरल सरकार को इससे अवगत करवा दूंगा और हम उन्हें इसका महत्व बताएंगे।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे परियोजना में शामिल किया जाएगा। मेरा प्रश्न यह है। भूमि को इस परियोजना में शामिल करना होगा।

श्री राम जेठमलानी : ये परियोजनाएं वित्त पोषित करने वाली एजेन्सियों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हमें सचमुच इससे कुछ-कुछ लेना देना नहीं है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है यह सुझाव बहुत उपयोगी है और मैं इसे राज्य सरकार के सामने रखूंगा।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, महान विधिवेत्ता की विलक्षण प्रतिभा का इस मंत्रालय में पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। परंतु मैं समझता हूं कि अगर वे पहल करते हैं तो वे इसे एक नया आयाम दे सकते हैं। राष्ट्रीय एजेंडा में यह लिखने का कोई फायदा नहीं है कि पांच वर्षों के अंदर पेयजल की आपूर्ति कर दी जाएगी। सरकार कन्याकुमारी से कश्मीर और पश्चिम बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाले राजमार्गों पर लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसी प्रकार क्या माननीय मंत्री जी एक व्यापक कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिए आगे आएंगे जिससे आगामी पांच वर्षों में पेयजल की कोई कमी न हो ? दूसरा, जैसा कि श्री प्रेमचंद्रन जी ने इसके बारे में बताया नौकरशाही विलम्ब के कारण राज्य सरकारें विदेशी सहायता तक का पूरा उपयोग नहीं कर सकीं। इसलिए क्या मंत्री जी नौकरशाहों की लाल-फीताशाही को समाप्त करने की दिशा में पहल करेंगे जिससे न केवल हमारा धन बल्कि विदेशी कम्पनियों द्वारा लगाया गया धन समय पर राज्य सरकारों तक पहुंच सके ?

श्री राम जेठमलानी : महोदय, माननीय सदस्य मुझे इस बात का श्रेय देंगे कि मैं नौकरशाही विलम्ब को समाप्त करने की कोशिश में नौकरशाहों में अप्रिय हो गया हूं। मैं ऐसा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और मुझे आशा है कि मैं इसमें जल्दी ही सफल होऊंगा। जहां तक सरकार का संबंध है मुझे लगता है कि हम केवल सरकार को यह सलाह दे सकते हैं कि उन्हें अपनी सलाह और आयोजनागत

सहायता दे सकते हैं। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो मैं उन्हें वह कार्य योजना दे सकता हूं जो मैंने तैयार की है और जिसपर योजना आयोग और राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री मुरासोली मारन : मैं चाहता हूं कि इसमें भारी मात्रा में निवेश हो। *(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य इस बारे में हमें अनुचित रूप से ताना दें कि हम अगले पांच वर्षों में क्या करना चाहते हैं। हमने उस दिशा में जोर-शोर से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी हमें यह बताएंगे कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी पिछली सरकारें सभी गांवों में पेयजल तक उपलब्ध नहीं करवा सकीं ?

श्री राम जेठमलानी : महोदय, काश मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकता, परंतु मैं बेकार ही लोगों की नकल नहीं करना चाहता। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, हम पिछली सरकारों की असफलता के कारण जानना चाहते हैं। हमारी स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी उन्होंने लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया। उनकी असफलता के क्या कारण हैं ?

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह एक अपमान की बात है।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : मैं चाहता हूं कि आप ब्यौरे दें।

[हिन्दी]

मालगाड़ियों का पटरी से उतरना

*262. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश के अनेक भागों में मालगाड़ियों के पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भदैया-लंभुआ रेलवे स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, पिछले एक वर्ष अर्थात् 1997-98 के दौरान माल गाड़ी के पटरी से उतरने की 194 परिणामी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं का कारण-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

माल गाड़ियों के पटरी से उतरने की संख्या	दुर्घटनाओं का कारण
163	मानवीय विफलता
22	उपस्कर की खराबी
3	तोड़-फोड़
3	आनुषंगिक
3	अंततः सिद्ध नहीं हो सके

(ग) जी हां।

(घ) 19.8.1998 को 2.43 बजे उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के भड़ैया और लम्बहुआ स्टेशनों के बीच डाउन "सीओएम क्रैक" स्पेशल माल गाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

इस दुर्घटना में सरकारी संपत्ति को 2.75 लाख रुपए (अनंतिम) की क्षति हुई है।

(ङ) जी हां।

(च) यह जांच कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह दुर्घटना अत्यधिक क्रॉस लेवल विचलन और लापता/ढीली रेलपथ फिटिंगों के कारण हुई थी। इस दुर्घटना को "रेल कर्मचारियों की विफलता" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(छ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) चौबीसों घंटे संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर रेलपथ की गहन जांच की जाती है।

(ii) सभी ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइन खंडों पर अनुरक्षण गलियारे मुहैया कराए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अनुरक्षण में कमी के कारण संरक्षा का कोई पहलू उपेक्षित नहीं हो, विभिन्न अनुरक्षण कार्यों के लिए एकीकृत अनुरक्षण ब्लॉक नियमित रूप से मुहैया कराए जा रहे हैं।

(iii) इस नाजुक क्षेत्र में अनुरक्षण मानक सुधारने के लिए रेलपथ और सिगनल निरीक्षकों द्वारा कांटे और पारंणों की संयुक्त जांच पर जोर दिया जा रहा है।

(iv) खराब मौसम यथा गर्मी, मानसून और सर्दी के महीनों के दौरान गैंगमैनों द्वारा रेलपथ पर नियमित गश्त लगाई जाती है। ये गश्तकर्मी यह सुनिश्चित करते हैं कि पटरी के तुड़-मुड़ जाने, अचानक बाढ़ पटरी में दरारों से संरक्षा को खतरा न हो।

(v) दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी पाए गए दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त करने/सेवा से हटाने की कड़ी सजा दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष जी, यह रेल दुर्घटनाओं से संबंधित प्रश्न है। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि माल गाड़ी या रेल गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गये। यह बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। जो प्रश्न मैंने पूछा था वह माल गाड़ियों से संबंधित था। मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने 1997-98 के लगभग 10 महीनों का लेखा-जोखा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि यह जो आपने आंकड़े दिये हैं यह कब तक के हैं।

श्री नीतीश कुमार : यह वित्त वर्ष 1997-98 के हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : आपने अपने जवाब में दिया है कि इस दौरान कुल 194 रेल दुर्घटनाओं में से 163 मानवीय विफलताओं के कारण हुईं। यह प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इनको रोकने के सुझाव भी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिए हैं। इनमें कुछ सुधार करने के कार्य हैं और कुछ दंड देने के कार्य हैं। जब इतनी दुर्घटनाएं मानवीय विफलता के कारण होती हैं तो यह चिंता का विषय हो जाता है। उनका प्रशिक्षण और व्यवहार ठीक हो, इन सबके ऊपर मैं माननीय मंत्री जी की योग्यता के ऊपर कोई ऊंगली नहीं उठा रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष जी, बहुत लोग दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष जी, ये ज्यों-ज्यों मर्ज की दवा कर रहे हैं त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। दस दिसम्बर को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में जो कार्य इन्होंने किए हैं जिसमें जो धन इन्होंने खर्च किया है उसमें भी गिरावट आई है। वर्ष 1995-96 में सिग्नल कार्य के ऊपर 161.26 करोड़ रुपया व्यय किया गया था जोकि घटकर 1997-98 में केवल 146.93 करोड़ रह गया। इसी तरह से पुल संबंधी कार्य के ऊपर जहां 1995-96 में 89.28 करोड़ रुपया खर्च किया गया था वहीं इस बार 1997-98 में केवल 74.97 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इससे लगता है कि धन के और अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने अपने उत्तर में जो स्टेप्स दिखाए हैं उनमें अंतिम है कि दुर्घटनाओं में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करना और सेवा से हटाना। उत्तर रेलवे में जो 19.8.98 को जो गाड़ी पटरी से उतरी थी तथा जिसकी आपने कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों की एक समिति के द्वारा जांच कराई थी। इसमें रेल कर्मचारियों को विफलताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितनों को बर्खास्त तथा कितनों को सेवा से हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई की गयी है ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सप्लीमेंटरी पूछने के क्रम में बहुत सारे सवालों को उठाया। इनका प्रश्न एक खास गुड्स ट्रेन की डिरेलमैंट के बारे में था। उन्होंने पूछा कि क्या कार्रवाई की जा रही है ? इसकी इनक्वायरी की गई और रिपोर्ट भी आ गई। इनक्वायरी कमेटी ने चीफ परमानेंट वे इंसपेक्टर मैंटेनन्स सुल्तानपुर और परमानेंट वे इंसपेक्टर मेटेनन्स को दोषी करार दिया है। इनक्वायरी कमेटी की फाइडिंग्स को डी.आर.एम. द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। दोनों स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार माने गए हैं। उनके खिलाफ मेजर पैनल्टी चार्जशीट दायर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जहां तक धन की कमी की बात है, वह रेलवे की आर्थिक स्थिति के स्टेटस पेपर में भी कहा गया है। माननीय सदस्य ने जिस ढंग से पिछले वर्षों की अलग-अलग प्राथमिकताएं बताई हैं, उनके बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि घटनाएं ज्यादा क्यों हो रही हैं ? *(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे : एक्सीडैंट्स में 100-200 लोग मर जाते हैं। *(व्यवधान)* एक ही महीने में दो एक्सीडैंट्स हो जाते हैं। *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो एक्सीडैंट हुआ, वह भी ट्रैक में डिफैक्ट होने से हुआ। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अगर मूल सवाल को देख लिया जाए तो अच्छा होगा। हर एक्सीडैंट के बारे में और रेलवे की सेफ्टी की स्थिति के बारे में जो भी सवाल पूछा जाएगा, मैं उनका उत्तर देने के लिए तत्पर हूं लेकिन सवाल का उत्तर बारी-बारी से दिया जा सकता है। एक सवाल का उत्तर एक बार ही दिया जा सकता है। अगर ओवर ऑल रेलवे सेफ्टी की स्थिति के बारे में कोई चर्चा करनी है तो मेरा अनुरोध है कि सदन को जब समय मिले इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दूसरे सदन में दो संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इस सदन में भी इसके बारे में चर्चा हो ताकि विस्तृत रूप से सारी स्थिति पर आपकी और सरकार की तरफ से प्रकाश डाला जा सके। इससे हम सारी कार्रवाई के बारे में स्थिति बतला सकेंगे। माननीय सदस्य ने पर्टिकुलर गुड्स ट्रेन के डिरेलमैंट के बारे में प्रश्न किया। इस बारे में जो कार्रवाई हो रही है, उसकी जानकारी दी जा चुकी है। जहां तक डिरेलमैंट और दूसरी प्रकार की घटनाओं का सवाल है, जिन पैसेजर ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स की दुर्घटनाएं पिछले कुछ महीनों में बढ़ी हैं, वे मिला कर पिछले वर्ष की तुलना में आंकड़ों के हिसाब से बराबर हैं। इसके रेल फेल्योर और ह्यूमन फेल्योर कई कारण होते हैं। जिन कारणों से ये दुर्घटनाएं होती हैं, उनको उल्लेख किया गया है। इस दुर्घटना को ह्यूमन फेल्योर के कैटेगिरी में रखा गया है। उनके कारण गिना दिए गए हैं। इसमें मेंटेनन्स की कमी पाई गई। इसलिए इसमें ह्यूमन फेल्योर माना गया। इसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर सभा सहमत हो, तो हम 'गाड़ियों के पटरी से उतरने और दुर्घटनाओं' के बारे चर्चा कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी है। इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सुझाव आधे घंटे की चर्चा के दौरान दे सकते हैं। सभा इस बात पर सहमत हो चुकी है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैं तीन वाक्यों से अधिक नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, परंतु संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैंने यह मालूम किया है कि ऐसी दुर्घटनाएं अधिकांशतः ह्यूमन ऐरअर के कारण हो रही हैं। इस पर आपका कोई बस नहीं है। रुड़की के एक वैज्ञानिक श्री सुल्तान सिंह जैन ने इसके ऊपर बहुत बड़ा शोध किया। *(व्यवधान)* उन्होंने रेल परिचालन प्रणाली का विस्तार किया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड और रेल विभाग के सामने उसका प्रदर्शन भी किया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में भी एक्सीडेंट कर रहे हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गाड़ी आगे है, वह स्वतः रुक जायेगी, अगर अनमैन्ड क्रासिंग है तो वहां पर लाल बल्ब जल जायेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही पूछना है कि क्या श्री सुलतान सिंह जैन, जो रुड़की विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा रेल प्रचालन प्रणाली विकसित की गई है, रेल विभाग इस प्रचालन प्रणाली का लाभ उठाना चाहेगा और क्या उनको इस प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिये अवसर देगा ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसके बारे में कोई तुरंत सूचना उपलब्ध नहीं है कि किसी खास व्यक्ति ने कोई ऐसा सिस्टम डैवलेप किया है। अगर वह हमारे पास आयेगा या रेलवे बोर्ड के पास आयेगा तो पूरे तौर पर उसका अध्ययन होगा, उसकी जांच की जायेगी। जहां तक इसके अध्ययन करने की बात है तो मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अब तक ट्रेक और व्हील के इंटरैक्शन पर कोई स्टंडी नहीं की गई लेकिन आर.डी.एस.ओ. में कभी न कभी कुछ काम होता रहा है। अगर वे व्यक्ति जो वहां पर काम करते हैं, ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले जाते हैं तो वह जानकारी नीचे परकोलेट नहीं करते रहे हैं। इसलिये हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि रुड़की विश्वविद्यालय में रेल और व्हील के इंटरैक्शन पर उसका अध्ययन करने के लिये तथा प्रोफेसर की सीट बनाने के लिये रेलवे द्वारा 50 लाख रुपया व्यय किया जा रहा है ताकि इसका अध्ययन हो सके। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसका अध्ययन तथा ठोस नतीजा आने के बाद यह तय कर सकें कि हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

सुरक्षित पेयजल

***263. श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में सन् 2000 तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 1.4.98 की स्थिति के अनुसार स्वच्छ जल सुविधा वाली ग्रामीण बस्तियों के राज्यवार कवरेज को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डा में 1998 से शुरू कर आगामी पांच वर्षों में देश के समस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने पर बल दिया गया है। सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डा के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गयी कार्य योजनाओं से पता चलता है कि यदि निधियां उपलब्ध हो पायीं तो राजस्थान की कुछ बस्तियों को छोड़कर देश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को नौवीं योजना अवधि के दौरान स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी।

अनुबंध

1.4.98 की स्थिति के अनुसार बस्तियों के कवरेज की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल न की गयी बस्तियां	आंशिक रूप से शामिल बस्तियां	पूर्णतः शामिल बस्तियां	कुल बस्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	28083	41649	69732

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	666	28083	2384	4298
3.	असम	8623	1248	38561	70669
4.	बिहार	2522	23485	195318	205436
5.	गोवा	35	7596	325	405
6.	गुजरात	1008	45	23363	30269
7.	हरियाणा	60	5898	6912	7545
8.	हिमाचल प्रदेश	4590	573	26730	45367
9.	जम्मू और कश्मीर	2618	14047	8564	15726
10.	कर्नाटक	1942	4544	40842	56682
11.	केरल	990	13898	1884	9763
12.	मध्य प्रदेश	6909	6889	122245	159868
13.	महाराष्ट्र	2985	30714	33450	77124
14.	मणिपुर	220	40689	1979	2791
15.	मेघालय	1005	592	6013	8639
16.	मिजोरम	24	1621	245	911
17.	नागालैंड	448	642	332	1525
18.	उड़ीसा	7136	745	100603	114099
19.	पंजाब	6000	6360	4326	13446
20.	राजस्थान	7077	3123	55648	104066
21.	सिक्किम	0	41341	817	1679
22.	तमिलनाडु	0	862	41686	66631
23.	त्रिपुरा	888	24945	4422	7412
24.	उत्तर प्रदेश	384	2102	247245	274641
25.	प. बंगाल	0	27012	54268	80377
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	26109	472	504
27.	दादरा और नगर हवेली	128	21	172	516
28.	दमन और द्वीव	0	216	28	29
29.	दिल्ली	0	1	138	200
30.	लक्षद्वीप	0	62	0	10
31.	पांडिचेरी	0	10	276	276
32.	चण्डीगढ़	0	0	24	24
	कुल	56269	313473	1060921	1430663

श्री पी०एस० गढ़वी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि "सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डा में 1998 से शुरू कर आगामी पांच वर्षों में देश के समस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने पर बल दिया गया है।" इसमें यह भी बताया गया है कि केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कच्छ जिले में, जो पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। पेयजल की भारी कमी पायी गई है—यहां तक मवेशियों को पीने का पानी नहीं मिलता है—और इसके परिणामस्वरूप काफी लोग उस क्षेत्र से दूसरी जगह चले गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने का एकमात्र उपाय दक्षिण गुजरात नदी से जल प्राप्त कराना है जो 700 कि.मी. की दूरी पर है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको बहुत अच्छा प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री पी०एस० गढ़वी : अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात राज्य के इस भाग में पेयजल उपलब्ध करने हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूति कार्यक्रम के अंतर्गत कोई विशेष सहायता दी जा सकती है।

श्री बाबागौड़ा पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। हालांकि हम राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करते हैं। मैं आपको विद्यमान स्थिति स्पष्ट करता हूं। भारत में 14,30,663 बस्तियां हैं जिनमें से 56,269 बस्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, 3,13,473 बस्तियों को आंशिक रूप से और शेष 10,60,921 बस्तियों को पूरी तरह से शामिल किया गया है। हमने एक कार्यवाही योजना तैयार की है और हमें इसके लिए 9,149 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। माननीय सदस्य अनुबंध-I में ब्यौरे देख सकते हैं। कार्यवाही योजना हमारे राष्ट्रीय एजेण्डा के अनुरूप तैयार किया गया है और यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके द्वारा तैयार किये गए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करे।

श्री पी०एस० गढ़वी : महोदय केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या केन्द्र सरकार उन स्थानों के लिए जहां जल का विकट अभाव है, कोई विशेष प्रावधान करने वाली है अथवा नहीं। यदि आप देश को पूरे एक क्षेत्र के रूप में लें तो कई स्थान हैं जहां लोग पानी का भारी अभाव महसूस करते हैं और पानी लाने के लिए उन्हें कुछ किलोमीटर चलना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अत्यन्त साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ करने के लिए मजबूर करेगी और उन्हें अधिक सहायता प्रदान करेगी।

श्री बाबागौड़ा पाटील : राज्य सरकारें कार्यक्रमों को बनाने और क्रियान्वयन करने में स्वायत्तशासी हैं। हम इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

श्री पी०एस० गढ़वी : मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्र सरकार उसके लिए कोई विशेष प्रावधान कर रही है।

श्री बाबागौड़ा पाटील : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, कई बार आपकी तरफ से डायरेक्शन्स हुई हैं कि पार्लियामेंट के मैम्बर्स को एसोसिएट किया जाये लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एसोसिएट नहीं करती। यहां मिनिस्टर साहब कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है। आखिर हम लोग यहां आकर क्या करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आपकी डायरेक्शन्स आनी चाहिये।

[अनुवाद]

उन्हें स्पष्ट निर्देश देने चाहिए *(व्यवधान)* राज्य सरकार कार्यक्रमों में सम्बद्ध नहीं होती है *(व्यवधान)* संसद सदस्यों को कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बाद में करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उसमें ठहराव है। हम यह कह कर टाल देते हैं कि यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वह करे। हमने पैसा दिया लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या नहीं। प्रश्न यह है कि लोगों के पास चीज पहुंचती है या नहीं ? उस पर हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे चलने के लिये तैयार हैं और मैं राजस्थान में इनको ले जाने के लिये तैयार हूं। एक तो आपका यह वायदा है। दूसरे, मैं आपको जेठ के महीने में राजस्थान के टीलों की तरफ ले जाऊंगा जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तब आप मुझे इस बात का उलाहना नहीं देंगे। उसके लिये आपको परमवीर चक्र मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाकों में लोगों को 10-10 मील दूर पानी लेने के लिये जाना पड़ता है। इस मामले में सरकार द्वारा बहुत किया गया है लेकिन इन स्थानों पर मामला साफ हो गया है। मैं चाहता हूं कि इन स्थानों पर स्पेशल ध्यान देकर पानी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यदि वहां पानी उतर गया तो आदमी का जीवन उतर जायेगा। पानी के उतर जाने पर फसलें तक उतर जाती हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि पानी सुख से सब लोगों तक पहुंच सके। इस में प्राथमिकता होनी चाहिये। इन्दिरा कैनाल आने से हमारे पास साधन हैं। काम करने की आवश्यकता है, सिर्फ पाइप बिछा देने से पानी नहीं मिलता, पानी लगवाने से पानी पहुंचता है। *(व्यवधान)* इसलिये मैं आपकी बात का समर्थन करने के लिये मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे आपकी और हमारी ड्यूटी लगा दें ताकि हम भी देख सकें इस काम में पैसा लगता है या नहीं, क्या मंत्री जी इस बात से सहमत हैं ?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, मैंने कार्यक्रम में संसद सदस्यों को संबद्ध करने के बारे में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं और मेरे सचिव ने 26 अगस्त, 1998 को इन कार्यक्रमों में संसद सदस्यों को संबद्ध करने के सम्बन्ध में राज्यों के सचिवों को पत्र लिखे हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : महाराष्ट्र के बारे में

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : महाराष्ट्र की सरकार ने जवाब दिया है कि संसद सदस्यों विधायकों की भागेदारिता केन्द्र द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों के बनाने, क्रियान्वयन और निगरानी में की जा रही है। वे उन्हें शामिल करने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया महाराष्ट्र में आरंभ हुई है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं चलेगा, प्लीज आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, हमने राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों में संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए कहा है। हम राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल बहुत नीचे चला गया है और इंडिया मार्क 2 हैंड पंप जहां काम नहीं कर रहे हैं, वहां क्या कोई अलग से योजना प्रस्तावित करने की और उनको कोई विशेष सहायता देने की योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है। और क्या ऐसे क्षेत्रों का सर्वे भी करेगी ?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, भूमिगत जल का स्तर प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है। संसाधन सूख रहे हैं। प्रति वर्ष ऐसे नये-नये गांव उभर रहे हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। हम मंत्रालय में भूमिगत जल रिचार्जिंग कार्यक्रम के लिये कुछ प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए, ई.ए.एस. के अंतर्गत हमने विशेष रूप से बताया है कि धनराशि का 50 प्रतिशत भूमिगत जल रिचार्ज कार्यक्रम हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। मैंने कृषि मंत्री और वन मंत्री को पत्र भी लिखे हैं कि भूमिगत जल रिचार्ज के लिए इन सभी कार्यक्रमों को मिला दिया जाए। अब जल्दी ही हम भूमिगत जल रिचार्ज के लिए एक व्यापक कार्यक्रम करने जा रहे हैं।

डा० रणजीत कुमार पांजा : अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का मौका प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

समस्या पश्चिम बंगाल में ग्रामीण जल आपूर्ति अत्यंत विशेष है। छः जिलों में भूमि संखिया से लदी हुई है। यह संखिया पेयजल के माध्यम से लोगों द्वारा पी जा रही है। संखिया से कैंसर होता है कैंसर होने से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। चूंकि यह राज्य का विषय है मैं जानना चाहता हूं क्या इस विशेष स्वास्थ्य जोखिम को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है और क्या ग्रामीण क्षेत्रों को जलापूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपाय किये गए अथवा किये जा रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, ऐसी गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी मिशन नामक पृथक प्रौद्योगिक मिशन है। यदि राज्य सरकार जल शोधन हेतु परियोजना के साथ आती है तो हम इस पर विचार करेंगे। *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : परियोजनाएं पहले से ही वहां पर हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : यदि परियोजना हमारे पास है तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

श्री एस० सुधाकर रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल की तरह आंध्र प्रदेश के कई भागों में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा की गंभीर समस्या है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डियों की विकृति (टेढ़ापन) और असामायिक मौतें हो रही हैं। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष निधि दी जाती थी। अब सरकार ने ऐसी विशेष निधि को देना समाप्त कर दिया है और कुछ धनराशि प्रत्येक राज्य को दी जाती है। जो इससे समाहित कर दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेषकर आंध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए जहां कई गांव पेयजल में इस फ्लोराइड की मात्रा से प्रभावित है विशेष धनराशि देने की कोई योजना है ?

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, हमने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत यह कार्यक्रम नहीं हटाया है। हमने इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां दी हैं। केवल वित्तपोषण की पद्धति में तबदीली की गई है। यदि माननीय सदस्य पहले जैसी वित्तपोषण पद्धति को अपनाने का अनुरोध करते हैं तो मैं उस पर भी विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष जी, पूरे देश में भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। उसमें खासकर गुजरात में पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि 500 फीट की गहराई पर पानी मिलता है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। स्टेट हर गांव में पानी पहुंचाने का प्रयत्न करं रही है। लेकिन मैं पिछले दस सालों से सुन रहा हूं कि जो भी सरकार आती है, वह कहती है कि अगले दो साल में हिंदुस्तान के सारे गांवों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। लेकिन पिछले दस सालों से यह प्रश्न हल नहीं हुआ। गुजरात सरकार पाइप लाइन के द्वारा प्रत्येक गांव को शुद्ध पेयजल देना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें भारत सरकार कोई स्पेशल आर्थिक मदद देगी ?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, भूमिगत जल समाप्ति हेतु हमने 595 ब्लाकों की सूखे इलाकों के रूप में पहचान की है। इसके लिए हमारे पास एक कार्यक्रम है। यदि कोई राज्य सरकार इन सूखे ब्लाकों को रिचार्ज करने के लिए किसी परियोजना को लेकर आती है तो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की देश में आज यह स्थिति है कि मेरा क्षेत्र जहां से गंगा-यमुना निकलती हैं, वहां भी हमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी का यह कहना ठीक है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लेकिन वास्तव में सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिन गांवों को यहां लाभान्वित दिखाया जाता है, उन गांवों में भी पानी नहीं है। इसलिए

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे राज्य सरकार के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद एक मॉनीटरिंग सिस्टम शुरू करेंगे, जिसमें केन्द्र के सांसद भी शामिल हों, ताकि यह देखा जाए कि जिन गांवों को लाभान्वित दिखाया गया है, वहां पानी की क्या स्थिति है और जिन गावों को लाभान्वित नहीं दिखाया गया है वहां किस प्रकार से पानी दिया जायेगा। केन्द्र के सांसदों पर आधारित एक मॉनीटरिंग सिस्टम शुरू करने के बारे में क्या मंत्री जी कुछ बतायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री बाबागौड़ा पाटील : मैंने पत्र लिख दिये हैं *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : मैं उन निगरानी प्रणाली के प्रबंधों के बारे में पूछ रहा हूं जिसके पास अधिकार हों। यहां वह केवल राज्य सरकारों को अनुरोध कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं क्या वह निगरानी के लिए ऐसी प्रणाली की आवश्यकता को स्वीकार करेंगे जो केन्द्र द्वारा की जाएगी *(व्यवधान)* अन्यथा वह असहाय हैं।

वह कह रहे हैं कि सब कुछ राज्यों द्वारा किया जाएगा फिर वह यहां क्यों आए हैं ? तब हमें यहां प्रश्न नहीं पूछने चाहिए ? *(व्यवधान)*

श्री के०एस० राव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हर कोई जानता है पेयजल की कमी हमारे देश में एक प्रमुख समस्या है। जब कभी हम किसी गांव में जलाशय के निर्माण की स्वीकृति देने के लिए कहते हैं तो स्वीकृति दी जाती है किंतु गांव वालों को कहा जाता है कि वे इस परियोजना अर्थात जलाशय निर्माण की लागत का एक हिस्से का अंशदान करें और कभी-कभी जब गांववाले अंशदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो जलाशय का निर्माण नहीं किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि अधिकांश निवेश केवल समृद्ध गांवों में जा रहा है जहां पर स्थानीय ग्रामीण अपेक्षित राशि से अधिक अंशदान कर सकते हैं।

अब मैं इस बात को उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुपूरक प्रश्न पूछना है न कि इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाना है।

श्री के०एस० राव : महोदय, जलाशयों के निर्माण में निवेश किए गए करोड़ों रुपये का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि या तो पाइपलाइनें नहीं बिछाई गई हैं या उनका कार्य अधूरा इत्यादि है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे राज्य सरकारों या संबंधित विभागों को उन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए कहेंगे जो अधूरी हैं और जिनमें पिछले दो वर्षों में करोड़ों रुपये निवेश किए गए हैं और कोई रास्ता निकालेंगे कि उन्हें किस प्रकार पूरा किया जाए और उनका उपयोग किया जाए ताकि जनता के पैसे को बचाया जा सके।

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, हम ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. और एम.एन.पी के अंतर्गत लोगों को अंशदान के लिए नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अधूरी योजना के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत वे पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत अंशदान करने के लिए कह रहे हैं।

श्री के०एस० राव : मैं उन परियोजनाओं के बारे में बात कर रहा हूं जिनका संबंध गांव वालों से है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री बाबागौड़ा पाटील : विश्व बैंक की योजनाओं के संबंध में जनता की सहमति से वे गैर-सरकारी संगठनों और जनता के साथ पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत अंशदान करने का समझौता कर रहे हैं।

श्री के०एस० राव : महोदय मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं गांव वालों की बात कर रहा हूं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत हम लोगों को धन अंशदान करने के लिए नहीं कह रहे हैं।

अधूरी परियोजनाओं के बारे में यदि माननीय सदस्य किसी विशेष परियोजना का उल्लेख करते हैं *(व्यवधान)*

श्री के०एस० राव : एक परियोजना नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों अधूरी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। यहां मैं सारे देश की बात कर रहा हूं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, मैं इसे देखूंगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो मुझे इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है, माननीय मंत्री का उत्तर क्या है ? क्या आप आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हैं ?

श्री बाबागौड़ा पाटील : हमने इस मामले पर अनेक बार चर्चा की है। हमने एक कार्य योजना तैयार की है। हमने भूमिगत जल रिचार्जिंग कार्यक्रम भी तैयार किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हैं ?

श्री बाबागौड़ा पाटील : यदि माननीय सदस्यों की इसमें रुचि हो तो मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री सहमत हो गए हैं।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग

+

*264. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) योजना आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल कर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता का समय-समय पर आकलन किया जाता है। तथापि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए इस मंत्रालय के आदेश पर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जनगणना का कार्य किया जा रहा है।

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की प्रतिशतता के साथ-साथ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जनगणना का आकलन करने के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा को मानदंड माना जाता है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। क्या माननीय मंत्री मुझे बताएंगे कि सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों को कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों के घरों में पंखे, पक्की छतें, सिलाई मशीन, पक्की दीवारें, टिन शेड और बिजली है उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची से हटाए जाने चाहिए ? उन्हें उनकी आय के अनुसार इस सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश हैं ?

दूसरे, प्रधानमंत्री ने पिछली बार इस सभा में आश्वासन दिया था कि वर्ष 1997-98 के दौरान लगभग 2700 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया है और सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कम से कम इस सत्र में किया जाएगा ?

श्री बाबागौड़ा पाटील : इन आंकड़ों का उपयोग गरीबों की पहचान के लिए नहीं किया जा रहा है। इन आंकड़ों का उपयोग हम आई. आर.डी.पी., डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए. जैसे स्वरोजगार कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों के लिए कर रहे हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं एक उदाहरण देता हूं। आप जांच कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में अकोला जिले के ब्रशीतक्ली गांव का नाम बताता हूं जहां पर पिछले गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के सर्वेक्षण में 46 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। इस बार भी सर्वेक्षण पूरा हो गया है यह संख्या घटकर 20 प्रतिशत हो गई है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए इन मानदंडों का उपयोग किया गया है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सभा को बताएंगे कि यह सत्य है या नहीं ?

श्री बाबागौड़ा पाटील : योजना आयोग इन आंकड़ों पर विचार नहीं कर रहा है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि क्या आप इन तथ्यों की पुष्टि कर सभा को बताएंगे, यह मेरा स्पष्ट प्रश्न है। हमें योजना आयोग में कोई रुचि नहीं है। मैं आपको स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने आपको एक ऐसे गांव का नाम दिया है जहां पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या 46 प्रतिशत थी। इस बार यह 20 प्रतिशत है। क्या आप सभा को बताएंगे कि यह सत्य है या नहीं ?

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है। हम सबसे गरीब लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं आपको एक ठोस उदाहरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया बैठ जाइए। यह कैसा टकराव है ?

(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह इसका उत्तर नहीं है। यह जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील : यदि माननीय सदस्य को आंकड़े चाहिए तो मैं उन्हें दे दूंगा *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : आप स्पष्ट उत्तर दें। *(व्यवधान)* वे कह रहे हैं कि बीस प्रतिशत जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के निर्देशाधीन किया गया ? *(व्यवधान)* गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोग विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे *(व्यवधान)* वे इस बारे में चिंतित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री विठ्ठल तुपे : अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसमें रूरल एरिया में पावर्टी लाइन के आंकड़े दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शहरों में गरीब लोग नहीं रहते ? *(व्यवधान)* शहरों में यह काम क्यों नहीं हो रहा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं बचा है।

[हिन्दी]

श्री विठ्ठल तुपे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें देहात के बारे में दिया गया है। शहर में रहने वाले 'बिलो पावर्टी लाइन' के लोगों की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से सहायता

*265. श्री एस. एस. ओवेसी :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओईसीएफ) और अन्य विदेशी एजेन्सियों की सहायता से केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक राज्यवार कितनी जल आपूर्ति और मल व्ययन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) राज्यवार कितनी परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) इन परियोजनाओं हेतु स्थलों का चयन करने का मानदण्ड क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की लागत में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कितनी-कितनी राशि वहन की जाती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशी आर्थिक सहायता कोष (ओ ई सी एफ) तथा विश्व बैंक की सहायता हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अब तक मंजूर शहरी जल आपूर्ति तथा मल व्ययन परियोजनाओं की राज्यवार संख्या विवरण-I में है।

किसी राज्य सरकार से विदेशी सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव मिलने पर केन्द्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करती है तथा आर्थिक कार्य विभाग के मार्फत किसी उचित विदेशी धनदाता एजेन्सी से सहायता मिलने की सम्भावना का पता लगाती है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विदेशी एजेन्सियों को सुपुर्द परियोजनाओं की संख्या विवरण-II में है।

(ग) चूंकि शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई राज्य के विषय हैं, इसलिए परियोजनाओं के लिए स्थलों का चयन करना पूर्णतया राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। चयन का मानदंड सामान्यतया सेवाओं में बढ़ोत्तरी/सुधार की जरूरत, तथा शहरी स्थानीय निकायों की तकनीकी, वित्तीय व सांस्थानिक हैसियत पर निर्भर करता है ताकि विदेशी सहायता से परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके।

(घ) विदेशी सहायता प्राप्त शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं के लागत में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ भागीदारी नहीं निभायी जाती।

विवरण-I

केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर ओ ई सी एफ जापान तथा विश्व बैंक की सहायता वाली शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं की राज्यवार-सूची

क्र. सं.	राज्य	जल आपूर्ति व मल व्ययन परियोजनाओं की सं.	एजेंन्सी
1.	महाराष्ट्र	पांच	विश्व बैंक
2.	पंजाब	एक	विश्व बैंक
3.	उत्तर प्रदेश	दो	विश्व बैंक
4.	राजस्थान	एक	विश्व बैंक
5.	गुजरात	दो	विश्व बैंक
6.	केरल	एक	विश्व बैंक
7.	तमिलनाडु	एक	ओ.ई.सी.एफ.
		तीन	विश्व बैंक
		एक	ओ.ई.सी.एफ.
8.	आंध्र प्रदेश	एक	विश्व बैंक
9.	कर्नाटक	एक	ओ.ई.सी.एफ.

विवरण-II

विदेशी सहायता के लिए प्रक्रियाधीन शहरी जल आपूर्ति तथा मल व्ययन परियोजनाओं की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य	जल आपूर्ति व मल व्ययन परियोजनाओं की सं॰	एजेन्सी
1.	राजस्थान	एक	ओ.ई.सी.एफ.
2.	तमिलनाडु	एक	विश्व बैंक
3.	आंध्र प्रदेश	एक	विश्व बैंक
4.	महाराष्ट्र	दो	विश्व बैंक
5.	दिल्ली	एक	विश्व बैंक
6.	प॰ बंगाल	एक	विश्व बैंक

विमान वाहक पोत का निर्माण

*266. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
डा॰ रवि मल्लू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने के बाद नौसेना के पहले स्वदेशी विमान-वाहक पोत का निर्माण कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मई, 1997 में नौसेना ने भारत के पनडुब्बी बेड़े का भविष्य सुरक्षित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) एक वायुयान वाहक (हवाई रक्षा पोत) का स्वदेशी रूप से निर्माण करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, हां, नौसेना मुख्यालय ने पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए मई, 1997 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण करने के संबंध में निर्णय संक्रियात्मक आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता और उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का दर्जा बढ़ाया जाना

*267. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का दर्जा बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा की अन्तरिम परीक्षण रेंज का भी दर्जा बढ़ाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस हेतु दिये गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) चूंकि रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अधिकांश तौर पर उच्च तकनीकी क्षेत्रों में काम कर रहा है इसलिए सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों में सतत रूप से विशेषकर प्रौद्योगिकी नियंत्रण और प्रतिबंधों के परिवेश में आधुनिकता के अनुरूप विकास किया जाता है।

(ग) से (ङ.) अंतरिम परीक्षण रेंज (आई टी आर) में पहले से ही अत्याधुनिक प्रणालियां विद्यमान हैं। जब कभी नई प्रणालियों की आवश्यकता होती है तो उनमें नई प्रौद्योगिकियां जोड़ दी जाती हैं।

सरकारी आवासों में अनधिकृत निर्माण

*268. **डा॰ विजय सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लुटियन जोन क्षेत्रों सहित सरकारी कालोनियों में अस्थाई ढांचे बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है और कितने मामलों में आवंटन रद्द किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं या आवंटियों को बेदखल किया गया है;

(ग) क्या लुटियन जोन के बंगलों में भी ऐसे अवैध निर्माण हुए हैं;

(घ) क्या इन मामलों में भी उसी तरह की कार्यवाही की गई है जैसी कि सरकारी कालोनियों के मामले में की जाती है और यदि नहीं, तो भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ.) दिल्ली में "टाइप-टू" और "टाइप-थ्री" क्वार्टरों में अतिरिक्त कवर्ड शैल्टर उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से ऐसे अवैध निर्माणों के बारे में सूचना मिलने पर, उन निर्माणों को एक महीने के अंदर हटाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं। चालू वर्ष में अब तक तीन (3) आवंटन रद्द किए गए हैं और उनके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई भी शुरू की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) इस प्रकार के मामलों में बिना किसी भेदभाव के इसी तरह की कार्रवाई की जाती है।

(ङ.) टाइप II तथा III क्वार्टरों में मौजूदा बरामदों को, आवंटिती द्वारा अनुमानित लागत की 10% राशि देने पर ढका जा सकता है। इन क्वार्टरों में इसके अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

दिल्ली में सरकारी कालोनियों में आवंटितियों द्वारा किए गए अतिक्रमण

क्र.सं.	कालोनी	अतिक्रमणों की संख्या
1	2	3
1.	महावरखां रोड	35
2.	कोटला रोड	1
3.	राऊज एवेन्यू	2
4.	मिन्टो रोड काम्पलैक्स	230
5.	जे ब्लाक, मन्दिर मार्ग	92
6.	के ब्लाक, सै॰ II, डी आई जैड एरिया	59
7.	एच ब्लाक, काली बाड़ी मार्ग	122
8.	हनुमान रोड	53

1	2	3
9.	बी के एस मार्ग, ब्लाक 10-33	39
10.	सै॰ 1, डी आई जैड एरिया	45
11.	पेशवा रोड अपार्टमेंट	7
12.	डी ब्लाक, मन्दिर मार्ग	16
13.	एलर्वट स्कवेयर	70
14.	पीकेरोड	9
15.	पेशवा रोड, सै-II डी आई जैड (ब्लाक 1-48)	110
16.	सै॰ III, डी आई जैड एरिया	9
17.	सै॰ II, डी आई जैड एरिया	542
18.	महादेव रोड	7
19.	अशोक रोड	5
20.	तालकटोरा रोड	1
21.	अतुल ग्रोव रोड	2
22.	टी जी लैन	6
23.	कैनन लैन	3
24.	कोपरनिक्स लैन	1
25.	बी आर मेहता लैन	5
26.	फायर ब्रिगेड लैन	2
27.	तिलक लैन	0
28.	बापा नगर	8
29.	काका नगर	61
30.	भारती नगर	11
31.	रविन्द्र नगर	40
32.	लोदी गार्डन	3
33.	शाहजहां रोड	27
34.	हुमायूं रोड	5
35.	पंडारा पार्क	4
36.	पंडारा रोड	42
37.	कस्तूरबा नगर	322
38.	त्यागराज नगर	19
39.	पुष्प विहार	75
40.	मथुरा रोड	2
41.	फिरोजशाह रोड	2
42.	अकबर रोड	3
43.	जनपथ	2
44.	लोदी एस्टेट	0
45.	तुगलक लैन	1
46.	मीना बाग	1
47.	मोतीलाल नेहरू मार्ग	1
48.	जन्तर-मन्तर रोड	1
49.	औरंगजेब रोड	1
50.	जी आर जी रोड	3
51.	एम डी रोड	2
52.	टी.के. रोड	1
53.	बी डी रोड	1
54.	ए/आर पी रोड	1
55.	सफदरजंग लैन	2
56.	के. आर लैन	1
57.	ई आर लैन	1
58.	एस ए लैन	1
59.	नार्थ एवेन्यू	16
60.	साऊथ एवेन्यू	6
61.	रायसीना रोड	1
62.	एस जे रोड	1
63.	बी डी मार्ग	2
64.	तीनमूर्ति लैन	1
65.	के एम मार्ग	1
66.	तिमार पुर	5
67.	देवनगर	31
68.	सरोजिनी नगर	311

1	2	3
69.	लोदी कालोनी	225
70.	लक्ष्मीबाई/किदवई नगर	254
71.	आर.के. पुरम	1332
72.	मोहम्मदपुर	27
73.	नेताजीनगर	331
74.	चाणक्य पुरी	95
75.	मोती बोर्ड	237
76.	नार्थ वेस्ट मोती बाग	7
77.	बापू धाम	9
78.	नानक पुरा	118
79.	वसंत विहार	55

पैराशूटों की कमी

*269. **श्री दिन्शा पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 4 अक्तूबर, 1998 के ''पायनियर'' में ''पैराशूट क्राइसस टू ग्राऊण्ड ट्रूप्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) रक्षा कार्मिकों के लिए पैराशूटों की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, हां। यद्यपि पैराशूटों के संबंध में कतिपय कमियां हैं तथापि वे कमियां इतनी संकटपूर्ण नहीं हैं कि उनसे सेना की संक्रियात्मक तैयारियों पर प्रभाव पड़े। इस कमी को पूरा करने के लिए आर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी को पर्याप्त मांगपत्र पहले ही भेज दिए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित पैराशूट सामरिक प्रहार पर प्रायोगिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

आमान परिवर्तन

*270. **श्री टी०आर० बालू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बड़ी रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है तथा इसमें तमिलनाडु का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या समान आमान नीति को लागू करने के संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन (मार्ग किलोमीटर) की कुल लम्बाई 43,083 किलोमीटर है और उसमें तमिलनाडु का हिस्सा 1575 किलोमीटर है।

(ख) जी नहीं, बहरहाल, शुरू किए गए आमान परिवर्तन कार्यों को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची के अनुसार जारी रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि आगामी वर्षों में संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) तमिलनाडु में आमान परिवर्तन की प्रगति निम्नानुसार है :-

(i) पूरा किया गया आमान परिवर्तन :

- दिंडीमुल-तूतीकोरीन (196 किलोमीटर)
- चेन्नई बीच-ताम्बरम (27 किलोमीटर)
- त्रिची-तंजाऊर (50 किलोमीटर) (त्रिची-नागौर-कारक्काल परियोजना में से)
- ताम्बरम-त्रिची (309 किलोमीटर)

(ii) चालू आमान परिवर्तन कार्य :

- त्रिची-दिंडीगुल (93 किलोमीटर) 31.12.1998 तक पूरा हो जाएगा।
- चेंगलपेट्टु-अरकोण्णम (67 किलोमीटर) 1999-2000 में पूरा हो जाएगा।

(iii) आमान परिवर्तन कार्य जो शुरू कर दिए गए हैं और जो संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने साले वर्षों में पूरे किए जाएंगे :-

- मदुरै-रामेश्वरम (162 किलोमीटर)
- तंजाऊर-नागौर-कारक्काल (94 किलोमीटर) (त्रिची-नागौर-कारक्काल परियोजना में से)

इन परियोजनाओं के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(iv) बजट में पहले ही शामिल परियोजनाएं जिन पर अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा :-

- तंजाऊर-विषुपुरम मुख्य लाइन (192 किलोमीटर)
- कोल्लम-तिरुनेलवेल्ली-त्रिचांदूर और तेनकाशी-विरुधुनगर (तमिलनाडु में 263 किलोमीटर और केरल में 94 किलोमीटर)
- विषुपुरम-पांडिचेरी (तमिलनाडु में 28 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश में)
- चेन्नई बीच-चेंगलपेट्टु (60 किलोमीटर)

इन कार्यों के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

तमिलनाडु में शेष मीटर लाइन रेलपथ के लिए आमान परिवर्तन की समय सीमा तभी निर्धारित की जा सकती है जब ये परियोजनाएं बजट में स्वीकृत हो जाएं।

[हिन्दी]

भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण

*271. श्री नरेश पुगलीया :
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भूमि के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्य सरकारों को धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार के भूमि रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति पर निगरानी रखी है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि का उपयोग कर लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (च) देश में भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को निधियां जारी करती है।

भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को दी गयी निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी प्रगति तथा निधियों के उपयोग का एक मध्यावधि मूल्यांकन अगस्त, 1998 में किया गया था। जिससे इन आंकड़ों का उपयोग 17 सितम्बर, 1998 को होने वाले राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में किया जा सके। इसके बाद, राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है कि वे अप्रयुक्त शेष राशि का आगे उपयोग करें तथा शीघ्रातिशीघ्र परियोजना को पूरा करें।

1997-98 तक भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को 84.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए तथा 22.46 करोड़ रुपए का संचयी उपयोग किया गया। फिर भी, चूंकि योजना का कार्यान्वयन जिला तथा तहसील/तालुक स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है, इसलिए व्यय के ब्यौरों को प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। अत: वास्तविक खर्च निश्चित रूप से उपयोगिता प्रमाणपत्रों के माध्यम से सूचित खर्च मे अधिक होगा। राशि का उपयोग न किए जाने अर्थात् स्वीकृत निधियों के उपयोग में हुए विलम्ब के बारे में ज्ञात कारणों, में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) राज्य वित्त विभागों द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियां जारी करने में विलम्ब,

(2) आंकड़ा प्राप्त करना एक अत्यन्त धीमी प्रक्रिया है, इसलिए आंकड़ा प्राप्त करने के लिए निधियों का उपयोग धीमा रहा है,

(3) डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की अनुपलब्धता के कारण, राज्य सरकारें सुदूर जिलों में आंकड़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने में सक्षम नहीं रही हैं,

(4) राज्यों के हार्डवेयरों की आपूर्ति में विलम्ब।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गयी निधियां

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	210.00	15.00	-
2.	असम	50.00	80.00	97.50
3.	बिहार	-	-	367.50
4.	गुजरात	120.00	-	75.00
5.	गोआ	-	20.00	-
6.	हरियाणा	180.00	-	19.00
7.	हिमाचल प्रदेश	55.00	60.00	-
8.	जम्मू और कश्मीर	-	-	30.00
9.	कर्नाटक	120.00	95.00	69.20
10.	केरल	200.00	30.00	69.00
11.	मध्य प्रदेश	75.00	45.00	485.50
12.	महाराष्ट्र	195.00	241.00	197.50
13.	मणिपुर	-	124.88	-
14.	मिजोरम	-	60.00	-
15.	उड़ीसा	135.00	270.00	-
16.	पंजाब	-	75.00	52.50
17.	राजस्थान	150.00	210.00	-
18.	सिक्किम	20.00	-	-
19.	तमिलनाडु	90.00	210.00	60.00

1	2	3	4	5
20.	त्रिपुरा	-	15.00	75.80
21.	उत्तर प्रदेश	165.00	270.00	247.50
22.	पश्चिम बंगाल	235.00	180.00	173.00
23.	चंडीगढ़	-	15.00	-
	कुल	2000.00	2015.00	2019.00

[अनुवाद]

यात्रियों की शिकायतें

***272. श्री विट्ठल तुपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यात्रा करने वाली जनता की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए जोनल रेलवे के साथ-साथ उनके मंत्रालय में कोई एकक कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कृत्य क्या हैं;

(ग) क्या इन एककों ने 1997 और 1998 के दौरान यात्रा करने वाली जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे बोर्ड के स्तर पर कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत भारतीय रेलों पर उपलब्ध समग्र जन शिकायत निवारण तंत्र का प्रभारी है और अन्य मंत्रालयों/विभागों यथा जन शिकायत विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। क्षेत्रीय रेलों के अपर महाप्रबंधकों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के आधार पर कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत द्वारा जन शिकायत निवारण तंत्र की मासिक पुनरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत महत्वपूर्ण व्यक्तियों यथा मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों और सामान्य जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों के समय पर निपटान के लिए इन पर निगरानी रखता है।

क्षेत्रीय रेल स्तर पर अपर महाप्रबंधक नोडल अधिकारी होते हैं और जन शिकायत के कार्यों के बारे में संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। वह अपर मंडल रेल प्रबंधकों और अन्य विभागाध्यक्षों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है जिनमें जन शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके जन शिकायतों के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों पर सहायक सचिव (जन शिकायत)/उप सचिव (जन शिकायत), जो शिकायतों की जांच में अपर महाप्रबंधक की सहायता करते हैं, के प्रभार के अधीन जन शिकायतों पर एक पृथक शाखा कार्रवाई करती है।

जहां अपर मंडल रेल प्रबंधक जन शिकायत अधिकारियों के रूप में नामित हैं, वहां सदृश व्यवस्था मंडल पर मौजूद और परिचालित है।

स्टेशन स्तर पर स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टरों को जन शिकायतों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुझाव बक्से/जन शिकायत बूथ भी मुहैया करा दिए गए हैं। स्टेशनों पर, गाड़ी अधीक्षक/गाड़ी के गार्डों के पास, अल्पाहार गृह, माल शेड आदि में शिकायत पुस्तिकाएं मुहैया कराई गई हैं जहां जनता द्वारा शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) शिकायतों की संख्या न्यूनतम करने के लिए मंत्रालय स्तर और क्षेत्रीय रेलवे स्तर, दोनों पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। यथा :

(1) निगरानी कक्षों में नोडल अधिकारी नामित करने सहित बोर्ड कार्यालय, क्षेत्रीय और मंडल मुख्यालय आदि के स्तर पर निगरानी कोष्ठों की स्थापना/इन निगरानी कोष्ठों में पर्याप्त सुविधाएं यथा टेलीफोन, ई-मेल सहित पर्सनल कंप्यूटर आदि मुहैया कराए गए हैं।

(2) शिकायत दर्ज करने के तंत्र का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों और मंडल कार्यालयों के अलावा प्रत्येक 150 प्रमुख/महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए दो पर्सनल कंप्यूटर खरीदे जा रहे हैं।

(3) स्टेशनों पर और गाड़ियों में साफ-सफाई सुधारने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सफाईवालों, सफाई सामग्री आदि की कोई कमी नहीं हो। सफाई प्रक्रिया का धीरे-धीरे मशीनीकरण किया जा रहा है। विभागीय तौर पर और सुलभ शौचालय तथा सहकारी सोसायटी आदि के जरिए से भी "भुगतान करके उपयोग करें" जैसे प्रसाधन कक्ष स्थापित किए गए हैं।

(4) जनता के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों का उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों द्वारा समय-समय पर उपभोक्ता सेवा और सौजन्यता पर संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा जनता के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को उपभोक्ता सेवा और सौजन्यता में प्रशिक्षित करने के लिए रेलों पर एक उपभोक्ता सेवा संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

(5) शायिकाओं और सीटों के आरक्षण के संबंध में यात्रियों को उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से रेलों ने 339 स्थलों पर आरक्षण कार्यभार का कंप्यूटरीकरण किया है जो स्टेशनों पर कुल आरक्षण कार्यभार का 95% सम्हालते हैं। इसके अलावा, कदाचार रोकने के लिए असामाजिक तत्वों और अन्य आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कुछेक महत्वपूर्ण स्टेशनों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा भी संस्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत पाक सीमा पर गोलीबारी

*273. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान द्वारा किन-किन स्थानों पर गोलीबारी की गई और इसके परिणामस्वरूप कितनी क्षति हुई;

(ख) क्या भारत-पाक वार्ता के बाद आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ और सीमापार की गड़बड़ियों में कोई कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जम्मू-कश्मीर की वास्तविक भूस्थिति रेखा, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिस्से के साथ-साथ परस्पर गोलाबारी नियमित रूप से होती ही रहती है और यह गोलाबारी कई वर्षों से जारी है। वर्ष 1997 के दौरान गोलाबारी की 2813 घटनाएं और वर्ष 1998 (9 दिसंबर, 98 तक) के दौरान 3275 घटनाएं हुई थीं। इन गोलाबारियों के परिणामस्वरूप वर्ष 1997 में 21 सुरक्षा कार्मिक और 35 सिविलियन मारे गए थे और 122 सुरक्षा कार्मिक तथा 64 सिविलियन घायल हुए थे। वर्ष 1998 के दौरान चौरासी सुरक्षा कार्मिक तथा 35 सिविलियन मारे गऐ थे और 333 सुरक्षा कार्मिक तथा 139 सिविलियन घायल हुए थे।

जहां तक जम्मू-कश्मीर से बाहर भारत-पाक सीमा का संबंध है, वर्ष 1997 और 1998 (8 दिसंबर, 1998 तक) के दौरान पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा के साथ 3 बार अकारण गोलाबारी की थी जिसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल का एक जवान मारा गया था और दो घायल हुए थे। इन घटनाओं को छोड़कर पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के साथ लगी सीमा पर पाकिस्तान की अकारण गोलाबारी नहीं हुई थी।

हाल ही में हुई बात-चीत के बाद गोलीबारी/घुसपैठ के तरीके में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं आया है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*274. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस में कितनी बार हड़ताल हुई;

(ख) प्रत्येक हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) प्रत्येक हड़ताल के कारण कितनी विमान सेवाएं अस्त-व्यस्त हुईं और कितने यात्री फंस गए थे; और

(घ) ऐसे प्रत्येक मामले में इंडियन एयरलाइंस को कितनी क्षति हुई?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस में आंदोलन/कार्य व्यवधान के तीन मामले हुए जिससे उड़ान में विलम्ब हुआ/रद्द करना पड़ा। इन घटनाओं और इनके कारण हुए नुकसान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

हड़ताल/व्यवधान की अवधि	शामिल कर्मचारियों की श्रेणी	कारण	उड़ानों की संख्या		हानि (करोड़ रू. में)
			विलंबित	रद्द	
31.5.95	विमानचालक	अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के तथाकथित बेतरतीब रोस्टर के कारण	5	32	0.38
30.12.95	विमानचालकों का एक वर्ग	विमान चालकों के एक वर्ग द्वारा आंदोलन का कारण भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ द्वारा उनके हितों की रक्षा नहीं करने की आशंका थी।	28	10	0.10
23.1.97 से 27.1.1997	विमानचालक	उठाए गये मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे :- 1. निश्चित घंटों का गारंटीशुदा भुगतान 2. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान नकद भत्ता 3. विमानचालकों को होटल में ठहरने के दौरान मुफ्त भोजन 4. एलायंस एयर के विमानचालकों के अनुरूप भुगतान की समान शर्तें।	3	83	3.00

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

*275. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चल रही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए 1997-98 और 1998-99 के दौरान निधियों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा लक्षित लाभार्थियों में योजना का प्रचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई और योजना के प्रति लाभार्थियों की क्या प्रतिक्रिया रही है और उनमें कितनी जागरूकता पैदा हुई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्रीय बजट में राज्यवार धन प्रावधान का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह योजना चूंकि वर्ष वित्त वर्ष 1997-98 के अंत में ही शुरू की गई थी इसलिए उस वर्ष कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हुई। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य नहीं रखे जाते हैं। योजना के तहत लक्ष्य निर्धारण राज्य सरकारों के निर्णय पर छोड़ा गया है, जो योजना के दिशानिर्देशों और लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार ये कार्य करती हैं। ऐसा इस स्कीम के संचालन में यथोचित लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

(घ) योजना के दिशानिर्देश सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को परिचालित किए गए हैं, जिन्होंने उन्हें स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके शहरी स्थानीय निकायों के जरिए व्यापक रूप से परिचालित किया है। यह योजना सामुदायिक अधिकारिता की नींव पर निर्भर है तथा इसमें समुदाय, संगठनों व निकायों के गठन व प्रोत्साहन की व्यवस्था है ताकि वे स्थानीय विकास के लिए मददकारी और सुविधा मूलक तंत्र सुलभ कर सके। इस प्रयोजन के लिए लक्षित क्षेत्रों में राज्यों द्वारा परिवेश समूह, परिवेश समितियां और समुदाय विकास निकायों जैसे सामुदायिक संगठनों का गठन किया गया है/किया जा रहा है। इन सामुदायिक निकायों के प्रयासों के माध्यम से लक्षित लाभग्राहियों के बीच यथोचित जागरूकता लायी जा रही है।

विवरण

1997-98 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत राज्यवार जारी राशि और 1998-99 के दौरान आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	1997-98 को जारी	परिवर्तनीय आवंटन 1998-99
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	839.66	1589.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.99	68.32
3.	असम	540.38	943.23
4.	बिहार	506.09	911.39
5.	गोवा	20.94	38.82
6.	गुजरात	521.86	922.00
7.	हरियाणा	86.87	157.16
8.	हिमाचल प्रदेश	50.54	74.94
9.	जम्मू व कश्मीर	63.54	75.28
10.	कर्नाटक	736.46	1299.70
11.	केरल	202.99	437.85
12.	मध्य प्रदेश	927.18	1761.26
13.	महाराष्ट्र	1402.22	2379.98
14.	मणिपुर	122.95	218.88
15.	मेघालय	73.24	136.27
16.	मिजोरम	69.63	143.76
17.	नागालैंड	53.33	96.99
18.	उड़ीसा	223.11	420.98
19.	पंजाब	68.33	157.65
20	राजस्थान	329.91	724.33
21.	सिक्किम	20.51	30.98
22.	तमिलनाडु	919.56	1723.64
23.	त्रिपुरा	93.98	180.54
24.	उत्तर प्रदेश	1181.03	2318.68
25.	पश्चिम बंगाल	518.63	957.47
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	72.66	116.43
27.	चंडीगढ़	48.42	80.98
28.	दादरा व नगर हवेली	12.50	37.67
29.	दमन व दीव	50.05	63.92
30.	दिल्ली	32.70	183.61
31.	पांडिचेरी	22.66	67.39
	कुल	9862.92	18320.00

रक्षा कर्मियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं

*276. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उच्च न्यायालयों में रक्षा कर्मियों द्वारा रिट याचिकाएं दायर करने के मामलों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आज तक ऐसी कितनी रिट याचिकाएं न्यायालयों में राज्य-वार लंबित पड़ी हैं तथा मुकदमेबाजी में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सशस्त्र सेवाओं में कार्यरत असैनिक कर्मचारियों के मामले में भी यही स्थिति है; और

(घ) यदि हां, तो रक्षा मंत्रालय में सब कुछ ठीक-ठाक करने तथा मुकदमों को बढ़ाने वाले कारणों को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा दायर किए गए अदालती मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। पिछले कई वर्षों से अदालती मामलों में वृद्धि सैन्य कार्मिकों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के कारण हो सकती है।

2. अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा दायर 5281 मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये मुकदमे पदोन्नति, पेंशन, पुनर्बहाली, तैनाती, समयपूर्व कार्यमुक्ति तथा समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों और अन्य सेवा संबंधी मामलों से संबंधित हैं। इन मुकदमों में से लगभग 40% मुकदमे भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों द्वारा दायर किए गए हैं।

3. सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत सिविलियन कर्मचारियों के संबंध में भी उनके द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर किए गए मुकदमों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

4. सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों/विनियमों में, सेवारत कार्मिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त अंत:निर्मित व्यवस्था विद्यमान है। रक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहा पेंशन शिकायत एकक भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त ध्यान देता है।

विवरण

उच्च न्यायालयों में विचाराधीन रिट याचिकाओं का राज्यवार ब्यौरा

न्यायालय	योग
1	2
दिल्ली उच्च न्यायालय	1375
इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1054
मुंबई उच्च न्यायालय	90
कर्नाटक उच्च न्यायालय	124
कलकत्ता उच्च न्यायालय	133
पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	745
गुवाहाटी उच्च न्यायालय	94
गुजरात उच्च न्यायालय	35
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	189
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	189
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	265
राजस्थान उच्च न्यायालय	340
केरल उच्च न्यायालय	306
मद्रास उच्च न्यायालय	129
उड़ीसा उच्च न्यायालय	37
पटना उच्च न्यायालय	60
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	105
सिक्किम उच्च न्यायालय	11
योग	5281

कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड्स

*277. डा० उल्हास वासुदेव पाटील :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 23 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने शहरों का विकास करने के लिए कर मुक्त म्यूनिसिपल बांडों की योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, हां। कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड योजना शुरू करने के प्रस्ताव को योजना आयोग ने इन सुझावों के अधीन स्वीकृति दी है कि ऐसे कर मुक्त बांडों का आवंटन न्यूनतम बुनियादी सेवाओं यथा –पेयजल आपूर्ति, सफाई और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रमों और स्कीमों से संबद्ध होगा। वित्त मंत्रालय ने भी 1998-99 के दौरान 200 करोड़ रुपए के कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने को अपनी स्वीकृति दे दी है। कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से आवश्यक दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

आमान परिवर्तन हेतु आवंटन

*278. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री ए० वैंकटेश नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे के कुल बजट की तुलना में मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आमान परिवर्तन पर होने वाले व्यय की तुलना में रेल लाइनों के रख-रखाव पर बहुत कम धनराशि व्यय की जाती है;

(ग) क्या रेल लाइनों के रख-रखाव पर खर्च के प्रतिशत में कमी के परिणामस्वरूप रेलों के पटरी से उतरने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेल अधिकारियों ने सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित किया है; और

(ड.) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए आवंटित राशि तथा वार्षिक योजना के लिए कुल परिव्यय का प्रतिशत इस प्रकार है :

वर्ष	कुल योजना परिव्यय (करोड़ रु० में)	आमान परिवर्तन के लिए आवंटन (करोड़ रु० में)	प्रतिशत
1995-96 (वास्तविक)	6464	1251	19.4%
1996-97 (वास्तविक)	8310	1143	13.8%
1997-98 (संशोधित अनुमान)	8403	1185	14.1%

(ख) विगत तीन वर्षों में "रेलपथ नवीकरण" योजना शीर्ष के अंतर्गत खर्च तथा वार्षिक योजना के लिए कुल परिव्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं :-

वर्ष	कुल योजना परिव्यय (करोड़ रु० में)	रेलपथ नवीकरण के लिए आवंटन (करोड़ रु० में)	प्रतिशत
1995-96 (वास्तविक)	6464	1546	23.9%
1996-97 (वास्तविक)	8310	1597	19.2%
1997-98 (संशोधित अनुमान)	8403	1680	20.0%

रेलपथ के नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई जा रही राशि पर्याप्त नहीं समझी जाती है। नौवीं योजना में रेलपथ नवीकरण और इससे संबंधित छोटी-मोटी गतिविधियों के लिए आवश्यक राशि 13,200 करोड़ रुपए है, लेकिन रेलपथ के नवीकरण के लिए वास्तव में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि इसके अनुरूप नहीं है।

इसके अलावा रेलें राजस्व शीर्ष के अंतर्गत रेलपथ के नेमी अनुरक्षण पर खर्च कर रही हैं। विगत तीन वर्षों के लिए रेलपथ अनुरक्षण पर खर्च के आंकड़े इस प्रकार हैं :-

वर्ष	रेलपथ अनुरक्षण पर खर्च (करोड़ रु० में)
1995-96 (वास्तविक)	1050
1996-97 (वास्तविक)	1183
1997-98 (संशोधित अनुमान)	1554

रेलपथ के अनुरक्षण पर होने वाला खर्च, रेलों पर अनुरक्षण के लिए निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) खंड पर अनुमेय गति के अनुसार रेल गाड़ियों के संरक्षित चालन के लिए रेलपथ का संतोषजनक ढंग से अनुरक्षण किया जाता है। उन खंडों में जहां रेलपथ का नवीकरण करना अपेक्षित हो जाता है, वहां रेल पटरियों की बार-बार जांच करने तथा उनका अनुरक्षण करने के रूप में अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं।

(घ) और (ड.) रेलपथ के नवीकरण और अनुरक्षण के लिए धन की कमी का उ लेख, रेलों के संबंध में सभा पटल पर रखे गए स्थिति पत्र के पैरा 1, 5, 6 में, किया गया है।

जैट एयरवेज द्वारा मार्गनिर्देशों का उल्लंघन

*279. **श्री संदीपान थोरात** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जैट एयरवेज द्वारा नई घरेलू विमान परिवहन नीति में शामिल मार्गनिर्देशों एवं प्रावधानों का उ लंघन किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। कंपनी के स्वामित्व पैटर्न, निधि संबंधी स्रोतों, नागर विमानन मार्गदर्शी-सिद्धांतों के उपबंधों के उ लंघन आदि से संबंधित अभिकथनों के संबंध में जांच की जा रही है।

खनिजों के भण्डार

*280. **श्री रामदास आठवले :**
श्रीमती रानी नरह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई खनिजों के भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में स्थित कुल विदेशी संस्थानों से तकनीकी सहायता मांगी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) खनिजों के खनन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। खनिज सर्वेक्षण एक सतत प्रक्रिया है और देश में खनिज संसाधन बढ़ाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्ष के दौरान यानी 1995-96 में 168 अन्वेषण, 1996-97 में 170 अन्वेषण तथा 1997-98 में 164 अन्वेषण किये हैं।

(ग) 1995-98 के दौरान राज्यवार महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की तकनीकी योग्यता तथा ढांचागत सुविधाओं के संवर्धन के लिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर, इन्डो-फ्रैंच संयुक्त समिति के तत्वावधान के तहत, फ्रांस की कंपनी बी.आर.जी.एम. से तकनीकी सहायता प्राप्त की जा रही है।

(ङ) फ्रांस की कंपनी बी.आर.जी.एम. के सहयोग से की गई राज्यवार गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(च) सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास के लिए अनेक उपाय किये हैं। इनमें शामिल हैं : राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा, घरेलू तथा विदेशी पूंजी तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा खनिज क्षेत्र को निजी प्रयासों के लिए खोलना, विदेशी इक्विटी भागीदारी से प्रतिबंध हटाना, (स्वर्ण, चांदी, हीरे तथा बहुमूल्य पत्थरों के सिवाय 50% तक विदेशी इक्विटी की स्वत: मंजूरी), पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टे देने तथा उनके नवीकरण हेतु राज्य सरकारों को अधिक अधिकार देना, वृहद क्षेत्रों के बारे में पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के लिए हवाई सर्वेक्षण करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना, खनिजों की रायल्टी दरों को संगत बनाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दरों के समकक्ष करना तथा खनिजों के विनियमन और विकास के लिए मौजूदा कानूनों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए, सचिव (खान) की अध्यक्षता में, फरवरी, 1997 में एक समिति की स्थापना करना आदि शामिल हैं। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान किए गए अन्वेषणों की राज्यवार महत्वपूर्ण उपलब्धियां

आंध्र प्रदेश

स्वर्ण :

(क) दोना पूर्वी खंड में 7.20 ग्राम/टन ए.यू. वाला 0.70 मि. टन स्वर्ण अयस्क।

हीरा :

(क) महबूबनगर जिले तथा समीपवर्ती गुलबर्गा जिले में 12 किम्बर-लाइट निकाय खोजे गए।

(ख) अनन्तपुर जिले में इवाजराकारूर स्थित किम्बरलाइटों से हीरे के 47 टुकड़े प्राप्त हुए।

बिहार

कोयला : 335 मि. टन

गुजरात

कोयला : 5.0 मि. टन

कर्नाटक

स्वर्ण :

(क) शिमोगा पट्टी के चिनमुलगुंड खंड में 3 ग्राम/टन ए.यू. औसत ग्रेड वाले 1.5 मिलियन टन अयस्क।

(ख) मिगोगा पट्टी के चिक्कानिह खंड में 3.54 ग्राम/टन ए. यू. वाले 0.63 मि. टन स्वर्ण अयस्क।

केरल

क्ले :

(क) कोल्लाम, कासागोड, तिरुअनन्तपुरम तथा कन्नौर जिलों में (40% प्राप्ति वाले) 2110 मि. टन अच्छी किस्म के चीनी मिट्टी के भंडार।

मध्य प्रदेश

स्वर्ण :

(क) सिधि जिले में घर-पहाड़ में औसत 1.28 ग्राम/टन ए. यू. वाले 2.1 मि. टन अयस्क।

मैग्जीन अयस्क :

(क) बालाघाट जिले में यूकवा में अयस्क के 2.17 मि. टन मध्यम ग्रेड मैग्नीज।

हीरा :

(क) कराई तथा अंकेरा स्थित नदी तल में प्लेसर हीरे मिलने की घटना नोट की गई।

कोयला : 457 मि. टन

महाराष्ट्र

स्वर्ण :

(क) भारुपर-किटारी खंड में 2.60 ग्राम/टन ए.यू. वाले 0.125 मि. टन स्वर्ण अयस्क।

सीसा-जस्ता-तांबा :

(क) भंडारा जिले के मरारा खंड में 1.2% तांबे वाला 0.7 मि. टन अयस्क।

मेघालय

चूनापत्थर :

(क) एस.एम.एस तथा सीमेंट ग्रेड चूनापत्थर के 894 मि. टन पुनर्श्रेणीकृत भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

उड़ीसा

मैग्नीज अयस्क :

(क) बालानगिर जिले में 25% मैग्जीन वाले 0.89 मि. टन मैग्नीज अयस्क।

(ख) सुन्दरगढ़ जिले में 23.4% मैग्नीज वाले 0.40 मि. टन मैग्नीज अयस्क।

प्लैटीनम ग्रुप की धातुएं :

(क) बौला-नौसाही कम्पलैक्स में 2 ग्राम/टन पीटी+पीडी+एयू औसत ग्रेड वाले 6 मि. टन प्लेटीनम-स्वर्ण अयस्क।

कोयला : 1041 मि. टन

राजस्थान

स्वर्ण :

(क) बांसवाड़ा जिले में लगभग 4.9 टन स्वर्ण वाले 2.74 मि. टन स्वर्ण अयस्क।

सीसा-जस्ता-तांबा :

(क) राजसमद जिले में दक्षिण सिन्देसर रिज में 2.5% सीसा+जस्ते वाले 1.1 मि. टन अयस्क।

(ख) सिन्देसर रिज खंड में 2.76% सीसा-जस्ते वाले 2.52 मि. टन सीसा-जस्ता अयस्क।

(ग) दक्षिण सिन्देसर में 2.25% सीसा+जस्ते वाले 0.85 मि. टन अयस्क।

(घ) राजस्थान में लाटियों का खेड़ा खंड में 3.82% सीसा और जस्ते वाले 1.14 मि. टन अयस्क।

तमिलनाडु

मोलिब्डेनम :

(क) हारूर-उत्तानगराई पट्टी के वेलामपट्टी दक्षिण खंड में 0.116% एम.ओ. वाले 2.6 मि. टन अयस्क।

(ख) मरुदापट्टी मध्य खंड में 0.177% एम. ओ. वाले 0.848 मि. टन मोलिब्डेनम अयस्क।

उत्तर प्रदेश

सीसा-जस्ता-तांबा :

(क) देहरादून जिले के अमतियारगड खंड में 6.63% सीसा+जस्ते वाले 1.45 मि. टन अयस्क।

पश्चिम बंगाल

कोयला : 120 मि. टन।

विवरण-II

बी.आर.जी.एम. फ्रांस की सहायता से किए गए क्रियाकलापों का राज्य-वार ब्यौरा

राजस्थान

1. खेतड़ी पट्टी में तांबा निक्षेप के गवेषण में सहयोग।
2. राजस्थान में सीसा-जस्ता के गवेषण में सहयोग।

कर्नाटक

1. कर्नाटक क्रेटॉन ग्रीनस्टोन बैल्ट के चुने हुए क्षेत्रों की क्षेत्रीय भू-रासायनिक सूची।
2. कोलार ग्रीनस्टोन बैल्ट के उत्तरी भाग में लैटेराइट में स्वर्ण हेतु खोज।

उड़ीसा

1. शिनाख्त किए गए ब्लाकों में प्लैटिनम समूह की धातुओं का विस्तृत गवेषण।

इसके अतिरिक्त, बी.आर.जी.एम., भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में भू-वैज्ञानिक आंकड़ा केन्द्र की स्थापना में सहयोग कर रहा था। इस केन्द्र की स्थापना हो गई है।

भूखंडों/मकानों की बिक्री का नियमन

2943. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनरल पावर आफ एटार्नी के नाम से लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की छूट देकर दिल्ली में जनरल पावर आफ एटार्नी धारकों के भूखंडों/मकानों की बिक्री नियमित की है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली के शिवालिक में पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारियों की सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लि॰ में भूखंड रखने वाले पावर आफ एटार्नी धारकों को पुनर्वास मंत्रालय द्वारा लीज होल्ड से फ्री होल्ड में न बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में पावर आफ एटार्नी धारकों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुनर्वास विभाग इस कारण परिवर्तन के मामलों पर कारवाई नहीं कर सका कि पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारियों की सहकारी आवास निर्माण सोसायटी लि॰ के कार्यों को शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को अंतरण का प्रस्ताव विचाराधीन था। उक्त सोसायटी से संबंधित कार्य अक्तूबर, 98 में भूमि तथा विकास कार्यालय को अंतरित कर दिया गया है। लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन के सभी लम्बित आवेदनों पर ऐसे मामलों पर लागू मौजूदा नीतियों/अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा की जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में अतिरिक्त बलों की तैनाती

2944. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में आतंकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में अतिरिक्त बलों की तैनाती के संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एकीकृत मुख्यालय राज्य में सुरक्षा परिवेश तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरतों की लगातार पुनरीक्षा करता है। देश में संपूर्ण सुरक्षा परिवेश तथा केन्द्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार प्रस्तावित जरूरतों पर विचार किया जाता है। तदनुसार जम्मू-कश्मीर सरकार को सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा उग्रवाद का मुकाबला करने में उनकी सहायता कर सकें।

[हिन्दी]

बकाया राशि

2945. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक राजकीय रेलवे पुलिस पर हुए व्यय के कारण रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) उक्त बकाया राशि का अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में नियत समय पर पूर्ण भुगतान किए जाने हेतु निर्धारित कार्यक्रम क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) आज तक रेलों द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस पर किए गए खर्च की 4.56 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार को किया जाना है।

(ख) बकाया के कारण इस प्रकार हैं :-

1. राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र का जमा न किया जाना।
2. रेलवे प्रशासन की पूर्व सहमति लिए बिना राज्य सरकार द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस कार्मिकों के पदों का एकतरफा सृजन।
3. अतिरिक्त निधि की आवश्यकता जिसे संशोधित अनुमान 1998-99 में दर्शाया गया है।

(ग) रेलों को स्थायी अनुदेश हैं कि वे सभी पूर्णत: अनुमेय दावों का भुगतान करें।

खेल स्टेडियम का रख-रखाव

2946. श्रीमती शीला गौतम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली, दक्षता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने क प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, नहीं। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की मरम्मत और रखरखाव का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नियमित आधार पर नहीं दिया गया है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए कार्यों को करता है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नियमित रखरखाव का कार्य सौंपने के बाद ही जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के रखरखाव में सुधार लाया जा सकता है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के अधिकारियों का अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान

2947. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण अमरीका और ब्रिटेन के साथ प्रशिक्षण के लिए सैन्य अधिकारियों का आदान-प्रदान बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सेना कुछ अन्य देशों के साथ विचार-विमर्श कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) भारत द्वारा मई, 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को देखते हुए अमरीका तथा ब्रिटेन के रक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में सेना अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाना बंद कर दिया गया है।

(ख) और (ग) अन्य देशों के साथ समान हितों के आधार पर पारस्परिक संबंध बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में पहचान किए गए देशों में रूस, फ्रांस तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

नई रेलवे परियोजनायें

2948. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ नई रेलवे परियोजनाओं को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की परियोजना-वार अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 9.9.98 को निम्नलिखित परियोजनाओं की सूची का अनुमोदन किया गया था। ये परियोजनाएं बजट में शामिल उन परियोजनाओं से इतर हैं जिन्हें अपेक्षित स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया जाना है।

आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 9.9.98 को अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	अनुमानित लागत (करोड़ रू में)
1.	कोडरमा से गिरिडिह तक नई लाइन	104	137.53
2.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज का आमान परिवर्तन	256	208.16
3.	मदुरै-रामेश्वरम का आमान परिवर्तन	161.5	193.98
4.	मार्चेला से नालगोंडा तक आमान परिवर्तन	76	125.09
5.	अंगमाली-इरुमेली-सबरीमाला नई लाइन	145.6	645.87
6.	ललितपुर से सतना, रिवा-सिधी-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो नई लाइन	541	974.98
7.	दिफू (धनसिरी)-करांग नई बड़ी लाइन	123.84	1604.08
8.	हजारीबाग और बरकाखाना होते हुए रांची से कोडरमा तक नई लाइन	189	491.20
9.	पुटपर्थी होकर धर्मवरम से पिनुकोंडा तक नई लाइन	52.10	82.50
10.	चंडीगढ़ से लुधियाना तक नई लाइन	112.08	248.43
	जोड़	1761.12	4711.82

बजट में शामिल अन्य परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी रेल परियोजनाओं से संबंधित श्वेत पत्र में दी गई है जिसे 28.7.1998 को संसद के सभापटल पर रखा गया था।

बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन

2949. श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में इस्पात उत्पादन में कमी आ रही है और दहन/भट्टी तथा कोक ओवन बन्द किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) आधुनिकीकरण के लिए तप्त पत्ती मिल को जून-जुलाई, 1998 के दौरान 38 दिन के लिए बन्द करने के कारण अप्रैल-नवम्बर, 1998 की अवधि के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) में विक्रेय इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हुआ।

चालू वर्ष 1998-99 के दौरान कोई धमन भट्टी अथवा कोक ओवन बैटरी बन्द नहीं की गई है।

नौसेना अध्यक्ष की बंगलादेश यात्रा

2950. श्री के० एस० राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना अध्यक्ष ने इस वर्ष नवंबर में बंगलादेश की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो वहां किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी और उसके क्या निष्कर्ष निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार विदेशी मित्र देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ बहुविध रक्षा सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने की नीति का अनुसरण करती है। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की दूसरे देशों की सद्भावना यात्राओं से द्विपक्षीय आस्था और विश्वास और मजबूत होता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का अधिग्रहण

2951. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तत्कालीन सनलाइट कालोनी, दिल्ली (जो अब भीकाजी कामा प्लेस के नाम से जानी जाती है) में प्लाटों का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्लाट मालिकों को अधिग्रहीत प्लाटों के बदले विकल्प में दूसरे प्लाट दिए गए थे;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इन लोगों को कब तक प्लाट दे दिए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के भूमि एवं भवन विभाग को दिनांक 8.3.57 की अधिसूचना सं० एफ 15(17)/51-एलएसजी (i) और दिनांक 8.3.57 की अधिसूचना सं० एफ 15(17)/51-एल एस जी (ii) तथा दिनांक 6.11.58 की अधिसूचना सं० एफ 15(17)/51-एल एस जी (iii) द्वारा सनलाइट एस्टेट के नाम वाली भूमि सहित मोहम्मदपुर, मुनिरका गांव की भूमि को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था।

(ग) से (ङ) पूर्ववर्ती सनलाइट एस्टेट के 28 प्लाट धारकों द्वारा अधिग्रहण को चुनौती देने पर दिनांक 8.3.57 की अधिसूचनाओं और दिनांक 1.9.58 के परवर्ती एवार्ड को सर्वोच्च न्यायालय तक के न्यायालयों ने खारिज कर दिया था। अधिग्रहण प्रक्रिया के खारिज होने के बाद सरकार ने 28 प्लाट धारकों से समझौता किया और उन्हें वैकल्पिक प्लाट आवंटित किए। विधि मंत्रालय की सलाह पर उन प्लाट धारकों की अधिग्रहण प्रक्रियाओं को पूरा मान लिया गया जिन्होंने अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी थी चूंकि सरकार ने पहले ही कब्जा ले लिया था और अधिग्रहण प्रक्रिया को खारिज करने का निर्णय कब्जा लेने के दो दशकों बाद आया था। न्यायालय के निदेशों के अनुसार सनलाइट एस्टेट में चार (4) अन्य प्लाट धारकों को वैकल्पिक प्लाट दिए गए थे। दो अन्य मामलों में गत वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक प्लाटों के आवंटन के लिए निदेश जारी किए हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर, 1998 में मान लिया। मामले पर कारवाई की जा रही है।

एयर इंडिया के विमान चालकों का वेतन

2952. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार एयर इंडिया में कितने विमान चालक कार्यरत हैं और विमान चालकों के वेतन तथा भत्ते क्या हैं;

(ख) क्या एयर इंडिया के वित्तीय संकट का एक कारण इसके विमान चालकों की वेतन में वृद्धि है; और

(ग) यदि हां, तो हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) एअर इंडिया में पायलटों की कुल संख्या 1.12.1998 को 440 है। वित्तीय वर्ष, 1997-98 के दौरान पायलटों को संवितरित वेतन और भत्ते पर आया कुल व्यय 94.63 करोड़ रुपये था।

नए विमानों पर ब्याज की वजह से व्यय में वृद्धि तथा मूल्यह्रास, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा प्रचालन लागत के कारण आय में कमी, वेतन बिल तथा अन्य स्टाफ संबंधी खर्चे और अवतरण, हैंडलिंग तथा दिक्चालन संबंधी प्रभारों में वृद्धि, रुपए का मूल्यह्रास इत्यादि घाटे के कारण हैं।

कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एयर इंडिया निम्नलिखित कदम उठा रही है :-

1. अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विवरण संबंधी प्रयासों में तेजी लाई गई है।
2. लाभप्रद मार्ग पर जोर देते हुए नेटवर्क का युक्तिकरण और समेकन करना।
3. विमानों की बाह्य .5ग्मरम्मत संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिए और अधिक इन-हाउस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेना।
4. विदेश में एअर इंडिया के भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

दिल्ली-केरल के बीच नई रेलगाड़ियां

2953. श्री टी० गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली से केरल तक नई रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली और केरल के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच की गई है किंतु परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

श्रीनगर में रक्षा विभाग में भर्ती

2954. प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर, श्रीनगर में कार्यरत 2 एफ॰ ओ॰ डी॰ रक्षा विभाग ने बहुत समय पहले कुछ लोगों को नियोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो। जुलाई, 1998 से श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। 2 फील्ड आयुध डिपो में रिक्तियों के अनुसार समय-समय पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

(ख) इस डिपो में 1 जुलाई, 1998 से की गई नियुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	श्रेणी	भरी गई रिक्तियों की संख्या
1.	अवर श्रेणी लिपिक	03
2.	स्टोर कीपर	07
3.	टेलीफोन ऑपरेटर	01
4.	बढ़ई	01
5.	टीनकार	01
6.	लिफ्टर/ड्राइवर	01
7.	दर्जी	03
8.	सफाईवाला	01
	योग	18

[हिन्दी]

इन्दौर हवाई अड्डे के लिए भूमि

2955. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर हवाई अड्डे के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे का विकास कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवर्तित कृषि भूमि

2956. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने एकड़ भूमि को फार्म हाउस तथा आवासीय कालोनियों में तब्दील किया गया; और

(ख) सरकार ने फार्म हाउसों तथा आवासीय कालोनियों को कृषि भूमि बिक्री किए जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) कृषि उपयोग वाली भूमि के भीतर 0.8 हेक्टेयर न्यूनतम प्लाट क्षेत्र में फार्म हाउसों की अनुमति है। कृषि उपयोग वाली भूमि के भीतर रिहायशी कालोनी की अनुमति नहीं है।

सिविलियन रक्षा कर्मियों के पेंशन के मामले

2957. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या रक्षा मंत्री सिविलियन रक्षा कर्मियों के पेंशन के मामले के बारे में 11 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2274 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविलियन रक्षा कर्मियों के पेंशन के 355 मामलों में से अब तक कितने मामलों का निपटारा किया गया है;

(ख) सरकार शेष मामलों के तेजी से निपटान के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) सभी मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) पेंशन से संबंधित 355 लंबित मामलों में से 142 मामले तय कर लिए गए हैं।

(ख) और (ग) नामित व्यक्तियों के बारे में विवाद, अपेक्षित दस्तावेजों के उपलब्ध न होने तथा अदालती मामलों आदि के कारण 213 मामले लंबित हैं। संबंधित संगठन विशेष द्वारा अपेक्षित दस्तावेज/सूचना उपलब्ध कराए जाने अथवा अदालती मामलों में फैसला दे दिए जाने के बाद ये मामले निपटा दिए जाएंगे।

झुग्गी-झोंपड़ियों में सुधार

2958. श्री ए॰ सी॰ जौस :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्यवार शहरी झुग्गी-झोंपड़ियों में सुधार लाने के लिए विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए विदेशी सहायता के वितरण के लिए मौजूदा मानदण्ड क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) शहरी स्लमों के सुधार के लिए विदेशी

सहायता से चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से शहरी स्लमों में सुधार हेतु विदेशी सहायता की मांग बाबत परियोजना प्रस्तावों की इस मंत्रालय में जांच की जाती है। प्रस्तावों के संगत होने पर, उन्हें इस मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है। इसके बाद, आर्थिक कार्य विभाग इन परियोजनाओं को विचार हेतु दाता देशों के स्थित प्रतिनिधियों को भेज देता है, जो अपने निजी मानकों प्राथमिकताओं के अनुसार प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अवधि	परियोजना की कुल अनुमानित लागत (करोड़ रु॰)	दाता/सरकार एजेन्सी
आंध्र प्रदेश				
1.	विशाखापटनम एच आई पी	1988-89 से 31.3.95 तक	28.59	डी एफ आई डी-यू.के.
2.	*चिनागडली फेज I और फेज II	1993-94 से 31.7.98 तक	6.59	वही
3.	विजयवाड़ा एस आई पी	1990-91 से 31.12.98 तक	49.15	वही
4.	मध्य प्रदेश इन्दौर एच आई पी	1990-91 से 30.6.98 तक	60.50	वही
5.	प॰ बंगाल कलकत्ता एस आई पी फेज आई ए, आई बी और आई सी	1990-91 से 2000-2001 तक	@46.30	वही
6.	उड़ीसा कटक यू पी आर पी फेज-II	1997-98 से 30.3.2002 तक	67.91	वही
7.	केरल कोचीन यू पी आर पी फेज-II	1997-98 से 30.9.2001 तक	60.48	वही
8.	महाराष्ट्र नागपुर एस आई पी फेज-II	1.1.96 से 30.6.99 तक	-	जर्मन सरकार (जी टी जेड)
9.	कर्नाटक बैंगलोर यू पी आर पी फेज-I	1994-95 से 28.2.99 तक	1.5	नेदरलैण्ड सरकार

*यह विशाखापटनम स्लम सुधार परियोजना के विस्तार और पुर्नवास परियोजना के रुप में किया जा रहा है।

**केवल फेज-I के लिए; @ केवल फेज Iए और Iबी के लिए एस आई पी- स्लम सुधार परियोजना, यू.पी.आर.पी.-शहरी गरीबी निवारण परियोजना।

मंगला एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

2959. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2618 नई दिल्ली-एर्नाकुलम मंगला एक्सप्रेस के पांच डिब्बे 24 नवंबर, 1998 को कोंकण रेलवे पर पनवेल और पियु के बीच रसायनी के पास बिना गार्ड वाले फाटक पर पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गये; और

(घ) मारे गये/जख्मी लोगों के नजदीकी रिश्तेदारों को कितना मुआवजा दिया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) 24.11.1998 को मुम्बई मंडल, मध्य रेलवे के दीवा और रोहा खंड के बीच बिना चौकीदार वाले समपार पर एक रोड रोलर को टक्कर मारने के पश्चात् 2618 नई दिल्ली-एर्णाकुलम मंगला एक्सप्रेस का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह दुर्घटना समपार पार करने से पहले मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के तहत निर्धारित सावधानियां बरतने में रोड रोलर के ड्राइवर की लापरवाही और विफलता के कारण हुई।

(ग) रोड रोलर के ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गाड़ी के यात्रियों या रेलवे कर्मचारियों में कोई हताहत नहीं हुआ या किसी को भी चोट नहीं लगी।

(घ) बिना चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटना के मामले में शिकार व्यक्तियों (सड़क उपयोगकर्त्ताओं) को कोई मुआवजा देय नहीं है।

पांडिचेरी में हवाई अड्डे का उपयोग

2960. श्री एस॰ अरुमुगम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में नागर विमानन के लिए निर्मित हवाई अड्डा अप्रयुक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार का विचार इस हवाई अड्डे को किस तरह उपयोग में लाने का है?

नागर विमानन मंत्री (अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह विमानपत्तन सिविल प्रचालनों के लिए ही उपलब्ध है और इस समय इसका उपयोग फ्लाइंग क्लब के क्रियाकलापों के लिए किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन की सफाई

2961. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास रेलवे स्टेशनों की सफाई हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध हैं;

(ग) क्या विभाग द्वारा रेलवे स्टेशनों की सफाई हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य की स्थिति संतोषजनक है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) स्टेशन प्रबंधक स्टेशनों की साफ सफाई के समग्र प्रभारी होते हैं और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्वास्थ्य निरीक्षकों और सफाई वालों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। स्टेशनों पर एसिड, फिनाइल, झाड़ू इत्यादि जैसे सफाई सामान और सामग्री पर्याप्त रूप से सुलभ कराए जाते हैं। बार-बार उद्घोषणाएं की जाती हैं जिनमें जनता से स्टेशन परिसर को साफ रखने का अनुरोध किया जाता है। अधिकारियों, निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा स्टेशन की सफाई पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी आवास में अतिरिक्त निर्माण करने/ परिवर्तन करने संबंधी प्रभार

2962. श्री दिलीप संघाणी :
डा. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्वार्टरों के सामान्य पूल के मकानों में अतिरिक्त निर्माण करने/परिवर्तन करने संबंधी प्रभारों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों के लिए वर्तमान और संशोधित सीलिंग निम्नलिखित अनुसार हैं :

क्वार्टर टाइप	वर्तमान आर्थिक सीलिंग (रुपए)	संशोधित आर्थिक सीलिंग (रुपए)
I	2,350	2,900
II	3,200	4,000
III	3,200	4,000
IV	8,500	10,500
डी. I, डी. II	17,500	21,700
सी. I, सी. II	21,000	26,000
VII व VIII	31,500	39,000

संशोधित आर्थिक सीलिंग 24.6.98 से लागू हो गई है। तथापि के.लो.नि.वि. द्वारा कार्यवार कोई सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पुणे-नासिक रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2963. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे-नासिक रेल लाइन का सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इस पर निर्माण कार्य कब शुरू किया गया;

(ख) क्या प्रस्तावित लाइन मंचर और नारायण गांव होकर गुजरेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रेलवे लाइन का प्रस्तावित मार्ग क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पुणे-नासिक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 तक समाप्त होने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सहकारी आवास संस्थाएं

2964. **प्रो० जोगेन्द्र कवाडे** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूखंडों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी पंजीकृत सहकारी आवास संस्थाओं ने आवेदन किया है; और

(ख) इन संस्थाओं को भूखंड कब तक मिल जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, सहकारी सोसायटी पंजीयक (आर सी एस), दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि प्रक्रिया के अनुसार सहकारी सोसायटी पंजीयक (आर सी एस) द्वारा पात्र कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज की सूची मुहैया कराई जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन का प्रस्ताव वरिष्ठता के अनुसार ही किया जाता है। आज की तारीख तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पंजीकरण सं० 1430 तक की पात्र सोसायटियों को भूमि उपलब्ध कराई है। आगे सहकारी सोसायटी पंजीयक (आर सी एस) ने पंजीकरण संख्या 1590 तक की पात्र सोसायटियों की विधिवत् रूप से अनुमोदित सूची उपलब्ध कराई है।

(ख) शेष सोसायटियों को भूमि का आवंटन भूमि की उपलब्धता और इन सोसायटियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नियमों को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा।

[अनुवाद]

रूपसा-बागिरीपोशी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2965. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में रूपसा-बागिरीपोशी रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए कोई तिथि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त परियोजना के शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से आवंटन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इस लाइन पर 0 कि. मी. से 75 कि. मी. तक मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित आमान परिवर्तन परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची में इसकी स्थिति के अनुसार इस परियोजना पर प्रगति होगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

तीव्र गति यातायात वाले मार्गों पर प्वाइंट मशीन

2966. **श्री शान्ति लाल चपलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तीव्र गति वाले यातायात मार्गों पर लगाई गई प्वाइंट मशीनें तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों के प्रचालन में सुरक्षा के संबंध में समझौता कर रही हैं;

(ख) क्या किसी दुर्घटना रिपोर्ट अथवा सुरक्षा संबंधी समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुर्घटना का मुख्य कारण संभवत: स्टाक तथा स्विच रेलों के पांजिटिव लॉकिंग का असफल होना माना जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सभी अधिक गति वाले मार्गों में सुरक्षा हेतु बेहतर लाकिंग विशेषता वाली प्वाइंट मशीनें लगाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई हवाई अड्डे पर यात्रियों को रोके रखना

2967. **श्री अभयसिंह एस० भोंसले**
श्री माधव राव पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 नवम्बर, 1998 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार "मुम्बई एयरपोर्टस कीप यू ऑन होल्ड" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई विमानपत्तन पर दो दूरभाष केन्द्रों में एक नयी कम्प्यूटर वॉयस मेसेज प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली और अधिक टेलीफोन कॉल संभाल सकती है किंतु इसकी कमी है कि यह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पी सी ओ से कॉल स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि पी सी ओ अलग मॉड्यूल पर काम करते हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई में दोनों दूरभाष केन्द्रों को चलाने के लिए पदों की मंजूरी दे दी है और इन्हें शीघ्र भर लिया जाएगा। आशा है कि टेलीफोन ऑपरेटरों के पद भर लिये जाने पर आम जनता को आ रही परेशानी कम हो जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लॉट का पट्टा समझौता

2968. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतिया खान, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055 में डी.डी.ए. प्लाटों के पट्टा समझौतों को वर्ष 1981 और 1982 में रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पट्टों को रद्द किए जाने के बावजूद भी इन पट्टाधारियों से हाल ही में प्लाटों को बेचने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। डीडीए ने सूचित किया है कि 22 मामलों में पट्टे खारिज किए गए।

(ग) और (घ) प्लाट सं॰ 26, मोतिया खान के संबंध में बिक्री की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ङ.) पट्टा विलेख खारिज होने के पश्चात पूर्व पट्टेदार ने बिक्री करार किया। इसलिए पूर्व पट्टेदार के खिलाफ बेदखली कारवाई की गई है।

मनकापुर और गोंडा स्टेशनों पर आरक्षण कोटा

2969. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहीद एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और आम्रपाली एक्सप्रेस में मनकापुर और गोंडा जंक्शनों रेलवे स्टेशनों पर शयनयान और वातानुकूलित दूसरे दर्जे का कितना आरक्षण कोटा आवंटित है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनकापुर और गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशनों के लिए आवंटित कोटे से यात्रियों की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त स्टेशनों पर यात्रियों की जरूरतें पूरी करते हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) मनकापुर स्टेशन पर शहीद एक्सप्रेस में II वाता. दर्जे में 2 शायिकाओं और शयनयान श्रेणी में वैशाली एक्सप्रेस में II वाता. दर्जे में 2 शायिकाओं और शयनयान श्रेणी 2 शायिकाओं में 3 शायिकाओं और आम्रपाली एक्सप्रेस में II वाता. दर्जे में दो शायिकाओं और शयनयान श्रेणी में 4 शायिकाओं का आरक्षण का कोटा उपलब्ध है। सामान्यतः उपर्युक्त आरक्षण कोटा पर्याप्त है।

गोंडा जं. स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली मुहैया कराई गई है। गोंडा जं. स्टेशन पर यात्री शहीद एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और आम्रपाली एक्सप्रेस में अपेक्षित आरक्षण "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मैसर्स सहारा इंडिया को रक्षा भूमि

2970. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोमती नगर, लखनऊ में रक्षा विभाग की कितनी हेक्टेयर भूमि को मै॰ सहारा इंडिया (वित्त कम्पनी) को दिया गया है;

(ख) करोड़ों रुपए की यह भूमि किस आधार पर मै॰ सहारा इंडिया को बेची गई थी;

(ग) क्या इस समझौते के पीछे तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा मंत्रालय ने मैसर्स सहारा इंडिया (फाइनेंस कंपनी) को कोई रक्षा भूमि नहीं दी है।

(ख) से (घ) उक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बयाना से सुपर फास्ट रेलगाड़ियां

2971. श्री गंगाराम कोली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ी के हाल्ट/ठहराव के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को बयाना में सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के हाल्ट के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को बयाना से आगरा और मुंबई के लिए सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलाए जाने के संबंध में पत्र भी प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) एक गाड़ी के ठहराव के लिए यातायात की उपलब्धता, पहले से रुक रही गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों के समय, परिचालनिक व्यवहार्यता, गाड़ी की प्रकृति आदि जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाता है।

(ख) और (ग) बयाना स्टेशन पर 2925/2926 पश्चिम एक्सप्रेस आदि का ठहराव मुहैया कराने के लिए श्री गंगाराम कोली, संसद सदस्य

से अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले की जांच की गई थी परंतु व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(घ) से (च) बयाना से आगरा और मुम्बई तक गाड़ी चलाने के लिए भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी जांच की गई थी परंतु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

चेन्नई में एम.आर.टी.एस. का विस्तार

2972. **डा० सरोजा वी०** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेन्नई में लुज से वेलाचेरी तक एम.आर.टी.एस. के विस्तार के लिए तमिलनाडु सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इसकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी पहल कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) जी हां, लुज से वेल्लाचेरी तक परियोजना के विस्तार की स्वीकृति भूमि की लागत सहित 605.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत दर 1996-97 के दौरान दी गई थी। तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली भूमि रेलों को नाममात्र पट्टे पर दी जाएगी। परियोजना की लागत रेलों और तमिलनाडु द्वारा क्रमश: 1 : 2 के अनुपात में बांटी जानी है। परियोजना की कुल लम्बाई 10.31 कि० मी० है। कार्य पूरी तेजी से हो रहा है और वर्ष 1998-99 के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है।

हैदराबाद-बीबीनगर-नाडीकुडी-गुंटूर लाइन पर दुर्घटना

2975. **श्री एस० सुधाकर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद - बीबीनगर - नाडीकुडी - गुंटूर लाइन पर पिछले छह महीनों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इस लाइन पर बार-बार दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पिछले छह महीनों (जून, 1998 से नवम्बर, 1998 तक) के दौरान हैदराबाद-बीबीनगर-नाडीकुडी-गुंटूर लाइन पर चार दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं :-

तोड़-फोड़	-	1
सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	-	1
रेल पथ उपस्कर की खराबी	-	1
रेल कर्मचारियों की विफलता	-	1

(ग) भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

1. ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के काम में तेजी लाई गई है।
2. दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए सिगनल प्रणाली में आशोधन किया जा रहा है।
3. मुंबई उपनगरीय खण्डों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।
4. रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाईटेम्पिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।
5. रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलेखी यान और सुवाह्य त्वरणमापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।
6. कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।
7. धुरों की कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में दोषों का पता लगाने हेतु नेमी ओवरहाल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं।
8. बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों/गतिरोधकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।
9. सड़क उपयोकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।
10. यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं।
11. ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।
12. विशिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

13. गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कमी पाई जाती है। उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

14. कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

केरल में अंडर ब्रिजों और ओवर ब्रिजों का निर्माण

2974. **श्री एस० अजय कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन राजमार्गों पर रेलवे अंडर ब्रिजों तथा ओवर ब्रिजों के निर्माण हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 13 अदद।

(ख) और (ग) फिलहाल एर्णाकुलम-अलेप्पी खंड पर विलंगटन द्वीप और कोचिन बाईपास को जोड़ने वाली संपर्क सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-47 ए) पर एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर निम्नलिखित समपारों के बदले ऊपरी 6 सड़क पुलों के निर्माण की रेलों की आगामी कार्य योजना में शामिल करने के लिए जांच की जा रही है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रारंभिक पूर्व अपेक्षाएं पूरी हों।

(1) बडगरा और नद्दापुरम रोड के बीच कि.मी. 713/10-11 पर समपार संख्या 215

(2) वेस्टहिल और एलत्तूर स्टेशनों के बीच कि.मी. 673/8-9 पर समपार संख्या 192

(3) एलत्तूर और कुइलाण्डि स्टेशन के बीच कि.मी. 679/1-2 पर समपार संख्या 196

(4) धर्मा दम और एटक्कोट स्टेशनों के बीच कि.मी. 738/7-8 पर समपार संख्या 232

(5) चेरवत्तूर और निलेश्वर स्टेशनों के बीच कि.मी. 805/5-6 पर समपार संख्या 269

(6) कांहनगढ़ी और निलेश्वर स्टेशनों के बीच कि.मी. 810/1-2 पर समपार संख्या 272।

पोरबन्दर-दिल्ली एक्सप्रेस की बारम्बारता

2975. **श्री चन्देश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोरबंदर-दिल्ली एक्सप्रेस के दिनों को फिर से निर्धारित करने एवं इसकी बारम्बारता को बढ़ाने के संबंध में विभिन्न संगठनों एवं संसद सदस्यों के पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 9263/9264 पोरबन्दर-दिल्ली सराय रोल्लिा एक्सप्रेस इत्यादि के फेरों में वृद्धि करने के लिए डा० बल्लभ भाई कथीरिया, सांसद सहित अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) मामले की जांच की गई है तथा परिचालनिक कठिनाईयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

पूछताछ कार्यालय, पंजाबी बाग द्वारा शिकायतें सुनना

2976. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाबी बाग, नई दिल्ली में कार्यरत पूछताछ कार्यालय दिन-प्रतिदिन की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र में रेलवे फ्लैट्स के रख-रखाव के कार्य को सुदृढ़ और सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य, मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पंजाबी बाग, रेलवे कालोनी के निवासियों की रोजमर्रा की शिकायतों को, जब भी प्राप्त होती हैं, निपटाया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय भुवनेश्वर

2977. **श्री प्रभात कुमार सामन्तराय** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय भुवनेश्वर को उड़ीसा सरकार को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुद्रणालय के कर्मचारियों को वेतनमान और अन्य सुविधाओं के लाभ का घाटा होगा क्योंकि अब तक उन्हें केन्द्र सरकार के नियमों का लाभ मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर को उड़ीसा सरकार को हस्तांतरित करने का सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दमन में आई.एन.एस. खुखरी का स्मारक

2978. श्री देवजी भाई के० टंडेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने 1971 के युद्ध में डुबोये गए भारतीय युद्धपोत आई० एन० एस० खुखरी का एक स्मारक का निर्माण किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने अप्रैल, 1997 में इस प्रकार के एक स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था।

(ख) रक्षा मंत्री ने जुलाई, 1997 में दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया कि वे स्वतंत्रता के बाद युद्धों के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वालों की याद में अपनी-अपनी राजधानियों में युद्ध स्मारकों का निर्माण करें।

ईयर आफ द जवान

2979. श्री रवि सीताराम नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999 को 'ईयर आफ द जवान' के रूप में मनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को भी इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों से उड़ानें

2980. कुमारी किम गंगटे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से देश के शेष भागों विशेषत: राज्यों की राजधानियों के लिए वर्तमान उड़ान सेवा सुविधाएं अपर्याप्त हैं, और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नई सेवाएं शुरू करने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित विमानकंपनियों द्वारा विमान सेवा से जोड़े गए स्टेशनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विमानकंपनियां विशिष्ट स्थानों के लिए विमानसेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों का अनुपालन करती हों। मार्गवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में व्यवस्था की गई है कि प्रचालक ने जितनी क्षमता श्रेणी (ट्रंक मार्ग) मार्गों पर लगाई है उसका कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर, जम्मू- श्मीर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को उपलब्ध कराए। सरकार इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति सजग है तथा इस क्षेत्र में विमान सेवाओं और आधारिक संरचना के विकास पर निकटता से निगरानी रख रही है।

विवरण

अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किये जा रहे प्रचालन (14 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार)

एयरलाइनें	सैक्टर	आवृत्ति (प्रति सप्ताह)
1	2	3
आसाम		
डिब्रूगढ़		
सहारा इंडिया एयरलाइंस	दिल्ली-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़-गुवाहाटी-दिल्ली	4
इंडियन एयरलाइन्स	कलकत्ता-डिब्रूगढ़-कलकत्ता	4
जोरहाट		
जैट एयरवेज	कलकत्ता-जोरहाट-कलकत्ता	2

1	2	3
एलायंस एयर	कलकत्ता-जोरहाट-दीमापुर-कलकत्ता	2
गुवाहाटी		
इंडियन एयरलाइंस	कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता	10
	कलकत्ता-इम्फाल-गुवाहाटी-दिल्ली	2
	अगरतला-गुवाहाटी-अगरतला	3
	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल-कलकत्ता	2
	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	3
	गुवाहाटी-दीमापुर-गुवाहाटी	3
	गुवाहाटी-लालाबाड़ी-गुवाहाटी	2
	कलकत्ता-एजवाल-गुवाहाटी	3
सहारा इंडिया एयरलाइन्स	दिल्ली-गुवाहाटी-डिब्रूगड़-गुवाहाटी-दिल्ली	4
	दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली	3
जैट एयरवेज	दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	दैनिक
	कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता	8
	कलकत्ता-गुवाहाटी-इम्फाल-गुवाहाटी-कलकत्ता	2
लीलाबाड़ी		
इंडियन एयरलाइन्स	गुवाहाटी-लीलाबाड़ी-गुवाहाटी	2
सिलचर		
एलायंस एयर	कलकत्ता-सिलचर-इम्फाल और वापसी	3
	कलकत्ता-सिलचर-कलकत्ता	3
तेजपुर		
एलायंस एयर	कलकत्ता-तेजपुर-दीमापुर-कलकत्ता	2
अरुणाचल प्रदेश		
शून्य		
मणिपुर		
इम्फाल		
इंडियन एयरलाइन्स	कलकत्ता-इम्फाल-गुवाहाटी-दिल्ली	2
	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल-कलकत्ता	2
एलायंस एयर	कलकत्ता-सिलचर-इम्फाल और वापसी	3
	कलकत्ता-एजवाल-इम्फाल-कलकत्ता	2
जैट एयरवेज	कलकत्ता-गुवाहाटी-इम्फाल-गुवाहाटी-कलकत्ता	2

1	2	3
मिजोरम		
एजवाल		
इंडियन एयरलाइन्स	कलकत्ता-एजवाल-गुवाहाटी	3*
	कलकत्ता-एजवाल-कलकत्ता	3
एलायंस एयर	कलकत्ता-एजवाल-इम्फाल-कलकत्ता	
मेघालय		
शून्य		
नागालैंड		
दीमापुर		
एलायंस एयर	कलकत्ता-जोरहाट-दीमापुर-कलकत्ता	2
	कलकत्ता-तेजपुर-दीमापुर-कलकत्ता	2
इंडियन एयरलाइन्स	गुवाहाटी-दीमापुर-गुवाहाटी	3*
त्रिपुरा		
अगरतला		
इंडियन एयरलाइन्स	कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	11
	अगरतला-गुवाहाटी-अगरतला	3

*दीमापुर और लीलाबाड़ी के लिए डोर्नियर प्रचालनों को अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति

2981. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में नैमित्तिक आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरह के पुन: नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को तनख्वाह के अतिरिक्त पेंशन लाभ भी प्राप्त हो रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त उन अधिकारियों के स्थान पर नए शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त करने का है जिनकी संख्या करोड़ों में है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दैनिक मजदूरी के भुगतान के आधार पर पुन: तैनात सेवानिवृत्त व्यक्तियों को देय मजदूरी का निर्धारण रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक पद के लिए परिलब्धियों के औसत से पेंशन समतुल्य यथोचित समायोजन के बाद किया गया है।

(घ) और (ङ.) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुन: तैनाती केवल एक सीमित अवधि के लिए की जाती है जब तक कि रिक्त पदों को भरने के लिए विधिवत रूप से भर्ती किए गए/चुने गए व्यक्ति उपलब्ध न हो जाएं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दैनिक आधार पर पुन: तैनात किए गए सेवानिवृत्त व्यक्ति नये शिक्षित बेरोजगार युवकों की नियुक्ति के रास्ते में आड़े न आएं।

विमान यात्रा में सुरक्षा

2982. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) विमान यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु विभिन्न सुरक्षा उपाय सतत आधार पर किए जाते हैं। ये उपाय हैं—उड़ान डाटा रिकार्डस की

निगरानी, प्रचालकों का सुरक्षा ऑडिट, दुर्घटनाओं की जांचों के बाद की जाने वाली सिफारिशों का कार्यान्वयन, ऐरोड्रमों का निरीक्षण, सुरक्षा सेमीनार/बैठकें आयोजित करना, नागर विमानन अपेक्षाएं, विमान सुरक्षा परिपत्र आदि जारी करना। इसके अलावा, भारत में उड़ान भरने वाले 30 अथवा 30 से अधिक क्षमता वाले सभी विमानों के लिए 01.01.1999 से ए सी ए एस लगाना अनिवार्य किया जा रहा है और अधिक वायुमार्गों को एक दिशीय बनाया जा रहा है। उड़ानों पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए भारतीय क्षेत्र पर रडार कवरेज को बढ़ाया जा रहा है।

'संतुष्टि' परिसर

2983. श्री के॰ पी॰ नायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना पत्नी कल्याण संगठन द्वारा नई दिल्ली में संचालित 'संतुष्टि' परिसर के संबंध में लेखापरीक्षा दल ने कौन-कौन सी विसंगतियां बताई हैं; और

(ख) लेखा परीक्षा दल द्वारा बताई गई अन्य विसंगतियों और लेखाओं को ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) संतुष्टि से रेजिमेंटल फंड में आय के अंतरण, रेजिमेंटल फंड के लेखे और रेजिमेंटल फंड से वायुसेना पत्नी कल्याण संघ (ए एफ डब्ल्यू डब्ल्यू ए-सी) को धनराशि के अंतरण सहित संतुष्टि कांप्लैक्स को चलाने वाले संगठन के लेखाओं की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए एक विशेष लेखापरीक्षा दल का गठन किया गया था।

विशेष लेखापरीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसके मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

1. संतुष्टि काम्पलेक्स सन् 1985 में न्यू वेलिंगटन कैंप में लगभग 1.7 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। यह भूमि शहरी विकास मंत्रालय की है लेकिन सन् 1942 से इस पर वायुसेना का कब्जा है। संतुष्टि काम्पलेक्स की स्थापना की शुरुआत वायुसेना पत्नी कल्याण संघ - सी, जो कि एक प्राइवेट निकाय है, द्वारा लिए गए निर्णय में निहित है। उपर्युक्त निकाय ने दुकानों के मासिक किराये के आकलन, दुकानों के आवंटन हेतु पार्टियों के चयन, संविदाकारों को भुगतान-विनियमन और संविदा आदि दिए जाने के निर्णय द्वारा संतुष्टि काम्पलेक्स की स्थापना/विस्तार किए जाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

2. हालांकि संतुष्टि परिसर में निर्माण/विस्तार संबंधी कार्यकलापों के लिए नई दिल्ली स्थित वायुसेना स्टेशन के एयर अफसर कमांडिंग द्वारा मंजूरियां दी गई थीं किंतु ये मंजूरियां संतुष्टि परिसर के प्रबंधक (प्रशासन) द्वारा रखे गए प्रस्ताव के आधार पर दी गई थी। हालांकि प्रबंधक (प्रशासन) नई दिल्ली के वायुसेना स्टेशन का एक वायुसेना अफसर था किंतु वह ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता था। ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) द्वारा वायुसेना प्राधिकारियों की सेवाएं लेकर सरकारी भूमि पर निर्माण संबंधी कार्यकलाप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

3. दुकानों के मासिक किराये के निर्धारण, दुकानों के आवंटन और निर्माण/रखरखाव आदि कार्यों के लिए संविदा किए जाने में कोई पारदर्शिता नहीं रही है।

4. संतुष्टि परिसर रेजिमेंटल दुकानों के बुनियादी दायरे में नहीं आता तथा यह परिसर सरकार के कल्याणकारी कार्यकलापों संबंधी नीति के अनुरूप नहीं है।

5. हालांकि 1985 से फरवरी 98 तक की अवधि के दौरान दुकानों से मासिक छूट के रूप में कुल 4.19 करोड़ रुपए वसूल किए ए हैं। लेकिन सरकारी खजाने में किराये के रूप में केवल 5.80 लाख रुपए जमा किए गए हैं। शेष 4.13 करोड़ रुपए गैर सरकारी निधि में जमा कर दिए गए हैं, जिसका अंतिम लाभ भोगी एक निजी निकाय है।

6. ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) जो कि एक निजी निकाय है, द्वारा आयकर का भुगतान न किया जाना आयकर अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन है।

7. संतुष्टि परिसर में नियोजित संविदाकारों को किए गए भुगतान की राशि में से स्रोत पर आयकर वसूल न करके उन्हें अनुचित लाभ दिया गया है।

8. वायुसेना प्राधिकारियों/ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) द्वारा दुकानों की आवंटन तिथि और कब्जा लेने की तारीख का समुचित रिकार्ड नहीं रखा गया है। इस सूचना के अभाव में, वसूली गई सही-सही धनराशि का पता नहीं लगाया जा सका।

9. बिजली की खपत और ऐसी खपत की लागत तथा दुकानदारों से वसूली का कोई समुचित लेखा नहीं रखा गया है।

10. बिजली के प्रभारों के लिए वसूल की गई 30,53,508 रुपए की राशि ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) द्वारा अपने पास रख ली गई या उसी को अंतरित कर दी गई है।

11. रखरखाव खाता न तो ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) के खाते का न ही प्रेप्सीडेंट सर्विस इंस्टीट्यूट के खाते का भाग है।

12. प्रतिभूति जमा के रूप में अग्रिम छूट की बड़ी धनराशि संतुष्टि के दुकान मालिकों से वसूल की गई है लेकिन ऐसा प्रतिभूति जमा ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) को अंतरित कर दिया गया है, जो उचित नहीं है।

13. संतुष्टि परिसर में दुकानों के निर्माण के लिए स्वीकृति देने के वास्ते उचित तथा सुस्पष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

14. संविदाकारों के साथ किए गए संविदा करार में विहित सुपरिभाषित निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था।

15. कतिपय अवधि के लिए वाउचर तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण विशेष लेखापरीक्षा दल द्वारा उक्त अवधि के दौरान ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए. (सी) के खातों का सत्यापन करना संभव नहीं था।

उपर्युक्त निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में विशेष लेखा परीक्षा दल ने यह उल्लेख किया है कि निजी निकाय द्वारा प्राधिकार के बिना सरकारी भूमि का अनधिकृत तौर पर उपयोग करना उचित प्रतीत नहीं होता।

उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

विमान किराए पर लेने के लिए मानदंड

2984. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयरलाइन कम्पनी द्वारा विमान किराए पर लेने के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने में क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) देश में एयरलाइनवार कार्य कर रही विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा कितने विमान किराए पर लिए और इन्हें किराए पर लेने के क्या कारण थे;

(ग) क्या विमान किराए पर लेने के सम्बन्ध में कोई लागत मूल्यांकन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) एयरलाइन कम्पनी द्वारा विमानों को भाड़े पर लिया जाना नागर विमानन महानिदेशक मार्फत सी॰ए॰आर॰ अनुभाग 3, विमान परिवहन सेवा "ग" भाग-1 निर्गम-2, दिनांक 30.12.1993 ए॰आई॰सी॰ सं॰ 3/1998 दिनांक 3.7.1998 और ए॰आई॰सी॰ सं॰ 4/1998 दिनांक 17.7.1998 द्वारा जारी दिशानिर्देशों से शासित होता है जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावी निगरानी, संरक्षा चूक, भारतीय प्रचालकों की ओर से प्रचालनार्थ पट्टे पर लिए गए विदेशी विमान का सुरक्षित प्रचालन और अनुरक्षण हेतु अपेक्षाओं को रेखांकित करते हैं।

(ख) किराये/पट्टे पर लिए गए विमान के संबंध में एयरलाइन-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। चूंकि विमान का क्रय मूल्य प्रतियेधात्मक है अधिक सस्ता ढंग होने के कारण विमानकंपनियों को विमान को पट्टे/किराये पर लिए जाने को प्राथमिकता दिया जाना एक मुख्य कारण है। अन्य कारण विनिर्माताओं द्वारा नए विमान के प्रदायगी के लिए स्लॉट की अनुपलब्धता हो सकती है।

(ग) से (ङ) जी नहीं, विमान को भाड़े/पट्टे पर दिए जाने के लिए लागत मुनाफा विश्लेषण का निर्णय विमानकंपनियों द्वारा किया जाता है।

विवरण

पट्टे/किराए पर लिए गए विमान का एयरलाइन वार ब्यौरा

क्र. सं.	विमान कंपनियों का नाम	किराया/पट्टा पर लिए गए विमानों की संख्या
(क)	**अनुसूचित प्रचालक**	
1.	इंडियन एयरलाइंस	17
2.	जैट एयरवेज	21
3.	सहारा इंडिया एयरलाइंस	2
(ख)	**गैर-अनुसूचित प्रचालक**	
1.	ढक्कन एविएशन	3
2.	इस्टर्न एयरवेज	1
3.	ग्रेट इस्टर्न शीपींग कंपनी	3
4.	गुजरात एयरवेज	2
5.	जैगसन एयरलाइंस	1
6.	मेस्को एयरलाइंस	1
7.	स्पान एयर	1
8.	तनेजा एयरोस्पेस एण्ड एविएशन	1
9.	यू.बी. एयर	2

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लाभांश

2985. श्री अरविंद काम्बले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से वर्ष 1993-94 का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए बकाया लाभांश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1.4.1995 को अस्तित्व में आया था। इससे पूर्व राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दो अलग अलग संगठन थे। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में अदा किया गया लाभांश इस प्रकार है :-

	1996-94	1994-95
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	लाभांश की घोषणा नहीं की	9.08
भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	14.67	15.28

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1995-96 में 29.03 करोड़ रुपए तथा 1996-97 में 26.42 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में अदा किए हैं। वर्ष 1997-98 के लिए अभी लेखाओं की लेखा परीक्षा चल रही है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों को किराए पर देना

2986. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला साहिब मार्ग, मंदिर मार्ग, कालीबाड़ी मार्ग, सरोजिनी नगर और नेताजी नगर में सरकारी क्वार्टरों में अभी भी किराएदार रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन क्वार्टरों को किराएदारों से खाली करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) इन क्षेत्रों में सरकारी क्वार्टरों को किराए पर देने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान किराए पर देने के निरीक्षण के आधार पर क्रमशः डी आई जैड, काली बाड़ी मार्ग, सरोजनी नगर, नेताजी नगर और मन्दिर मार्ग क्षेत्रों में 73 और 62 क्वांटरों का किराए पर देने का सन्देह हुआ और क्रमशः 39 तथा 17 क्वार्टरों के आवंटन किराए पर होने के मामले सही पाए जाने पर रद्द कर दिए गए। इसके बाद लोक परिसर अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाई भी आरंभ कर दी गई।

सतर्कता विभाग में निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति अवधि

2987. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड और प्रत्येक जोनल मुख्यालय में सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी कितने निरीक्षक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवारत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पूर्व पदों पर वापिस भेजने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 03 (तीन) अधिकारी, 09 (नौ) निरीक्षक और 05 (पांच) रेल सुरक्षा बल के सैनिक प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी सतर्कता संगठन में कार्य कर रहे हैं।

ऐसे निरीक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का रेलवे वार ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे	अधिकारियों की संख्या	निरीक्षकों की संख्या	रेल सुरक्षा बल सैनिक/हवलदार
रेलवे बोर्ड	01	-	05
मध्य	-	01	-
दक्षिण पूर्व	02	04	-
कोर	-	01	-
मेट्रो	-	01	-
रेल डिब्बा कारखाना	-	02	-
कुल	03	09	05

(ख) जी हां।

(ग) सतर्कता विभाग में तैनाती के लिए उपयुक्त पदाधिकारियों के लिए मांग पत्र भेजने तथा चयन करने की प्रक्रिया शामिल है। यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिये जाने पर अधिकारियों और निरीक्षकों के एवजी प्राप्त हो जाने के बाद इनका प्रत्यावर्तन किया जायेगा। बहरहाल, यह एक सतत प्रक्रिया है और कुछ मामलों में अप्रत्याशित कारणों के कारण उपयुक्त एवजी प्राप्त करने में कुछ विलंब होने के कारण कुछ व्यक्तियों को निश्चित अवधि से आगे प्रतिनियुक्ति पर कार्य करना पड़ता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुंबई में भूमि का अतिक्रमण

2988. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में नगरपालिका शौचालय के पीछे ट्रैक संख्या-I के पश्चिम छोर पर मध्य रेल संपदा के एक बहुत बड़े भाग पर निजी पार्टी/अतिक्रमण करने वालों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत एक दशक के दौरान रेलवे प्रशासन को इस अतिक्रमण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ग) क्या रेल अधिकारी अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण तथा सहायता दे रहे हैं; और

(घ) इस भूमि की रक्षा करने तथा अतिक्रमण करने वालों से इसे खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) किसी भी निजी पार्टी ने भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है। बहरहाल झुग्गी में रहने वालों ने भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और उस पर झुग्गियां बनाई हुई हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) महाराष्ट्र सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार 1.1.1995 के पश्चात किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। 1.1.1995 से पहले रह रहे झुग्गी-वासियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार से उन्हें राज्य सरकार की भूमि पर बसाने के लिए आग्रह किया गया है। महाराष्ट्र सरकार से ऐसे अतिक्रमणकारियों के लिए विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत बनाए जा रहे मकान आवंटित करने का भी अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

"बाल्को" के शेयर

2989. **श्री पुन्नूलाल मोहले :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "बाल्को" के शेयर बेचने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। विनिवेश आयोग ने "बाल्को" में सरकारी इक्विटी का विनिवेश चरणों में करने की सिफारिश की थी। अर्थात महत्वपूर्ण भागीदार को 40% इक्विटी की तत्काल बिक्री, इसके बाद इसे स्वदेशी बाजार में देकर दो वर्ष के भीतर सरकार की इक्विटी 26% तक लाना और समुचित अवधि में शून्य तक लाना। सरकार ने इस पर विचार किया था परन्तु बाद में विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि महत्वपूर्ण क्रेता को आरंभिक चरण में ही, प्रबंध के हस्तांतरण सहित, सरकारी इक्विटी के 51% या इससे अधिक की पेशकश की जाए। सरकार ने विनिवेश आयोग की बाद की सिफारिशों के बारे में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

बिहार में पंचायत चुनाव

2990. **श्री शकुनी चौधरी :**
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री सुधीर गिरि :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 1998 से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु बिहार सरकार को प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायतों को दिये गये धन का राज्य में दुरुपयोग हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा सके, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिकाओं सहित कई याचिकाएं भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं। पहले पटना उच्च न्यायालय ने सीटों के आरक्षण से संबंधित बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के कुछ विशेष प्रावधानों को रद्द कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि याचिकाओं को निपटाने के लिए भारत के संविधान के 73वें संशोधन के साथ-साथ बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 की वैधता पर विचार करना आवश्यक है। इस लिए इस मामले पर संविधान पीठ द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए। बिहार में पंचायत के चुनाव करवाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इन याचिकाओं पर निर्णय नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) 1995 की सिविल रिट याचिका सं॰ 719 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24 फरवरी, 1997 के आदेश के अनुसरण में, पिछले पंचायत चुनावों में बिहार में पंचायत निकायों के लिए चुने गए सदस्यों को कार्य करने से रोक दिया गया है और पंचायतों को धन नहीं दिया जा रहा है। पंचायतों द्वारा सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों और दायित्वों का जिला कलक्टरों के समग्र पर्यवेक्षण में प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पंचायत सेवकों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्वाह किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली और कोयम्बटूर के बीच रेलगाड़ी चलाना

2991. **श्री के॰पी॰ मोहन** : क्या रेल मंत्री मंगला एक्सप्रैस के मार्ग परिवर्तन के बारे में 23 जुलाई, 1998 के तारांकित प्रश्न

सं० 522 (अनुपूरक) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से कोयम्बटूर तक नई रेलगाड़ी चलाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) परिचालनिक व्यावहारिकता और वाणिज्यिक औचित्य के अध्यधीन अगली समय सारिणी में अन्य नई गाड़ियों को शुरू करने की मांगों के साथ-साथ दिल्ली से कोयम्बटूर तक नई गाड़ी चलाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

इंदौर विमानपत्तन का विस्तार

2992. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर विमानपत्तन की धावन पट्टी पर इस वर्ष दिसम्बर से एअर बसें उतरना शुरू कर देंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर धावन पट्टियों के विस्तार के अलावा इस प्रयोजन हेतु अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं अधिष्ठापित कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन उड़ानों से कितना लाभ कमाये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) इंदौर विमानपत्तन को 24 करोड़ रुपए की लागत से "आदर्श विमानपत्तन" के रूप में विकसित किया गया है। यह विमानपत्तन एयरबस-320 प्रकार के विमानों को हैंडल करने के लिए सुसज्जित है। फिर भी, फिलहाल इंदौर विमानपत्तन से/को एयरबस-320 प्रचालित करने की इंडियन एयरलाइंस की कोई योजना नहीं है। निजी अंतर्देशीय प्रचालकों के पास एयरबस-320 नहीं हैं।

यात्री रेलवे स्टेशनों के साथ मालगाड़ी के स्टेशनों को जोड़ना

2993. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में सभी यात्री रेलवे स्टेशनों के साथ मालगाड़ी के स्टेशनों को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक जोड़ दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन

2994. डा० उल्हास वासुदेव पाटील :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री रामानन्द सिंह :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टंडन कमेटी की सिफारिशों को शामिल करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की राजस्व आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किन कदमों को उठाये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने सचिव, खान विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों के खनन सचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ के महासचिव और भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक आदि इस समिति के सदस्य हैं। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास संबंधी मौजूदा कानूनों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इन्हें नीतिगत परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना और पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण करने में होने वाले विलम्ब की अवधि को कम करने के उपाय सुझाना शामिल थे। समिति को राज्य सरकारों को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा देने/नवीकरण करने से संबंधित और शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने के संबंध में विचार करना था तथा अवैध खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय भी सुझाने थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है तथा आगामी अपेक्षित कारवाई शुरू की जा चुकी है।

(घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को खनिज गवेषण, कोयले के प्रौन्नयन वेधन, भू-तकनीकी परियोजनाओं, भू-पर्यावरणात्मक अध्ययनों,

समुद्री सर्वेक्षणों, भू-भौतिकी हवाई और भू-सर्वेक्षण के क्षेत्रों में कार्य अपने हाथों में लेकर और मानचित्रों, प्रकाशनों और खनिज सूचना संबंधी डोजियर की बिक्री द्वारा आंतरिक संसाधनों का सृजन करने की अनुमति दी गई है। सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भुगतान आधार पर अन्य एजेंसियों के लिए प्रायोजित कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की है।

येलहंका-बंगारपेट रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2995. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येलहंका-बंगारपेट मीटर रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त आमान परिवर्तन कब तक कर लिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) येलहंका से चिकबल्लापुर तक और कोलार से बंगारपेट तक के खण्ड, जिन्हें आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत किया था, पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। चिकबल्लापुर से कोलार तक के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही इस परियोजना पर आगे विचार संभव होगा।

(ख) यह सूचना तभी दी जा सकती है जब इस कार्य को स्वीकृति मिल जाए।

[हिन्दी]

विमानों में ए.सी.ए.एस. लगाना

2996. श्री रामपाल सिंह :
डा० अशोक पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाश में हवाई दुर्घटना को रोकने के लिए 30 या इससे अधिक यात्रियों की क्षमता वाले सभी विमानों में "एयरबोर्न कोलीजन एव्हायडेंस सिस्टम" स्थापित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस तारीख से ये निर्देश प्रभावी हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। उन सभी विमानों में 31 दिसम्बर, 1998 तक अथवा इस से पूर्व एयरबोर्न कोलीजन एव्हायडेंस सिस्टम (ए.सी.ए.एस.)-II संस्थापित करना अपेक्षित है जिनकी 30 से अधिक प्रमाणित यात्री क्षमता अथवा 3 टन भार से अधिक पे-लोड क्षमता है। इसी तरह, 10 से 30 प्रमाणित यात्री क्षमता अथवा 1 से 3 टन भार के पे-लोड क्षमता वाले विमानों में 31 दिसम्बर, 2003 तक अथवा इससे पूर्व ए.सी.ए.एस.-I संस्थापित करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण

2997. श्री के०डी० सुल्तानपुरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में रेल लाइनों हेतु किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजनावार इन रेल लाइनों का कार्य कब से आरंभ होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) उन रेल लाइनों का ब्यौरा जिनके लिए सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

(1) कालका-परवानू (नई लाइन) : कालका-परवानू (6.575 कि.मी.) के बीच नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कार्य पूरक बजट 1997-98 में इस शर्त के साथ शामिल कर लिया गया है कि अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा, प्रस्ताव अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेज दिया गया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है। अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

(2) भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (नई लाइन) : इस लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कार्य सीमेंट फैक्टरियों, हिमाचल प्रदेश सरकार और रेलवे की भागीदारी से सतलुज घाटी रेलवे कार्पोरेशन द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। निगम के गठन के लिए रूप रेखा तैयार करने और कार्य शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से समन्वय किया जा रहा है।

(3) उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित सर्वेक्षण भी किए गए थे परंतु इन परियोजनाओं पर लाइनों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि ये परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाई गई थीं :

(i) जोगिन्दर नगर-मंडी (48.70 कि.मी.)

(ii) जगाधरी-पौंटा साहिब-राजवन (74.05 कि.मी.)

(iii) भानुपल्ली-बिलासपुर-रामपुर बुशाहर (192.33 कि.मी.)

गुलबर्गा-बीदर रेल लाइन का निर्माण

2998. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्गा-बीदर रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसका निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) बिदर-गुलबर्गा नयी रेल लाइन एक स्वीकृत परियोजना है जिसे आवश्यक स्वीकृति, जिसके लिए कारवाई पहले शुरू कर दी गई है, मिलने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में धमन भट्टी संयंत्र का निर्माण

2999. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र धमन भट्टी संयंत्र संख्या-5 तथा कास्ट हाउस ग्रेनुलेशन संयंत्र के निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा उक्त दोनों संयंत्रों का निर्माण किस कम्पनी द्वारा किया गया है;

(ख) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र पर उक्त संयंत्र निर्माण करने वाली कम्पनी की कोई धनराशि बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त दोनों संयंत्र ठीक-ठीक ढंग से काम कर रहे हैं; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) धमन भट्टी संख्या-5 कुल 60.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की गई थी। इसका रूपांकन इंजीनियरी, आयातित उपकरण की आपूर्ति ओर पर्यवेक्षण का कार्य मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी.पी.ई. रूस) द्वारा किया गया था तथा सिविल और उत्थापन सम्बन्धी कार्य मैसर्स एच.एस.सी.एल. द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में किया गया था। कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट का निर्माण कुल 52.68 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था तथा मैसर्स त्याजप्रामेक्सपोर्ट (टी.पी.ई; रूस) और मैसर्स सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग एंड फाउण्डरी-बर्क लिमिटेड इसके मुख्य ठेकेदार थे। ये दोनों परियोजनाएं बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।

(ख) और (ग) बोकारो इस्पात संयंत्र पर ठेका सम्बन्धी कोई धनराशि बकाया नहीं है।

(घ) और (ङ) धमन भट्टी संख्या-5 और कास्ट हाऊस स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट दोनों ने अपने प्रारंभ से ही नियमित रूप से कार्य किया। तथापि, इस्पात की मांग में कमी के कारण आर्डरों के अभाव की वजह से केवल चार धमन भट्टियां प्रचालन में रही हैं तथा जनवरी, 97 से धमन भट्टी संख्या-5 और कास्ट हाउस स्लैम ग्रेनुलेशन प्लांट, जो धमन भट्टी संख्या-5 से मोल्टन हॉट स्लैग प्राप्त करता है, बन्द हैं।

[अनुवाद]

शांतिपुर-नवाद्वीप घाट रेल लाइन का आमान-परिवर्तन

3000. डा॰ असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में शुरू की गई आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शांतिपुर-नवाद्वीप घाट रेल लाइन के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पूर्व रेलवे में आमान परिवर्तन की कोई परियोजना नहीं है।

(ख) बहरहाल, कुछ समय पहले शांतिपुर-नवाद्वीपघाट, रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि लाइन समग्र रूप से अलाभप्रद होगी। अत: इस परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं है।

शहरी स्थानीय निकाय

3001. श्री गिरिधर गमांग : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के विधिक, विकासात्मक और वित्तीय पहलुओं के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगार्थ धन प्राप्त करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या राज्य वित्त आयोगों ने भी राज्यं के शहरी क्षेत्रों के लिए धन दिए जाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) संविधान के (74वें संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल को प्राधिकृत दिया गया है कि वे शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय तथा कार्यात्मक अधिकार सौंपने के लिए उपयुक्त कानून बनाएं। जिन राज्यों में उक्त अधिनियम लागू हैं उन सभी में पहले से ही उपयुक्त कानून बनाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय तथा कार्यात्मक अधिकार सौंपने के बारे में प्रावधान शामिल हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग जिन्होंने अपनी रिपोर्ट अपनी सरकारों को प्रस्तुत की है, ने अन्य के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रभावी इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त वित्त प्रदान किया जाए। इस संबंध में कुछ राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों का सारांश विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को दी गई सहायता (लाख रु० में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1848.00	1448.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	3.00	0.75	0.00
असम	355.00	88.75	0.00
बिहार	1677.00	0.00	0.00
गोवा			
गुजरात	1687.00	421.50	0.00
हरियाणा	415.00	415.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	51.00	51.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	302.00	75.50	0.00
कर्नाटक	1754.00	438.75	1316.25
केरल	636.00	159.00	954.00
मध्य प्रदेश	1544.00	386.00	386.00
महाराष्ट्र	3324.00	831.00	0.00
मणिपुर	56.00	14.00	0.00
मेघालय	37.00	9.25	0.00
मिजोरम	9.00	2.25	0.00
नागालैंड	14.00	3.50	0.00
उड़ीसा	478.00	239.00	0.00
पंजाब	765.00	191.25	0.00
राजस्थान	1060.00	810.00	0.00
सिक्किम	44.00	3.50	0.00
तमिलनाडु	2888.00	2888.00	2084.00
त्रिपुरा	26.00	26.00	0.00
उत्तर प्रदेश	3029.00	2271.75	3029.00
प० बंगाल	3008.00	752.00	2256.00
योग	25000.00	11525.75	10025.25

विवरण-II

शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि प्रदान करने के बारे में राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें

असम : राज्य करों, अर्थात मोटर वाहन कर स्टैम्प और पंजीकरण, राज्य उत्पाद, बिक्री कर आदि के कुल प्रतिशत का 2% अंश 1996-97 से 2000-2001 तक प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग ने योजना राशि से रजिस्टर और फार्म तैयार करने के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान देने की सिफारिश भी की है।

हिमाचल प्रदेश : प्रत्यायोजित नागरिक कार्यक्रमों और केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के लिए 1996-97 से लेकर 2000-2001 तक नगर स्थानीय निकायों को क्रमशः 75-51 करोड़ रुपए और 13.75 करोड़ रुपए के अंतरण की राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है। राज्य वित्त आयोग ने 1991 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुपात में चुंगी के बदले अनुदान देने और सेवाओं के अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष 300 रु० प्रति व्यक्ति के प्रावधान की भी सिफारिश की है।

कर्नाटक : राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की अपनी गैर ऋण संकल राजस्व प्राप्ति का 36% नगर और ग्रामीण स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना है। उसमें से नगर स्थानीय निकायों का हिस्सा 15% होगा आधार वर्ष 1996-97 के दौरान हिस्सा लगभग 10% था। राज्य वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश दी है कि नगर पालिका जनसंख्या क्षेत्र से बाहर के कस्बों के लिए दिए जाने वाले प्रति व्यक्ति अनुदान भी उन स्थानीय निकायों को तभी से दे दिए जाएंगे जबसे ये क्षेत्र इन स्थानीय निकायों में सम्मिलित हो जाएंगे।

केरल : राज्य वित्त आयोग ने क्षेत्र वाहन कर का 25% स्थानीय निकायों को अन्तरित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को योजना और गैर योजना अनुदानों की भी सिफारिश की है।

पंजाब : राज्य वित्त आयोग ने राज्य करों, नामतः स्टाम्प शुल्क, मोटर वाहन कर, विद्युत शुल्क और मनोरंजन कर की निबल वसूली का 20% शहरी स्थानीय निकायों को स्थानांतरण की सिफारिश की है। राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को सामान्य प्रयोजन अनुदान और प्रति व्यक्ति अनुदान कमजोर नगरपालिकाओं को और स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन अनुदान देने की भी सिफारिश की है।

राजस्थान : राज्य वित्त आयोग ने वर्ष 1996-2001 के दौरान राज्य कर वसूली, बिक्री कर, राज्य उत्पादक शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण, मोटर वाहन कर, भू राजस्व, मनोरंजन कर, भूमि एवं भवन कर आदि का 2.18% पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात 3: 4: 1 के आधार पर सौंपने की सिफारिश की है। वित्त आयोग ने जनसंख्या आधार पर नगर पालिकाओं को सामान्य प्रयोजन अनुदान देने की भी सिफारिश की है।

तमिलनाडु : राज्य करों अर्थात बिक्री कर, मोटर वाहन कर, शहरी भूमि कर राज्य उत्पादक शुल्क, लक्जरी होटलों और लाजिंग हाउसों पर कर, बोली आदि पर कर का 8% वर्ष 1996-97 में स्थानीय निकायों को सौंपा जाए जिसे वर्ष 2001-2002 में धीरे-धीरे बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। हस्तांतरण राशि का 85% शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में 40 : 60 अनुपात के आधार पर वितरित कर दिया जाए। शेष 15% को समान वितरण/प्रोत्साहन कोष के रूप में सुरक्षित रखा जाए। अनुरक्षण अनुदान प्रसव केन्द्रों, औषधालयों, सड़कों की रोशनी, जल आपूर्ति, स्थानीय सड़कों की सफाई और महंगाई भत्ते की पुनः अदायगी के लिए अनुरक्षण अनुदान मुहैया कराया जाए।

उत्तर प्रदेश : राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ष 1996-97 से राज्य की कुल कर वसूली का 7% शहरी स्थानीय निकायों को राशि देने के लिए नियत किया जाए। राज्य वित्त आयोग ने सम्पत्तियों का वार्षिक किराया मूल्य निर्धारण करने के लिए फर्शी क्षेत्र को अपनाने की भी सिफारिश की है। शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि ये आयोग ने यह सिफारिश की है कि सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए विभिन्न कर लगाने को अनिवार्य बना दिया जाए।

पश्चिम बंगाल : राज्य वित्त आयोग ने राज्य करों अर्थात स्टाम्प एवं पंजीकरण, बिक्री कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क आदि को कुल वसूली का 16% स्थानीय निकायों को सौंपने की सिफारिश की है। राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर एकत्र करने का उत्तरदायित्व सौंपने की सिफारिश की है।

पांडिचेरी : आयोग की पहली छमाही रिपोर्ट अर्थात् एक अंतरिम रिपोर्ट सितंबर, 1997 में प्रस्तुत की गई। सिफारिशें 1998-99 से लागू की गई हैं। सम्माहर्ता सम्पत्ति के हस्तांतरण पर वसूल किए गए करों को प्रत्येक तिमाही में सम्बन्धित स्थानीय निकाय को लौटाने की व्यवस्था करे। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सम्पत्ति करों के संशोधन न होने के कारण स्थानीय निकायों को एक मुश्त क्षतिपूर्ति के रूप में कम से कम 5.00 करोड़ रुपए और मार्ग कर/वाहन कर की समाप्ति से राजस्व हानि के कारण 2.00 करोड़ रुपए अदा किए जायें।

ए०बी०बी० लोकोज का आयात

3002. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री राजवंशी महतो :

क्या रेल मंत्री ए०बी०बी० लोकोज के आयात संबंधी अतारांकित प्रश्न संख्या 5272, दिनांक 23 जुलाई, 1998 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को अपना उत्तर भेज दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसरण में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। ए बी बी रेल इंजनों के आयात पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के उत्तर में की गई कार्रवाई संबंधी नोट का मसौदा 16.07.1998 को नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक को भेज दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक को पहले प्रस्तुत की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदा को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रस्तावित नहीं है।

रुग्ण इस्पात संयंत्र

3003. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री अजीत जोगी :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत कुछ इस्पात संयंत्र काफी लम्बे समय से रुग्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इस्पात संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि० (इस्को) एक रुग्ण कंपनी है। इसकी रुग्णता के प्रमुख कारणों में पुराना और अप्रचलित संयंत्र और उपकरण, अधिक ऊर्जा खपत वाली और अप्रचलित प्रौद्योगिकी और अधिक श्रम वाले प्रचालन कार्य आदि शामिल हैं।

इस्को के भविष्य के संबंध में उपाय निर्धारित करने के लिए इसका मामला बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है। कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए किसी भी प्रस्ताव पर की जाने वाली कोई भी कारवाई बी.आई.एफ.आर. के आदेशों के अनुसार होगी।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3004. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा इस संदर्भ में कौन से नये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) "रिडयूसिंग पावर्टी इन इण्डिया-आप्शन्स फार मोर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस दिनांक 28 मई, 1998 की रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां नीचे दी जाती हैं :

(1) नया निष्कर्ष यह है कि गरीबों द्वारा शिक्षा की मांग और जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग उन्हें प्राप्त होने वाली सेवा के स्तर से जुड़ा है।

(2) प्राथमिक शिक्षा पर सरकारी खर्च करने, संक्रामक बीमारियों को कम करने, जल और स्वच्छता में सुधार लाने और सार्वजनिक कार्य संबंधी कार्यक्रमों के जरिए पारिवारिक सुरक्षा को कम करने से गरीबी में कमी लाने में काफी सहायता मिलेगी।

(3) ऐसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जो या तो गरीबों तक नहीं पहुंचते हैं या जिनका अमीरों को अनुचित लाभ मिलता है, में तुरन्त सुधार लाने की आवश्यकता है। भारत के अधिकांश सुरक्षा उपायों में दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। इन संसाधनों का गरीबों को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें यह दिखाया गया है कि वे गरीबों को अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम बनाती हैं।

(4) अधिकांश गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को समाप्त करने और इससे होने वाली कुछ बचतों को अच्छी शिक्षा देने पर खर्च करने की आवश्यकता है जिसे विश्लेषण में दिखाया गया है कि यह विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की अपेक्षा गरीबी कम करने में अधिक कारगर है।

[अनुवाद]

केरल में रेल लाइन का दोहरीकरण

3005. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंगलोर-सोरनूर रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और अभी तक उस पर कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है; और

(ग) दोहरीकरण का यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) केरल में कोल्लम-त्रिवेंद्रम और शोरुवण्णूर-मेंगलोर खंडों का दोहरीकरण प्रगति पर है।

(ख) और (ग) इस दोहरीकरण के कार्य को तेजी से किया जा रहा है तथा चार ब्लॉक खंड (29 कि. मी.) पहले ही पूरे हो चुके हैं। इस वर्ष अन्य 48 कि.मी. को पूरा करने की हमारी योजना है। 1998-99 में इस कार्य के लिए 47.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और 31.3.98 तक 47.52 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस कार्य को फिलहाल प्रगति करने तथा लगभग पांच वर्षों में पूरा करने की योजना है। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

आमान परिवर्तन

3006. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुपति-कटपडी और रेलीगुंटा-गुड्डूर खंडों पर आमान परिवर्तन के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक पूरी होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) **तिरुपति-काटपाडी खंड का आमान परिवर्तन** : पूरे खंड पर पुलों, मिट्टी संबंधी एवं मिट्टी सप्लाई का कार्य अच्छी तरह चल रहा है। इस लाइन को 9वीं योजना अवधि के दौरान परिवर्तित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(2) **रेणिगुंटा-गुड्डुर खंड का दोहरीकरण** : इस कार्य को अपेक्षित स्वीकृति मिल चुकी हैं मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

यह खंड 9वीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

पायलटों के लिए प्रशिक्षण में खामियां

3007. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील ;
श्री आर०एस० गवई :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवंबर, 1998 के मुम्बई से निकलने वाले "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एयर फोर्स पायलट ट्रेनिंग इज डिफेक्टिव" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्र में छपी खबर में उन्नत जैट प्रशिक्षक वायुयान की कमी प्रशिक्षकों की सक्षमता में कमी तथा सिमुलेटर प्रशिक्षण की कमी का उल्लेख किया गया है। भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण प्रक्रिया समय पर खरी उतरी है। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम ऐसे तैयार किए जाते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि प्रशिक्षण लेने वाला पायलट कमीशन प्राप्त करने तक सभी बुनियादी उड़ान अभ्यासों/युद्धाभ्यासों में वांछनीय स्तर एवं विश्वास हासिल कर लें। प्रशिक्षण में व्यापक सैद्धांतिक ज्ञान शामिल होता है जिसमें विमानन से संबंधित विषय, वायुयान प्रणाली तथा शारीरिक प्रशिक्षण और परेड भी कवर किए जाते हैं ताकि प्रशिक्षु पायलट का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। सभी उड़ान प्रशिक्षण स्थापनाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त और अनुभवी पर्यवेक्षक स्टाफ है। पायलट का उड़ान और भूमि प्रशिक्षण विविध चरणों में विभक्त है जिसमें सुस्पष्ट लक्ष्य और मानदंड प्राप्त करने होते हैं। प्रत्येक चरण की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण लेने वाले पायलट की परीक्षा ली जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लिया है और इसके बाद ही उसे अगले चरण में प्रोन्नत किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वायुकर्मी परीक्षा बोर्ड, जो वायु सेना मुख्यालय का महानिरीक्षक शाखा स्वतंत्र निकाय है, पायलट की मानकीकरण की दृष्टि से जांच करता है। इसलिए समाचार-पत्र में छपी यह खबर कि वायुसेना पायलट प्रशिक्षण त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है।

(ग) उड़ान और भूमि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है तथा आवश्यक होने पर उसमें संशोधन किया जाता है। उन्नत जैट प्रशिक्षक वायुयान की गैर मौजूदगी से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जून, 96 से एक अंतरिम उपचारात्मक उपाय के रूप में नई प्रशिक्षण पद्धति लागू की है जिसमें लड़ाकू स्ट्रीम के लिए चयनित प्रशिक्षुओं के लिए इसकरा/एम के-II वायुयानों पर चरण-II ए को जोड़ा जाना शामिल है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों/डेशनों पर साफ-सफाई

3008. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सवारी रेलगाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता तथा साफ-सफाई की असंतोषजनक स्थिति के संबंध में शिकायतों में वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) रेलवे स्टेशनों तथा सवारी रेलगाड़ियों में साफ-सफाई की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 252 की तुलना में मई से अक्टूबर, 1998 के दौरान केवल 189 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) स्टेशनों पर और गाड़ियों में सफाई को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं जिनमें सवारी डिब्बों की मासिक गहन सफाई, रेकों का नवीकरण, उच्च दबाव जेट क्लीनिंग मशीनों का उपयोग, यात्रा के दौरान सफाई के लिए प्लेटफार्मों पर चलते-फिरते जेट क्लीनिंग प्लांटस ओर चुनिंदा गाड़ियों पर चल सफाई वाले हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं जिनके दौरान सफाई कर्मचारियों और सफाई सामग्री की समुचित व्यवस्था रेल उपयोगकर्त्ताओं इत्यादि में स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मीडिया अभियान चलाने जैसे विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। बहरहाल, सफाई का ध्यान रखना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

लाल डोरा का विस्तार

3009. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के विभिन्न गांवों के लाल डोरा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जैठमलानी) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के विभिन्न गांवों के लाल डोरा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त "क" के आलोक में शून्य।

(ग) लाल डोरे के विस्तार का प्रयोजन इस आशय के लिए गठित समितियों द्वारा संस्तुति के अनुसार बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराना है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के सभी 13 गांवों के इन 1050 मकानों को, जो लाल डोरे से बाहर बने हुए हैं पर गांव की मुख्य आबादी के समीप हैं, बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने का सिद्धांत रूप में निर्णय किया है।

[हिन्दी]

गया में टर्मिनल सुविधा का निर्माण

3010. **श्री कृष्ण कुमार चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गया जंक्शन पर टर्मिनल सुविधा के निर्माण को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी तथा इस पर कार्य कब तक शुरू और पूरा होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध

3011. श्री पी०सी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सीटों के लिए पॉलीथीन/प्लास्टिक/पॉलिमर वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के पास बेकार प्लास्टिक/प्लास्टिक सामान/प्लास्टिक की थैलियों को नष्ट करने की व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गाड़ियों की सफाई करते समय एकत्र किया गया बेकार सामान नगर के बेकार सामान के साथ डिस्पोज किया जाता है तथा छोटे डिपुओं में, इन्हें जला दिया जाता है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्र में विकास कार्य

3012. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छावनी क्षेत्र के विभाग के लिए आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष छावनी क्षेत्र के विकास पर कितना खर्च किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) घाटे में चल रही छावनियों द्वारा अपने स्रोत से विकास स्कीमें शुरू करने के अतिरिक्त केंद्र सरकार विकास प्रयोजन के लिए उन्हें सहायता अनुदान देती है। छावनी बोर्डों ने जल आपूर्ति, सड़कों एवं इमारतों के विकास, शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में तब्दील करने और अन्य विकास कार्य शुरू किए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान 62 छावनियों में विकास पर हुए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	विशेष सहायता अनुदान सहित विकास कार्यों पर हुआ कुल व्यय
1995-96	10,14,77,491.000
1996-97	18,74,09,995.000
1997-98	12,12,27,773.000

[अनुवाद]

सम्बलपुर-टिंटिलागढ़ रेल लाइन का दोहरीकरण

3013. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर-टिंटिलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) झारसुगुडा-संबलपुर-टिंटिलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और रिपोर्ट के 31.12.1998 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

हज तीर्थयात्रा

3014. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा हज तीर्थ यात्रियों पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कारण एअर इंडिया को भी हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी हानियों का वर्षवार ब्यौर क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) वर्ष 1998-99 के दौरान हज, 1998 संबंधी सब्सिडी हेतु बजट में 122.50 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, नहीं। प्रचालन लागत और हज तीर्थयात्रा किराए में अंतर की अदायगी सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुंताकल रेलवे मंडल का विकास

3015. श्री जी० गंगा रेड्डी :
श्री के० येरननायडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सांसदों ने सरकार से उपेक्षित गुंताकल रेलवे मंडल का विकास कार्य किए जाने पर विचार किए जाने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) भारतीय रेलों पर कोई मंडल उपेक्षित नहीं है। बहरहाल, हमें गुंतकल मंडल में रेलवे के विकास के लिए कुछ संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) गुंतकल मंडल में कई नए कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और यातायात सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, गुंतकल मंडल में प्लेटफार्मों पर सायबान के विस्तार, धुलनीय एप्रनों की व्यवस्था, प्लेटफार्मों के विस्तार और स्टेशन इमारतों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। इस सभा के परिणामस्वरूप गुंतकल मंडल में रेल अवसंरचना का विकास होगा।

"कपार्ट" में भ्रष्टाचार

3016. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठन, भारतीय शिक्षा संस्कृत परिषद ने बिहार के कोडरमा में हैंड पंप लगाए जाने के संबंध में 1995 में परियोजना रिपोर्ट सौंपी थी; और

(ख) गांव वालों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने वाली परियोजना को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे फाटक संख्या 58 पर सड़क उपरि पुल का निर्माण करना

3017. **श्री एस० गंगाधर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुपुर और सोमांद पल्ली के बीच रेलवे फाटक संख्या 58 के स्थान पर सड़क उपरि पुल का निर्माण कराने हेतु कोई प्रस्ताव जुलाई, 1993 से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को आरम्भ करने में केन्द्र सरकार को किन कठिनाईयों/अड़चनों इत्यादि कोई हो, का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) यातायात की कम मात्रा के कारण लागत में भागीदारी के आधार पर न तो ऊपरी सड़क पुल से समपार का बदलाव अर्हक है और न ही "निक्षेप शर्तों" पर कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रायोजित किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

थार मरुस्थल का विकास

3018. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के थार मरुस्थल के सर्वांगीण विकास के लिए कैबिनेट को कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम राजस्थान के थार जिलों को राज्य के अन्य हिस्सों के बराबर लाने के लिए क्या कोई विशिष्ट कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेषकर थार मरुस्थल के लिए राजस्थान सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा परियोजनावार कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) राजस्थान के थार मरुस्थल में 11 जिले आते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान पुराने कार्यों को जारी रखने तथा 807 वाटरशेड परियोजनाओं दोनों के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियां जारी की गई हैं :

(रुपए लाख में)

वर्ष	राशि
1995-96	5148.80
1996-97	1622.68
1997-98	3245.32

(ङ) विगत् तीन वर्षों में पुराने कार्यों को जारी रखने तथा 807 वाटरशेड परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित राशियां खर्च की गई हैं :

(रुपए लाख में)

वर्ष	राशि
1995-96	5556.25
1996-97	2730.93
1997-98	3359.76

[हिन्दी]

रेल पटरियों का विनिर्माण

3019. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में कितनी रेल पटरियों का निर्माण किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की कितनी रेल पटरियों की बिक्री की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम.आई.—यू.पी.ई.पी.)

3020. डा० वल्लभभाई कथीरिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य, हुई प्रगति तथा प्राप्त लक्ष्य क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नवम्बर 1995 में शुरू किया गया था जिसमें 1999-2000 को समाप्त पंचवर्षीय कार्यक्रम अवधि के दौरान 25 राज्यों और 2 केन्द्र शासित क्षेत्रों पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में 5 मिलियन शहरी गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सहित पिछले कार्यक्रमों को मिलाकर "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" नाम से एक नया समन्वित कार्यक्रम 1.12.97 से शुरू किया गया है। 18 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अपनी संचयी लब्धियों की रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

30.11.97 तक प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	कस्बावार तैयार परियोजना रिपोर्ट (कस्बों की संख्या)	कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया (कस्बों की संख्या)	स्वरोजगार घटक के तहत आवेदनों की सं.		आश्रय उन्नयन घटक के तहत आवेदनों की संख्या		लघु उद्यम लगाने के लिए प्रशिक्षण दिए लाभार्थियों की सं.
				बैंकों/वित्तीय को अग्रेषित	स्वीकृत	बैंकों/हुडको को अग्रषित	स्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	34	34	9651	1368	3286	152	1121
2.	गोवा	1	1	275	84	-	-	36
3.	हरियाणा	8	8	-	-	1090	1090	-
4.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	390	390	50
5.	कर्नाटक	17	16	216	-	390	390	-
6.	केरल	9	9	2951	907	1650	1650	1113
7.	मध्य प्रदेश	26	26	9510	4155	1219	297	3618
8.	महाराष्ट्र	26	26	3834	415	625	625	-
9.	मिजोरम	2	2	-	-	-	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	उड़ीसा	10	10	1169	466	-	-	273
11.	पंजाब	5	18	1855	481	899	91	208
12.	राजस्थान	20	20	7228	1304	4100	3343	1172
13.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	225
14.	तमिलनाडु	41	41	6437	1144	1769	-	1599
15.	त्रिपुरा	-	-	253	253	139	139	-
16.	उत्तर प्रदेश	53	50	5134	1142	8469	8469	444
17.	प० बंगाल	15	16	2470	625	1318	1183	1402
18.	पाण्डिचेरी	-	1	113	39	145	25	-

एअर इंडिया एजेंटों/कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस

3021. **श्री आर०एस० गवई** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने अपने टिकट एजेंटों तथा कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस न देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) एअर इंडिया अपने कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन तथा ट्रैवल एजेंटों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की अदायगी करता है। इस समय, एअर इंडिया का उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एअर इंडिया ने अपनी संवितरण लागत में कमी लाने की दृष्टि से पहली दिसम्बर, 1998 से भारतीय क्षेत्र में ट्रैवल एजेंटों को दिए जाने वाले उत्पादकता सम्बद्ध बोनस को बंद करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि सभी प्रमुख विमानकंपनियां इस निर्णय का समर्थन करें और एजेंटों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की अदायगी न करें।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की भूमि

3022. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र की कुल कितनी भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) क्या इस अप्रयुक्त भूमि को उड़ीसा राज्य सरकार को लौटाये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र में 3947.29 एकड़ भूमि खाली है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(इकाई एकड़ में)

(1) पहाड़ियों, नालों, तालाब आदि वाला निर्माण न किए जाने योग्य क्षेत्र	1837.06
(2) संयंत्र के भावी विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं, बस्ती आदि के लिए भूमि	1730.23
(3) राज्य सरकार को सौंपने के लिए प्रस्तावित	380.00

[हिन्दी]

भागलपुर और जमालपुर स्टेशन पर लिंक प्रणाली का फैल होना

3023. **श्री विजय कुमार 'विजय'** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लिंक प्रणाली फेल हो जाने के कारण लोग बिहार में भागलपुर और जमालपुर स्टेशनों पर आरक्षण सुविधाओं की घोषित व्यवस्था का लाभ नहीं उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रणाली को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां; लिंक की विफलता के कुछ मामले हुए हैं।

(ख) जब कभी कोई दोष होता है तब उसे दूर करने के लिए और कार्य कुशलता की उच्च क्षमता को बनाए रखने के लिए रेलें, दूरसंचार विभाग के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखती हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का प्रशासनिक व्यय

3024. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
डा॰ चिन्ता मोहन :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के इस्पात उत्पादन एककों की तुलना में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के एककों का प्रशासनिक व्यय अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपने इस्पात एककों में प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) दूसरे देशों की इस्पात उत्पादक इकाइयों के प्रशासनिक व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए सेल सतत आधार पर विभिन्न उपाय कर रहा है। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ महानगरों में स्थित सेल के विभिन्न संयंत्रों के सम्पर्क कार्यालयों को कम करना/बन्द करना, दौरे करने की बजाए दूर-संचार सुविधाओं का विवेकपूर्ण उपयोग, अन्य प्रशासनिक खर्चों को कम करना, जनशक्ति को युक्तिसंगत करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत डी॰आर॰डी॰ए॰एस॰ को धनराशि

3025. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत डी॰आर॰डी॰ए॰एस॰ को जारी की गई राशि के एक भाग का उपयोग प्राथमिक विद्यालयों को दोपहर का भोजन पकाने के लिए रखे गए रसोइयों को वेतन देने पर कर रहे हैं, जो इस योजना के परिकल्पित मार्ग निर्देशों के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्य सरकारों, विशेष रूप से उड़ीसा सरकार ने, इन मार्गनिर्देशों का इस प्रकार उल्लंघन करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) उड़ीसा सहित देश के सभी ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन की योजना के अन्तर्गत खाना पकाने के लिए नियुक्त रसोइयों को दिशा-निर्देशों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना निधि से भुगतान किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में "लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम"

3026. **श्री के॰ येरनायडू :**
श्रीमती लक्ष्मी पनवाक :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम (एल॰आर॰टी॰एस॰) पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) हैदराबाद में हल्की रेल परिवहन प्रणाली (एल॰ आर॰ टी॰ एस॰) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की वित्त व्यवस्था के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 15.6.98 को एक बैठक हुई थी। यह निर्णय लिया गया कि आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रस्तावित अध्ययन के लिए विदेशी-अनुदान हेतु एक प्रस्ताव तैयार करेगी। अपेक्षित धन की किसी भी कमी को, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित नगरीय जन परिवहन कम्पनी (यू एस टी सी) के घटक बराबर-बराबर वहन करेंगे। भारत सरकार ने (यू एस टी सी) को, बतौर इक्विटी 7 करोड़ रु॰ जारी किए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार से, अब तक, विदेशी अनुदान बाबत कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) परियोजना को शुरू करने के लिए इसमें निवेश के निर्णय तथा समय सीमा को, केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा वित्त पोषण योजना पूरी होने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

रिहायशी क्षेत्रों में भारत-पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

3027. **डा॰ अशोक पटेल :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के रिहायशी क्षेत्रों में गोलाबारी को बन्द करने और एक दूसरे के सीमा क्षेत्र में तस्करी के बारे में सूचना देने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) दोनों देशों के बीच ऐसा कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। तथापि, सीमा

पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में कार्रवाई किए जाने संबंधी सूचना एक दूसरे को देने के बारे में भारत के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और पाकिस्तान के स्वापक-रोधी बल के बीच 1994 से सहयोग जारी है।

[अनुवाद]

बंगलौर शहर के लिए ई.एल.आर.टी.एस. परियोजना

3028. **श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कर्नाटक सरकार को बंगलौर शहर के लिए प्रस्तावित "एलेवेटेड लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम" के लिए ये निर्देश जारी किए हैं कि ये प्रणाली बड़ी लाइन पर ही चले; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कर्नाटक सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। रेल मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को शहरी परिवहन रेल प्रणाली के लिए बड़ी लाइन अपनाने हेतु कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी लाइन उच्चतर वहन क्षमता रखती है जिससे बड़ी मात्रा में यात्री यातायात की निकासी हो सकेगी। सभी शहरी परिवहन प्रणालियों में बड़ी लाइन अपनाने से देश के विभिन्न भागों में ऐसी प्रणाली की एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी और यह भारतीय रेलों की उपनगरीय प्रणाली के अनुरूप भी होगी। जहां तक लाभ-हानि का संबंध है, इसे अंत:शहरी और उपनगरीय रेल परिवहन प्रणालियों की अवसंरचना का उचित एकीकरण करके प्राप्त किया जा सकता है। एक आमान न होने से, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिये देशी उत्पादन को बनाए रखने के लिए चल स्टाक की आवश्यकता भी कम होगी। अनुषंगिक उद्योगों का भी विकास नहीं हो पाएगा और अतिरिक्त कल पुर्जों के लिए लगातार आयातों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

अत: शहरी रेल परिवहन प्रणालियों के लिए बड़ी लाइन जो कि एक राष्ट्रीय आमान है, के अतिरिक्त किसी अन्य आमान को अपनाना सही नहीं होगा।

(ख) कर्नाटक सरकार का विचार है कि बैंगलूरु की प्रस्तावित उत्थापित हल्की रेल परिवहन प्रणाली भारतीय रेल अधिनियम की बजाए ट्रामवेज अधिनियम के तहत शासित होनी चाहिए क्योंकि यह बैंगलूरु की नगरपालिका सीमा के अंदर निर्मित की जाती है और भारतीय रेल प्रणाली से सम्बद्ध नहीं है, अत: कर्नाटक सरकार प्रस्तावित प्रणाली के लिए आमान का विनिश्चय करने हेतु स्वतंत्र है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास

3029. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) स्वैच्छिक आय घोषणा स्कीम, 1997 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

होस्पेट-हुबली-गोवा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3030. **श्री एच०जी० रामुलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होस्पेट-हुबली-गोवा रेल लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त लाइन को बदलने का कार्य कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : जी हां। आमान परिवर्तन कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

(ख) 1998-99 के दौरान शेष कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। इस परियोजना पर 30.11.1998 तक किया गया खर्च 523.21 करोड़ रुपए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांडिचेरी, टुटीकोरिन और सेलम से विमान सेवा

3031. **श्री एन० डेनिस** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेलम, पांडिचेरी, टुटीकोरिन विमानपत्तनों के रास्ते विमान सेवाओं के संचालन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : इन सेक्टरों पर इंडियन एयरलाइंस के विद्यमान जैटविमान बेड़े के प्रचालनों के लिए यातायात पर्याप्त नहीं है। अपेक्षाकृत छोटे विमानों वाले निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए अपने नेटवर्क में सेलम, पांडिचेरी तथा टुटीकोरिन जैसे नए स्टेशनों को शामिल करने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेल मार्गों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

3032. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अंतर्गत गढ़वा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से चोपन रेलवे लाइन तक दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) फिलहाल, इस लाइन के दोहरीकरण अथवा विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खंड पर यातायात का स्तर दोहरीकरण के औचित्य तक अभी नहीं पहुंचा है। संसाधनों की तंगी तथा अन्य उच्चघनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण गढ़वा रोड जंक्शन से चोपन रेल लाइन के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तीस वर्षीय पनडुब्बी योजना

3033. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
श्री सुरेश वरपुडकर :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री नरेश पुगलीया :
श्री सी०डी० गामीत :
श्री जी० गंगा रेड्डी :
श्री के०पी० नायडू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना ने अपनी तीस वर्षीय पनडुब्बी योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में देश के परमाणु और पारंपरिक अरोधक को सुदृढ़ बनाने हेतु 24 पनडुब्बियों के स्तर तक अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) माझगांव गोदी को चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) नौसेना ने पनडुब्बी बेड़े में अतिरिक्त संवर्धन किए जाने की एक दीर्घकालिक योजना बनाई है।

(ख) से (घ) पनडुब्बियों सहित युद्धपोतों के अर्जन/स्वदेशी रूप से निर्माण के लिए निर्णय उनकी संक्रियात्मक आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं।

माझगांव डॉक लिमिटेड प्रचालन में है और इसने कई युद्धपोतों का निर्माण किया है।

[हिन्दी]

रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

3034. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता जाती है परन्तु स्थानीय संसद-सदस्यों को विकास कार्य में अंशदान नहीं करने दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत प्रबन्धन बैठकों आदि में संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिलाधीश उन कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते जिनमें वित्तीय मामले शामिल होते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) सुनिश्चित रोजगार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत व्यय को केन्द्र और राज्यों के द्वारा 80 : 20 के अनुपात में वहन किया जाता है। जिले का जिला कलक्टर/उपायुक्त कार्यान्वयन प्राधिकारी होता है। उपायुक्त को ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, जन प्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं का एक शैल्फ तैयार करना होता है। जन प्रतिनिधियों में संसद सदस्यगण शामिल होते हैं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिला हेतु वार्षिक कार्ययोजना पर भी जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के शासी निकाय की बैठक में विचार-विमर्श और अनुमोदन किया जाना होता है। संसद सदस्यगण जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के इन शासी निकायों के सदस्य होते हैं। शासी निकाय की बैठकों की तिथियां पर्याप्त समय पहले निर्धारित करने तथा इसकी पूर्व सूचना संसद सदस्यों को देने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे संसद सदस्यगण इन बैठकों में भाग ले सकें। ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो तभी बैठकें आयोजित की जाएं।

राज्य/जिला और ब्लाक स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला और ब्लाक स्तर पर इन समितियों के सदस्यों में अन्य लोगों के साथ-साथ संसद सदस्य और विधायक होते हैं। इन समितियों को इस मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे समस्त विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, सतर्कता और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है।

यह मंत्रालय सुनिश्चित रोजगार योजना सहित इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों को शामिल करने के मामले को राज्य सरकारों के समक्ष निरन्तर उठाता रहा है, जो इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। इस मामले पर सचिव (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन) का नवीनतम पत्र 26 अगस्त, 98 का है। माननीय ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार राज्य मंत्री ने भी सचिव (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन) के उपर्युक्त पत्र को अग्रेषित करते हुए समस्त संसद सदस्यों को 30 सितम्बर, 98 को पत्र लिखा है।

(ङ) और (च) सुनिश्चित रोजगार योजना सहित इस मंत्रालय के कार्यक्रमों का प्रत्येक कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों में उत्पादन

3035. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी आयुध कारखाने निजी क्षेत्र से उत्पाद खरीद रहे हैं और कर्मचारियों को बेकार कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने डी जी ओ एफ के अंतर्गत कारखाने के प्रशासन को वहां उत्पादन प्रक्रिया बंद करने की अनुमति दी है ताकि इकाइयों को रुग्ण बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) किसी अन्य निर्माणी संगठन की भांति आयुध निर्माणियां निजी क्षेत्र से अंतिम उत्पादों के लिए निवेश के रूप में कच्चा माल, संघटक तथा सब-असेंबलियां खरीदती हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन मदों का प्रापण न किया जाए जिनके निर्माण की क्षमता देश में ही विद्यमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों से माल की खरीद

3036. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा बलों के लिए कुटीर, लघु और हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित माल खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मौजूदा सरकारी अनुदेशों के अनुसार हथकरघा की सभी मदों का प्रापण या तो सीधे ही या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से एकल निविदा के आधार पर एसोसिएशन ऑफ कार्पोरेशन और एपेक्स सोसाइटीज ऑफ हैंडलूम्स (ए सी ए एस एच) से किया जाना अपेक्षित है। तथापि, बैरक कंबलों का प्रापण अधिसूचित एजेंसियों द्वारा उनके पूर्ति किए जाने की सीमा तक ए सी ए एस एच के जरिए किया जाना अपेक्षित है। खादी क्षेत्र से प्रापण के लिए निर्दिष्ट वस्त्र की मदें उनकी उपलब्धता के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से प्रापण की जानी अपेक्षित है। रक्षा मंत्रालय इन मदों, बैरक कंबलों, दरियों आदि का प्रापण ए सी ए एस एच/हथकरघा क्षेत्र से करता आ रहा था।

2. रक्षा स्थापनाओं में हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र की मदों का प्रयोग बढ़ाने और उन्हें शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देने की संभावनाओं का पता लगा लिया गया है। कुछ चुनिन्दा मदों को केवल खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा, सेन्ट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से खरीदने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में संबंधित प्राधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसी कुछ और मदों को केवल इन्हीं क्षेत्रों से प्रापण किए जाने का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

नवनिर्मित शयनयान

3037. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और जोधपुर के बीच चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस में लगाये गये नवनिर्मित शयनयान उच्च श्रेणी के यानों से काफी मिलते-जुलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह के शयनयानों को चार शायिका वाली केबिनों तथा दो शायिका वाली कूपों जिसमें गटर लगे हों जैसे शयनयानों में परिवर्तित करके प्रस्तावित संयुक्त यान को लगाने की जगह प्रथम श्रेणी की तरह के यानों को लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों द्वारा स्वास्थ्य कारणों से केबिनों तथा कूपों से उपयोग की जा रही स्वतंत्रता में वंचित करने के विशेष कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां, मंदौर एक्सप्रेस के रेक हाल ही में कम आयु वाले एयर ब्रेक वाले सवारी डिब्बों से बदले गए थे। शयनयान (दूसरा दर्जा) के सवारी डिब्बों में मुहैया कराई गई सुविधाएं मानक नियमों के अनुरूप हैं, जिनका ऐसे सवारी डिब्बों के लिए रेलों पर सार्वभौमिक रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी नहीं, कोई भी पूर्णत: प्रथम श्रेणी का सवारी डिब्बा लगाने का विचार नहीं है, क्योंकि ऐसे सवारी डिब्बे, वातानुकूलित डिब्बों जो उच्च श्रेणी की यात्रा के लिए शुरू किए जा रहे हैं, की अपेक्षा कम जगह रखते हैं और कम आरामदायक होते हैं। बहरहाल प्रथम श्रेणी के सीमित यात्रियों की सुविधा के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि नये मिश्रित प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के स्लीपर यान चलाए जाएं। ये सेवाएं पहले ही दो गाड़ियों में मुहैया कराई गई हैं और यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के बाद ऐसी गाड़ियों में ऐसे सवारी डिब्बे मुहैया कराए जाएंगे, जहां मांग होगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

3038. श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना रोजमर्रा की बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 15 अगस्त से 15 अक्तूबर, 1998 तक 5659 कामरूप एक्सप्रेस, 4056 ब्रह्मपुत्र मेल, 3622 एन.ई. एक्सप्रेस, 2424 राजधानी एक्सप्रेस, 4055 ब्रह्मपुत्र मेल, 5621 एन.ई. एक्सप्रेस, 2423 राजधानी एक्सप्रेस और 5660 कामरूप एक्सप्रेस रेलगाड़ियां क्रमश: गुवाहाटी, दिल्ली, नई दिल्ली तथा हावड़ा कितने घंटे और मिनट विलम्ब से पहुंचीं तथा 1 जुलाई से 1 नवम्बर, 1998 के बीच कितने दिन विलम्ब से आई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में गाड़ियों का समयपालन मुख्यत: सुरक्षा कारणों से प्रभावित होता है जिसके लिए दिन के समय चालन तथा गाड़ियों के आगे पायलट इंजन चलाना अपेक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप एक्सप्रेस गाड़ियों की गति धीमी हो जाती है। समयपालन मुख्यत: आंदोलन/बंद, खतरे की जंजीर खींचने, शरारती गतिविधियों, कोहरा/खराब मौसम, बाढ़, उपस्कर की खराबी, सिगनल एवं दूरसंचार की खराबी आदि के कारण भी प्रभावित होता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(i) 15 अगस्त, 1998 से 15 अक्तूबर, 1998 तक की अवधि के दौरान 5659/5660 कामरूप एक्सप्रेस, 4055/4056 ब्रह्मपुत्र मेल, 5621/5622 एन.ई. एक्सप्रेस और 2423/2424 राजधानी एक्सप्रेस के विलंब से चलने के घंटे और मिनटों का ब्यौरा निम्नानुसार है

तिथि	5659 कामरूप एक्सप्रेस	5660 कामरूप एक्सप्रेस	4055 ब्रह्मपुत्र मेल	4056 ब्रह्मपुत्र मेल	5621 एन.ई. एक्सप्रेस	5622 एन.ई. एक्सप्रेस	2423 राजधानी एक्सप्रेस	2424 राजधानी एक्सप्रेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.8.98	ठीक समय	3' 30"	16' 15"	ठीक समय	10' 0"	ठीक समय	10' 40"	चल नहीं रही
16.8.98	ठीक समय	1' 35"	2' 0"	1' 0"	9' 20"	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
17.8.98	ठीक समय	ठीक समय	5' 50"	ठीक समय	1' 0"	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
18.8.98	ठीक समय	6' 0"	ठीक समय	ठीक समय	3' 0"	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
19.8.98	ठीक समय	6' 50"	7' 15"	ठीक समय	3' 30"	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
20.8.98	ठीक समय	1' 50	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
21.8.98	ठीक समय	4' 20"	ठीक समय	3' 0"	ठीक समय	1' 50"	1' 55"	चल नहीं रही
22.8.98	5' 30"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	55"	ठीक समय	1' 55"	चल नहीं रही
23.8.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	2' 20"	2' 0"	चल नहीं रही	चल नहीं रही
24.8.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	11' 40"	चल नहीं रही	ठीक समय
25.8.98	ठीक समय	6' 20"	14' 40"	ठीक समय	ठीक समय	6' 10"	4' 50"	चल नहीं रही

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.8.98	ठीक समय	3' 20"	6' 5"	ठीक समय	4' 30"	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
27.8.98	ठीक समय	5' 10"	6' 0"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	3' 0"
28.8.98	ठीक समय	3' 5"	ठीक समय	3' 0"	4' 40"	3' 30"	ठीक समय	चल नहीं रही
29.8.98	ठीक समय	1' 20"	2' 40"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	3' 0"	चल नहीं रही
30.8.98	ठीक समय	4' 0"	1' 35"	ठीक समय	1' 40"	3' 40"	चल नहीं रही	चल नहीं रही
31.8.98	5' 0"	1' 20"	ठीक समय	ठीक समय	1' 55"	1' 55"	चल नहीं रही	6' 0"
1.9.98	ठीक समय	4' 10	2' 0"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
2.9.98	ठीक समय	3' 40"	3' 20"	ठीक समय	ठीक समय	1' 35"	चल नहीं रही	40"
3.9.98	ठीक समय	2' 40"	2' 0"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय
4.9.98	ठीक समय	6' 0"	1' 0"	ठीक समय	3' 35"	2' 0"	ठीक समय	चल नहीं रही
5.9.98	ठीक समय	ठीक समय	2' 0"	ठीक समय	ठीक समय	2' 0"	ठीक समय	चल नहीं रही
6.9.98	ठीक समय	6' 30"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	1' 0"	चल नहीं रही	ठीक समय
7.9.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
8.9.98	ठीक समय	3' 20"	2' 50"	ठीक समय	2' 40"	ठीक समय	9' 10"	चल नहीं रही
9.9.98	ठीक समय	ठीक समय	2' 10"	ठीक समय	8' 10"	ठीक समय	चल नहीं रही	5' 05"
10.9.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 40"	ठीक समय	3' 35"	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
11.9.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 30"	ठीक समय	2' 50"	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
12.9.98	ठीक समय	ठीक समय	2' 5"	ठीक समय	2' 0"	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
13.9.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	1' 30"	2' 50"	चल नहीं रही	चल नहीं रही
14.9.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	2' 45"	5' 0"	चल नहीं रही	ठीक समय
15.9.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 50"	ठीक समय	ठीक समय	1' 0"	ठीक समय	चल नहीं रही
16.9.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 0"	ठीक समय	ठीक समय	1' 0"	चल नहीं रही	50"
17.9.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	5' 0"	चल नहीं रही	ठीक समय
18.9.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 45"	ठीक समय	4' 10"	ठीक समय	15' 15"	चल नहीं रही
19.9.98	ठीक समय	ठीक समय	5' 05"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
20.9.98	ठीक समय	ठीक समय	5' 50"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	चल नहीं रही
21.9.98	1–30"	ठीक समय	11' 40"	ठीक समय	2' 5"	ठीक समय	चल नहीं रही	3' 40"
22.9.98	ठीक समय	ठीक समय	3' 55"	ठीक समय	2' 20"	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.9.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	10' 50"	चल नहीं रही	8' 20"
24.9.98	ठीक समय	ठीक समय	24' 0"	ठीक समय	ठीक समय	7' 0"	चल नहीं रही	ठीक समय
25.9.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	1' 15"	ठीक समय	चल नहीं रही
26.9.98	ठीक समय	ठीक समय	2' 10"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
27.9.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 15"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	चल नहीं रही
28.9.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
29.9.98	ठीक समय	7' 0"	ठीक समय	5' 20"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
30.9.98	ठीक समय	2' 50"	1' 55"	1' 55"	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
1.10.98	ठीक समय	4' 10"	ठीक समय	ठीक समय	4' 30"	ठीक समय	चल नहीं रही	1' 0"
2.10.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 30"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	1' 10"	चल नहीं रही
3.10.98	ठीक समय	3' 0"	1' 30"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	2' 10"	चल नहीं रही
4.10.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 40"	1' 40"	ठीक समय	3' 0"	चल नहीं रही	चल नहीं रही
5.10.98	ठीक समय	2' 35"	ठीक समय	ठीक समय	1' 0"	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
6.10.98	ठीक समय	2' 5"	1' 0"	ठीक समय	50"	ठीक समय	3' 20"	चल नहीं रही
7.10.98	ठीक समय	ठीक समय	1' 40"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
8.10.98	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	9' 50"	चल नहीं रही	6' 0"
9.10.98	ठीक समय	4' 30"	1' 30"	ठीक समय	11' 0"	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
10.9.98	ठीक समय	ठीक समय	6' 40"	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही
11.10.98	ठीक समय	6' 0"	ठीक समय	2' 30"	2' 50"	ठीक समय	चल नहीं रही	चल नहीं रही
12.10.98	ठीक समय	5' 40"	4' 0"	ठीक समय	1' 0"	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय
13.10.98	ठीक समय	4' 55"	4' 30"	2' 40"	ठीक समय	6' 40"	ठीक समय	चल नहीं रही
14.10.98	ठीक समय	9' 50"	1' 10"	8' 30"	12' 30"	2' 30"	चल नहीं रही	1' 05"
15.10.98	ठीक समय	4' 20"	14' 5"	6' 45"	ठीक समय	ठीक समय	चल नहीं रही	ठीक समय

(ii) 1 जुलाई से 1 नवंबर, 1998 तक विलंब से चालन के दिनों की संख्या निम्नानुसार है :-

गाड़ी संख्या	चालन दिन	ह्रास
1	2	3
4055 एक्सप्रेस	188	58
4056 एक्सप्रेस	119	31
5621 एक्सप्रेस	121	67
5622 एक्सप्रेस	121	59
5659 एक्सप्रेस (अगस्त में)	88	6
5660 एक्सप्रेस "	88	49
2423 एक्सप्रेस	56	17
2424 एक्सप्रेस	50	18

*वास्तविक –घंटे, "–मिनट

चामराज नगर-मेट्टुपालयैम परियोजना पर खर्च की गई राशि

3039. **श्री ए० सिदराजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चामराज नगर मेट्टुपालयैम रेल परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) वर्ष 1998-99 के बजट में उपरोक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कुछ नहीं।

(ख) और (ग) मेट्टूपालयम तक विस्तार सहित मैसूर-चामराजनगर के आमान परिवर्तन का कार्य बजट में शामिल किया गया है परन्तु आवश्यक स्वीकृति होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। 1998-99 में इस कार्य के लिए 10,000 रुपए की सांकेतिक राशि की व्यवस्था की गई है क्योंकि अभी अपेक्षित स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। इस कार्य की प्रत्याशित लागत 175 करोड़ रुपए है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची में इसकी प्राथमिकता के अनुसार यह कार्य किया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

रेल परियोजनाएं

3040. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ क्षेत्र में लम्बित परियोजनाओं के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है तथा इस क्षेत्र में वर्धा-पुसाद-नांदेड़ 260 कि० मी० रेल मार्ग, जालना-खामगांव रेल मार्ग का शेगांव तक विस्तार वरोरा, उमरेद चीमुर रेल मार्ग के सर्वेक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई; अमरावती-नारखेड़ रेल मार्ग पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने, यवतमाल मुर्तिजापुर-अचलपुर 185 कि० मी० लम्बी रेल लाइन बिछाने, नागपुर-नागभिड 120 कि० मी० लम्बी रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने आदि की लम्बित परियोजनांओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ये सभी परियोजनाएं काफी समय से लम्बित हैं, जिससे लागत काफी बढ़ गई है; और

(ग) प्राथमिकता के आधार पर इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) वर्धा-पुसाड-नांदेड़ रेल लाइन

उपर्युक्त लाइन के लिए एक सर्वेक्षण इस समय प्रगति पर है। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने पश्चात ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

(2) शेगांव तक विस्तार सहित जालना-खामगांव नई लाइन

जालना-खामगांव नई लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण 1994 में किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों से उजागर हुआ कि प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ इस 155 किलोमीटर लम्बी लाइन की लागत उस समय प्रचलित मूल्य स्तर के हिसाब से 228 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना की वर्तमान लागत 325 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। चूंकि यह लाइन मूलत: एक पिछड़े क्षेत्र के विकास के प्रयोजन से है, इस परियोजना को अनुमोदन देने के लिए योजना आयोग के पास भेज दिया गया था जिन्होंने, बहरहाल, इसकी अलाभप्रद प्रकृति के कारण इस प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया था। इस लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और धन की अत्यधिक तंगी के दृष्टिगत इस परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

शेगांव तक इस लाइन के विस्तार के संबंध में, सुझाई गई लाइन 20 किलोमीटर लम्बी होगी और वर्तमान मूल्य के हिसाब से इसकी लागत 50 करोड़ रुपए से कम की नहीं होगी क्योंकि यह लाइन दुर्गम भू-भाग से गुजरती है। धन की अत्यधिक तंगी के साथ चालू नई लाइन परियोजनाओं के भारी अग्रेषण के दृष्टिगत सुझाई गई लाइन पर इस समय विचार करना कठिन होगा। बहरहाल, खामगांव से बरास्ता अकोला शेगांव तक पहुंचा जा सकता है जो एक बड़ी लाइन संपर्क द्वारा जुड़ा हुआ है।

(3) वरौरा-ऊमरेद-चिमूर रेल लाइन

1995-96 में उपर्युक्त लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे उजागर हुआ कि इस 106 किलोमीटर लम्बी लाइन की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित डीजल कर्षण के साथ 97.3 करोड़ रुपए और पुन: ऋणात्मक प्रतिफल दर सहित विद्युत कर्षण के साथ 184.78 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और धन की अत्यधिक तंगी के दृष्टिगत इस परियोजना पर विचार शुरू नहीं किया जा सका।

(4) अमरावती-नारखेड़ रेल लाइन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था

इस परियोजना के लिए 70% भूमि अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। पूरी लम्बाई के 27 खंडों में से 18 पर मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। अमरावती स्टेशन इमारत पर कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना का वित्तपोषण और प्रगति आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित रेल परियोजना की प्राथमिकता सूची में प्राथमिकता के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(5) ईयोतमल-मुर्तिजापुर-अचलपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

केन्द्रीय प्रांत रेलवे कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली उपर्युक्त निजी लाइन का सरकार द्वारा क्रय करने के विकल्प की मार्च 1996 में पिछले दस वर्षीय पुनरीक्षा के समय जांच की गई थी परंतु वित्तीय दृष्टिकोण से इस विकल्प का उपयोग न करने का विनिश्चय किया

गया था। इस समय इस लाइन के अधिग्रहण के पश्चात ही बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए औचित्य की जांच की जा सकती है।

(6) नागपुर-नागभीड़ रेल लाइन का आगान परिवर्तन

उपर्युक्त लाइन के लिए एक सर्वेक्षण इस समय प्रगति पर है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) अमरावती-नारखेड़ लाइन पर संतोषजनक प्रगति हो रही है। उपरिलिखित अन्य कार्यों में यह पहलू केवल तभी उत्पन्न होगा जब ये परियोजनाएं स्वीकृत और शुरू की जाएंगी।

[हिन्दी]

बिहार में पेंशन वितरण कार्यालय

3041. श्री एच०पी० सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के पश्चात् भी बिहार में आरा में रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन वितरण कार्यालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में किन मानदंडों का पालन किया जाना है; और

(ग) यह कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) नये रक्षा पेंशन भुगतान कार्यालय खोले जाने के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं हैं। तथापि, पेंशन भोगियों की संख्या, नये कार्यालय खोले जाने के वास्ते आधारभूत ढांचा जैसे विविध कारकों तथा बैंक, राजकोष जैसी भुगतान करने वाली अन्य एजेंसियों की उपलब्धता और अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता आदि के कारण नये रक्षा पेंशन भुगतान कार्यालय खोलना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चेन्नई-जोधपुर के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी

3042. श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेन्नई से जोधपुर तक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई है किन्तु इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

3043. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेनाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया है;

(ख) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं से इतनी अधिक संख्या में पलायन के पीछे कारणों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह की स्थिति से बचने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर, सैन्य परिचर्या सेवा, प्रादेशिक सेना और सेकंडिड आफिसर्स काडर को छोड़कर रक्षा सेनाओं में ऐसे कमीशन-प्राप्त अफसरों, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्तीफा दे दिया है या स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली है, की संख्या इस प्रकार है :

	सेना	नौसेना	वायुसेना
1996	288	105	131
1997	435	134	163
1998 (30 नवंबर तक)	488	177	216

मौजूदा प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि रक्षा सेनाओं के अफसर निम्नलिखित आधारों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं :

(1) अधिक्रमण।

(2) निम्न चिकित्सा श्रेणी।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियुक्त किए जाने पर

(4) अनुकंपा के आधार पर।।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रत्येक अनुरोध की समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एहतियात बरती जाती है कि इन अनुरोधों को स्वीकार किए जाते समय सेनाओं के हितों पर कोई आंच न आए। रक्षा सेनाओं के अफसर संवर्ग की समग्र संख्या को देखते हुए, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वाले अफसरों की संख्या बहुत अधिक या चौंकाने वाली नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में उपनगरीय रेल सेवा

3044. श्री हरिन पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साबरमती और सरखेज तथा सरखेज और कालूपुर के बीच उपनगरीय रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए गुजरात सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस संबंध में परिवहन और गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन राज्य मंत्री श्री बिमल शाह और श्री हरिन पाठक, सांसद सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गई थी किन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० में आरक्षण रोस्टर

2045. श्री बैजनाथ रावत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. में 2 जुलाई, 1997 के बाद आरक्षण रोस्टर का "रिक्ति आधारित" से "पद आधारित" में परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप असिस्टेंट इंजीनियर की पदोन्नति करके सी.पी.डब्ल्यू.डी. में नियमित कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के लिए इस समय कितने पद निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) कार्यकारी अभियंता (सिविल) के उपरोक्त नियमित पद को सहायक अभियंता (सिविल) के भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 2.7.97 से पहले 40 प्वाइंट "रिक्त आधारित" रोस्टर होता था। एक अलग से पद आधारित रोस्टर बनाया गया है, लेकिन विभिन्न कोर्ट फैसलों के कारण 31.3.94 के बाद से कोई नियमित पदोन्नति नहीं की जा सकी। सहायक इंजीनियर (सिविल) से नियमित कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित पदों की संख्या केवल तदर्थ पदोन्नतियां नियमित करने के बाद दर्शाई जा सकती है। सहायक इंजीनियर (सिविल) की कार्यपालक इंजीनियर (सिविनल) के ग्रेड में 1980 से 1994 तक की गई पदोन्नतियों की, श्री ए.एस.आनन्द एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए.सं. 295/95 में कैट, चेन्नई बैंच के दिनांक 4.9.97 के फैसले के अनुसरण में पुनरीक्षा की जानी है। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव 12.5.98 को संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं। पुनरीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अभी तक नहीं बुलायी गई है। 1994 के बाद से नियमित पदोन्नतियां, केवल 1980 से 1994 तक की पदोन्नतियों की पुनरीक्षा के बाद ही की जा सकती हैं।

टर्मिनल सेवा शुल्क

3046. श्री विकास चौधरी :
श्री सुनील खां :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राउंड शुल्क, प्रबंध और भण्डारण शुल्क से बना टर्मिनल सेवा शुल्क (टीएससी) ही भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कानकोर) की आय का मुख्य स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कंटेनर निगम लि० द्वारा ग्राहकों को टर्मिनल सेवा शुल्क से छूट देने का प्रावधान अथवा कोई प्रथा है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अधिकतम सीमा क्या है;

(घ) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान भारतीय कंटेनर निगम लि० द्वारा कितने मामलों में कुल कितनी रकम की टीएलसी की छूट दी गई है; और

(ङ) 1995-96 से किन पार्टियों को टर्मिनल सेवा शुल्क में छूट दी गई तथा कितनी रकम की छूट दी गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विमानों के रख-रखाव हेतु बजट में कमी

3047. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स विमानों के रख-रखाव संबंधी बजट में कटौती कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कटौती का यात्रियों की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां तो यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानी बरती गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मालाबार प्रदेश का विकास

3048. श्री ई० अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल का मालाबार प्रदेश रेल विकास के मामले में सबसे अधिक उपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही के वर्षों के दौरान केरल के इन उत्तरी जिलों में कोई नई लाइन बनायी गयी है अथवा रेल की पटरियों की मरम्मत की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की इन जिलों में रेल प्रणाली विकसित करने की कोई योजना है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस क्षेत्र में 107 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया गया है।

(घ) और (ङ.) मालाबार क्षेत्र में रेलवे ने शोरुवण्णूर-मंगलोर इकहरी लाइन के रेलपथ का दोहरीकरण शुरू कर दिया है। हालांकि कुट्टीपुरम से गुरुवायूर तक एक लाइन की शोरुवण्णूर-मंगलोर दोहरीकरण कार्य के भाग के रूप में पहले से ही योजना थी। बहरहाल, कुट्टीपुरम से शोरुवण्णूर तक बढ़ाए गए दोहरीकरण से यह एक नई लाइन होगी। इस कार्य के लिए स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु कारवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

बढ़ते वायु यातायात से निपटने के लिए योजना

3049. श्री रामशकल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में वायु यातायात की बढ़ती मांग से निपटने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। विमान यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विमानपत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए अपनी योजनाएं तैयार की हैं जिसमें एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कुल 3306.78 करोड़ रुपए के व्यय की परिकल्पना की गई है। उपरोक्त में से, 1030.47 करोड़ रुपए विमानक्षेत्र कार्यों के लिए, 526.84 करोड़ रुपए संचार और दिक्चालन सुविधाओं के लिए, 155.77 करोड़ रुपए भू-सुरक्षा संबंधी सेवाओं के लिए और 1522.52 करोड़ रुपए अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के विकास के लिए रखे गये हैं। उपरोक्त सभी कार्यों के वर्ष 2001-2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

लंबित विकास परियोजनाएं

3050. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को कोई ग्रामीण विकास परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख के अनुसार अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) गुजरात से ग्रामीण जल आपूर्ति, अभिनव जवाहर रोजगार योजना और समन्वित बंजरभूमि विकास परियोजना से संबंधित परियोजना प्रस्ताव निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :

1. **ग्रामीण जल आपूर्ति :** विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति के उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 12 परियोजनाएं गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। भारत सरकार ने मात्र एक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजनाओं को स्वीकृत और कार्यान्वित करने के लिए 1.4.1998 से राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के अनुसरण में शेष परियोजनाएं आवश्यक कारवाई के लिए राज्य सरकार को लौटा दी गयी हैं।

2. **अभिनव जवाहर रोजगार योजना :** विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के वलसाड जिले के धरमपुर और वंसदा तालुकों में जल संभरण ढांचों का निर्माण कर सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए जवाहर रोजगार योजना (तृतीय चरण) के अंतर्गत एक अभिनव परियोजना शुरू की गयी थी, जो 1995-96 में अनुमोदित हुई थी।

3. **समन्वित बंजरभूमि विकास परियोजना :** गुजरात सरकार ने 17 नए समन्वित बंजरभूमि विकास परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से 7 परियोजनाएं खेड़ा, जूनागढ़ (2 परियोजनाएं), बड़ोदरा, भावनगर पंचमहल (परियोजना -II) और साबरकांठा जिलों के लिए 1996 से आज तक स्वीकृत की गयी है। शेष 10 परियोजनाएं अनुमोदन के लिए लम्बित

हैं। तथापि, परियोजनाओं की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा अनुपालन की प्रस्तुति, दिशा-निर्देशों के साथ परियोजना प्रस्तावों की अनुरूपता तथा परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

"बूंदी में पैलेस ऑन व्हील" का ठहराव

3051. **श्री राम नारायण मीणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूंदी शहर में "पैलेस ऑन व्हील" शाही रेलगाड़ी का ठहराव बनाने संबंधी कोई मांग मंत्रालय को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कारवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) बूंदी में गाड़ी के ठहराव के लिए एक सुझाव प्राप्त हुआ है। मौजूदा यात्रा-क्रम के अंतर्गत व्यावहारिक नहीं है।

छपरा स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

3052. **श्री हीरा लाल राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोनपुर डिवीजन के छपरा जंक्शन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टर

3053. **श्री पी० आर० किन्दिया** : क्या नागर विमानन मंत्री 11.6.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय पहले बहुत अधिक संख्या में खरीदे गए वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टर जिन्हें प्रचालन हेतु अनुपयुक्त समझा गया था, को अभी तक बेचा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये हेलीकाप्टर किराए पर ली गई जगह पर खड़े किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितना संचयी किराया अदा किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड (पी०एच०एच०एल०) में 19 वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों के निपटान की प्रक्रिया प्रगति में है।

(ग) ये विमान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्थान में पार्क किए जाते हैं जिसके लिए किराए का भुगतान पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि० द्वारा किया जा रहा है। पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड इस भूमि का उपयोग अनेक प्रयोजनों जैसे कार्यालय भवन, विमानशाला, वितरण क्षेत्र इत्यादि के लिए कर रहा है।

(घ) (1) फरवरी, 1991 से मार्च, 1998 तक दिल्ली में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स हेतु भंडारण स्थल का किराया और पार्किंग प्रभार	41.09 लाख रु.
(2) फरवरी, 1991 से मार्च, 1998 तक मुम्बई में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के लिए भंडारण स्थान तथा भूमि का किराया	27.86 लाख रु.
	68.95 लाख रु. (लगभग)

कोकराझार स्टेशन पर ठहराव

3054. **श्रीमती रानी नरह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में कोकराझार स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के रुकाव के लिए असम के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) कोकराझार में अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनकी जांच की गई थी, परंतु कोकराझार में अतिरिक्त ठहरावों को व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

गांधी जी की प्रतिमा

3055. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव पिछले तीन दशकों से लम्बित है;

(ख) क्या योजना बनाने वाले इस हेतु कोई स्थान सुझाने में असमर्थ हैं; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) हालांकि महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव पर सरकार पिछले तीन दशकों से विचार कर रही है तथापि प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकी जिसका मुख्य कारण प्रतिमा लगाने के लिए सभी को स्वीकार्य उपयुक्त स्थल के चयन की समस्या थी। कंजर्वेशन सोसायटी ऑफ दिल्ली द्वारा दायर तथा एक अन्य रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिया गेट गोल चक्कर, जिसका नाम अगस्त क्रांति उद्यान रखा गया है, में स्थित केनोपी/छतरी को बदलने/हटाने/गिराने से सरकार को रोकने के लिए अंतरिम स्थगन आदेश दिया है।

(ग) इस मामले में निर्णय लेने में कितना समय लगेगा यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह मामला अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लम्बित रिट याचिका को निपटाने के बाद ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

जालंधर और जैजोन के बीच रेलगाड़ियां

3056. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर और जैजोन के बीच चलने वाली लोकल रेलगाड़ी जो पहले दिन में तीन बार चलती थी, को केवल एक बार ही चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस रेल गाड़ी से सैकड़ों श्रद्धालु जैजोन में डेरा संत चरण दास और शाहतैली के दर्शन करने आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सैकड़ों श्रद्धालुओं और आम जनता के लाभ के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। मौजूदा सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

जलापूर्ति योजना

3057. **श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जापान की ओवरसीज इकनॉमिक कौओपरेशन फंड की सहायता से जलापूर्ति की योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं में किन-किन स्थानों को सम्मिलित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी नहीं। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण आपूर्ति से संबंधित ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सोनारपुर-केनिंग लाइन के लिए टोकनलैस सिस्टम

3058. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सियालदाह डिवीजन के सोनारपुर-केनिंग लाईन की टोकन लेस सिस्टम की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही पर इसका बाद में क्या प्रभाव पड़ा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल के सोनारपुर-केनिंग खण्ड में टोकन रहित ब्लाक कार्यप्रणाली की व्यवस्था का कार्य लंबित रखा गया था और इस खण्ड पर 18 जी एच जैड माइक्रोवेव प्रणाली को चालू करने तथा स्थिरीकरण और अन्य गतिविधियों के कारण इसे छेड़ दिया गया था।

अब इस खण्ड पर 18 जी एच जैड माइक्रोवेव प्रणाली स्थिर हो चुकी है इसलिए इस खंड पर टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की शुरुआत के लिए व्यवस्था की जा रही है।

इस खंड पर टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की शुरुआत से गाड़ी परिचालन में सुधार होगा।

[हिन्दी]

माल चुराई

3059. **डा० चिन्ता मोहन**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस माल का ब्यौरा क्या है जो पिछले छह महीनों के दौरान चोरी हो गया तथा अपने गन्तव्य पर नहीं पहुंचा और जो रेलवे द्वारा परिवहन में बाधाएं उत्पन्न होने के कारण विलंब से पहुंचा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे को कितने दावे प्रस्तुत किए गए और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) मार्च, 1998 के अंत तक ऐसे कुल कितने मामले विचाराधीन थे और उनमें कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) विगत छह महीनों अर्थात 1.4.98 से 30.9.1998 तक चुराए गए सामानों के मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चुराई गई संपत्ति का मूल्य (रु०)
2100	1,1628,349

सुपुर्दगी के लिए कोई लक्ष्य समय निर्धारित नहीं किया गया है, अत: सुपुर्दगी के समय के लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1998 तक छह महीनों की अवधि में 69534 दावे संबंधी मामले दर्ज किए गए तथा इन मामलों में दावा की गई धनराशि 348.84 करोड़ रुपये है।

(ग) मार्च, 1998 के अंत में विचाराधीन दावे संबंधी मामलों की कुल संख्या 18148 थी। जहां तक इन मामलों में शामिल धनराशि का संबंध है आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि दावा की गई वास्तविक धनराशि तथा अंतिम रूप से भुगतान की जाने वाली धनराशि में पर्याप्त अंतर हो सकता है।

[अनुवाद]

कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग

3060. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 का उल्लंघन करते हुए कापसहेड़ा गांव, दिल्ली में कृषि भूमि पर मनोरंजन पार्क स्थापित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत राजस्व सहायकों के न्यायालय में केसवार, खसरावार तथा ग्रमावार कितने मामले लंबित हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि कापसहेड़ा में कृषि भूमि व विस्तारित आबादी भूमि (गैर-कृषि) पर "फन एंड फूड विलेज" के नाम से एक मनोरंजन पार्क चल रहा है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत एस. डी.एम./राजस्व सहायक के न्यायालय में वाद सं॰ 76/आर ए/97 के तहत पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जो निपटान के लिए लंबित है।

(ग) दिल्ली में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1984 की धारा 81 के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में राजस्व सहायक के न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है :

जिला	मामलों की संख्या
उत्तरी	213
उत्तर-पश्चिमी	2280
उत्तर पूर्वी	57
पश्चिमी	451
दक्षिण-पश्चिमी	567
दक्षिणी	274
पूर्वी	2

ग्रामीण जल आपूर्ति

3061. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की रूप रेखा तैयार की गई है और इन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है तथा अक्तूबर, 1998 से कम्प्यूटर पर इनकी निगरानी रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन प्रायोजित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या 5.40 करोड़ रुपए इस परियोजना को अनुमानित लागत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा एम. आई.एस. पर एक परियोजना को प्रारम्भ किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ देश में ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र का कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है। आन्ध्र प्रदेश में इस परियोजना की कुल लागत 5.44 करोड़ रुपए है, जिसमें से 80 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए हार्डवेयर प्राप्त करने के लिए पहले ही आर्डर दे दिया है।

अभिसारी सेवाओं के लिए पायलट परियोजनाएं

3062. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आज तक किन-किन जिलों में सामुदायिक आधार पर अभिसारी सेवाओं के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा इसका राज्यवार बजटीय आवंटन कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के अंतर्गत जिलों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) वर्ष 1996-97 तथा 1998 के दौरान आज तक जहां सामुदायिक आधार पर अभिसारी सेवाओं के लिए पायलट योजनाएं शुरू की गई हैं उन जिलों के नाम तथा उनके लिए राज्यवार बजट आवंटन का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार बजटीय आवंटन के साथ 1996-97 और 1997-98 के दौरान अब तक जहां समुदाय आधारित अभिसारी सेवाओं की प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गयीं, उन जिलों के नाम

(रुपए लाख में)

राज्य	1996-97 (जिले)	बजटीय आवंटन	1997-98 (जिले)	बजटीय आवंटन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	गुन्टूर	10.00	वारंगल	5.00
	नलगोंडा	10.00	अदीलाबाद	5.00
	विशाखापत्तनम	10.00	विजैनाग्राम	5.00
	पश्चिम गोदावरी	10.00		
कुल		40.00		15.00
अरुणाचल प्रदेश	चांगलॉग	10.00	पश्चिम कामेंग	5.00
	लोहित	10.00	तिराप	5.00
			दिवंग वैली	5.00
			लोवर सुबंसिरी	5.00
कुल		20.00		20.00
असम	गोलपाढ़ा	10.00	हैलाकांडी	5.00
	दारंग	10.00	कच्छार	5.00
	धेमाजी	10.00	सिवसागर	5.00
	नागांव	10.00	कारबी अनालोग	5.00
			मोरोगांव	5.00
			बारपेटा	5.00
			जोरहट	5.00
			कोकराझार	5.00
			लखेमपुर	5.00
			कामरूप	5.00
कुल		40.00		50.00
बिहार			नालंदा	5.00
			पलामू	5.00
			नवादा	5.00
			भोजपुर	5.00
			देवगढ़	5.00
			गुमला	5.00

1	2	3	4	5
बिहार			सहरसा	5.00
			कटिहार	5.00
			मधेपुरा	5.00
			सिवान	5.00
			दरभंगा	5.00
			गया	5.00
			औरंगाबाद	5.00
			पश्चिम सिंहभूम	5.00
कुल				70.00
गोवा			दक्षिण गोवा	5.00
कुल				5.00
गुजरात	भावनगर	10.00	अमरेली	5.00
	बड़ोदरा	10.00	सूरत	5.00
	सावरकांठा	10.00	जामनगर	5.00
			वलसाड़	5.00
कुल		30.00		20.00
हरियाणा	फरीदाबाद	10.00	भिवानी	5.00
	जींद	10.00	गुडगांव	5.00
	कैथल	10.00	फतेहाबाद	5.00
कुल		30.00		15.00
हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	10.00	बिलासपुर	5.00
	सोलन	10.00	हमीरपुर	5.00
	मंडी	10.00		
कुल		30.00		10.00
जम्मू व कश्मीर			कारगिल	5.00
			बड़गोम	5.00
			काथुआ	5.00
कुल				15.00
कर्नाटक	हसन	10.00	शिमोगा	5.00
	चित्रादुर्गा	10.00	चिकमंगलूर	5.00
	वेल्लेरी	10.00	मांडया	5.00
			कोलार	5.00
			वंगलौर (यू०)	5.00
कुल		30.00		25.00

1	2	3	4	5
केरल	कोट्टयम	10.00	कन्नर	5.00
	पोलक्काड़	10.00	इदुक्की	5.00
	वायंगर	10.00	कासरगोड	5.00
कुल		30.00		15.00
मध्य प्रदेश			टीकमगढ़	5.00
			चेतूल	5.00
			छिंदवाड़ा	5.00
			रायसेन	5.00
			रायपुर	5.00
			रतलाम	5.00
			सागर	5.00
			पन्ना	5.00
			दिलापुर	5.00
			सेहोर	5.00
			बालाघाट	5.00
कुल				55.00
महाराष्ट्र	अमरावती	10.00	शोल्हापुर	5.00
	जालना	10.00	रायगढ़	5.00
	भांद्रा	10.00	नांदेड़	5.00
	सांगली	10.00	चन्द्रापुर	5.00
	ओस्मानाबाद	10.00	जलगांव	5.00
कुल		50.00		25.00
मणिपुर	थोउबाल	10.00		
	तामेंगलांग	10.00		
कुल		20.00		
मिजोरम	चिम्तुलपुंल	10.00		
कुल		10.00		
नागालैंड	तोंसांग	10.00		
	फीक	10.00		
कुल		20.00		

1	2	3	4	5
उड़ीसा	कोरापुट	10.00	सुन्दरगढ़	5.00
	नौपाडा	10.00	मल्कानगिरी	5.00
	गाजापट्टी	10.00	बारगढ़	5.00
			सम्बलपुर	5.00
			कालाहांडी	5.00
			सोनीपुर	5.00
कुल		30.00		30.00
पंजाब	संगरूर	10.00		
	भटिंडा	10.00		
	मनसा	10.00		
कुल		30.00		
राजस्थान	राजसमंद	10.00	बूंदी	5.00
	पाली	10.00	झालावाड़	5.00
	सवाई माधोपुर	10.00	डूंगरपुर	5.00
			जालौर	5.00
			नागौर	5.00
			जैसलमेर	5.00
कुल		30.00		30.00
सिक्किम	द० सिक्किम	10.00		
कुल		10.00		
तमिलनाडु	पुडुकॉटटाइ	10.00	कोयम्बटूर	5.00
	थांजावर	10.00	दिंदिगुल अन्ना	5.00
			थिरुवलौर	5.00
			वैगाइ-विरान	5.00
			त्रिची	5.00
			सलेम	5.00
			मदुराइ	5.00
			चिंगालापटट्	5.00
कुल		20.00		40.00
त्रिपुरा	द० त्रिपुरा	10.00		
	उत्तरी त्रिपुरा	10.00		
कुल		20.00		

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	10.00	ललितपुर	5.00
	हमीरपुर	10.00	आजमगढ़	5.00
	माउनाथ भंजन	10.00	प्रतापगढ़	5.00
	बहराइच	10.00	बलिया	5.00
	बस्ती	10.00	सौनभद्र	5.00
			गोरखपुर	5.00
			जौनपुर	5.00
			फैजाबाद	5.00
			महाराजगंज	5.00
			पडरोना	5.00
			अम्बेडकर नगर	5.00
			सिद्धार्थनगर	5.00
कुल		50.00		60.00
पश्चिमी बंगाल	उत्तर दीनाजपुर	10.00		
	माल्दा	10.00		
	मुर्शीदाबाद	10.00		
कुल		30.00		

जम्मू और जालंधर रेल लाइन का दोहरीकरण

3063. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-जालंधर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य अभी भी लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और कब तक समाप्त होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय रेलों के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद अपेक्षित स्वीकृति के लिए कारवाई की जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) कार्य के 1999-2000 में शुरू किए जाने की संभावना है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति होगी। इसको पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

परतूर पर स्टेशन

3064. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई-नान्देड़ लाइन पर परतूर स्टेशन पर तूफान एक्सप्रेस रोकने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उनकी जांच की गई थी पर व्यवहार्य नहीं पाए गए।

नेल्लौर-कुड्डापाह रेल लाइन का निर्माण

3065. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेल्लौर और कुड्डापाह के बीच रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) क्या उक्त प्रयोजन हेतु 1997-98 के बजट में किए गए प्रावधान का पूरा सदुपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) हाल ही में कुड्डापाह और नेल्लौर के बीच एक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा किया गया है। जुलाई, 1998 में प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 181 कि. मी. लम्बी लाइन के निर्माण पर 355 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका प्रतिफल ऋणात्मक होगा। लाइन के अलाभप्रद स्वरूप और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को फिलहाल शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शोलापुर-पुणे के बीच रेलगाड़ी

3066. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे और शोलापुर के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी शुरू करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। मामले की जांच की गई है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

रिवाड़ी-डेगाना रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3067. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या रेल मंत्री 20 नवम्बर, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 417 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेवाड़ी से रतनगढ़ होते हुए डेगाना तक मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाइन का आमान परिवर्तन कार्य आरंभ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो आमान परिवर्तन का कार्य कब तक आरंभ और पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेवाड़ी से डेगाना मार्ग, रेवाडी से सादूलपुर, सादूलपुर से रतनगढ़ और रतनगढ़ से डेगाना खंडों को कवर करता है। रेवाड़ी और सादूलपुर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पहले से ही बजट में शामिल है और आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। हिसार से बीकानेर के लिए सर्वेक्षण जो सादूलपुर-रतनगढ़ में शामिल है, पहले ही पूरा हो गया है और रेलवे के परामर्श से रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रतनगढ़-डेगाना के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने तथा अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन परियोजनाओं पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेवाड़ी से सादूलपुर तक के स्वीकृत आमान परिवर्तन के कार्य की प्रगति आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी। इसके पूरा हो जाने का कोई लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

कालीकट विमानपत्तन पर वी० आई० पी० लाउंज

3068. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट विमानपत्तन पर वी. आई. पी. लाउंज बनाने के लिए कोई स्थान आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कुल कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है तथा इसके लिए कितना किराया निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या कालीकट विमानपत्तन के विकास के लिए विदेश से किसी संस्था को प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस संस्था ने अब तक इस प्रयोजनार्थ कितना धन संग्रहण किया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) कालीकट विमानपत्तन पर चार अति विशिष्ट व्यक्ति कक्षों में से, दो का परिमाप 6 मीटर × 6 मीटर और 12.4 मीटर × 4.5 मीटर है जो अन्तरराष्ट्रीय भवन में है जबकि एक अति विशिष्ट व्यक्ति कक्ष अंतर्देशीय भवन में है जिसका परिमाप 6 मीटर × 9 मीटर है। इनकी व्यवस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गयी है। इसके अतिरिक्त, मलाबार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास सोसायटी के एक अति विशिष्ट व्यक्ति कक्ष (परिमाप 7 मीटर × 8 मीटर) का आवंटन निःशुल्क किया गया है। इसका सञ्जीकरण मालाबार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास सोसायटी द्वारा किया गया है और जो इसका अनुरक्षण भी करते हैं।

(ग) जी, नहीं। इस विमानपत्तन के विकास के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ब्याज-सहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए, निधियां एकत्र करने हेतु केरल राज्य सरकार ने मालाबार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास सोसायटी को प्राधिकृत किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आश्रय योजना

3069. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चालू वर्ष के दौरान, आश्रय योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु हुडको से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी हां। चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक की आश्रय आवास स्कीम के तहत 48 आवास स्कीमों के लिए हुडको ने 76.05 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की है। पूरा होने पर इन स्कीमों से 48057 रिहायशी मकान उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, हुडको को आश्रय आवास स्कीम के तहत 51 स्कीमें मिली हैं जो प्रक्रियाधीन हैं। इन स्कीमों के लिए 111.58 करोड़ रुपयों के ऋण की मांग की गयी है। ये परियोजनाएं हुडको के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

केरल में 'फुट ओवर ब्रिजों' का निर्माण

3070. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार का केरल में कितने स्थानों पर 'फुट-ओवर ब्रिजों' का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गयी है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) एर्णाकुलम जंक्शन पर मौजूदा ऊपरी पैदल पुलों के विस्तार का कार्य शुरू हो गया है। चालू वर्ष में इन कार्यों के लिए 18.00 लाख रुपये की धन राशि आवंटित की गयी है, क्विलांडी, तेल्लीचेरी, कंहगड, पेरिनाड और शेरतलई में ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का कार्य भी स्वीकृत किया गया जिसके लिए 1998-99 के दौरान 6.25 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। इन कार्यों को 2000-2001 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

'एक्सप्रेस वे टाउनशिप' परियोजना

3071. **श्री अजय कुमार एस० सरनायक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी कम्पनियों के सहयोग से एक संघ बनाकर "नन्दी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एन्टरप्राइज" नामक "एक्सप्रेस वे टाउनशिप" परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सैनिक अभ्यास

3072. **श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए सैनिक अभ्यास में कितने सैन्य कार्मिकों ने भाग लिया तथा इसका उद्देश्य क्या था तथा विगत में हुए इस प्रकार के सैनिक अभ्यासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अभ्यास के दौरान भारत-पाकिस्तान के सैन्य बलों के बीच कोई मुठभेड़ हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अभ्यास पर कुल कितना व्यय किया गया तथा क्या इस अभ्यास के दौरान कोई हताहत हुआ तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) से (घ) हाल ही में जोधपुर क्षेत्र में एक कोर स्तर का अभ्यास आयोजित किया गया था। इसी प्रकार के अभ्यास 1996 और 1997 में भी किए गए थे। हाल के अभ्यास में लगभग 77,000 सेना कार्मिकों ने भाग लिया था। पाकिस्तानी सैन्य बलों के साथ किसी प्रकार की मुठभेड़ नहीं हुई। अभ्यास के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। अभ्यास की तैयारी के दौरान एक अधिकारी जख्मी हुआ तथा एक अधिकारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई।

इस संबंध में और अधिक विवरण प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

बिल्डरों का सम्मेलन

3073. **श्री मोहन रावले**
श्री डी०एस० अहिरे
श्री विट्ठल तुपे :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न समस्याओं के कारण आवास क्षेत्र में आए ठहराव की समस्या से निपटने के लिए पूरे देश के निजी बिल्डरों के साथ तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या उपाय बताए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, फेडरेशन आफ प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स एशोसिएसन आफ महाराष्ट्र (एफ.पी.बी.ए.एम.) तथा आवास एवं शहरी विकास लि० (हुडको) ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 28

से 30 नवम्बर, 1998 तक संयुक्त रूप से आवास विषयक 'चुनौतियों एवं समाधान' पर एक त्रिदिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया।

(ख) और (ग) सम्मेलन में दिए गए सुझाव संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं। सरकार ने आवास क्षेत्र के सम्मुख विद्यमान समस्याओं को पहले ही समझ लिया है और सरकारी नीतियों के आधार पर कुछ सुझावों पर कार्रवाई आरंभ हो गई है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों, दोनों स्तरों पर सुझावों पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

सम्मेलन में दिए गए सुझाव

1. शहरी भूमि अधिकतम सीमा (आर एण्ड ए) अधिनियम, 1976 को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इसके अलावा खण्ड 20 तथा 21 के अतंर्गत अधिनियम को बनाए रखने के प्रावधान को भी समाप्त किया जाए क्योंकि इससे वारित अधिनियम कतिपय परियोजनाओं/स्कीमों/भू-खण्डों पर लागू बना रहेगा।

2. पूर्व निषेध कानूनों की बहाली हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम को संशोधित किया जाए।

3. वित्त मंत्रालय को 1500 वर्ग फीट कार्पेट क्षेत्र तक के मकानों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आई ए के लाभों के विस्तार पर विचार करना चाहिए।

4. इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई ए की लाभ-अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 2001 के बजाय 31 मार्च, 2004 की जाए।

5. भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिल कर बंधक जमानत पत्र पर मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क कम करे जिस प्रकार तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात राज्यों ने किया है। आवास पर मुद्रा शुल्क 1-2 प्रतिशत कम किया जाए।

6. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी उधार नीति में क्रेडिट पोलिसी, आवासीय वित्त के लिए वृद्धि संबंधी जमा का 1.5 प्रतिशत निर्दिष्ट किया है। यह प्रतिशत 1.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। तत्पश्चात प्राथमिकता सेक्टर के तहत आवासीय प्रयोजनों के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि का नियतन किया जाए।

7. भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता आधार पर ऋण देने के लिए 15 लाख रुपये को एक आवासीय एकक पर विचार करेगी।

8. आयकर अधिनियम की धारा 43(घ) के तहत उपलब्ध लाभ एच एफ सी को भी दिया जाए।

9. स्वयं की व किराए पर दी गई सम्पत्ति के लिए आवास सम्बन्धी पूर्ण ब्याज भुगतान को कर योग्य आय से मुक्त किया जाए।

10. किराये की आय का 50 प्रतिशत कर योग्य आय से मुक्त किया जाए।

11. भारत सरकार कर्मचारियों के लिए नई आवास ईकाइयां उपलब्ध कराने में व्यय पूंजी लागत का 100 प्रतिशत तक कर योग्य आय से कटौती (नियमित निकायों) की अनुमति प्रदान करे, बशर्ते कि यह कुल कर योग्य आय के 33 प्रतिशत से अधिक न हो और बशर्ते 10 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी द्वारा आवासीय ईकाइयां हस्तान्तरित न की जाएं और ये तीन वर्षों के अन्दर तैयार की जाए। आय कर नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध सामान्य ह्रास के अलावा ह्रास की त्वरित दर या अपेक्षाकृत अधिक आरम्भिक ह्रास की निगमों को अनुमति दी जाए ताकि वे अपने कर्मचारियों को आवासीय यूनिटें उपलब्ध करा सकें।

12. भारत सरकार को आवास वित्त संस्थाओं को दीर्घावधिक पेंशन/भविष्य नीधि की अनुमति दी जानी चाहिए।

13. उधार लागत को करने तथा आवास वित्त को और अधिक वहनक्षम बनाने के लिए वित्त ऋणों पर ब्याज कर लेवी को बन्द किया जाए।

14. भारत सरकार को न्यूनतम तीन वर्ष की रोक अवधि की शर्त के साथ आवास क्षेत्र में एफ. डी. आई को अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

15. भारत सरकार को स्थानीय प्राधिकरणों को अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर शहरों में और अधिक एम. एस. आई./एफ. ए. आर. की अनुमति प्रदान करनी चाहिए, जिसे बाद में अवस्थापना विकास से जोड़ा जा सके।

16. खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए विकास कर्त्ताओं व संस्थाओं को मिलाकर निजी नियामक निकाय बनाया जाए।

17. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को भवन उप नियमों को सरल बनाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नियोजक चार्टर्ड वास्तुकार बिल्डिंग योजनाओं को मंजूरी दे सकें। विभिन्न एजेंसियों से अपेक्षित सांविधिक स्वीकृतियों के लिए एक ही स्थान पर स्वीकृति संकल्पना को सभी शहरों में साकार किया जाए औ इसके लिए राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारें उपयुक्त कार्यविधि विकसित करें।

    इसके अलावा कमजोर वर्ग तथा कम आय वाले लोगों के लिए आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा भवन उपनियमों, योजना स्तरों तथा विकास नियंत्रण नियमों में संशोधन किया जाए ताकि वास्तविक आवास विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

    इसके अलावा मौजूदा भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण किया जाए और आवास परियोजनाओं की शुरुआत हेतु तेजी से स्वीकृति के लिए भू-राजस्व नियमों में संशोधन किया जाए।

18. भारत सरकार को खण्ड में हाल ही में निर्दिष्ट '5 वर्षों से कम नहीं' की अवधि की तुलना में 'एक वर्ष से अधिक' की अवधि के रूप में आय कर अधिनियम 10(23) जी के अंतर्गत दीर्घावधि वित्त को पुन: परिभाषित करना चाहिए। विकल्पत: अनुमोदित परियोजनाओं के लिए फंडिंग की रियायती दरों का लाभ देने के लिए 'आवास वित्त' और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण के संबंध में धारा 10(23) जी तहत 'अवस्थापना सुविधा की परिभाषा अधीन' मान्यता देना अधिमानित तरीका होगा।

इसका उपयोग मुख्यत: कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों के लिए ग्रामीण आवास और शहरी आवास की व्यापक आवास जरूरतों के लिए आवास वित्त संस्थाओं द्वारा कम लागत वित्त हासिल करने के लिए किया जाए।

19. राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति के प्रावधानों के प्रगामी और सयमबद्ध रूप में क्रमिक कार्यान्वयन करने हेतु राज्य सरकारों को प्रेरित करने के लिए हुडको की राज्य सरकारों को ऋण देने की नीति का उपयोग किया जाए।

20. अनिवासी भारतीयों/पी आई ओ को आवासीय ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से मान्यताप्राप्त सभी आवास वित्तीय संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय की अनुमति प्रदान की जाए।

21. 'मार्टगेज बैकड सिक्योरिटाइजेशन' में निवेश के लिए बीमा कम्पनियों, पेंशन फंडों तथा भविष्य निधि न्यासों को सरकार प्रोत्साहित करे।

22. सिक्योरिटाइजेशन तथा सेकंडरी मार्टगेज मार्केट प्रोत्साहित करने के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया जाए।

23. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 में समुचित परिवर्तन किए जाएं ताकि इलैक्ट्रोनिक क्लियरिंग सिस्टम के अनुसार दिए गए आदेशों में उसी तरह समानता रखी जा सके जैसे कर्जदार के चेकों के निरस्त होने संबंधी वर्तमान प्रावधान में है।

24. अनुमोदित सिक्योरिटी के रूप में 'पास थ्रू सार्टिफिकेट' को शामिल करने के लिए सरकार, सिक्योरिटी (रेग्युलेशन) एक्ट, 1956 में संशोधन करे।

25. आयकर अधिनियम की धारा 69 में संशोधन करके आवास में 'अनअकाउंटेड मनी' के निवेश पर एक वर्ष के लिए छूट दी जाए।

26. वास्तविक सम्पदा की विदेशी मुद्रा में निर्यात आय को एच. एच. डी. की धारा 80 के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो (होटलों के लिए दी गई दुर्लभ मुद्रा आय की छूट के अनुरूप)।

27. समूचे आवास क्षेत्र की देखरेख के लिए एक उच्चाधिकार प्रदत्त समिति का गठन किया जाए, जो संसाधन जुटाने, प्रोत्साहन मुहैया कराने और प्रक्रियाओं का सरल बनाने आदि के लिए सिफारिशें देगी।

28. आवास वित्तीय संस्थानों, वित्तीय संस्थानों बैंकों आदि से आसानी से सहायता लेने के लिए आवास क्षेत्र को अवस्थापना का दर्जा दिया जाए।

29. आवास वित्त कम्पनियों से लिए गए आवासीय ऋणों के संबंध में कर्मचारियों की कर योग्य आय के रूप में ब्याज सब्सिडी के अपवर्जन के लिए आय कर अधिनियम में संशोधन किया जाए।

30. इसके बाद की सभी किराएदारियों को किराया नियंत्रण से छूट दी जाए।

पाण्डिचेरी में बिक्री केन्द्रों को बन्द करना

3074. श्री एस० अरुमुगम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथॉरिटी आफ़ इण्डिया लिमिटेड पाण्डिचेरी में अपने बिक्री केन्द्रों को बन्द करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे पाण्डिचेरी में लघु उद्योगों के हित और भवन निर्माण के कार्य प्रभावित होंगे, क्योंकि पाण्डिचेरी में बिक्री कर 1 प्रतिशत है और चेन्नई में 4 प्रतिशत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने पर विचार कर रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) पाण्डिचेरी में प्रेषण अभिकरण केन्द्र का प्रचालन वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। अत: स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) द्वारा नवम्बर, 1998 में इसे बन्द कर दिया गया है।

पाण्डिचेरी के ग्राहकों की आवश्यकताओं को सेल द्वारा चेन्नई और तमिलनाडु स्थित अपने शाखा बिक्री कार्यालयों के जरिए पूरा किया जाता है।

दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

3075. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रेलवे में दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए अब तक क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसमें कितना निवेश किया गया है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या इसमें निजी क्षेत्र ने भी भाग लिया है;

(ड) यदि हां, तो कितना?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) दूर संचार के आधुनिकीकरण के भाग के रूप में रेलों ने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज, डिजिटल माइक्रोवेव लिंक और आप्टीकल फाइबर केबिल की व्यवस्था की है। सेक्टर वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) पिछले पांच वर्षों का वर्षवार निवेश संलग्न विवरण-II के रूप में दर्शाया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। रेले सिगनल और संरक्षा योजना शीर्ष पर लगभग 1600 करोड़ के परिव्यय की आशा रखती है। दूर संचार इसी शीर्ष का एक भाग है।

(घ) अभी तक नहीं। बहरहाल निर्माण स्वामित्व परिचालन और पट्टा (बल) योजना के अंतर्गत आप्टीकल फाइबर केबल की व्यवस्था हेतु प्राइवेट सेक्टरों की योजना है।

इस योजना से रेलों के दूर संचार नेटवर्क को आधुनिक करना संभव होगा।

(ङ) चूल योजना के अंतर्गत लगभग 1800 करोड़ की लागत पर आप्टीकल फाइवर केबल रेलपथ के साथ-साथ बिछाने की योजना बनाई गई है।

विवरण-I

दूर संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने से संबंधित विवरण

रेल	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लाइनों की संख्या	डिजिटल माइक्रोवेव लिंक (कि.मी.)	आप्टीकल फाइवर केबल कि.मी.
मध्य	21,550	275	784
पूर्व	12,340	0	210
उत्तर	33,394	995	81
पूर्वोत्तर	8,988	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	3,252	0	0
दक्षिण	5,432	629	0
दक्षिण मध्य	12,044	502	0
दक्षिण पूर्व	9,544	0	335
पश्चिम	36,077	613	63
कुल	142,621	3,014	1,473

विवरण-II

दूर संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने से संबंधित विवरण

वर्ष	निवेश (करोड़ रुपयों में)
1993-94	64.11
1994-95	66.90
1995-96	71.53
1996-97	55.47
1997-98	70.63
जोड़	328.64

वैगन बनाने वालों पर उत्पाद शुल्क की चोरी के आरोप

3076. श्री अभय सिंह एस० भोंसले :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 नवम्बर, 1998 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "वैगन मैकर्स चार्जड विद एक्साइज इवेजन" शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय अपने स्वामित्वाधीन तथा "अपने माल डिब्बे के मालिक बनें योजना" के तहत माल डिब्बों का प्रापण कर रहा है। उपरोक्त के लिए 1995 में ठेका प्रदान करते समय दोनों कोटियों के लिए उत्पाद शुल्क लागू नहीं था। तत्पश्चात 13.11.1995 की अधिसूचना के तहत "अपने माल डिब्बे के मालिक बनें योजना" के लिए उत्पाद शुल्क की छूट हटा ली गई है।

यह समझा जाता है कि अपने माल डिब्बे के मालिक बनें योजना से संबंधित ठेकों के लिए मालडिब्बा निर्माताओं पर लगभग 20 करोड़ रुपये की कुल राशि का डिमांड नोटिस आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है। मालडिब्बा निर्माताओं ने बताया कि वे कानून के अनुसार उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के इच्छुक हैं लेकिन आबकारी प्राधिकरण साधन सामग्री पर 'माडवेट' राहत जिसके संबंध में जैसी कि आबकारी प्राधिकरण के साथ माल डिब्बा निर्माताओं का विवाद की अनुमति नहीं दे रहा है। मालडिब्बा निर्माताओं ने यह भी बताया है कि 'कर विवाद समाधान योजना' के माध्यम से इन मामलों का निपटान करते रहे हैं। मालडिब्बा निर्माताओं के विरुद्ध आबकारी प्राधिकरण का दावा उपयुक्त कानून के अनुसार होना चाहिए। रेल मंत्रालय ने मालडिब्बा निर्माताओं को अपने मालडिब्बे के मालिक बनें योजना पर भी उत्पादन शुल्क की छूट देने का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है क्योंकि इन मालडिब्बों का उपयोग रेलवे द्वारा जनता के सामान को ढोने के लिए किया जाता है और अंततः खर्च का भार पट्टा किराए के रूप में रेलों पर ही पड़ता है।

[हिन्दी]

रेलों में खानपान सेवा का स्तर

3077 श्री विजय कुमार 'विजय' :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री के०एस० राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रेस सहित किन-किन रेलगाड़ियों में निजी ठेकेदारों को खानपान की व्यवस्था सौंपी गई है;

(ख) क्या इन रेलगाड़ियों में विशेष रूप से राजधानी एक्सप्रेस में खानपान सेवा का स्तर गिरा है और मधुमेह के रोगियों के भोजन और शाकाहारी भोजन की गुणवत्ता सबसे खराब है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) घटिया गुणवत्ता वाली खानपान सेवा के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में खानपान सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) विवरण के रूप में एक सूची संलग्न है।

(ख) से (ङ) जी नहीं, इन गाड़ियों में खानपान सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में 1998 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उत्तरदायी

लाइसेंसधारी के विरुद्ध उपचारात्मक/निवारक कार्रवाई की गई है। पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का लाइसेंस शिकायतों के कारण समाप्त कर दिया था तथा अब सेवाएं विभागीय तौर पर संभाली जा रही हैं।

डायबिटीज/हृदय रोगियों हेतु विशिष्ट किस्म के भोजन की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल, चाय/कॉफी आदि के लिए चीनी अलग पैकिटों में दी जाती है।

विवरण

(क) निजी ठेकेदारों को सौंपी गई चालित गाड़ियों में लगी पैंट्री कारों की सूची

क्र.सं.	रेलवे	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम
1	2	3	4
1.	मध्य रेल	1019/1020	कोणार्क एक्सप्रेस
2.	मध्य रेल	1025/1026	प्रगति एक्सप्रेस
3.	मध्य रेल	1077/1078	झेलम एक्सप्रेस
4.	मध्य रेल	2027/2028	शताब्दी एक्सप्रेस
5.	मध्य रेल	2137/2138	पंजाब मेल
6.	मध्य रेल	1063/1064	मद्रास-सी एस टी एम एक्सप्रेस
7.	मध्य रेल	1081/1082	एम. सी. एस. टी.-कन्याकुमारी एक्सप्रेस
8.	पूर्व रेल	2019/2020	शताब्दी एक्सप्रेस
9.	पूर्व रेल	2307/2308	हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
10.	पूर्व रेल	2309/2310	राजधानी एक्सप्रेस
11.	पूर्व रेल	3003/3004	हावड़ा बाम्बे मेल
12.	पूर्व रेल	3005/3006	हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस
13.	पूर्व रेल	3151/3152	सियालदाह-जम्मू तवी मेल
14.	पूर्वोत्तर रेल	5205/5206	लिच्छवी एक्सप्रेस
15.	पूर्वोत्तर रेल	5011/5012	रापतीसागर एक्सप्रेस
16.	पूर्वोत्तर रेल	5045/5046	अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस
17.	पूर्वोत्तर रेल	5047/5048	पूर्वांचल एक्सप्रेस
18.	पूर्वोत्तर रेल	5063/5064	अवध एक्सप्रेस
19.	पूर्वोत्तर रेल	5087/5088	अमरनाथ एक्सप्रेस
20.	पूर्वोत्तर रेल	5089/5090	गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस

भोजन और मिनरल वाटर के नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत नियमित रूप से एकत्रित किए जाते हैं तथा जांच की जाती है। अपमिश्रित पाए गए नमूनों के मामले में वेंडरों/सप्लायरों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, स्थैतिक और चल खानपान यूनिटों में वाणिज्यिक और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित जांचें/निरीक्षण किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
21.	पूर्वोत्तर रेल	5217/5218	सी.एल.ए-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
22.	पूर्वोत्तर रेल	5219/5220	सी.एल.ए-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
23.	पूर्वोत्तर रेल	1015/1016	कुशीनगर एक्सप्रेस
24.	पूर्वोत्तर रेल	2133/2134	पुष्पक एक्सप्रेस
25.	पूर्वोत्तर सीमा	4055/4056	ब्रह्मपुत्र मेल
26.	पूर्वोत्तर सीमा	5602/5603	गुवाहाटी-डीबीआरटी इंटरसिटी एक्सप्रेस
27.	पूर्वोत्तर सीमा	5609/5610	अवध-असम एक्सप्रेस
28.	पूर्वोत्तर सीमा	5621/5622	नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस
29.	पूर्वोत्तर सीमा	5645/5646	गुवाहाटी-देहरादून एक्सप्रेस
30.	पूर्वोत्तर सीमा	5651/5652	लोहित एक्सप्रेस
31.	पूर्वोत्तर सीमा	5657/5658	कंचनजंगा एक्सप्रेस
32.	पूर्वोत्तर सीमा	5659/5660	कामरूप एक्सप्रेस
33.	पूर्वोत्तर सीमा	5905/5906	कामरूप एक्सप्रेस (मीटर लाइन)
34.	पूर्वोत्तर सीमा	5623/5624	कोचीन-गुवाहाटी एक्सप्रेस
35.	उत्तर रेल	5625/5626	बेंगलूरू-गुवाहाटी एक्सप्रेस
36.	उत्तर रेल	1 SB/2 SB	समदड़ी-भिलड़ी पैसेंजर (मीटर लाइन)
37.	उत्तर रेल	2005/2006	शताब्दी एक्सप्रेस
38.	उत्तर रेल	2011/2012	शताब्दी एक्सप्रेस
39.	उत्तर रेल	2013/2014	शताब्दी एक्सप्रेस
40.	उत्तर रेल	2015/2016	शताब्दी एक्सप्रेस
41.	उत्तर रेल	2017/2018	शताब्दी एक्सप्रेस
42.	उत्तर रेल	2311/2312	कालका मेल (सुपरफास्ट)
43.	उत्तर रेल	2401/2402	श्रमजीवी एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
44.	उत्तर रेल	2421/2422	राजधानी एक्सप्रेस

1	2	3	4
45.	उत्तर रेल	2423/2424	राजधानी एक्सप्रेस
46.	उत्तर रेल	2425/2426	राजधानी एक्सप्रेस
47.	उत्तर रेल	2471/2472	स्वराज एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
48.	उत्तर रेल	2475/2476	सर्वोदय एक्सप्रेस
49.	उत्तर रेल	2477/2478	सर्वोदय-जम्मू तवी-हापा एक्सप्रेस
50.	उत्तर रेल	2779/2780	गोवा एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
51.	उत्तर रेल	4057/4058	काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस
52.	उत्तर रेल	4083/4084	महानंदा एक्सेप्रस
53.	उत्तर रेल	4245/4246	ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
54.	उत्तर रेल	4659/4660	नई दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस
55.	उत्तर रेल	4667/4668	मालवा एक्सप्रेस
56.	उत्तर रेल	4681/4682	लुधियाना एक्सप्रेस
57.	उत्तर रेल	4709/4710	बीकानेर-चुरू लिंक एक्सप्रेस (मीटर लाइन)
58.	उत्तर रेल	4789/4790	बीकानेर एक्सप्रेस (मीटर लाइन)
59.	उत्तर रेल	4827/4828	रणकपुर एक्सप्रेस (मीटर लाइन)
60.	उत्तर रेल	4893/4894	जोधपुर मेल (मीटर लाइन)
61.	उत्तर रेल	2427/2428	अहमदाबाद-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
62.	उत्तर रेल	2437/2438	सिकंदराबाद-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
63.	उत्तर रेल	2029/2030	अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी (रिवर्स)
64.	दक्षिण मध्य	2713/2714	सतवाहिनी एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
65.	दक्षिण मध्य	2711/2712	पीनाकीनी एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
66.	दक्षिण मध्य	7021/7022	दक्षिण एक्सप्रेस
67.	दक्षिण मध्य	7017/7018	सिकंदराबाद-आर.जे.टी. एक्सप्रेस शिरडी का विस्तार
68.	दक्षिण मध्य	7061/7062	शिरडी एक्सप्रेस
69.	दक्षिण मध्य	7245/7246	रत्नांचल एक्सप्रेस
70.	दक्षिण मध्य	9769/9770	जयपुर-पूर्णा एक्सप्रेस
71.	दक्षिण मध्य	7057/7058	कोचीन-बिलासपुर
72.	दक्षिण मध्य	7081/7082	अहिल्यानगरी एक्सप्रेस
73.	दक्षिण मध्य	7029/7030	कोचीन-हैदराबाद
74.	दक्षिण मध्य	2715/2716	नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस
75.	दक्षिण मध्य	2703/2704	फलकनुमा एक्सप्रेस
76.	दक्षिण मध्य	7617/7618	तपोवन एक्सप्रेस
77.	दक्षिण पूर्व	2801/2802	पुरषोत्तम एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
78.	दक्षिण पूर्व	8001/8002	हावड़ा-बाम्बे मेल
79.	दक्षिण पूर्व	8033/8034	अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस
80.	दक्षिण पूर्व	8101/8102	मुरी एक्सप्रेस
81.	दक्षिण पूर्व	8301/8302	हीराकुंड एक्सप्रेस
82.	दक्षिण पूर्व	8401/8402	पुरी-ओखा एक्सप्रेस
83.	दक्षिण पूर्व	8601/8602	8101/02 के साथ सम्बद्ध टाटा-पी के टी एक्सप्रेस
84.	दक्षिण पूर्व	8689/8690	बोकारो-एलेप्पी एक्सप्रेस
85.	दक्षिण पूर्व	8543/8544	समता एक्सप्रेस
86.	दक्षिण पूर्व	8603/8604	रांची/हटिया - दिल्ली साप्ताहिक
87.	दक्षिण पूर्व	8553/8554	विशाखापत्तनम-हजरत निजामुद्दीन (बरास्ता विजयवाड़ा) सप्ताह में दो बार
88.	दक्षिण पूर्व	2021/2022	शताब्दी एक्सप्रेस
89.	दक्षिण रेल	2007/2008	शताब्दी एक्सप्रेस
90.	दक्षिण रेल	2023/2024	शताब्दी एक्सप्रेस
91.	दक्षिण रेल	2429/2430	राजधानी एक्सप्रेस
92.	दक्षिण रेल	2431/2432	राजधानी एक्सप्रेस
93.	दक्षिण रेल	2607/2608	लालबाग एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
94.	दक्षिण रेल	2617/2618	मंगला एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
95.	दक्षिण रेल	2633/2634	राजधानी एक्सप्रेस
96.	दक्षिण रेल	2637/2638	कुदाल नगर एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
97.	दक्षिण रेल	2875/2876	कोवई एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
98.	दक्षिण रेल	6045/6046	नवजीवन एक्सप्रेस

1	2	3	4
99.	दक्षिण रेल	6309/6310	कोचीन-पटना एक्सप्रेस
100.	दक्षिण रेल	6315/6316	कोचीन-हावड़ा एक्सप्रेस
101.	दक्षिण रेल	6335/6336	एन.सी.जे./टी.वी.सी.-जी.आई.एम. एक्सप्रेस
102.	दक्षिण रेल	6337/6338	कोचीन-राजकोट एक्सप्रेस
103.	दक्षिण रेल	6339/6340	एन.जी.सी.-एम.सी.एस.टी. एक्सप्रेस
104.	दक्षिण रेल	6341/6342	टी.वी.सी.-ई.आर.एन. एक्सप्रेस
105.	दक्षिण रेल	6501/6502	अहमदाबाद एक्सप्रेस
106.	दक्षिण रेल	6687/6688	नवयुग एक्सप्रेस
107.	दक्षिण रेल	6323/6324	टी.वी.सी.-हावड़ा एक्सप्रेस
108.	दक्षिण रेल	6343/6344	केरल (ई.आर.एस.)-निजामुद्दीन
109.	दक्षिण रेल	6505/6506	बेंगलरू-हजरत निजामुद्दीन (बरास्ता हुबली) साप्ताहिक
110.	दक्षिण रेल	2677/2678	बेंगलरू-सी.बी.ई. कोवई एक्सप्रेस का विस्तार
111.	दक्षिण रेल	6331/6332	तिरुवनंतपुरम-कुर्ला एक्सप्रेस
112.	पश्चिम रेल	2009/2010	शताब्दी एक्सप्रेस
113.	पश्चिम रेल	2473/2474	सर्वोदय एक्सप्रेस
114.	पश्चिम रेल	2933/2934	कर्णावती एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
115.	पश्चिम रेल	2955/2956	बाम्बे सेंट्रल-जयपुर एक्सप्रेस (सुपरफास्ट)
116.	पश्चिम रेल	9011/9012	गुजरात एक्सप्रेस
117.	पश्चिम रेल	9305/9306	शिपरा एक्सप्रेस
118.	पश्चिम रेल	9965/9966	भिलड़ी एक्सप्रेस (मीटर लाइन)

[अनुवाद]

सरकारी आवास का आवंटन

3078. श्री नरेश पुगलीया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार द्वारा न्यासों, स्मारकों और राजनीतिक दलों को सरकारी आवासों का आवंटन करने पर रोक लगा दी है और इस मामले में स्पष्ट नीति अपनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आवासों के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ग) 1998 के दौरान आज तक किए गए आवंटनों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं॰ 2560/97 में अपने दिनांक 10.11.98 के आदेश से केन्द्र सरकार द्वारा न्यासों, स्मारकों और राजनैतिक दलों को न्यायालय की अनुमति के बिना सुनवाई की अगली तारीख तक सरकारी आवासों का आवंटन करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को स्मारकों, न्यासों और राजनैतिक दलों को सरकारी आवास के आवंटन संबंधी नीति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

(ख) इस समय न्यासों और स्मारकों को सरकारी आवास आवंटन करने के दिशानिर्देश विद्यमान नहीं हैं। तथापि, गत समय कुछ मामलों में, प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर कुछ आवंटन किए गए हैं। राजनैतिक दलों को सरकारी आवासों का आवंटन दिनांक 24.10.85 और 10.08.98 के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं। इस समय राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय के साथ परामर्श करके इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राजनैतिक दल का नाम	आवंटित आवास	आवंटन की तारीख
1.	भारतीय जनता पार्टी	एच-I काली बाड़ी मार्ग (टाइप-I)	28.10.98
2.	भारतीय जनता पार्टी	61/20 एस-III डी आई जैड एरिया (टाइप-III)	2.9.98
3.	भारतीय जनता पार्टी	12/461 सै०-I डीआईजैड एरिया (2.2.98 को आवंटित के-5/12 एस-II डी आई जैड एरिया के बदले (टाइप-III)	14.9.98
4.	भारतीय जनता पार्टी	703 बी.के.एस. मार्ग (2.9.98 को आवंटित 18/1 बीएस-II डी.आई.जैड. एरिया के बदले) (टाइप-III)	29.10.98
5.	भारतीय जनता पार्टी	ए-234 पंडारा रोड (टाइप-IV)	3.9.98
6.	भारतीय जनता पार्टी	(3 विन्दुसार पैलेस (टाइप-VI)	28.5.98
7.	भारतीय जनता पार्टी	एबी-19 तिलक मार्ग (टाइप-VII)	20.8.98
8.	जनता दल	एबी-14, पंडारा रोड (टाइप-VIII बंगला सं. 9 अकबर रोड के बदले) (टाइप-VII)	11.11.98

कंक्रीट स्लीपर कारखाने को बंद किया जाना

3079. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर सीमांत रेल के अंतर्गत नई जलपाईगुड़ी में सितंबर, 1996 से कंक्रीट के स्लीपर कारखाने को बंद किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) मूल संविदा के अंतर्गत सप्लाई पूरी करने के पश्चात यह फर्म दिए गए तदर्थ क्रयादेशों के अंतर्गत स्लीपरों का विनिर्माण कर रही थी और उत्पादन अक्तूबर, 1997 तक जारी रहा। तत्पश्चात् उत्पादन बन्द करना पड़ा क्योंकि फर्म ने जून, 1997 में आमंत्रित खुली निविदा के अंतर्गत रेलों द्वारा दिए गए काउंटर आफर को स्वीकार नहीं किया था। अब दिसम्बर, 1998 में सप्लाई जारी रखने के उद्देश्य से 27.10.1998 को खोली गई नई निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक फर्म को दूसरा तदर्थ क्रयादेश दिया गया है।

सवारी डिब्बों का जोड़ा जाना

3080. **श्री चन्देश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को (1) जामनगर-जम्मू तवी रेल गाड़ी में तत्काल आरक्षण योजना के अंतर्गत दो अतिरिक्त आरक्षित सवारी डिब्बों को जोड़े जाने, (2) कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत दिल्ली के साथ संपर्क, और (3) राजकोट को रेल गाड़ी संख्या 1270/1269 से जोड़ने तथा भोपाल-राजकोट को रेल गाड़ी संख्या 211/212 से जोड़ने के संबंध में विभिन्न संगठनों और संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जामनगर-जम्मूतवी गाड़ी में तत्काल आरक्षण योजना के अन्तर्गत दो अतिरिक्त आरक्षित सवारी डिब्बे लगाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल गाड़ी सं. 212/1269 और 1270/211 में पोरबंदर और भोपाल के बीच थ्रू सवारी डिब्बे लगाने के लिए श्री चन्देश पटेल, संसद सदस्य के माध्यम से नवनगर चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, जामनगर सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

फिलहाल, 211/212 राजकाट-पोरबंदर फास्ट पैसेंजर राजकोट में दोनों दिशाओं में 1269/1270 राजकोट-भोपाल एक्सप्रेस को उपयुक्त मेल देती है। पोरबन्दर और भोपाल के बीच थ्रू सवारी डिब्बे लगाने की जांच की गई थी परन्तु व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

जहां तक कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दिल्ली के साथ जामनगर को लिंक करने का मामला है, कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली और सिकंदराबाद के 5 कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के नेटवर्क हेतु एक परियोजना शुरू की गई है जिसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। दिल्ली, सिकन्दराबाद और कलकत्ता प्रणाली को जोड़कर परियोजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक लागू किया गया है। नेटवर्क प्रणाली के लागू होते ही जामनगर शेष प्रणाली से जुड़ जाएगा।

फरीदाबाद में फ्लाई ओवर का निर्माण

3081. **डा० रवि मल्लू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में बाटा चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य कुछ पहले रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस फ्लाई ओवर का निर्माण शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। कार्य प्रगति पर है।

(ग) हरियाणा राज्य सरकार बोल्ट (निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण) के आधार पर एक चार लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की संभावनाओं का पता लगा रही है जो कि अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है। रेलवे ने पहले ही स्वीकृति दे दी है और रेलवे ने रेलपथ पर पुल के कार्य के निष्पादन के लिए धन जमा करने के लिए राज्य सरकार को कहा है क्योंकि कार्य का यह भाग रेलवे द्वारा निष्पादित किया जाना है।

[हिन्दी]

आराम बाग सरकारी कालोनी की दशा

3082. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आराम बाग कालोनी की टाइप-I तथा टाइप-II के सरकारी क्वार्टरों/गैराजों में जल-मल व्ययन लाइनों में सीलन की बुरी स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) कालोनी की मुख्य मल-व्ययन प्रणाली का अनुरक्षण, दिल्ली नगर निगम के पास है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मुख्य सीवर लाइन के अवरुद्ध होने की कुछ शिकायतें मिली थीं। सीवर के क्षतिग्रस्त भाग को बदल दिया गया और वर्तमान में कोई शिकायत नहीं है।

टाइप-I तथा टाइप-II क्वार्टरों में सीलन के लिए छत की मरम्मत कर दी गई। गैरेजों में सीलन का कारण, छज्जे पर पेड़-पौधे उग जाना है, जिसे अब हटा दिया गया है तथा सीलन के लिए, मरम्मत, चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

फ्रांस द्वारा सैन्य उपस्करों की बिक्री

3083. श्री दिलीप संघाणी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की सरकार ने भारत को सैन्य उपस्करों की बिक्री करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान और फ्रांस के बीच बड़े पैमाने पर सैन्य सहयोग को देखते हुए भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज : (क) जी हां।

(ख) भारत की सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार भारत की समग्र सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए फ्रांस सहित मित्र देशों से रक्षा सामग्री, उपस्कर और प्रौद्योगिकी का आयात करती है।

पार्कों का दुरुपयोग

3084. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में शिवालिक सहकारी समूह आवास निर्माण सोसाइटी लि॰ के स्कूलों के लिए निर्धारित पार्कों का दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन भूखंडों के प्रयोग हेतु अनुमति ली गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सोसायटी प्रबन्धनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) सहकारी समितियों के पंजीयक (रजिस्ट्रार) कार्यालय द्वारा किए गए निरीक्षण से पता चला है कि वास्तव में विद्यालय के लिए निर्दिष्ट सी-ब्लॉक पार्क का उपयोग समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न समारोहों/पारियों के आयोजन के लिए किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भूमि तथा विकास कार्यालय ने समिति को तत्काल दुरुपयोग रोकने का निर्देश दिया है। स्थानीय पुलिस तथा सहकारी समितियों के पंजीयक (रजिस्ट्रार) को भी परामर्श दिया गया है कि यदि समिति द्वारा फिर से दुरुपयोग किया जाता है तो वे उसे रोकें।

[हिन्दी]

पटना में कार्गो सुविधा

3085. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में सब्जियों और फलों के पर्याप्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यथा-कम समय में विमान से विदेशों को भेजने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या घरेलू मांग की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए पटना में एअर कार्गो सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) बिहार राज्य निर्यात निगम (बिहार सरकार का उपक्रम) का विमानपत्तन के अहातों से बाहर एक एअर कार्गो परिसर विकसित करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमान प्रचालन की दृष्टि से कार्यस्थल संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। विमान कंपनियां मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रख कर बिहार से शीघ्र खराब होने वाले कार्गो को विमान से ले जाने हेतु कार्गो सेवाएं प्रचालित करने के संबंध में स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

एन॰एस॰सी॰ की स्थापना

3086. श्री मोहनुल हसन अहमद :
श्री डी॰एस॰ अहिरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसे कौन-कौन से कार्य सौंपे गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) एक छह सदस्यीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं तथा रक्षा, वित्त, गृह, विदेश मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यों में पुनरीक्षा करना, मानीटरी करना, दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाना तथा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर नीतिगत विकल्पों पर विचार करना शामिल होगा।

फ्लटन (महाराष्ट्र) में हवाई पट्टी का निर्माण

3087. डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले के फ्लटन में विमानपत्तन पर कोई हवाई पट्टी या विमानपत्तन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित स्थल का नाम क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) सतारा में फ्लटन हवाई पट्टी महाराष्ट्र राज्य सरकार की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई पट्टी के विकास संबंधी कोई योजना नहीं है।

श्रीनगर विमानपत्तन

3088. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर विमानपत्तन जिसे जून में हवाई यातायात के कारण बंद कर दिया गया था, को नवम्बर, 1998 में सामान्य हवाई यातायात के लिए पुन: खोल दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) श्रीनगर विमानपत्तन को पहली दिसम्बर, 1998 से सामान्य हवाई यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है।

[हिन्दी]

चालेश्वर स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन

3089. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक रेल यात्रियों में चालेश्वर रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर मजिस्ट्रेट चैकिंग के दौरान शिकोहाबाद से आगरा जाने वाली गाड़ी के इंजन को क्षति पहुंचाई और रेलवे स्टेशन को आग लगा दी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा इससे कितनी सरकारी सम्पति को नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच करवाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां 24.8.98 को आप एस. टी. ए. यात्री गाड़ी शिकोहाबाद से चलकर 9 बजे चालेश्वर स्टेशन पहुची थी। टिकट रहित यात्रियों के लिए गाड़ी की सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों द्वारा जांच की गयी थी। जांच के दौरान एक यात्री ने गाड़ी से छलांग लगा दी और रेल पथ पर जा गिरा। चलती गाड़ी के नीचे उसका पैर कट गया। चैकिंग कर्मचारियों के स्टेशन से चले जाने के पश्चात यात्री उत्तेजित हो गए तथा स्टेशन मास्टर एवं उनके अन्य रेल कर्मचारियों के साथ हाथापाई होने लगी। खिड़कियां एवं टेलीफोन तोड़ दिए तथा स्टेशन रिकार्ड जला दिया गया।

(ग) और (घ) सूचना पर रेल अधिनियम की धारा 146, 151 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 436, 427 के अंतर्गत अनजान यात्रियों के विरुद्ध एक मामला सं. 235/98 राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, टूंडला में दर्ज किया गया था। मामले की छानबीन राजकीय रेल पुलिस के प्राधिकारियों द्वारा की गयी थी। बहरहाल, अभियुक्तों की पहचान नहीं की जा सकी और तत्पश्चात दि. 12.10.98 को अंतिम रिपोर्ट सं. 27 के तहत मामल बंद कर दिया गया था।

[अनुवाद]

अहमदाबाद विमानपत्तन पर जन सुविधाएं

3090. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद विमानपत्तन पर यात्रियों और उनके साथ आने वालों के लिए जन सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों के बैठने के लिए कोई प्रबंध नहीं है और नाश्ते इत्यादि की दर बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विमानपत्तन पर यात्रियों के बैठने के लिए प्रबंध करने और नाश्ते इत्यादि की दरों को देश के अन्य विमानपत्तनों की दरों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) जी, नहीं। टर्मिनल भवन के अंदर सीट क्षमता की व्यवस्था की गयी है तथापि, उड़ानों के जमघट हो जाने के समय, प्रस्थान हॉल में बहुत अधिक भीड़-भाड़ हो जाती है। अल्पाहार के लिए वसूले जाने वाले मूल्य सही होते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के आगमन हॉल और अन्तर्देशीय प्रस्थान हॉल, दोनों के सामने होल्डिंग/लाउंस के विस्तार और आगन्तुकों के लिए एक हॉल की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है।

सांसदों के आवासों के रखरखाव पर किया खर्चा

3091. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष साउथ एवेन्यू तथा नॉर्थ एवेन्यू स्थित सांसदों के फ्लैटों के रख-रखाव पर कितना खर्च किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें छोटे-छोटे कार्यों के लिए ठेकेदार को ठेका देने का क्या कारण है; और

(घ) ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान साउथ एवेन्यू और नार्थ

एवेन्यू में सांसदों के फ्लैटों के रखरखाव पर खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :

वर्ष	खर्च (लाख रुपए में)
1995-96	372.32
1996-97	491.93
1997-98	558.12

(ख) जी नहीं।

(ग) विभागीय श्रमिक केवल रोजमर्रा की शिकायतों को दूर करने के लिए ही पर्याप्त पड़ते हैं। अन्य कार्यों जैसे आवधिक मरम्मत कार्य और लघु कार्य ठेकेदार के जरिए कराए जाते हैं।

(घ) ठेकेदार द्वारा कराए गए कार्य के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्टेनलेस स्टील की चमकदार छड़ों के विरुद्ध मामले

3092. **श्री एस०एस० ओवेसी :**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूरोपीय संघ में स्टेनलेस स्टील की चमकदार छड़ों के विरुद्ध मामले में हार गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों को क्षतिपूर्ति शुल्क से छूट मिल गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है तथा यूरोपीय संघ के इस निर्णय से इस्पात छड़ों का निर्यात किस हद तक प्रभावित होगा; और

(ङ) इस्पात के निर्यात को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) यूरोपीय उद्योग द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यूरोपीय आयोग ने यह आरोप लगाते हुए कि भारत सरकार आयात-निर्यात नीति अर्थात ई. पी. जैड. योजना, पास बुक योजना/ड्यूटी इन्टाइटेलमेन्ट पास बुक योजना, ई. पी. सी. जी. योजना और निर्यातकों को दी गई आयकर छूट के तहत अपनी निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत अपनी निर्यात संवर्धन योजनाओं के माध्यम से अपने निर्यातकों को भारत से भेजे जाने वाली स्टेनलैस स्टील ब्राइट बार (एस. एस. बी. बी.) के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, अक्तूबर, 1997 में आर्थिक सहायता-रोधी कार्यवाही शुरू की थी। चूंकी निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों में कोई इकाई/कंपनी स्थित नहीं, इसलिए यूरोपीय आयोग ने इसे आर्थिक सहायता के क्षेत्राधिकार से हटा दिया है।

तथापि, यूरोपीय आयोग ने यह कहते हुए अपनी जांच का निष्कर्ष निकाला है कि इन योजनाओं के अंतर्गत प्रोदभूत लाभ प्रति व्यवहार्य आर्थिक सहायता है, जो घरेलू उद्योग के लिए नुकसानदेह है।

(ग) और (घ) आयोग द्वारा दो इकाइयों अर्थात मैसर्स पंचमहल स्टील लिमिटेड, बड़ौदा तथा मैसर्स पारेख ब्राइट बार्स प्राइवेट लिमिटेड पर कोई काउंटरवेलिंग शुल्क लगाने से यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली भारतीय बेदाग इस्पात छड़ों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तथापि प्रभाव का सही-सही अंकन करना मुश्किल है।

(ङ) इस्पात का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक कदम है—विकास आयुक्त लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में इस्पात निर्यातक मंच का गठन किया गया है। प्रमुख इस्पात उत्पादक एसोशिएशन इस समिति के सदस्य हैं। मंच के मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) ऐसे तरीके जो आवश्यक अथवा तात्कालिक हों, से लोहे और इस्पात के निर्यात का समर्थन, संरक्षण, अनुरक्षण, वृद्धि और संवर्धन करना।

(ख) सघन बाजार अनुसंधान के जरिए सम्भाव्य निर्यात बाजार अभिज्ञात करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट मांग को पूरा करने के लिए उत्पादों का विकास करना।

निर्यात की सुविधा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) निर्यात से आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तनीयता।

(2) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत निर्यातकों को कच्चे माल की अपनी आवश्यकताओं का बिना शुल्क के आयात करने की सुविधा उपलब्ध है।

(3) निर्यात वस्तुओं का विनिर्माण करने में प्रयुक्त होने वाली किसी भी आयातित अथवा उत्पाद कर योग्य सामग्री के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापिस करना।

(4) निर्यात से अर्जित आय को खण्ड 80 एच. एच. सी. के अतंर्गत आयकर से छूट देना; तथा

(5) लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोहे और इस्पात की अधिकांश मदों पर ड्यूटी इन्टाइटेलमैंट पास बुक (डी. ई. पी. बी.) के तहत ड्यूटी क्रेडिट दरों में वृद्धि करना।

एम० ई० एस० में धोखाधड़ी

3093. **डा० विजय सोनकर शास्त्री :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1998 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में 'फाइव फारमर एस. ई. एस. आफिसिवल्स चार्जशीटेड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के क्या तथ्य दिए गए हैं; और

(ग) एम. ई. एस. को बढ़ते भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली छावनी स्थित आर एंड आर अस्पताल में मेकैनिकल लांडरी संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना तथा उसे चालू करने के निर्मित्त अत्यधिक दरों पर संविदा देने के लिए सैन्य इंजीनियरी सेवा के पांच अफसरों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत द्वारा सभी अफसरों के विरुद्ध अभियोजन तथा मुकदमे की कारवाई चलाई जा रही है।

(ग) सैन्य इंजीनियरी सेवा के कार्य-संचालन में कदाचारों को रोकने के लिए नियमित सतर्कता बरती जाने के साथ ही कुछ अतिरिक्त उपाय जैसे वरिष्ठ अफसरों की समिति द्वारा संविदाकारों की चयन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, सतर्कता जांचों में तेजी लाने, अनुशासनिक कार्यवाहियों में तत्परता बरतने तथा अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं।

सवारी डिब्बों में वृद्धि

3094. श्री दिनशा पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा-गोधरा-बडौदा के बीच ई. एम. यू. रेलगाड़ी में सवारी डिब्बे बढ़ाने के संबंध में सरकार को कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस समय बडोदरा और गोधरा के बीच ईएमयू गाड़ियां नहीं चल रही हैं। बहरहाल, बडोदरा-गोधरा खंड पर एमाईएमयू गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए श्रीमती उर्मिलाबेन चिमन भाई पटेल संसद सदस्य सहित अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) 1.6.1998 से बडोदरा-गोधरा-रतलाम खंड पर एमाईएमयू गाड़ियों में 4 सवारी डिब्बे बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा, इन एमाईएमयू गाड़ियों की वृद्धि परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

नई रेल लाइनें

3095. श्री विट्ठल तुपे :
श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों, जिनके बारे में सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, को बिछाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जब फरवरी, 1999 में संसद में 1999-2000 का रेल बजट प्रस्तुत होगा तब जानकारी प्राप्त होगी।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा वेतन संबंधी समझौता

3096. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री विकास चौधरी :
श्री सुनील खां :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और विमान निगम कर्मचारी संघ के बीच सितम्बर, 1990 से पांच वर्षों की अवधि के लिए वेतन संबंधी समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन तथा भत्तों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एअरक्राफ्टस टेक्नीशियन्स एशोसिएशन के बीच 1 सितम्बर, 1990 से पांच वर्षों की अवधि के लिए कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इंडियन एअरक्राफ्टस टेक्नीशियन्स एशोसिएशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइंस और मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के बीच वेतन समझौता होने वाला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) कर्मचारी श्रेणियों की एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज यूनियन के साथ 1.9.1990 से 31.8.1995 की अवधि के लिए वेतन संबंधी समझौता हो चुका है और यह समझौता दो काल खंडों में अर्थात सितम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1991 तक तथा जनवरी, 1992 से अगस्त, 1995 तक के संबंध में निष्पादित हुआ था। सितम्बर, 1990 में दिए गए वेतन वृद्धि की प्रतिशतता विभिन्न स्तरों पर 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की सीमा में तथा जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार 14 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच बैठती है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरक्राफट टेक्नीशियंस एसोशिएशन के साथ 1.9.1990 से 30.12.1996 की अवधि के लिए वेतन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और उस पर भी दो काल-खंडों अर्थात सितम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1991 तथा जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 1996 के संबंध में समझौता संबंधी हस्ताक्षर हो चुके हैं। सितम्बर, 1990 में दिए वेतन वृद्धि की प्रतिशतता विभिन्न स्तरों के लिए 9 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत के बीच तथा जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार 25 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के बीच बैठती है।

(ङ) और (च) मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोशिएशनों के साथ भी विचार-विमर्श चल रहा है।

अवैध खानें

3097. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
श्री जी० गंगा रेड्डी :
श्री सोम मरान्डी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में कार्यरत अवैध खानों की कोई सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अवैध खानों को बंद किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) केन्द्र सरकार ऐसी कोई सूची नहीं रखती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अवैध खनन के मामलों का पता लगने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइन पर चट्टान गिरना

3098. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 14 सितम्बर, 1998 को लगातार वर्षा होने के कारण नागपुर रेलवे डिवीजन में मुल्ताई तथा मेयाकटा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन पर एक बड़ी चट्टान गिरने से रेलवे लाइन पूर्ण रूप से बंद हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वर्षा काल के दौरान रेलवे लाइनों का कोई सर्वेक्षण नहीं करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। 'च387'

प्रति वर्ष, पूर्व मानसून सर्वेक्षण किया जाता है और अस्थिर शिलाखंड या कटिंग में मिट्टी जिसके गिरने की संभावना हो और रेलवे लाइन में बाधा पहुंचाते हैं, मानसून की शुरुआत से पहले ही हटा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थानों पर जहां ऐसी समस्याएं प्रत्याशित होती हैं, स्थाई चौकीदार एवं गश्त कर्मी तैनात किए जाते हैं। बहरहाल इस खंड में इतनी वर्षा पहले कभी नहीं हुई क्योंकि इस क्षेत्र में सामान्य/औसत वर्षा की अपेक्षा यह बहुत अधिक है। बहरहाल, वर्षा ऋतु के दौरान रेल पथ पर लगातार निगरानी और गश्त द्वारा ऐसे घटनाओं के कारण होने वाली यातायात की बाधाओं को रोकने के प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रेलों का पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात में बाधा

3099. **श्री माधराव पाटील :**
श्री अभय सिंह एस० भोंसले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री और माल गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं के कारण रेल यातायात में बार-बार बाधा पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यातायात में इस तरह की बाधा से पिछले दो वर्षों के दौरान जोन-वार और स्थान-वार कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां, पिछले तीन वर्षों में रेल दुर्घटनाओं (पटरी से उतरने सहित) के कारण रेल यातायात में व्यवधान निम्नानुसार पड़ा था :-

1995-96	6661 घंटे
1996-97	5289 घंटे
1997-98	4526 घंटे

(ख) भारतीय रेलें गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण स्थान-वार गाड़ियों के रद्द होने के आंकड़े नहीं रखती हैं।

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की भूमि का उपयोग

3100. **श्री के०एच० मुनियप्पा :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार गोल्ड फील्ड में 12,000 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है जो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के क्षेत्राधिकार में आती है;

(ख) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व कर्मचारियों को इस भूमि पर पुनर्वासित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने अपने पूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास में सहायता करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है :-

(1) हटाए गए कर्मचारियों/आश्रितों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोलार गोल्ड फील्ड को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत की।

(2) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत हटाए गए कर्मचारियों को बी. जी. एम. एल. क्षेत्र में रेशम उत्पादन सेरीकल्चर विकसित करने के लिए सहकारी संस्था बनाने को कहा गया है। कंपनी ने उनके प्रशिक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध करने के लिए कपड़ा मंत्रालय, बंगलौर के नियंत्रणाधीन रेशम बोर्ड से सम्पर्क स्थापित किया है।

(3) कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के घरों सहित लगभग 1000 एकड़ भूमि के, परस्पर सहमत शर्तों पर, समीपस्थ नगर पालिका क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु कर्नाटक सरकार को पत्र लिखा गया है।

[हिन्दी]

रेल को हुई हानि

3101. **प्रो० रीता वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मार्शलिंग यार्डों में रेल वैगनों को निर्धारित समय से ज्यादा रोके रखने के कारण 1995 से जोन-वार कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मालगाड़ियों के अपने गंतव्य स्थान हेतु विलम्ब से प्रस्थान करने के कारण कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस तरह की हानि के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) मालगाड़ियों की विन्यास यार्ड में रुकौनी तथा विलंब से प्रस्थान कुल माल गाडी परिचालन का एक भाग है। परिचालनों के समग्र पहलू को ध्यान में रखे बिना परिचालन का कतिपय पहलुओं का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। माल डिब्बा किलोमीटर प्रति माल डिब्बा दिन और शुद्ध टन किलोमीटर प्रति माल डिब्बा दिन माल डिब्बा उपयोग और मालगाड़ी संचालन के दो सर्वोनम सूचकांक हैं। 1990-91 से 1996-97 की अवधि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	शुद्ध टन कि.मी./ माल डिब्बा दिन (ब.ला.)	माल डिब्बा कि.मी./ माल डिब्बा दिन (ब.ला.)
90-91	1407	110.5
91-92	1439	113.2
92-93	1457	116.4
93-94	1506	125.0
94-95	1591	138.0
95-96	1792	151.2
96-97	1840	157.8

1990-91 और 1996-97 के बीच शुद्ध टन किलोमीटर प्रति माल डिब्बा दिन में 30.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इस अवधि के दौरान माल डिब्बा किलोमीटर प्रति माल डिब्बा दिन में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो माल डिब्बा उपयोग और माल डिब्बा संचालन में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है, अतः हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खगड़िया-समस्तीपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3102. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री विजय कुमार 'विजय' :
श्री हीरा लाल राय :

क्या रेल मंत्री खगड़िया-समस्तीपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन के बारे में 11 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस परियोजना को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य औपचारिकताएं पूरी किए जाने की आवश्यकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब यह कार्य बजट में शामिल किया गया था तब सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था। तत्पश्चात सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है और योजना आयोग को मूल्यांकन हेतु भेजी जा रही है, उनके मूल्यांकन के पश्चात ही विस्तारित बोर्ड और आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

बेड़े में वृद्धि

3103. **श्री संदीपन थोरात : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों के विभिन्न मार्गों पर बढ़ते यातायात के भार से निपटाने के लिए पुराने विमानों तथा कार्य न कर रहे हेलीकाप्टरों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने तथा इसके बेड़े में नए हवाई जहाज शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इसके बेड़े में शामिल किये गए नये विमानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) दोनों विमानकंपनियों द्वारा बेड़े का विस्तार/नवीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कारक विमान कंपनियों के संसाधन, यातायात अपेक्षाएं विमानों की किस्म संबंधी उपयुक्तता तथा विभिन्न सैक्टरों/मार्गों पर प्रचालनों की व्यवहार्यता से संबंधित हैं।

गत तीन वर्ष के दौरान एअर इंडिया ने अपने बेड़े में दो बी 747-400 विमानों को शामिल किया है।

इंडियन एयरलांइस ने गत तीन वर्ष के दौरान अपने बेड़े में किसी नए विमान को शामिल नहीं किया है।

रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

3104. श्री एस० सुधाकर रेड्डी :
श्री के० येरननायडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अक्टूबर, 1998 को गुंटूर जिले के सतनापल्ली के निकट हैदराबाद-नरसापुर एक्सप्रेस और 15 अक्टूबर, 1998 को हैदराबाद और गुंटूर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। 2 गाड़ियों के पटरी से उतरने का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(1) 8.10.98 को दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल पर सतेनपल्ली पेदाकुरापाटु स्टेशनों के बीच 7056 हैदराबाद-नरसापुर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। रेल संरक्षा आयुक्त/प्रारंभिक जांच के अनुसार दुर्घटना का कारण तोड़फोड़ हैं।

(2) 15 अक्टूबर, 1998 को गाड़ी के पटरी से उतरने की दूसरी घटना दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल पर श्रीरामपुरम-नलगोंडा स्टेशनों के बीच 7006 इंटरसिटी एक्सप्रेस की हुई थी। यह दुर्घटना मानवीय चूक के कारण हुई थी।

(ग) (1) 7056 एक्सप्रेस गाड़ी के उतरने की घटना जो अक्टूबर 8, 1998 को हुई थी, में मारे गए/ घायल हुए व्यक्तियों की संख्या :-

मारे गये - 11 घायल - 37

(2) 7006 इंटर सिटी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना जो 15 अक्टूबर, 1998 को हुई थी, में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या :-

मारे गए-कोई नही. घायल हुए-12

(घ) और (ङ) जी हां। (1) दिनांक 8.10.98 को हुई 7056 एक्सप्रेस की दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त दक्षिण मध्य सर्किल द्वारा की जा रही है।

(2) 7006 इंटर सिटी एक्सप्रेस की दुर्घटना की जांच भारतीय रेलों पर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों के एक दल द्वारा की जा रही है।

राष्ट्रीय किराया नियंत्रण कानून

3105. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी राष्ट्रीय आवास नीति, 1998 में यथा प्रस्तावित देश में किराए के मकानों में निवेश करने का प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय किराया निबंत्रण कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कानून को कब तक लागू कर दिए जाने की आशा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वैगन मरम्मत केंद्र की स्थापना

3106. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कांताबांगी में वैगन मरम्मत केंद्र की स्थापना करने का विचार है क्योंकि लोको शेड कांताबांगी से टिटलागढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का दानकर्ता और रेलवे के बीच हुए समझौते के अनुसार इसकी भूमि दानकर्ता को लौटाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) भूमि का उपयोग एक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र, जो पहले से ही कार्य कर रहा है, के लिए किया गया है और वहां एक आपरेटिंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लेखा परीक्षा

3107. श्री अरविन्द कांबले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों का पिछले चार वर्षों के दौरान लेखा परीक्षा नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्राधिकरण के सभी विमानों के लेखा परीक्षा किए जाने के लिए तथा इसके निष्कर्ष सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1994-95 तक के लेखापरीक्षित लेखे संसद के सम्मुख रखे जा चुके हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन पूर्व राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करके दिनांक 1-4-95 से किया गया है जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1996-97 तक के लेखा परीक्षित लेखे संसद के सम्मुख प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

अहमदाबाद के लिए उड़ानों का मार्ग बदलना

3108. डा० बल्लभभाई कथीरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइंस ने कुछ और उड़ानों को बदले हुए मार्ग से अहमदाबाद तक भेजने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने पहले ही कलकत्ता/अहमदाबाद/पुणे/बंगलौर/चेन्नई मार्ग पर प्रचालन करके अहमदाबाद को पुणे से सप्ताह में तीन बार बी. 737 सेवाओं से जोड़ा हुआ है।

दूरसंचार नेटवर्क

3109. श्री आर०एस० गवई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने भारतीय रेल को इस आशय की सूचना दी है कि विभाग भविष्य में रेलवे दूरसंचार लाइन का रखरखाव नहीं करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन मतभेदों को दूर करने हेतु भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पास कोई अपील लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या रेलवे ने अपने दूरसंचार नेटवर्क के रखरखाव हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूर संचार विभाग (डी ओ टी) से बेहतर सेवाएं प्राप्त करने हेतु भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) से उनकी सहायता लेने हेतु कुछ रेलों ने अनुरोध किया था। दूर संचार विभाग, रेलों और टी आर ए आई के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक की व्यवस्था टी आर ए आई द्वारा की गई थी जिसमें अनुरक्षण में सुधार की आवश्यकता और सर्किट के अनुरक्षण में कठिनाइयों पर चर्चा की गई थी। दूर संचार विभाग सर्किट के अनुरक्षण में सुधार करने हेतु सहमत हो गया था।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खर्च में कटौती

3110. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा० सुशील इन्दौरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कर्मचारियों की संख्या में कमी करने तथा वेतन परिलब्धियों सहित अन्य खर्चों में कटौती करने के संबंध में वित्त मंत्रालय से कोई अनुदेश प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। सरकारी खर्च में किफायत के संबंध में वित्त मंत्रालय के अनुदेश इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश शामिल था कि उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को इस प्रकार भरा जाए जिससे मौजूदा कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और सोपान के निचले स्तर के रिक्त पद अधिकतम संभव सीमा तक समाप्त हो जाएं। इन अनुदेशों में गैर-वैतनिक सचिवालय व्यय यथा यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तेल स्नेहक, समयोपरि भत्ता/मानदेय आदि में 10 प्रतिशत की आवश्यक कटौती का भी उल्लेख है।

(ख) इस मंत्रालय ने ये अनुदेश संबंधित इकाइयों को अनुपालन के लिए भेज दिए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की बिक्री

3111. **श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक, सामाजिक, वाणिज्यिक बौर शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि बेची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेची गई इस भूमि का मूल्य बाजार मूल्य से कम आंका गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मूल्य कम रखने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गत 3 वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं को आवंटित की गई भूमि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1995-96-सं॰	131	(लगभग)
1996-97-सं॰	130	(लगभग)
1997-98-सं॰	136	(लगभग)

इसी प्रकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आम/नीलामी के द्वारा 147 वाणिज्यिक प्लाटों को बेचा है, जिसमें से 7 प्लाटों का कब्जा कोर्ट केस के होने की वजह से नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा संस्थानों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सांस्थानिक भूमि की दर निर्धारित की जाती है। जहां तक वाणिज्यिक सम्पत्तियों का सम्बन्ध है सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है और सम्पत्ति नीलामी के द्वारा बेची जाती है।

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

3112. **श्री रामपाल उपाध्याय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत छह महीनों के दौरान रेलगाड़ियों की समयबद्धता तथा यात्रियों की सुरक्षा पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो जो रेलगाड़ियां समय तालिका का पालन नहीं कर सकी हैं उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने तथा रेलगाड़ियों को समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) दैनिक यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने और गाड़ियों का समयपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) असुरक्षित स्थिति को रोकने और गाड़ी परिचालन में तैनात फील्ड कर्मचारियों के मन में सजगता की भावना सृजित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(2) संरक्षा संगोष्ठियां आयोजित करके संरक्षा पोस्टरों, हस्त पुस्तिकाओं और संरक्षा बुलेटिन के प्रकाशन के माध्यम से संरक्षा जागरूकता बेहतर बनाने के लिए रनिंग और स्टेशन कर्मचारियों को परामर्श देना।

(3) सवारी डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने पर निषेध के लिए जनता में जागरूकता के लिए प्रचार अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

(4) विशेषकर 'ए' और 'बी' मार्गों पर स्थित स्टेशनों पर रनिंग लाइनों पर रेलपथ में सुधार।

(5) सवारी एवं माल डिब्बा डिपुओं में सवारी डिब्बों की गुणवत्तापरक सवारी एवं माल डिब्बा जांच।

गाड़ियों का समयपालन बनाए रखने के लिए मंडल स्तर और मुख्यालय स्तर पर बिन्दु-दर-बिन्दु निगरानी और फुट प्लेट निरीक्षण नियमित आधार पर किए जाते हैं। मंडल के मंडल रेल प्रबंधक और क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों द्वारा दैनिक समयपालन सम्मेलन आयाजित किए जाते हैं। कतिपय नामित गाड़ियों के समयपालन पर निगरानी रखने के लिए रेलवे बोर्ड में समयपालन कक्ष चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है।

वैगनों को यार्ड में रोक रखना

3113. **श्री के० येरननायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मालडिब्बों के यार्ड में समय सीमा से अधिक खड़े रहने के कारण 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जैसाकि महालेखा नियंत्रक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मालडिब्बों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। मार्शलिंग यार्ड परिचालन

गाड़ी परिचालन का एक छोटा सा भाग है। परिचालन के समूचे पहलुओं को ध्यान में रखे बिना परिचालन के कुछ भाग का अध्ययन करके निर्णय लेना सही नहीं होगा। माल डिब्बा उपयोगिता और मोबिलिटी के दो सर्वोत्तम सूचकांक माल डिब्बा किलोमीटर/माल डिब्बा दिन और शुद्ध टन किलोमीटर/माल डिब्बा दिन है। 1990-91 से 1996-97 की अवधि के लिए ब्यौरा इस प्रकार है :-

	शुद्ध टन किलोमीटर माल डिब्बा दिन (ब.ला.)	माल डिब्बा किलोमीटर/ माल डिब्बा दिन (ब.ला.)
90-91	1407	110.5
91-92	1439	113.2
92-93	1457	116.4
93-94	1506	125.0
94-95	1591	138.0
95-96	1792	151.2
96-97	1840	157.8

1990-91 और 1996-97 के बीच शुद्ध टन किलोमीटर/माल डिब्बा दिन 30.7% बढ़ गया है, जब कि इसी अवधि में माल डिब्बा किलोमीटर/ माल डिब्बा दिन 43% बढ़ गया है जो माल डिब्बा उपयोगिता और माल डिब्बा मोबिलिटी में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।

एच०ए०एल० में विमानों का उन्नयन कार्य

3114. **श्री के०सी० कॉडय्या :**
श्री एच०जी० रामुलू :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) एयरपोर्ट, बंगलौर के उन्नयन का काम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानपत्तन के इंटरनेशनल टर्मिनल का कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि का अनुमान लगाया गया है;

(घ) इंटरनेशनल टर्मिनल राष्ट्र को कब तक समर्पित कर दिया जाएगा; और

(ङ) बंगलौर से किन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 21.83 करोड़ रु० की लागत से बंगलौर विमानपत्तन पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का स्तरोन्नयन कार्य शुरू कर दिया है। दिसम्बर, 1998 तक इस कार्य के पूरा होने की प्रत्याशा है और टर्मिनल को जनवरी, 1999 तक चालू कर दिया जाएगा। केन्द्रीय वातानुकूलन व संस्थापन करके एयरोब्रिजों को जून, 1999 तक चालू कर दिया जाएगा।

(ङ) बंगलौर से और अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करने का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस समय, इंडियन एयरलाइंस बंगलौर से निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कर रही हैं :-

बंगलौर-मस्कट	सप्ताह में तीन बार
बंगलौर-शारजाह	सप्ताह में तीन बार
बंगलौर-सिंगापुर	सप्ताह में तीन बार।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में सस्ती दरों पर इस्पात की बिक्री

3115. **श्री शकुनी चौधरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की निजी क्षेत्र के साथ सांठगांठ से इस्पात सस्ती दर पर बेचा जा रहा है जिसके कारण संयंत्र को 2.45 करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जोनल कार्यालय का स्थानांतरण

3116. **श्री एच०जी० रामुलू :**
श्री बी०एम० मेनसिंकाई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में दक्षिण-पश्चिम जोन की स्थापना किस तिथि को की गई थी;

(ख) क्या उक्त जोन को हुगली स्थानांतरित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक हुगली स्थानांतरित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का हुगली में रेल भर्ती बोर्ड की स्थापना करने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) दक्षिण पश्चिम ज़ोन की 16.9.1996 में स्थापना की गई थी और 01.11.1996 को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन का उन्नयन

3117. **श्री एन० डैनिस** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन के विस्तार एवं आधुनिकोकरण के संबंध में सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एअर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस की रात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन हेतु विमानपत्तन की सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर निम्नलिखित विकास के कार्य किए गए हैं :-

1. एप्रन का विस्तार दिसम्बर, 1998 तक पूरा किए जाने की संभावना है।
2. अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का वातानुकूलन दिसम्बर, 1998 में पूरा किए जाने की संभावना है और
3. टर्मिनल भवन का अंतरिम संवर्धन मार्च, 1999 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) और (ग) तिरुवनन्तपुरम विमानपत्तन पर रात्रि अवतरण सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं।

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलना

3118. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी क्षेत्र विशेषकर डाल्टन गंज में और अधिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र खोले जाने संबंधी मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी हां, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच में काफी लोकप्रिय है और इसके लिए देश के सभी भागों से स्थानीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से मांगें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें उन स्टेशनों/स्थानों पर मुहैया कराया जाता है जिनकी संभाव्यता औचित्यपूर्ण होती है बशर्ते कि संसाधन/धनराशि उपलब्ध हो। इस समय में इस प्रकार की सुविधाएं उन स्टेशनों/स्थानों पर मुहैया कराई गई हैं जहां आरक्षण का कार्यभार प्रतिदिन 200 और अधिक हों। वर्तमान में डाल्टनगंज फिलहाल इस कोटि में नहीं आता है। कार्यभार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

कर्तव्यों का निर्वाह

3119. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में रेल कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तथा अन्य कर्मचारियों को अपने स्थान पर कार्य करने हेतु मजबूर किया जाता है तथा पूरा वेतन प्राप्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितने रेल टिकट निरीक्षक स्टाफ के विरुद्ध कर्तव्यों को निर्वाह नहीं किए जाने तथा अन्य कर्मचारियों को इनके स्थान पर कर्तव्यों का निर्वाह किए जाने हेतु मजबूर किए जाने के संबंध में प्रमाण प्राप्त हुए हैं; और

(ग) ऐसे भ्रष्ट रेल कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) इलाहाबाद मंडल के चार रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों में से एक में इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। उनके विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी हो जाने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

मैसूर रेलवे वर्कशाप में वातानुकूलित डिब्बों की आवधिक रूप से सम्पूर्ण मरम्मत करना

3120. **श्री ए० सिदराजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर रेलवे वर्कशाप में डिब्बों की आवधिक रूप से पूरी तरह से मरम्मत करने की वर्तमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या उक्त वर्कशाप में डिब्बों की आवधिक रूप से पूरी तरह से मरम्मत करने की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या उक्त वर्कशाप में वातानुकूलित डिब्बों की आवधिक रूप से पूरी तरह से मरम्मत करने संबंधी सुविधा को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या रेल बोर्ड ने उक्त प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्तमान क्षमता प्रतिमाह बड़ी लाइन के 40 सवारी डिब्बों की है।

(ख) नौवीं योजना के अंत तक आवधिक ओवर हालिंग की क्षमता 40 सवारी डिब्बे प्रतिमाह से बढ़ाकर 57 सवारी डिब्बे, प्रतिमाह करने की योजना है।

(ग) नौवीं योजना के अंत तक प्रतिमाह 6 वातानुकूलित सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग के लिए सुविधा सृजित करने की योजना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निवेश संबंधी प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

(ङ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

अंकलेश्वर-राजपीपला रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3121. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा अंकलेश्वर-राजपीपला लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने हेतु सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस लाइन पर यातायात की पर्याप्त संभावना नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस स्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त लाइन के संबंध में पुन: सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी आवास वापिस लेना

3122. श्री एच०पी० सिंह : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों से सरकारी मकान वापिस लेने का है जिनके पास दिल्ली में अपने मकान हैं;

(ख) क्या कई कर्मचारियों जिनके अपने मकान नहीं हैं को समय से सरकारी आवास नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) सरकारी वास (दिल्ली में सामान्य पूल) का आवंटन नियमावली, 1963 के प्रावधानों के अनुसार कोई अधिकारी यदि उसके पास कार्य स्थल पर अपने नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से मकान है तो वह सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर सरकारी वास के आवंटन के लिए पात्र है। अपने मकान वाले कर्मचारियों को सरकारी वास के आवंटन से वर्जित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी हां। चालू आवंटन वर्ष के लिए प्राप्त समिति आवेदन-पत्रों के आधार पर दिल्ली में विभिन्न टाइप के वास के आवंटन के लिए 31,774 केन्द्र सरकारी कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) सामान्य पूल वास शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सीमित संसाधनों में ही मौजूदा आवास स्टॉक को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के 1178 मकान बनाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

गाड़ियों का ठहराव

3123. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव प्रदान करने संबंधी वर्तमान नियम क्या है;

(ख) क्या विभिन्न रेल "जोनों" में हाल ही में कुछ मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गाड़ी/स्टेशन वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को सांसदों से गत वर्ष के दौरान गाड़ियों का ठहराव प्रदान करने के बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) गाड़ी के ठहराव के लिए यातायात की उपलब्धता, पहले से रुक रही गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों के समय, परिचालनिक व्यवहार्यता, गाड़ियों के स्वरूप, आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। ठहराव मुहैया कराने हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई थी तथा व्यावहारिक पाए गए ठहरावों को व्यवस्था की गई थी।

विवरण

जनवरी 1998 से भारतीय रेलों पर मुहैया कराए गए ठहराव

क्र.सं.	गाड़ी		स्टेशन
1	2		3
1.	8237/8238	छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	बबीना
2.	1061/1062	लक्सर एक्सप्रेस	देवलाली
3.	1451/1452	दिक्षाभूमि एक्सप्रेस	घोराडोंगरी
4.	1181/1182/1159/1160	चंबल एक्सप्रेस	दतिया
5.	1029/1030	पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस	बेलापुर
6.	2407/2408/2409/2410	गोंदवाना एक्सप्रेस	होशंगाबाद
7.	8183/8184	दानापुर-टाटा एक्सप्रेस	बर्रा
8.	8183/8184	दानापुर-टाटा एक्सप्रेस	बख्तियापुर
9.	2801/2802	पुरुषोत्तम एक्सप्रेस	देहरी-आन-सोन
10.	2801/2802	पुरुषोत्तम एक्सप्रेस	अनुग्रह नारायण रोड
11.	3039/3040	हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस	आथमलगोला
12.	3401/3402	भागलपुर-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस	लक्कीसराय
13.	5027/5028	मौर्य एक्सप्रेस	लक्कीसराय
14.	3231/3232	हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस	जमुई
15.	3413/3414	फरक्का एक्सप्रेस	गहमर
16.	3483/3484	फरक्का एक्सप्रेस	गहमर
17.	3348/3349	पालामऊ एक्सप्रेस	पुनपुन
18.	8625/8626	पटना-हटिया एक्सप्रेस	तरेगंना
19.	3401/3402	भागलपुर-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस	फलुआ
20.	3401/3402	भागलपुर-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस	पटना साहिब
21.	3111/3112	लालकिला एक्सप्रेस	फलुआ
22.	3347/3348	दादर-भागलपुर एक्सप्रेस	दमरांव
23.	3413/3414	फरक्का एक्सप्रेस	दमरांव
24.	3483/3484	फरक्का एक्सप्रेस	दमरांव
25.	3413/3414	फरक्का एक्सप्रेस	बिहिया
26.	3483/3484	फरक्का एक्सप्रेस	बिहिया
27.	3413/3414	फरक्का एक्सप्रेस	बिहटा
28.	3483/3484	फरक्का एक्सप्रेस	बिहटा
29.	2859/2860	गीतांजलि एक्सप्रेस	चक्रधरपुर

1	2		3
30.	2625/2626	केरल एक्सप्रेस	कायनकुलम
31.	2607/2608	लालबाग एक्सप्रेस	कुप्पम
32.	6340	कुर्ला-नागरकोइल एक्सप्रेस	सातूर
33.	1017/1018	बेंगलूरू-मुम्बई एक्सप्रेस	हवेरी
34.	6307/6308	एलेप्पी-कण्णौर एक्सप्रेस	तानूर
35.	6317/6318	हिमसागर एक्सप्रेस	ओट्टापालम
36.	6011/6012	मुम्बई-चेन्नई एक्सप्रेस	ताडीपत्री
37.	9769/9770	पूर्णा-जयपुर एक्सप्रेस	बरसी टकली
38.	2780	गोवा एक्सप्रेस	घाटप्रभा
39.	2625/2626	केरल एक्सप्रेस	नल्लौर
40.	7315/7316	कोल्हापुर-तिरूपति एक्सप्रेस	रेबाग
41.	7405/7406	कृष्णा एक्सप्रेस	वेटापालम
42.	7085/7086	सिकंदराबाद-बेंगलूरू एक्सप्रेस	जदचेरला
43.	7085/7086	सिकंदराबाद-बेंगलूरू एक्सप्रेस	गढ़वल
44.	7615/7616	विशाखा एक्सप्रेस	अकिवीडु
45.	9707/9708	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस	सरूपगंज
46.	9707/9708	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस	नाना
47.	9707/9708	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस	मूरीबेरा
48.	9911/9912	अहमदाबाद-पाटन एक्सप्रेस	अम्बलियासन
49.	9915/9916	अहमदाबाद-मेहसाणा एक्सप्रेस	अम्बलियासन
50.	4005/4006	इंदौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस	महीदपुर
51.	9769/9770	जयपुर-पूर्णा एक्सप्रेस	फतेहाबाद चंद्रावती गंज
52.	2961/2962	अवंतिका एक्सप्रेस	नवसारी
53.	9105/9106	अहमदाबाद-दिल्ली मेल	हरिपुर
54.	9707/9708	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस	नाडियाड
55.	9707/9708	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस	आनंद
56.	9707/9708	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस	नवसारी
57.	9707/9708	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस	सोमसर
58.	9943	दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	हमीरगढ़
59.	9651/9652	अजमेर-जयपुर एक्सप्रेस	तिल्लोनिया
60.	6635/6636	नेत्रावती एक्सप्रेस	रोहा
61.	4707/4708	बांद्रा-बीकानेर एक्सप्रेस	नाडियाड
62.	4707/4708	बांद्रा-बीकानेर एक्सप्रेस	आनंद

1	2	3
63.	9303/9304	भोपाल-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस	बेरछा
64.	5063/5064	अवध एक्सप्रेस	बोयसर
65.	9021/9022	फ्लाईंग रानी एक्सप्रेस	पालघर
66.	4707/4708	बांद्रा-बीकानेर एक्सप्रेस	सोमसर
67.	9303/9304	इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस	सेहौर
68.	4055/4056	ब्रह्मपुत्र मेल	भोजो
69.	4055/4056	ब्रह्मपुत्र मेल	बोकाजन
70.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	जागी रोड
71.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	फरकटिंग
72.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	नाहरकटिया
73.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	कामपुर
74.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	सरूपहाड़
75.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	अमगुडी
76.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	भोजो
77.	5603/5604	गुवाहाटी-तिनसुकिया एक्सप्रेस	नामरूप
78.	5959/5960	कामरूप एक्सप्रेस	चापरमुख
79.	5959/5960	कामरूप एक्सप्रेस	सरूपहाड़
80.	5959/5960	कामरूप एक्सप्रेस	नामरूप
81.	5959/5960	कामरूप एक्सप्रेस	दुलियाजन
82.	5103/5104	गोरखपुर-मंडुवाडीह एक्सप्रेस	नूनखार
83.	5027/5028	गोरखपुर-हटिया मौर्य एक्सप्रेस	कपूरीग्राम
84.	3021/3022	हावड़ा-राक्सौल मिथला एक्सप्रेस	कपूरीग्राम
85.	5323/5324	गंडक एक्सप्रेस	हरिनगर
86.	2423A/2424ए	नई दिल्ली-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ राजधानी लिंक एक्सप्रेस	डिफू
87.	5003/5004	चौरी चौरा एक्सप्रेस	दुल्लाहपुर
88.	5213/5214	स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस	माधोसिंह
89.	4015/4016	सद्भावना एक्सप्रेस	मोतीपुर
90.	5217/5218	कुर्ला-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस	भूलनपुर
91.	5219/5220	कुर्ला-दरभंगा एक्सप्रेस	भूलनपुर
92.	3021	हावड़ा-राक्सौल मिथला एक्सप्रेस	सिहो
93.	5205/5206	लिच्छवी एक्सप्रेस	भगवानपुर
94.	4590	भटिंडा-नई दिल्ली एक्सप्रेस	गन्नौर
95.	5206	लिच्छवी एक्सप्रेस	टूंडला

1	2		3
96.	5209/5210	अमृतसर-बरौनी जनसेवा एक्सप्रेस	बरेली
97.	2497/2498	शाने पंजाब एक्सप्रेस	राजपुरा
98.	4517/4518	ऊंचाहार एक्सप्रेस	शाहबाद मरकंडा
99.	4023/4024	कालिंदी एक्सप्रेस	भोगांव
100.	4647/4648	फ्लाईंग मेल	मंडी गोविंदगढ़
101.	2029/2030	स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस	अम्बाला कैंट
102.	2313	नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस	व्यास
103.	2030	अमृतसर-नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस	व्यास
104.	4589/4590	नई दिल्ली-भटिंडा एक्सप्रेस	नरेला
105.	2017/2018	नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस	रुड़की
106.	2431/2432	तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस	कोटा
107.	2421/2422	भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस	गया
108.	2431/2432	तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस	कण्णौर
109.	2431/2432	तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस	सावंतवाड़ी रोड
110.	2431/2432	तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस	कालीकट
111.	6321/6322	गुवाहाटी-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस	जाजपुर क्योंझार रोड

[अनुवाद]

साबरमती नदी तट का विकास करना

3124. **श्री हरिन पाठक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 9 किलोमीटर साबरमती नदी तट का विकास करने के लिए गुजरात सरकार की सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) कोई विशिष्ट प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी प्रस्ताव प्राप्त होगा राज्य सरकार को सहायता देने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

कॉनकोर पर जुर्माना

3125. **श्री विकास चौधरी** :
श्री सुनील खां :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर कॉनकोर अधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के उल्लघंन हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा कॉनकोर पर कई बार जुर्माना लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1996, 1997 और 1998 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जुर्माने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कॉनकोर प्रबंधन ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) दो बार, ब्यौरा इस प्रकार है :-

1996 – एक

1997 – कुछ नहीं

1998 – एक

(ग) 1. 1996 में लगाए गए जुर्माने के मामले में कॉनकोर ने इसे स्वीकार नहीं किया है और सी.ई.जी.ए.टी. में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। अत: किसी कॉनकोर अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

2. 1998 में लगाए गए जुर्माने के मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

विमान सुरक्षा की समीक्षा

3126. **श्री रामदास आठवले :**
श्री तारिक अनवर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार और महाराष्ट्र में स्थित सभी विमान-पत्तनों पर वायु सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाट में खनन

3127. **श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी घाट में खनन के प्रभाव को कम से कम करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पश्चिमी घाट के वन क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार, पश्चिमी घाटों में खनन के प्रभाव को कम से कम करने के लिए कदम उठा रही है। पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/बोर्डों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कार्रवाई के अतिरिक्त भारतीय खान ब्यूरो स्वच्छ पर्यावरण के लिए सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित कर रहा है। एक अनुमोदित खनन योजना खनन पट्टों और मौजूदा खनन पट्टों की नई मंजूरी/नवीकरण के लिए एक पूर्व-अपेक्षित शर्त है। भारतीय खान ब्यूरो को खनन योजना को अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया है। पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंध योजना खनन योजना का एक अभिन्न अंग है। खनन योजना अनुमोदित करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि भू-स्खलन, अपशिष्ट प्रबंध, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रभावी उपायों को इसमें शामिल किया गया है ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार "खनन" सहित कोई भी "वनेतर" कार्य वन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता जिसमें पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी एयरलाइन्स

3128. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी एयरलाइन्स का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक एयरलाइन्स द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक एयरलाइन्स द्वारा कितने विमानों को सेवा में लाया गया है; और

(ग) इस समय इनके विमान किन-किन मार्गों पर चल रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) इस समय 3 निजी अनुसूचित एयरलाइनें हैं : मैसर्स अर्चना एयरवेज, मैसर्स जेट एयरवेज और मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स। उनका पूंजी निवेश और विमान-बेड़े की संख्या निम्न प्रकार है :-

	पूंजी निवेश (करोड़ रूपयों में)	विमान-बेड़ा
मैसर्स अर्चना एयरवेज	15.00	2 एल-410
मैसर्स जेट एयरवेज	664.62	21 बी-737
मैसर्स सहारा इंडिया	95.50	6 बी-737

(ग) निजी अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित किये जाने वाले मार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। मैसर्स अर्चना एयरवेज ने विमान की अनुपलब्धता के कारण जो इस समय अनुरक्षणाधीन है, अपने प्रचालन नवम्बर, 1998 से बंद कर दिये हैं।

विवरण

जेट एयरवेज द्वारा प्रचालित मार्ग
(14.12.1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	मार्ग
1	2
1.	बंगलौर-दिल्ली
2.	बंगलौर-मुम्बई
3.	कलकत्ता-दिल्ली
4.	कलकत्ता-मुम्बई
5.	चेन्नई-दिल्ली
6.	चेन्नई-मुम्बई
7.	दिल्ली-बंगलौर
8.	दिल्ली-कलकत्ता
9.	दिल्ली-चेन्नई
10.	दिल्ली-हैदराबाद

1	2
11.	दिल्ली-मुम्बई
12.	हैदराबाद-दिल्ली
13.	हैदराबाद-मुम्बई
14.	मुम्बई-बंगलौर
15.	मुम्बई-कलकत्ता
16.	मुम्बई-चेन्नई
17.	मुम्बई-दिल्ली
18.	मुम्बई-हैदराबाद
19.	बागडोगरा-कलकत्ता
20.	बागडोगरा-दिल्ली
21.	कलकत्ता-बागडोगरा
22.	कलकत्ता-गुवाहाटी
23.	कलकत्ता-जोरहाट
24.	दिल्ली-गोवाहाटी
25.	दिल्ली-जम्मू
26.	दिल्ली-श्रीनगर
27.	गुवाहाटी-कलकत्ता
28.	जम्मू-दिल्ली
29.	जोरहाट-कलकत्ता
30.	श्रीनगर-दिल्ली
31.	गुवाहाटी-बागडोगरा
32.	जम्मू-श्रीनगर
33.	श्रीनगर-जम्मू
34.	गुवाहाटी-इम्फाल
35.	इम्फाल-गुवाहाटी
36.	अहमदाबाद-मुम्बई
37.	अहमदाबाद-दिल्ली
38.	औरंगाबाद-मुम्बई
39.	बंगलौर-चेन्नई
40.	बंगलौर-हैदराबाद

1	2
41.	बंगलौर-मंगलौर
42.	बंगलौर-पूणे
43	भुज-मुम्बई
44.	कलकत्ता-हैदराबाद
45.	कालीकट-मुम्बई
46.	चेन्नई-बंगलौर
47.	चेन्नई-कोयम्बटूर
48.	चेन्नई-त्रिवेन्द्रम
49.	कोचीन-मुम्बई
50.	कोयम्बटूर-चेन्नई
51.	कोयम्बटूर-मुम्बई
52.	दिल्ली-अहमदाबाद
53.	दिल्ली-जयपुर
54.	दिल्ली-लखनऊ
55.	दिल्ली-पुणे
56.	दिल्ली-वाराणसी
57.	गोवा-मुम्बई
58.	हैदराबाद-बंगलौर
59.	हैदराबाद-कलकत्ता
66.	इन्दौर-मुम्बई
61.	जयपुर-दिल्ली
62.	जयपुर-मुम्बई
63.	खजुराहो-वाराणसी
64.	लखनऊ-दिल्ली
65.	लखनऊ-मुम्बई
66.	मंगलौर-बंगलौर
67.	मंगलौर-मुम्बई
68.	मुम्बई-अहमदाबाद
69.	मुम्बई-औरंगाबाद
70.	मुम्बई-भुज

1	2
71.	मुम्बई-कालीकट
72.	मुम्बई-कोचीन
73.	मुम्बई-कोयम्बटूर
74.	मुम्बई-गोवा
75.	मुम्बई-इन्दौर
76.	मुम्बई-जयपुर
77.	मुम्बई-लखनऊ
78.	मुम्बई-मंगलौर
79.	मुम्बई-पुणे
80.	मुम्बई-राजकोट
81.	मुम्बई-वडोडरा
82.	पुणे-मुम्बई
83.	पुणे-बंगलौर
84.	पुणे-दिल्ली
85.	राजकोट-मुम्बई
86.	त्रिवेन्द्रम-चेन्नई
87.	वडोडरा-मुम्बई
88.	वाराणसी-खजुराहो
89.	वाराणसी-दिल्ली

सहारा इंडिया एयरलाइंस द्वारा प्रचालित मार्ग (14.12.1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	मार्ग
1	2
1.	बंगलौर-दिल्ली
2.	बंगलौर-मुम्बई
3.	चेन्नई-दिल्ली
4.	दिल्ली-बंगलौर
5.	दिल्ली-चेन्नई
6.	दिल्ली-मुम्बई
7.	मुम्बई-बंगलौर
8.	मुम्बई-दिल्ली
9.	दिल्ली-गुवाहाटी
10.	गुवाहाटी-दिल्ली
11.	डिब्रूगढ़-गुवाहाटी
12.	गुवाहाटी-डिब्रूगढ़
13.	दिल्ली-गोवा
14.	दिल्ली-लखनऊ
15.	दिल्ली-पटना
16.	गोवा-दिल्ली
17.	गोवा-मुम्बई
18.	लखनऊ-दिल्ली
19.	लखनऊ-मुम्बई
20.	मुम्बई-गोवा
21.	मुम्बई-पटना
22.	मुम्बई-वाराणसी
23.	पटना-लखनऊ
24.	पटना-वाराणसी
25.	वाराणसी-दिल्ली
26.	वाराणसी-लखनऊ

[हिन्दी]

नागभीर-नागपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3129. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागभीर-नागपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) नागभीर-नागपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। जिसके 31.10.1999 तक पूरा हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

रेल पटरियों की खरीद

3130. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य एजेन्सियों से खरीदी गई रेल पटरियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या "सेल" और अन्य एजेन्सियों से खरीदी गई रेल पटरियों में कोई अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) चालू वर्ष में भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों से रेले पथ की खरीद का ब्यौरा इस प्रकार है :-

फर्म का नाम	मात्रा (एम.टी. में)		
	52 कि.ग्रा.	60 कि.ग्रा.	जोड़
1	2	3	4
मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण (भिलाई स्टील प्लांट)	3,07,211	64,036	3,71,247
मैसर्स ब्रिटिश स्टील ट्रैक प्रोडक्ट्स यूनाइटेड किंगडम	कुछ नहीं	42,000	42,000
मैसर्स स्टालेक्सपोर्ट एस. ए. पोलैंड	कुछ नहीं	70,000	70,0000
मैसर्स पंगांग ग्रुप इंटरनेशनल इक्नामिक एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन, चीन।	कुछ नहीं	58,000	58,000

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण से खरीदी गई पटरियां तरल इस्पात में हाइड्रोजन और एंड-स्टेट्नेस आन लाइन अल्ट्रासोनिक टैस्टिंग और सतही गुणवत्ता की जांच के डिस्पैंशन सहित विशिष्टि टी-12/96 के अनुरूप था। जबकि ब्रिटिश, पोलैंड और चीन से खरीदी गई पटरियां यूअर इंटरनेशनल कांफ्रेंस (यू.आई.सी.) की विशिष्टि के अनुरूप हैं।

स्टीम लोको शेड का उपयोग

3131. श्री हीरा लाल राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप के इंजनों को प्रचालन से हटा लेने के बाद स्टीम लोको शेड्स को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टीम लोको शेड्स का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत इन लोको शेड्स का लाभकारी ढंग से उपयोग किया जाएगा;

(घ) क्या शेष लोको शेड्स को डीजल/इलैक्ट्रिक शेड्स में बदलने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो सोनपुर लोको शेड को डीजल/इलैक्ट्रिक शेड में कब तक बदल दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम की आवास निर्माण योजना

3132. श्रीमती रानी नरह : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन और वित्तीय सहायता हेतु कोई आवास निर्माण योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा योजनावार उपलब्ध कराई जाने वाली सम्भाव्य वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें प्राथमिकता और अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं को प्रतिपादित व कार्यान्वित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसके लिए हुडको से सहायता दी जाती है। इसके आरम्भ होने से 31.10.98 तक हुडको ने असम राज्य में 134.58 करोड़ रु० की ऋण सहायता के साथ 84 शहरी आवास योजनाओं को स्वीकृति दी है। जिसके पूरा होने पर इन योजनाओं में 42636 आवासीय इकाईयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 70.78 करोड़ रु० की सम्भावित सहायता वाली 14 आवास परियोजनाएं विचाराधीन हैं। हुडको के दिशा निर्देशों के अनुसार ये परियोजनाएं मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31.10.98 को समाप्त होने वाले माह में राज्य/एजेन्सीवार विचाराधीन आवास योजनाएं

(लाख रूपए)

क्र. सं.	राज्य/एजेन्सी	योजना का नाम	आवास इकाईयां	ऋण राशि (रु० लाख)
असम				
1.	असम राज्य आवास बोर्ड	बोरसोजई में एक आई जी-II आवास योजना	35	175.00
2.	बी एण्ड सीपीटी	गोहाटी में स्टाफ आवास योजना	15	34.74
3.	बी.एच.सी.एच.एस.एल.टी.	प्लाटों के विकास की योजना	0	65.00
4.	एफ.डी.जी.ओ.ए.	टीडब्ल्यूएस नकद आवास योजना	2000	1000.00
5.	एफ.डी.जी.ओ.ए.	एल.आई.जी.सी.एल. एचबीए आवास योजना	1500	2250.00
6.	एफडीजीओए	एमआईजी सीएल एचबीए आवास योजना	566	1750.00
7.	एच ब्रोथ	हजारिका कम्प्लेक्स गणेशपुरी में बहुमंजिली इमारत का निर्माण	1	15.00
8.	हाऊस एफ ई	एचआईजी आवास योजना फेज-II	58	280.00
9.	हाऊस एफ ई	शिवसागरगर में रैंटल हाऊसिंग स्कीम	1	148.27
10.	हाऊस एफ ई	आब में रैंटल हाऊसों का निर्माण	1	74.13
11.	हाऊस एफ ई	हाऊस फैड कम्पलैक्स में सेंट ब्लाक का निर्माण	1	400.00
12.	हाऊस एफ ई	नटबामा में एमआईजी आवास योजना	129	384.00
13.	हाऊस एफ ई	वोरागांव में प्लाटों के विकास की योजना	0	461.56
14.	एनएचपी लिमिटेड	सिलपुखुड़ी में फ्लैटों का निर्माण	19	40.00
		कुल :	4320	7077.70

राडार की स्थापना

3133. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाश मार्ग में विमान दुर्घटनाओं को रोकने और जानमाल के नुकसान से बचने के लिए प्रमुख विमानपत्तनों में परिष्कृत राडार प्रणाली के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.टी.सी. स्टाफ ने इस प्रणाली की स्थापना का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद कलकत्ता और चेन्नई विमानपत्तनों पर 60 नाटीकल मील कवरेज वाला प्राथमिक निगरानी राडार तथा 250 नॉटीकल मील कवरेज और "एस" मोड़ वाला गौण निगरानी रडार (एम.एस.एस.आर.) पहले ही लगाये और शुरू किए जा चुके हैं। ऐसा ही राडार दिल्ली में भी लगाया जा चुका है तथा शीघ्र ही उनके प्रचालन में आने की संभावना है। मुम्बई में राडार लगाए जाने का काम काफी आगे बढ़ चुका है तथा अन्य स्वचालन प्रणालियों के साथ-साथ इन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। नागपुर, वाराणसी, बरहमपुर और मंगलौर में भी एम.एस.एस.आर. लगाने का प्रस्ताव है। इन सभी राडारों के लगने पर प्रमुख वायु मार्ग राडार निगरानी की सीमा में आ जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुंटूर-नडिकुडे रेल लाइन का दोहरीकरण

3134. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर रेल मंडल का उद्घाटन 5 जुलाई, 1997 को हुआ था;

(ख) क्या रेलवे ने गुंटूर-नडिकुडे रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो दोहरीकरण की प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी;

(ङ) क्या सरकार ने गुंटूर-नडिकुडे रेल लाइन के विद्युतीकरण हेतु लागत एवम् संभाव्यता संबंधी सर्वेक्षण करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त रेल लाइन के क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नल्लापादु (गुंटूर से 5 कि.मी. दूर) नाडिकुडी-बीबीनगर इकहरी लाइन खंड के दोहरीकरण के लिए एक सर्वेक्षण अभी हाल ही में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम से ज्ञात होता है कि 243 कि.मी. लंबी लाइन की दोहरीकरण लागत 340 करोड़ रुपये और प्रतिफल की दर 0.973% है। रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही परियोजना के संबंध में विचार करना संभव होगा।

उपर्युक्त खण्ड के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं व्यवहारिकता संबंधी एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रतिफल की दर कम होने के कारण यह खण्ड अभी तक विद्युतीकरण के लिए योग्य नहीं है।

ग्रामीण विकास योजना

3135. श्री बालासाहेब विखे पाटील :
श्री अरविंद कांबले :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के उदासीन रवैये के कारण कुछ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को निलम्बित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा और उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन योजनाओं के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन योजनाओं को पुनः आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के उदासीन रवैये के कारण कोई कार्यक्रम/योजना स्थगित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सशस्त्र बलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण

3136. श्री के०पी० मोहन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सशस्त्र बलों के लिए विशेषरूप से एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसमें किस प्रकार के मामलों का निपटान किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार सशस्त्र सेना कार्मिकों के संबंध में एक सशस्त्र सेना प्रशासकीय और कोर्ट मार्शल अधिकरण स्थापित किए जाने पर पहले सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई थी। तत्पश्चात इस मामले पर अनुवर्ती कार्यवाही किए जाते समय कुछ कानूनी और प्रशासकीय मुद्दे सामने आए। इन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किए जाने के बाद कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

सेलम इस्पात रोलिंग मिल

3137. श्री टी०आर० बालू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेलम इस्पात रोलिंग मिल का एक व्यापक इस्पात संयंत्र के रूप में उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) सेलम इस्पात संयंत्र की रोलिंग मिल का उन्नयन एक व्यापक इस्पात संयंत्र के रूप में करने के लिए इस समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

क्षतिग्रस्त रेल मार्गों की मरम्मत

3138. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1998 के दौरान एक गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण बारांग रेल पुल के रेल पथ और स्लीपरों को काफी क्षति पहुंची है;

(ख) क्या पुल पर बिछायी गई पटरियां बहुत पुरानी, 40 के दशक की हैं;

(ग) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो पुल की भार वहन शक्ति (बैल्स्ट) और पटरियों की अनुपयुक्तता के संबंध में बारांग रेल पुल की मरम्मत की जांच कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां, पुल के पहुंच मार्ग पर गाड़ी पटरी से उतर गई थी जिसके परिणामस्वरूप पुल की शहतीर और स्लीपर क्षतिग्रस्त हुए थे। पटरियां क्षतिग्रस्त नहीं हुई थीं।

(ख) जी नहीं। पुल पर पटरियां 1987 की हैं तथा पुल के शहतीर की आयु 1968 से 1997 के बीच है।

(ग) और (घ) जी नहीं। रेलपथ के इस टुकड़े विशेष के लिए कोई जांच नहीं चल रही है। बहरहाल, निकटवर्ती टुकड़े पर गिट्टी की सप्लाई के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रही है।

पटना-गया सवारी गाड़ी तथा राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना

3139. श्री डी०एस० अहिरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18.9.98 को पटना-गया सवारी गाड़ी ने दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को पटना जंक्शन में टक्कर मार दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति मारे गये और हताहत हुए तथा कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई;

(घ) पीड़ितों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया;

(ङ) क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, 17.9.1998 को 10 पी.जी. गाड़ी पटना जंक्शन के प्लेटफार्म सं० 6 पर 22.06 बजे पहुंची थी। लगभग 22.52 बजे 10 पी.जी. गाड़ी के खाली रेक की पटना जंक्शन के प्लेटफार्म सं० 4 पर खड़ी गाड़ी 2433 अप गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से आमने-सामने की टक्कर हुई थी। दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) एक व्यक्ति (बाहरी) हत हत हुआ और 2423 अप राजधानी एक्सप्रेस के 5 यात्री मामूली रूप से घायल हुए। क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्ति का मूल्य लगभग 4 लाख रूपए है।

(घ) अभी तक किसी मुआवजे संबंधी दावे का भुगतान नहीं किया गया है। रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों की डिक्री के बाद शीघ्र ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा।

(ङ) जी हां।

(च) जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में वृद्धि

3140. श्री माधवराव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की आवश्यकता के मद्देनजर इनके बेड़े में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बेड़े में किस प्रकार के और कब तक नए विमानों को शामिल किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) दोनों विमानकंपनियों द्वारा बेड़े का विस्तार/नवीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कारक विमानकंपनियों के संसाधन, यातायात अपेक्षाएं, विमानों की किस्म संबंधी उपयुक्तता तथा विभिन्न सेक्टरों/मार्गों पर प्रचालनों की व्यवहार्यता से संबंधित हैं।

एलुमिना एल्युमिनियम और बाक्साइट खानों के लिए विद्युत

3141. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलुमिना, एल्युमिनियम संयंत्रों तथा अंगुल और दामनजोड़ी में नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी (नालको) की बाक्साइट खानों के लिए विद्युत की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) इसके रक्षित विद्युत संयंत्रों से "नालको" द्वारा कुल कितनी मे०वा० विद्युत का उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या "नालको" द्वारा रक्षित विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के अंगुल स्थित एल्युमिनियम प्रगालक तथा दामनजोड़ी स्थित बाक्साइट खानों, एलुमिना शोधनशाला में बिजली की वार्षिक आवश्यकता निम्नवत् है :-

संयंत्र/इकाई	मिलियन इकाइयों में (एमयू)
बाक्साइट खानें, दामनजोड़ी	28.47
एलुमिना शोधनशाला, दामनजोड़ी	293.46
एल्युमिनियम संयंत्र, अंगुल	3614
कुल आवश्यकता	3935.93

(ख) नालको द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान, ग्रहीत ऊर्जा संयंत्र (सीपीपी) तथा भाप एवं ऊर्जा संयंत्र (एसपीपी) में उत्पादित कुल ऊर्जा निम्नवत् है :-

(मिलियन इकाईयों में विशुद्ध उत्पादन)

वर्ष	सीपीपी(अंगुल)	एसपीपी(दामनजोड़ी)	कुल
1995-96	4147	248	4395
1996-97	4187	250	4437
1997-98	3902	262	4164

(ग) जी. नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन योजना

3142. कर्नल सोनाराम चौधरी : **क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण और पिछड़े मरुस्थल क्षेत्रों के लिए बनाई गई गरीबी उन्मूलन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें से कितने प्रतिशत निधि का उपयोग किया गया;

(ग) शेष निधि के उपयोग ने किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा एवं निगरानी प्रणाली स्थापित करने तथा सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) राजस्थान के ग्रामीण और मरूभूमि क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाएं-जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), दस लाख कुओं की योजना (एम.डब्ल्यू.एस), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण क्षेत्र स्वरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम) और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा) हैं। विशेष उपाय के रूप में मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) राजस्थान में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधियों और विगत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	रिलीज की गई राशि (रूपए लाख में)	रिलीज की उपयोग प्रतिशतता
1995-96	46176.96	106.55
1996-97	32333.96	101.40
1997-98	36242.36	114.83

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रिलीज की गई निधियों का उपयोग कर लिया गया है।

(घ) राज्य सरकारें सभी ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन/रोजगार सृजन योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित अंतरालों पर समीक्षा करती हैं। राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन की केन्द्र स्तर पर भी निगरानी की जाती है।

आंध्र प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा देना

3143. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : **क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार हैदराबाद से वारंगल, राजामुंदरी, विजयवाड़ा और कुड्डप्पा के बीच 50 सीटों वाले हेलीकाप्टर की सेवाएं आरंभ करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्री हैदराबाद और सिंगापुर के बीच उड़ान सेवा को दैनिक सेवा बनाने पर भी सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) इस समय सरकार को हैदराबाद तथा वारंगल, राजामुंदरी, विजयवाड़ा तथा कुड्डप्पा जैसे गंतव्यों के बीच 50 सीटों वाले हेलीकाप्टरों को सेवा में लगाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कटरा में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर

3144. श्री चमन लाल गुप्त : **क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माता वैष्णो देवी के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए कटरा में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउन्टर खोले जाने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी हां, माननीय संसद सदस्यों और श्री माता वैष्णो देवी धार्मिक स्थल बोर्ड से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, चालू वित्त वर्ष में बिना बारी के आधार पर कटरा में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य स्वीकृत किया गया है।

दिल्ली-औरंगाबाद सेक्टर के लिए बड़े विमान

3145. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एलाइंस एयर से दिल्ली औरंगाबाद सेक्टर में बोइंग विमानों को बदलकर बड़े विमान शुरू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली औरंगाबाद सेक्टर पर एयरबस के स्थान पर बोइंग विमान के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। कम यात्री मांग के कारण, इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली-औरंगाबाद मार्ग पर अपेक्षाकृत बड़े विमानों से सेवाएं प्रचालित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

कालीकट से उड़ानों को अन्यत्र ले जाना

3146. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मानसून के दौरान किसी वायुयान को कालीकट विमानपत्तन से अन्यत्र ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्यत्र ले जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या कालीकट विमानपत्तन स्थित यांत्रिक लैण्डिग प्रणाली पूरी तरह से काम कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। खराब दृश्यता के कारण मानसून के दौरान उड़ानों की दिशा परिवर्तित कर दी गई है।

(ग) और (घ) कालीकट विमानपत्तन पर उपकरण अवतरण प्रणाली (श्रेणी-I) प्रचालनात्मक है। तथापि, यदि उपकरण अवतरण प्रणाली की दृश्यता संबंधी न्यूनतम शर्तें पूरी नहीं होतीं तो उड़ानों की दिशा परिवर्तित की जानी होती है।

एयर इंडिया के रूट

3147. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों से एयर इंडिया ने अपनी विमान सेवा स्थगित कर दी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन स्थानों से उड़ानें रद्द करने से कितना नुकसान हुआ है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1995 से 97 के दौरान एयर इंडिया ने एंटेबे, पर्थ, जोहंसबर्ग, डरबन, ज्यूरिख, एमस्टरडम, टोरंटो, तेल अबीव, जिनेवा और सिओल को अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं। इसके अलावा, लंदन को प्रचालित टर्मिनेटर सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इन स्थानों के लिए प्रचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थे। इन मार्गों पर होने वाली कुल प्रचालन हानि इस प्रकार है :-

वर्ष	हानि (करोड़ रुपयों में)
1995-96	362.87
1996-97	376.80
1997-98	156.76

बरसोई-राधिकापुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3148. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बरसोई से राधिकापुर मीटरगेज लाइन को बंगलादेश की सीमा तक ब्रॉडगेज में बदलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

रेलगाड़ी का विस्तार

3149. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 40 अप और 39 डाउन मुंबई-अहमदाबाद सवारी गाड़ी को आबू रोड जंक्शन तक चलाने के लिए विभिन्न संगठनों और संसद सदस्यों से मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) 39/40 बांद्रा-अहमदाबाद पैसेंजर को आबू रोड तक बढ़ाने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी जांच की गई है परंतु परिचालनिक कठिनाई और संसाधन की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

पर्यटक स्थलों हेतु मिनी विमान सेवा

3150. **श्री रंजीब बिस्वाल :**
श्री एन० डेनिस :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में पर्यटक स्थलों के लिए मिनी विमान सेवाएं संचालित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) किन महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए विमान सेवाएं चलाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर संचालन प्राप्त करने और देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखने की दृष्टि से, मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत सभी अनुसूचित प्रचालकों को बाध्य करते हैं कि उनको पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप (श्रेणी-2 के मार्गों) में ट्रंक मार्गों (श्रेणी-1 के मार्गों) पर अपनी लगाई हुई क्षमता में से कम से कम 10 प्रतिशत क्षमता तैनात करनी है; श्रेणी-2 मार्गों पर लगाई गई 1 प्रतिशत क्षमता पूर्ण रूप से श्रेणी-2 स्टेशनों के भीतर तैनात की जाती है, तथा श्रेणी-1 मार्गों पर प्रदत्त क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता श्रेणी-2 मार्गों के अलावा (श्रेणी-3) मार्गों पर मुहैया की जानी है।

लघु/अलाभकारी सेक्टर पर व्यवहार्य सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से, छोटे विमानों (55 सीट तक) के प्रचालकों को प्रोत्साहन/रियायत प्रदान करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) मार्ग निर्धारित नहीं है। विमानकंपनियां मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्ययीन अपने वाणिज्यिक विवेक पर आधारित किन्हीं मार्गों पर सेवाएं प्रचालित करने के संबंध में स्वतंत्र हैं।

परती भूमि का विकास

3151. **श्री दिलीप संघाणी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान इसकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा कितनी राशि राज्य-वार जारी की गई;

(ख) कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, राज्य वन विभाग एवं गैर-सरकारी संगठनों (नामों सहित) द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं तथा विशेषकर गुजरात के लिए कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य की निगरानी के लिए क्षेत्रीय संसद सदस्य को शामिल करने का है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबगौड़ा पाटील) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) माननीय संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के सदस्य होते हैं जो समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम को कार्यान्वित कर रही हैं। इस प्रकार माननीय संसद सदस्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा राज्यवार जारी की गई राशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम	गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता (सहायता अनुदान)	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना	निवेश संवर्धन योजना	बंजरभूमि विकास कृतिक बल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2853.15	143.23	115.58		
2.	असम	—	—	2.62		

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	1213.59	247.45	33.51		
4.	गुजरात	2308.05	8.12	12.52		
5.	हरियाणा	1146.53	29.52	64.80		
6.	हिमाचल प्रदेश	863.79	6.41	13.70		
7.	जम्मू-कश्मीर	111.79	107.59	—		
8.	कर्नाटक	709.58	60.07	14.59		
9.	केरल	943.70	51.05	40.43		
10.	मध्य प्रदेश	1207.54	53.83	34.48		176.00
11.	महाराष्ट्र	190.50	322.29	25.57		
12.	मणिपुर	166.32	52.46	—		
13.	मेघालय	57.42	—	2.15		
14.	मिजोरम	351.95	2.69			
15.	नागालैंड	1028.71	9.36	1.90		
16.	उड़ीसा	1244.25	10.76	4.74		
17.	पंजाब	773.01	—	8.81		
18.	राजस्थान	2132.12	28.94	252.57		
19.	सिक्किम	762.27	4.27	8.27		
20.	तमिलनाडु	641.42	74.83	96.60	21.849	
21.	त्रिपुरा	64.58	—	—		
22.	उत्तर प्रदेश	2018.92	112.23	48.54		
23.	पश्चिम बंगाल	811.68	43.73	40.03		
24.	दिल्ली	15.00	5.88	6.07		
	योग	21615.87 अथवा 216.16 करोड़	1374.71 अथवा 13.75 करोड़	827.48 अथवा 8.28 करोड़	21.849 अथवा 0.22 करोड़	176.00 अथवा 1.76 करोड़

विवरण-II

गुजरात राज्य में जारी की गई निधियों के ब्यौरे सहित आठवीं योजना के दौरान गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, राज्य वन विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी (कृषि विश्वविद्यालय/भा०कृ० अ०प० संस्थान/राज्य वन विभाग/गैर-सरकारी संगठन	जारी की गई निधियां
1	2	3	4
1.	नीम आधारित कृषि-वानिकी	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	3.64

1	2	3	4
2.	कृषि वानिकी में ओ०आर०पी०	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	6.722
3.	अंतिसार वाटरशेड अनुसंधान परियोजना	केंद्रीय मृदा तथा जल संरक्षण, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, वासाड, गुजरात	2.16
4.	अहमदाबाद में बंजरभूमि विकास परियोजना	विक्रम साराभाई विकास अन्योन्यक्रिया केन्द्र	0.77
5.	राजकोट में बंजरभूमि विकास परियोजना	पर्यावरण शिक्षा केंद्र, नेहरू विकास फाउंडेशन	2.01
6.	अहमदाबाद में बंजरभूमि विकास परियोजना	अध्ययन एवं कायान्तरण (ट्रांसफॉर्मेशन) संस्थान	1.12
7.	वलसाड में बंजरभूमि विकास परियोजना	श्री आदिवासी मजूर तथा कारीगर कामदार विकास मंडल	0.77
8.	अहमदाबाद में बंजरभूमि विकास परियोजना	सर्वोदय पास विकास सहकारी मंडली	1.63
9.	अहमदाबाद में बंजरभूमि विकास परियोजना	स्व-रोजगार महिला संघ	1.03
10.	अहमदाबाद में बंजरभूमि विकास परियोजना	आगा खान ग्रामीण सहयोग कार्यक्रम	0.78
	योग		20.632

फोन से रेलवे आरक्षण

3152. श्री नरेश पुगलीया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित रेल क्रेडिट कार्डों के धारक उपभोक्ताओं के लिए फोन से आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई पायलट योजना रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की क्या-क्या मुख्य विशेषताएं हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे उपभोक्ताओं जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित रेल क्रेडिट कार्ड के धारक हैं, को दूरभाष के जरिए आरक्षण मुहैया कराने की एक पायलट योजना दक्षिण रेलवे पर प्रक्रियाधीन है। बैंक और रेलवे के इंटरएक्टिव वायस रेस्पांस प्रणालियों को जोड़ा जाएगा और इंटरएक्टिव वायस रेस्पांस प्रणालियों के माध्यम से बैंक से सुनिश्चित करने के पश्चात उपभोक्ता द्वारा वांछित रेलवे आरक्षण टिकट जारी किया जाएगा।

नवी मुम्बई में नया विमानपत्तन

3153. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवी मुम्बई या इसके आस-पास के क्षेत्र में विशेषकर देवास दांडा में एक नया विमानपत्तन बनाये जाने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई के नजदीक भी एक नया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुम्बई में पानवेल के निकट अंतर्देशीय विमानपत्तन विकसित करने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा था। इसने पहले भी मुम्बई के निकट मांडवा-रेवास क्षेत्र में एक नये दूसरे अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव अग्रेषित किया था। नागर विमानन मंत्रालय ने मुम्बई में दूसरे अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की आवश्यकता की जांच करने और एक उपयुक्त स्थान का सुझाव देने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया है। महाराष्ट्र सरकार के एक अंतर्देशीय विमानपत्तन संबंधी प्रस्ताव को भी जांच-पड़ताल करने हेतु इस समिति को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

गोमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना

3154. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अगस्त, 1998 को "दनकोर" स्टेशन के समीप गोमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह सूचित किया गया है कि कोच सं० 18113 उरे दमरे में हॉट एक्सल था जिसे रेलवे स्टेशन दनकौर पर अलग करने की आवश्यकता थी। यह आग लगने का मामला नहीं था।

[अनुवाद]

धरंगधारा-कुडा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3155. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धरंगधारा-कुडा रेल लाइन के बड़ी लाइन में परिवर्तन के कार्य में सह-भागीदारों द्वारा अपने हिस्से का वित्त पोषण न करने के कारण विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सह-भागीदारों से इस संबंध में बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) गुजरात सरकार और उद्योग मंत्रालय, (नमक विभाग) प्रत्येक को परियोजना की लागत का एक-तिहाई अशंदान करना है। रेल मंत्रालय ने बजट में अपनी एक-तिहाई राशि की व्यवस्था कर दी है। उनके द्वारा अपने हिस्से की व्यवस्था किए जाने के बाद धरंगधारा-कुडा साइडिंग पर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) कार्य शुरू होने के बाद एक वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

3156. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से जयपुर, खंडवा, अकोला तथा नान्देड़ हैदराबाद खंडों की सभी छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस खंड की शेष छोटी रेल लाइनों को कब तक बड़ी लाइनों में बदल दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) दिल्ली-जयपुर खंड पहले ही बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया है। खंडवा-अकोला आमान परिवर्तन के लिए अभी स्वीकृत नहीं है। नांदेड से मुदखेड ओर बोलाराम से हैदराबाद पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित है। मुदखेड से बोलाराम तक आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची में इसकी प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य में प्रगति होगी और इसके दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा होने की संभावना है।

ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान

3157. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण प्रबन्धन संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ और ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय इन राज्यों में ऐसे कितने संस्थान चल रहे हैं और इनसे कितने लोग लाभान्वित हुए है; और

(ङ) इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत ग्रामीण प्रबंधन संस्थानों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :-

राज्य	संस्थानों की संख्या
उत्तर प्रदेश	1
राजस्थान	1
गुजरात	1
महाराष्ट्र	6
	9

(ख) इस समय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान खोलने के लिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का कोई प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) महाराष्ट्र में ऐसे 6 संस्थान कार्यरत हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे संस्थानों से लाभान्वित हुए लोगों की अनुमानित संख्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गया हवाई अड्डा

3158. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से गया हवाई अड्डा चालू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) गया विमानपत्तन एक प्रचालनात्मक विमानपत्तन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बुद्ध महोत्सव के अवसर पर गया विमानपत्तन पर आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं का नवीकरण किया था। तथापि, चूंकि किसी विमानकंपनी ने गया विमानपत्तन के लिए अनुसूचित उड़ानें प्रचालित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है, इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस विमानपत्तन को और विकसित करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

3159. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेवा के दौरान मारे गये रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुकंपा-आधार पर नियुक्त किए गए मृतकों के आश्रितों की संख्या जोन/मंडल-वार कितनी है; और

(ग) बकाया मामलों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर पात्र उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं और इन्हें समय-समय पर दोहराया जाता है। बहरहाल अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए कोई समय-सीमा का निर्धारण करना कठिन है क्यों कि कई ऐसे कारक होते हैं जिनका रेलवे प्रशासन से कोई संबंध नहीं होता जिससे विलंब हो सकता है।

[हिन्दी]

चट्टान खिसकने से रेल सम्पत्ति को नुकसान

3160. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी चट्टान के खिसकने के कारण नई दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली 2724 ए.पी. एक्सप्रेस का पावर इंजन और अनेक डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गये थे और भारी वर्षा के कारण बड़ी चट्टान के गिरने से बेतुल घोडा डोंगरी सेक्शन पर घाट क्षेत्र में धाराखोह स्टेशन के निकट सतपुड़ा पर्वत शृंखला में रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी रेल सम्पत्ति की क्षति हुई; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। बहरहाल, भारी वर्षा के कारण कि.मी. 834/21-24 पर भूस्खलन की घटना हुई थी परंतु धाराखोह और मरमाझिरि के बीच कि.मी. 833/9 पर गाड़ी नहीं रुकी थी और गाड़ी के इंजन या बोगियों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

(ख) इटारसी-आमला खंड में कई स्थानों पर 13/9/1998 से 15/9/98 तक भारी वर्षा के कारण भूस्खलन, कटाव और तल्प के बह जाने की घटनाएं निम्नलिखित हैं :-

1. 11 स्थानों पर भूस्खलन-लगभग मात्रा 1994 घनमीटर।
2. कटाव/किनारा बह जाना 10 स्थानों पर लगभग मात्रा 1670 घनमीटर।

(ग) मानसून की पूरी अवधि के दौरान रेलपथ पर गश्त की जाती है और मौसम विभाग से भारी वर्षा या मूसलाधार वर्षा इत्यादि के पूर्वानुमान प्राप्त होने पर गश्त तेज कर दी जाती है। रेलपथ को प्रभावित करने वाले किसी भूस्खलन की घटना के मामले में गाड़ियों को रोकने के लिए भेद्य स्थलों पर स्थाई चौकीदार तैनात किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट

3161. **श्री माधवराव पाटील** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के०लो०नि० विभाग इंजीनियर्स संघ ने पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर अपनी आपत्ति उठायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) के०लो०नि०वि० अभियन्ता संघ ने

पांचवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए सहायक इंजिनियरों के लिए दो वेतनमानों 6500–10500 और 7500–12000 की मंजूरी पर आपत्ति इस आधार पर की है कि विभाग में सहायक वास्तुकार के समान पद वर्ग ''ख'' को 7500-12000 रु० के एक ही वेतनमान की मंजूरी दी गई है।

(ग) के०लो०नि०वि० अभियन्ता संघ का अनुरोध पत्र उचित कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

गुजरात में अमूल्य खनिजों का निष्कर्षण

3162. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की कच्छ, पंचमहल खानों से अमूल्य खनिजों के निष्कर्षण हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस क्षेत्र से अमूल्य खनिजों का कितनी मात्रा में वार्षिक निष्कर्षण किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वित किए जा रहे खनिज निष्कर्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) ऐसा कोई खनिज नहीं है जिसे उच्च मूल्य खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसका गुजरात में उत्पादन हो रहा है। गुजरात के कच्छ तथा पंचमहल जिलों में वर्ष 1995-96, 1996 97, 1997-98(अनन्तिम) के दौरान खनिज उत्पादन की खनिजवार मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) खनन क्षेत्र में गवेषण तथा खनन संबंधी कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, केन्द्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गुजरात सरकार के खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय और निजी पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा धारकों द्वारा किए जाते हैं। उनके द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम संबंधी विस्तृत सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती।

विवरण

गुजरात के कच्छ तथा पंचमहल जिलों में वर्ष 1995-96 से 1997-98(अनन्तिम) के दौरान खनिजवार उत्पादन

(मात्रा टन में)

जिला/राज्य खनिज	1995-96 मात्रा	1996-97 मात्रा	1997-98(अंनतिम) मात्रा
1	2	3	4
कच्छ			
बाक्साइट	53212	75008	11226
बाल क्ले	30	15	15
फायरक्ले	7130	12830	8350
जिप्सम	348	41	100
काओलिन	59007	63427	20664
चूना पत्थर*	0	**	**
ओकर	30	—	5
सिलिका सैंड	—	23	30
पंचमहल			
चूनापत्थर	11	2	—
क्वार्टज	328	1998	3740

*मात्र हजार टन में **एक इकाई से कम।

विदेश में प्रशिक्षण

3163. **प्रो० रीता वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा श्रेणीवार कितने अफसर विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजे गए;

(ख) किस क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उन्हें विदेश भेजा गया;

(ग) उनके प्रशिक्षण पर श्रेणीवार कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने विदेश प्रशिक्षण के बाद कम्पनी से त्यागपत्र देकर अन्यत्र सेवा ढूंढ़ ली है;

(ङ) क्या सेवा के उन कर्मचारियों ने जिन्हें प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया था ने एक विशेषावधि के लिए कम्पनी के सेवा करने के संबंध में किसी बॉण्ड पर हस्ताक्षर किये थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

हैदराबाद-लॉस एंजिल्स उड़ान

3164. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से लॉस एंजिल्स के बीच ''कोड-शेयर'' उड़ान एक दिसम्बर से शुरू कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इन उड़ानों से यात्रा में कितना समय कम लगेगा और हैदराबाद से लॉस एंजिल्स तक और वापसी की प्रत्येक उड़ान की समय-सारणी का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) सिंगापुर-लॉस एंजिल्स सेक्टर पर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कोड-शेयर/ब्लाक स्पेस प्रबंध व्यवस्था प्रारंभ होने से, एअर इंडिया तथा सिंगापुर एयरलाइंस ने दिनांक 1.10.98 से हैदराबाद तथा लॉस एंजिल्स के बीच सीधे हवाई सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं। अनुसूचियां निम्नानुसार हैं :-

मंगलवार	–	प्रस्थान/हैदराबाद 0800 बजे
	–	आगमन/लॉस एंजिल्स 1825 बजे
बृहस्पतिवार	–	प्रस्थान/लॉस एंजिल्स 2315 बजे
	–	आगमन/हैदराबाद 0050 बजे (रविवार)
रविवार	–	प्रस्थान/लॉस एंजिल्स 2315 बजे
	–	आगमन/हैदराबाद 2200 बजे (मंगलवार)।

निजी एयरलाइंस से अदायगी

3165. श्री संदीपान थोरात :
श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइंस पर सरकार की बकाया राशि बढ़ती जा रही है और यह राशि बढ़कर अत्यधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तेल कंपनियां निजी विमानकंपनियों से बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। दिनांक 01.4.1997 से विमानन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति के लिए उधार देने की सुविधा देना बंद कर दिया गया है।

बकाया राशि वसूलने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूरे उपाय कर रहा है। बकायादार विमानकंपनियों को लगातार स्मरण कराया जाता है कि वे बकाया राशि अदा कर दें। इस पर भी भुगतान न करने की स्थिति में उनका प्रतिभूति जमा बकाया राशि के लिए समायोजित कर लिया जाता है। कुछ मामलों में उधार देने की सुविधा भी बंद कर दी गई है।

अंतर्देशीय विमान यात्रा कर की वसूली के लिए बकायादार विमानकंपनियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। और तो और, विगत में अंतर्देशीय विमान यात्रा कर की वसूली के लिए विमानों को भी रोका गया है।

विवरण

तेल कम्पनियों, अंतर्देशीय विमान यात्रा कर और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बकाया देयताएं (करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	एयरलाइन का नाम	तेल कम्पनियों की देयताएं 31.3.98 के अनुसार	अंतर्देशीय विमान यात्रा कर (सीमा शुल्क) 30.11.98 के अनुसार	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देयताएं 31.10.98 के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	मोदीलुफ्त	18.16	00.38	00.581*
2.	जेट एयरवेज	–	–	03.526
3.	अर्चना एयरवेज	–	–	00.112
4.	स्कायलाइन-एनईपीसी	21.00	14.99	01.955
5.	एनईपीसी एयरलाइंस	–	4.91	01.085
6.	सहारा इंडिया	–	–	04.270
7.	यूपी एयरवेज	02.62	00.88	00.091
8.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	0.06	06.82	17.870
9.	वीआईएफ एयरवेज	–	00.48	00.244
10.	एरियल सर्विस	–	–	00.003
11.	ब्लू डार्ट	–	–	00.161

1	2	3	4	5
12.	एलबी एयरलाइंस	–	–	00.257
13.	गुजरात एयरवेज	–	01.30	00.037
14.	मेगापोडे एयरलाइंस	–	–	00.006
15.	स्पेन एविएशन	00.51	–	00.264
16.	सीटीलिंक एयरलाइंस	00.34	01.35	00.015
17.	राज एविएशन	00.13	01.04	00.013
18.	कोन्टीनेन्टल एविएशन	–	01.71	00.277
19.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	–	–	00.009
20.	ट्रांस भारत एविएशन	–	–	00.192
21.	जैगसन एयरलाइन	–	00.05	00.399
22.	केसोबी एयरलाइंस	–	–	00.046
23.	ईर्स्टन एयरवेज	–	–	00.010
24.	मेस्को	–	–	00.033
25.	एसीई एयरवेज	–	–	00.105
26.	बंगाल एयरवेज	–	–	00.029
27.	ईस्ट इंडिया होटल्स	–	–	00.002
28.	एयर एसियाटिक लि०	–	01.63	–
29.	यू बी एयर	–	–	–
30.	यूनाइट इंडिया एयरवेज	–	–	00.018
31.		–	–	00.018
	योग	42.82	34.09	31.628

*मैसर्स मोदीलुफ्त लिमिटेड की ओर से कुल 2.669 करोड़ रूपए (मैसर्स एयर यू.के. : 130 लाख रूपए और मैसर्स लुफ्थीसा: 136.94 लाख रूपए) प्राप्त हुए हैं। मैसर्स एयर यू.के. ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से राशि की वापसी के लिए एक याचिका दायर की है।

[हिन्दी]

संवेदी राजमार्ग

3166. श्री राम नारायण मीणा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से यातायात के आवागमन में आनेवाली रुकावटों के स्थायी समाधान के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय को इस संबंध में सिक्किम सरकार से दिनांक 28.9.98 की कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या का हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सीमा सड़क संगठन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील कई राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/अनुरक्षण के कार्य में लगा हुआ है। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम और उनके लिए तैयार की गई योजनाओं को प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) विशेष कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। इन उपायों के बारे में सिक्किम सरकार को भी 23.11.98 को सूचित कर दिया गया है।

रक्षा परियोजनाओं के लिए निधियां

3167. **श्री अरविन्द काम्बले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा परियोजनाओं के विकास के लिए तीनों सेनाओं में प्रत्येक को कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या वित्तीय वितरण में कोई असमानता देखी गई है जिससे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बंद करना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम पूंजी वाली रक्षा परियोजनाओं के विकास के लिए तीनों सेनाओं में से प्रत्येक सेना को दी गई कुल राशि इस प्रकार है :-

	करोड़ रूपए में
सेना	9486.72
नौसेना	7559.57
वायुसेना	13277.58
कुल	30323.87

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में अतिक्रमण

3168. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पटेल नगर मार्किट में अतिक्रमण हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रखी जाएगी।

फ्लाई ओवर का निर्माण

3169. **डा० विजय सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औदियार रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर के अभाव में यात्रियों को दूसरे प्लेटफार्म पर जाने हेतु रेल लाइन पार करके जाना पड़ता है;

(ख) क्या औदियार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई कम है जिससे यात्रियों विशेष रूप से वृद्ध और बीमार व्यक्तियों को डिब्बों में चढ़ने-उतरने में कठिनाइयां होती हैं;

(ग) क्या औदियार रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन पर पूछताछ सेवा के अभाव में लोगों को रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान इत्यादि के बारे में ब्यौरा प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं;

(घ) क्या सैदपुर रेलवे स्टेशन गाजीपुर और बनारस के बीच एकमात्र शहरी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन है तथा सामान के लदान और उतराई हेतु कोई रेलवे यार्ड नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों पर कब तक ध्यान दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) औदियार नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बहरहाल, औडिहार नाम का एक स्टेशन है तथा उस स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल नहीं है, रेल पथों को पार करने के लिए एक पथ है।

(ख) औडिहार "बी" श्रेणी का रेलवे स्टेशन है और बना हुआ नीची सतह का प्लेटफार्म मौजूदा मानदंडों के अनुसार है।

(ग) औडिहार स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय की कार्य प्रणाली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) वाराणसी और गाजीपुर के बीच सैदपुर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। बहरहाल, वाराणसी और गाजीपुर के बीच सैदपुर भीतरी नाम का स्टेशन है। फिलहाल, इस स्टेशन पर लदान/उतराई की कोई सुविधा नहीं है।

(ङ) औंडियार स्टेशन पर सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यातायात में वृद्धि की दृष्टि से अपेक्षित होने पर ही उपर्युक्त वांछित सुविधाओं पर विचार किया जाएगा।

खलासी के रिक्त पद

3170. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से गोन्डा, मनकापुर, लखनऊ और कानपुर जंक्शनों पर खलासी के कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण जल आपूर्ति

3171. श्री अभयसिंह एस० भोंसले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में 40 एल.पी.सी.डी. मानदण्ड की सीमा है और साथ ही निजी मकानों में कनैक्शन का भी प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने 40 एल.पी.सी.डी. के वर्तमान मानदंड को 55 एल.पी.सी.डी. करने के लिए तथा निजी मकानों को 30 प्रतिशत कनैक्शन की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या 5 जुलाई 1996 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस अनुरोध पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो संशोधित मानदंडों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 4-5 जुलाई, 1996 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ग्रामीण जल आपूर्ति के मानक में छूट के लिए वर्तमान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की सिफारिश की है। 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के विद्यमान मानदंड के अनुसार देश में सभी कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को शुद्ध पेयजल प्रदान किए जाने के पश्चात् ही इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

वृत्त चित्रों का निर्माण

3172. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वृत्त चित्रों के निर्माण हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने स्वीकृत किए गए और राज्यवार कितने वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया;

(ग) सरकार के पास पिछले पांच महीनों से कितने प्रस्ताव और पटकथाएं लंबित हैं और वृत्त चित्रों के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी बाधाएं दूर करके वृत्त चित्रों के तत्काल निर्माण और प्रदर्शन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण सामान्यतया सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के जरिए किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न प्रस्तुतकर्त्ताओं की ओर से वृत्तचित्रों, धारावाहिकों, टेलीफिल्मों आदि के निर्माण के लिए 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से प. बंगाल में स्वच्छता संबंधी दो वृत्तचित्रों को अनुमोदित किया गया। मंत्रालय के पास पहले से उपलब्ध साफ्टवेयर को देखते हुए शेष प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

(घ) इस मंत्रालय की मीडिया संबंधी स्थायी समिति ग्रामीण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फिल्मों के निर्माण और प्रसारण की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

ब्रिटेन और अमरीका द्वारा इराक पर हवाई हमले

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इराक से संबंधित घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारत के इस क्षेत्र के देशों और लोगों के साथ ऐतिहासिक संबंध और गहरी बन्धुता है। हमें इराक के लोगों की तकलीफों के बारे में भारी चिंता है और हमने इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों का अनुपालन करते हुए एक-एक करके प्रतिबन्धों को उठा लेने की मांग की है। हमने समय-समय पर उभरे मतभेदों को इराक के साथ संयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग की बातचीत में संयम और नरमी के साथ दूर करने की निरन्तर मांग की है।

संयुक्त राज्य अमरीका और यू.के. द्वारा इराक पर किए जा रहे इन हवाई हमलों से भारत सरकार अत्यन्त चिन्तित है और इसकी घोर निन्दा करती है। यह विशेष रूप से खेदजनक बात है कि यह एक तरफा कदम उस समय उठाया गया है जब कि यू.एन.एस.सी.ओ.एम. के अध्यक्ष की रिपोर्ट से उत्पन्न गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र महा सचिव ने अपनी सिफारिशों और कार्यवाही के वैकल्पिक उपायों के साथ परिषद को भेजी थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सत्र चल रहा था।

इस आक्रमण के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सामूहिक और परामर्शी प्रक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। इससे इराक द्वारा परिषद के संगत संकल्पों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए परिषद की योग्यता पर भी प्रश्न चिह्न लगता है। हमारा यह निश्चित मत रहा है कि ऐसी परिस्थिति में बल प्रयोग हानिकारक ही सिद्ध होगा। इस मुद्दे को शान्तिपूर्ण तरीकों और बातचीत के माध्यम से राजनयिक रूप से हल किए जाने की आवश्यकता है। हमने इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन किया है।

हमने संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के वक्तव्य पर गौर किया है जिसमें अद्यतन गतिविधि पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। हम सैन्य कार्यवाही को तुरन्त रोकने और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में राजनयिक प्रयासों को पुन: आरंभ किए जाने की मांग करते हैं।

इराक में भारतीय समुदाय के लगभग 50 व्यक्ति हैं और वे सुरक्षित हैं। हम अपने दूतावास से सम्पर्क बनाए हुए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1913/98]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एयर लाइन एलाइड सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर लाइन एलाइड सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1914/98]

नौ-सेना अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 153 जो 28 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित भारतीय नौसेना की कतिपय शाखाओं में अधिकारियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की पात्रता को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1915/98]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1916/98]

(3) (एक) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1917/98]

नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना (संशोधन नियम)

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अंतर्गत नगर भूमि

(अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन नियम, 1998 जो 25 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 91 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1918/98]

(2) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1919/98]

सेंटर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारत सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1920/98]

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1921/98]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1922/98]

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1922/98]

(ग) (एक) राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1923/98]

(दो) राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1923/98]

(घ) (एक) भारत एल्युमीनियम कंम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1924/98]

(ङ) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ठरगांम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, उरगांम का वर्ष 1997-98 का वार्षिक परिवर्तन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1925/98]

(च) (एक) मैग्नीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1997-98 के कायकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैग्नीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1926/98]

(छ) (एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1927/98]

(ज) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1928/98]

(2) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1929/98]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1930/98]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इन्कोरपोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इन्कोरपोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इन्कोरपोरेटिड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1931/98]

(2) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1932/98]

अपराह्न 12.05 बजे

प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं निम्नलिखित 'की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों' में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई/अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग–बैंकिग डिवीजन)– समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण सुविधाएं के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के बावनवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्राक्कलन समिति (ग्यारवीं लोक सभा) का पांचवां प्रतिवेदन।

2. गृह मंत्रालय–पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के अड़तालीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) का छठा प्रतिवेदन।

3. कोयला मंत्रालय–कोयले का उत्पादन और वितरण के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के सत्तावनवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (ग्यारवीं लोक सभा) का सातवां प्रतिवेदन।

4. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय–तटीय पोत परिवहन के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के छियालीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) का नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05¾ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

पहला प्रतिवेदन

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं "सरकारी उपक्रमों में रुग्णता के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

[अनुवाद]

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

[अनुवाद]

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (1998-99) के पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही वृत्तांत प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06¾ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

[अनुवाद]

उनचासवां प्रतिवेदन

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : मैं जैन सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का उनचासवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस (मुकुन्दपुरम्) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद सभा की सहमति से मद संख्या-14 पर चर्चा की जा सकती है।

अब उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में प्रस्ताव। मैं, प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूं।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी०एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री पारस राम भारद्वाज - अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पूर्णो ए० सांगमा (तुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री कोणिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री मुरली देवरा - अनुपस्थित।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य है, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय : डा० सफीकुर्रहमान बर्क - अनुपस्थित।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० सी० थामस - अनुपस्थित।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

प्रो० ए० के० प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री के० विजयभास्कर रेड्डी (करनूल) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री टी० आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) . महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री भजनलाल - अनुपस्थित।

डा० आर० मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (बापतला) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी द्वारा प्रस्तावित श्री पी० एम० सईद को उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने के प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव पी० एम० सईद को उपाध्यक्ष बनाने का है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एम० गवई - अनुपस्थित।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री पी० आर० किन्डिया (शिलांग) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सनत कुमार मंडल अनुपस्थित।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिको सारदीना - अनुपस्थित।

अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत तथा श्री शरद पवार द्वारा समर्थन किया गया प्रस्ताव सभा के समक्ष विचाराधीन है और मैं यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि श्री पी० एम० सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा करता हूं कि श्री पी० एम० सईद को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है।

श्री पी० एम० सईद को सभा के नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के नेता श्री शरद पवार और कुछ अन्य दलों और समूहों के नेता उनके आसन तक ले गये।

अपराह्न 12.15 बजे

उपाध्यक्ष को बधाइयां

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सईद को उनके उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं। 'देर आए, दुरुस्त आए' मगर देर सईद साहब के व्यक्तित्व से जुड़े हुए किसी सवाल को लेकर नहीं थी, देर इसलिए हुई कि परम्परा का पालन किस तरह से किया जाए। सईद साहब से इस सदन में और सदन के बाहर संबंध स्थापित करने का मौका मिला है। वह बड़े हंसमुख हैं, मितभाषी हैं और मिष्टभाषी हैं। वह कब कड़ा होना है, यह भी जानते हैं और कब नर्म होना है, यह भी जानते हैं। वह जिस सुंदर द्वीप के निवासी हैं, उस द्वीप की सुंदरता वह मुख्य भूमि में भी लेकर आए हैं। सदन के नौवीं बार सदस्य चुने गए हैं। मैं 1957 में पहली बार आया और उसके

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बाद उनका पदार्पण हुआ। उन्होंने अनेक जिम्मेदारी के पद संभाले, मंत्री रहे, समितियों में रहे और समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी दायित्व का निर्वाह किया और सबको साथ लेकर चलने का उन्होंने प्रयास किया, इसमें उन्हें सफलता भी मिली। अब उनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ रही है। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका भी बोझा थोड़ा कम हो जाएगा। मैं एक बार फिर सईद साहब को बधाई देता हूं।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मैं सईद साहब का अभिनन्दन करने के लिए यहां खड़ा हूं। इस सदन में कई रिकार्ड श्री पी॰ एम॰ सईद साहब ने किए, जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वह नौ बार इस सदन के सदस्य रहे हैं। इसमें एक बार अनअपोज्ड सदन में आने का मौका भी उनको मिला था। उम्र के 26 साल में यह सदन में आ गए और तब से आज तक लगातार इस सदन के सदस्य के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। शायद उनका यह रिकार्ड और हो सकता है कि उनके क्षेत्र लक्षद्वीप में कुल वोटर्स की संख्या 34 हजार है। यह भी इस सदन का एक रिकार्ड हो सकता है, जो मुझे मालूम नहीं है। उनकी एक स्पैशियलिटी और भी है और वह यह कि वे 1967 से लगातार चुनकर आए हैं और तब से आजतक उनके खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह भी जनता दल का।

श्री शरद पवार : अलग-अलग पार्टी से, जिस पार्टी की स्थिति अच्छी होती है, उस पार्टी से खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज की परिस्थिति को देखने के बाद सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र से इनका पूरा राजनीतिक कैरियर सबको साथ लेकर चलने का है। इस पद पर ये कामयाब होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे व्यक्तिगत खुशी है, क्योंकि 1967 से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और मैंने भी उसी साल से शुरू की। उस साल से हम दोनों ही पार्लियामेंट्री क्षेत्र में आए और आज तक इस कन्टीन्यूटी को रखने का मौका मिला है। मुझे खुशी है कि उनकी शुरुआत देश के लोकसभा से हुई और मेरी विधान सभा से हुई थी। आज मुझे उनके नजदीक बैठने का मौका मिला है। कई समितियों में उन्होंने काम किया है और केन्द्रीय सरकार में काम किया तथा भारत सरकार की तरफ से दो बार युनाइटेड नेशन्स में प्रतिनिधित्व किया। कई बार चेयरमैन के पैनल से सदन को किस तरह से चला सकते हैं, इसका कृत्य भी उन्होंने इस सदन के सामने दिखाया। मुझे विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन सदन को मिलेगा और सदन को अपनी कार्यवाही चलाने के लिए मदद मिलेगी। उनका अनुभव हम लोगों को मिलेगा।

मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विपक्ष को एक पद देने की जो परम्परा है, उस परम्परा को उन्होंने स्वीकार किया है। इसमें युनैनिमिटी लाने में सभी राजनीतिक दलों ने सहयोग दिया। मैं खास तौर से तृणमूल कांग्रेस की नेता, ममता बनर्जी और एआईएडीएमके की नेता, जयललिता, का यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि इस युनैनिमिटी को लाने के लिए उन्होंने सदन से और सदन के बाहर बहुत मदद की। मुझे विश्वास है कि यह नई जिम्मेदारी, जो आज सईद साहब के ऊपर पड़ी है, इसमें वे कामयाब होंगे और विपक्ष की तरफ से इस काम में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। यही मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय जब से मैं इस सदन में हूं मैं अपने मित्र श्री पी॰ एम॰ सईद को देख रहा हूं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक आम सदस्य, एक मंत्री या विभिन्न समितियों के चेयरमैन के रूप में पेश किया है, उनकी मैं सराहना, आदर और प्रशंसा करता हूं। उनके बारे में यहां जो कुछ कहा गया है उससे यही साबित होता है कि वे इस पद के लिए योग्य व्यक्ति थे जो आज सदन ने उन्हें लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर चुना है। उन्होंने उनके निर्णयों या निष्कर्षों को देते समय गुस्सा, अधीरता या किसी प्रकार का दबाव नहीं दिखाया। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह निष्पक्ष हैं और जो इस सभा को और सभी सदस्यों को बहुत आदर के साथ देखते हैं।

मैं अपने दल की तरफ से उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन देता हूं ताकि उन्होंने इस दिशा में पिछले कई वर्षों में जो श्रेय अर्जित किया है, इसमें और वृद्धि हो।

मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत खुश हूं और मुझे विश्वास है कि यहां उपस्थित सभी सदस्य सभा के इस फैसले से खुश होंगे कि उन्होंने एक मत से श्री पी॰ एम॰ सईद को चुना है। यह भी एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि चुनाव के संबंध में विवाद उठने की आशंका थी। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं यह मामला एक मत से सुलझ गया। श्री सईद के अपने व्यक्तित्व, अपनी प्रतिष्ठा और इस सभा में अपने स्थान के कारण ऐसा बड़ा काम हो सका।

इसलिए मैं अपने सभी साथियों के साथ एक बार फिर उनके चुने जाने पर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.) : मोहतरम सदर, मैं पहली बार किसी को इस सदन में मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पी॰ एम॰ सईद जी को पहले दिन से जानता हूं, उस समय मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नये सदस्यों ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाए थे, उस समय पी॰ एम॰ सईद सबसे कम उम्र के मेम्बर थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने लक्षद्वीप में समुद्र के बीच में, आदिवासी इलाके में जन्म लिया। उन्होंने बेबसी को, पीड़ा को नजदीक से देखा है। उन्होंने कुदरत के रूप को भी देखा है और उसके खिलाफ जद्दोजहद की है। इंसानियत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए उनके दिल में एक तमन्ना है और वह तमन्ना उन्हें सियासत में लाई तथा उस तमन्ना को उन्होंने हमेशा जाहिर किया। उनके दिल में एक गहराई है, जिस गहराई से इंसानियत को बुलंदियों में ले जाने के लिए वह हमेशा कोशिश करते रहे। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इंसान ने अपने को मजहब के छोटे-छोटे दायरों में, कुओं में बांट लिया है। उन्होंने इंसानियत के समुद्र को नहीं पहचाना है। वह केवल समुद्र की गोद में पले नहीं, उन्होंने इंसानियत के बड़े समुद्र को पहचाना है और इसीलिए उन्होंने इस तरह के समाज के लिए,

समता के समाज के लिए बार-बार कोशिश की। उन्होंने हरदम अपने स्वभाव से, तहजीब और तरबीयत से लोगों के दिलों को जीता। उनका चेहरा बड़ा मासूम है, कभी-कभी उनकी मुस्कराहट लोगों को धोखा देती है। लोग समझते हैं कि उनमें अल्हड़पन है, बालकपन है लेकिन उनके दिल में पुख्ता इरादा है, जिस पुख्ते इरादे से समाज को बदलने की नीयत से वह हरदम जद्दोजहद करते रहे हैं।

महोदय, मुझे इस बात से खुशी है कि आज जब चारों तरफ तारीकी नजर आ रही है, जम्हूरियत में और खास कर पार्लियामेंट में हम एक-दूसरे के खिलाफ ही सब कुछ देख रहे हैं उस समय उन्होंने एक नयी शुरुआत की है। उनकी खूबियों की वजह से आज सारे हाउस ने उनको एक राय से चुना है, यह केवल इस पार्लियामेंट के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की सियासत के लिए भी एक नयी शुरुआत है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस तारीकी में जो एक नया चिराग जलाया है, यह चिराग हमेशा बुलंद रहेगा। उन्होंने हर समय, चाहे वह किसी ओहदे पर रहे हों, वहां उसे बखूबी अंजाम दिया। मुझे उम्मीद है कि यह चिराग हमेशा रोशन रहेगा, जहां जाएगा अपनी रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकां नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : मैं अपने उस पुराने प्रिय मित्र को बधाई देने के लिए खड़ा होना अपना सौभाग्य समझता हूं, जिन्हें इस उच्च पद के लिए चुना गया है। वे 1967 में संसद में चुनकर आए थे। उस समय मैं पहले से संसद सदस्य था। मैं उन्हें उस समय से देख रहा हूं जब से वे यहां आए हैं। मुझे उनके साथ विभिन्न हैसियतों में कार्य करने का सौभाग्य मिला। वे बुद्धिमान और आदर्शों में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। संसदीय लोकतंत्र में उनकी आस्था से मैं अवगत हूं, मैं इस तथ्य से परिचित हूं कि चाहे वे सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा है।

जैसा मैंने कहा है कि मैं उन्हें उस समय से जानता हूं जब वे पहली बार इस सभा में चुनकर आए थे। मुझे विश्वास है कि जब वे इस अध्यक्षपीठ पर विराजमान होंगे तो वे उन मूल्यों का पालन जारी रखेंगे जिनके वे प्रतीक हैं। और हम पाएंगे कि सभी परिस्थितियों में लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक प्रक्रिया व लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रभावी रहेंगे।

मैं उन्हें अपनी और सभा की शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि मेरे विचार से हमने इस पद के लिए सही व्यक्ति को चुना है।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : अध्यक्ष महोदय, विश्व मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंगीकार करने की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है। इस घोषणा पत्र के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक मूल भेदभाव का आधार नहीं होगा। श्री सईद दूरस्थ, समुद्र से घिरे छोटे से क्षेत्र लक्षद्वीप के रहने वाले हैं। आज उन्हें उपाध्यक्ष चुनकर सभा ने संकेत दिया है कि हमारे उपमहाद्वीपीय आकार के लोकतंत्र में दूरस्थ और छोटे क्षेत्रों के लोगों को नहीं भुलाया जाएगा। हमारे लिए मानव अधिकार घोषणा पत्र की स्वर्ण जयन्ती मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता।

श्री सईद एक भाषाविद् हैं। वे हिन्दी, अंग्रेजी मलयालम, कन्नड़, तमिल और तुलु में प्रवीण हैं। एक मायने में वे हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे उपाध्यक्ष के इस उच्च पद के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं।

1996 में श्री सईद द्वारा आयोजित अपनी पुत्री के विवाह स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए मैं लक्षद्वीप गया था। उस समय मुझे महसूस हुआ कि अपने लोगों के दिलों में श्री सईद का क्या स्थान है। उनके गांव के सभी लोग उनके साधारण घर में एकत्र हो गए थे। वस्तुतः गांव वाले और उसके आस-पास के सभी द्वीपवासियों ने स्वागत समारोह में भाग लिया था। वे उनके घर-आंगन, समुद्र के सामने, नारियल के पेड़ों के नीचे बैठे और उन्होंने सामूहिक भोज किया। वहां पर अमीर-गरीब, उच्च-निम्न, सगे-संबंधियों और अन्य लोगों के बीच कोई भेद नहीं था। कोई हैरानी की बात नहीं है कि श्री सईद लगातार नौ बार इस सभा में चुनकर आए हैं। वास्तव में, श्री सईद और श्री खगपति प्रधानी इस सम्माननीय सभा के दो ऐसे सदस्य हैं जिनके नाम लगातार आठ बार संसद के लिए चुने जाने के लिए गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हैं।

उनके लिए 12 में से 11 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल और 14 में से 11 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के माध्यम से हमारे संसदीय लोकतंत्र में परिपक्वता प्राप्त करना एक आधारभूत अनुभव होना चाहिए। यह सभा उनके इस अनुभव की झलक सभापति तालिका के सदस्य के रूप में भी सईद के कार्य निष्पादन में पहले ही देख चुकी है।

श्री सईद एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। वे राजनीति में मुझसे वरिष्ठ हैं। इसके बावजूद 1995-96 में जब हम दोनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्य कर रहे थे तो मैं कैबिनेट मंत्री था और वे राज्य मंत्री थे। श्री सईद इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि उन्होंने राजनीति में अपनी सापेक्ष वरिष्ठता से मंत्रालय में हमारे पदानुक्रम संबंधों को प्रभावित होने नहीं दिया। हमारे बीच उत्तम कार्य संबंध थे। मैंने पाया कि ईश्वर ने श्री सईद को लक्षद्वीप के नीले समुद्र के समान ही निर्मल मन व हृदय दिया है।

रोमांटिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेज कवि थामस ग्रे ने किसी देश के चर्चयार्ड पर लिखी कविता में कहा है :-

"फुल मैनी ए जेम ऑफ प्यूरेस्ट रेज सीरीन,
दि डार्क अनफैदम्ड केव्स आफ ओसियन बीयर,
फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टु ब्लश अनसीन,
एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन दि डिजर्ट एयर।"

श्री सईद एक समुद्री रत्न हैं, समुद्र में खिले कमल हैं, हमने इस रत्न को पहनने के लिए इसे अरब सागर की गहराइयों से निकाला है और इस पुष्प को हमारी सभा की अध्यक्षपीठ पर सुशोभित किया है। हमने उक्त कवि को गलत सिद्ध कर दिया है। मुझे विश्वास है कि उनकी चमक व महक फैलेगी।

माननीय श्री पी॰ एम॰ सईद, आपके नए कार्य में मैं ईश्वर की कृपा और सफलता की कामना करता हूं।

श्री वसुदेव आचार्य अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पी० एम० सईद को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस दिन को याद किया जाएगा क्योंकि आज हमने ऐसे व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना है जो हमारे देश के सर्वाधिक सुन्दर द्वीप के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। श्री पी० एम० सईद 196 से लगातार इस सभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं। 1980 में जब मैं इस सभा के लिए निर्वाचित हुआ था उस समय से उन्हें इस सभा में एक सदस्य एक संसदविद, एक मंत्री और सभापति पैनल के सदस्य के रूप में देखा है। मैंने उनकी क्षमताओं और कार्यकुशलता को देखा है। अच्छा होता कि वे पहले भी चुने जाते। वे उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परम्परा को बनाए रखना चाहते थे। मुझे बेहद खुशी है कि श्री पी० एम० सईद को, जो एक प्रतिष्ठित क्षमतावान, कार्यकुशल, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण निष्पक्ष और दीर्घकाल से सांसद रहे व्यक्ति हैं सर्वसम्मति निर्वाचित किया गया है हमें आशा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में वे सभा की गरिमा व मर्यादा बनाए रखने में सफल होंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभा में सभी दलों की आवाज सुनी जाए व उसे संरक्षण मिले। हमे आशा है कि यह कार्य उनके उपाध्यक्ष पद पर बने रहने से किया जा सकता है।

अपनी पार्टी की ओर से मैं श्री पी० एम० सईद को सभा के कार्य संचालन में पूर्ण सहयोग देने का वायदा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, महान संसद के उपाध्यक्ष पद के लिए माननीय सदस्य श्री पी० एम० सईद जी को निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुना गया है। इसलिए हम उन्हें हृदय से बधाई देते हुए मुबारकबाद देते हैं। हम जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी पद के लिए कम से कम दो गुणों का होना आवश्यक है - एक योग्यता और दूसरा निष्पक्षता। योग्यता और निष्पक्षता के बिना सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं चलाई जा सकती है। मुझे खुशी है कि श्री पी० एम० सईद में दो गुण ही नहीं तीन गुण वर्तमान में हैं। वह योग्य भी हैं, निष्पक्ष भी हैं और अनुभवी भी हैं। इसलिए यह सदन के लिए और खुशी का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की और खुशी है कि सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद जी ने इनका नाम सुझाया था कि श्री पी० एम० सईद को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना जाना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिन्दुस्तान को यह गौरव प्राप्त है कि इस महान सदन में 1977 में जब हम लोगों की हुकूमत थी, उस समय इस महान परम्परा को शुरुआत हुई थी कि विरोध पक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। उसी समय से विभिन्न राज्यों में इस परम्परा का अनुकरण किया जा रहा है लेकिन अभी यहां एक साजिश चलाई गई कि किस प्रकार इस परम्परा को तोड़ा जाये। मैं सत्ता पक्ष की सहयोगी पार्टियों में कुमारी ममता, जयललिता और समता दल के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस महान परम्परा का अनुपालन करने के लिए पुरजोर कोशिश की। हमें खुशी है कि इस सदन की इस महान परम्परा को बहाल किया गया।

अध्यक्ष महोदय आपको बड़ी भारी जिम्मेदारी और आपके निर्देश में यह चुनाव निष्पक्ष और सर्वसम्मत ढंग से सम्पन्न हुआ। अभी तक वह क्षेत्र जो समुद में बहुत दूर स्थित है और उपेक्षित अनुभव करता होगा लेकिन उनके प्रतिनिधित्व मिलने मे अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य का इस गौरवपूर्ण पर पद चुना जाना रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म के खिलाफ एक सर्वसम्मत चुनाव है। इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको वचन देता हूं कि सदन को शान्तिपूर्वक चलाने में हर प्रकार का सहयोग और सदन की उच्च परिपाटी का आदर्श कायम करने मे हम सहयोग करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद देता हू कि सदन को निष्पक्ष रूप से चलाने और माननीय सदस्यों के अधिकारों का सरक्षण और हम जो सवाल गरीबों के लिए उठाते हैं, उसके समाधान के लिए, जो माननीय उपाध्यक्ष चुने गये हैं, उनको हमारी ओर से पूरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि गरीबों की आकांक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन को शान्ति से चलाने का वचन दिया है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने तो वचन दिया है लेकिन मंत्री पद पर रहकर ये जो उपद्रव कराते रहते हैं, वे न करें, ऐसा वचन दें।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, अपनी ओर से और अपनी पार्टी तेलुगू देशम पार्टी की ओर से मैं श्री पी० एम० सईद को सर्वसम्मति से लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। उनका विशिष्ट व्यक्तित्व है। वे इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। वे लोक सभा के लिए नौ बार चुने गए हैं। जब वे 1957 में पहली बार लोक सभा के लिए चुने गए थे उस समय मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। इस लिए मुझे बेहद खुशी है कि इस सभा ने आज एक विशिष्ट व्यक्तित्व को उपाध्यक्ष चुना है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मतभेदों के बावजूद कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में हम एकमत हैं। मुझे विश्वास है कि वे नए सदस्यों को अधिक अवसर देंगे और इस सभा में प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाएगी।

उनके इस नए दायित्व के लिए मैं उन्हें एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूं व शुभकामनाएं करता हूं।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की नेता कुमारी ममता बनर्जी आज सर्वाधिक खुश होतीं, किंतु वे आज सभा में उपस्थित नहीं है। मैं कुमारी ममता बनर्जी और अपने सहयोगियों की ओर से मैं श्री पी० एम० सईद को हार्दिक बधाई देती हूं। हमें आशा है कि वे एक सक्षम और निष्पक्ष उपाध्यक्ष होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी बधाई देना चाहती हूं। उनके कौशल के कारण ही इस मुद्दे पर आम सहमति बन पाई और सभा की इस परम्परा का पालन हुआ कि उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष का सदस्य निर्वाचित हो। हमारी ओर से श्री पी० एम० सईद को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। मुझे आशा है कि वे हम सब लोगों को लक्षद्वीप आने के लिए आमंत्रित करेंगे।

श्री आर० मुथैया (पेरियाकुलम) : सर्वप्रथम मैं श्री पी० एम० सईद को सर्वसम्मति से इस सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर अपनी खुशी का इजहार करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। मैं अपनी पार्टी अन्नाद्रमुक और हमारी नेता पुरात्ची थलैवी डा० जयललिता की ओर से भी श्री पी० एम० सईद को बधाई देता हूं।

इस अनुभवी और प्रख्यात राजनीतिज्ञ को उपाध्यक्ष चुनकर व उपाध्यक्ष पद को मुख्य विपक्षी दल को देकर हमने एक बार पुन: इस सभा की परम्परा व परिपाटी को बनाए रखा है। इस समय मैं सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी घटक दलों को उपाध्यक्ष पद को मुख्य विपक्षी दल को देने की परम्परा को स्वीकार करने के लिए बधाई देता हूं। हमारी नेता पुरात्ची थलैवी डा० जयललिता ने सभी राजनीतिक दलों और माननीय प्रधानमंत्री से इस सभा में इस परम्परा के पालन की अपील की थी। इस लिए मैं हमारे सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी घटकों के नेताओं और माननीय प्रधानमंत्री को इस परम्परा व परिपाटी के मानने में एकमत होने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, इसके अलावा मैं इस बात से भी बेहद खुश हूं कि सभा के दोनों पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दक्षिण से हैं। पुन: हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे बीच एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति हैं जो तमिल भाषा के विद्वान हैं और उपाध्यक्ष पद पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री श्री थम्बी दुरई के बाद वे दूसरे तमिल भाषी हैं। इसी प्रसन्नता के साथ, मैं उच्च परम्पराओं और परिपाटियों का निर्वाह कर श्री पी० एम० सईद को सर्वसम्मति से इस सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर एक बार पुन: बधाई देता हूं।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने साथियों के साथ अपने परम मित्र और भाई, श्री पी० एम० सईद को उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई दे रहा हूं। महोदय आठ महीने से चला आ रहा विवाद जिसने अत्यधिक गर्म माहौल तथा रुचि पैदा कर दी थी आज समाप्त हो गया है। जैसा कि कहा जाता है, "अन्त भला तो सब भला", उपाध्यक्ष पद के लिए उचित व्यक्ति को चुनकर यह सिद्ध हो जाती है।

श्री सईद ने कई रिकार्ड बनाए हैं, कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। सभी ने बताया कि वह सदन में नौ बार निर्वाचित होकर आए हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से नौ बार चुनकर आना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए मैं उन्हें "लक्षद्वीप का सुल्तान" कहकर पुकारा करता हूं। संयोग से मैं और वह 1967 में ही लोक सभा के सदस्य बनकर आए थे। वह श्री प्रधान के साथ नौ बार निर्वाचित होकर आए। मैं समझता हूं कि उनकी तुलना केवल श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ की जा सकती है जो एक बार के सिवाय 10 बार लोक सभा में निर्वाचित होकर आए हैं। अत: यदि आप क्रिकेट शब्दावली में कहना चाहें तो आप श्री इन्द्रजीत गुप्त को क्रिकेट का बादशाह डॉन ब्रैडमेन कह सकते हैं और मैं तो श्री सईद को सचिन तेन्दुलकर कहूंगा।

अत: मैं उन्हें बधाई देता हूं। महोदय, श्री सईद ने नहीं सुना है मैंने उनकी तुलना सचिन तेन्दुलकर के साथ की है।

महोदय, इन्होंने एक अन्य उपलब्धि प्राप्त की है, जिसका वर्णन किसी ने भी नहीं किया है। इनका एक पुत्र है - वह बहुत अच्छा है और इनकी सात पुत्रियां हैं। हो सकता है कि यह दूरदराज क्षेत्र से हैं और ये परिवार नियोजन के बारे में भूल गए हों।

इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। पहली बार जब 1967 में यह लोक सभा में निर्वाचित होकर आए थे तो लक्षद्वीप में साक्षर दर 15 प्रतिशत थी। आज यह शतप्रतिशत है। यह एक महान उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मारन, वह शून्य काल को निपुणता पूर्वक चलाने में भी निपुण हैं।

श्री मुरासोली मारन : जी हां, महोदय।

महोदय, पूर्व में लक्षद्वीप सुनसान द्वीप था लेकिन आज वह वैसा बिल्कुल नहीं है। लक्षद्वीप के लिए दैनिक हवाईसेवा की उड़ान है और वहां का पूरा क्षेत्र दूरभाष के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जैसाकि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने कहा। यह बड़े सम्मान की बात है कि वे अरब सागर में दूरस्थ द्वीप से चुने गए हैं। इसके अलावा वह अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वह इस कारण नहीं चुने गए हैं, बल्कि अपनी योग्यता के कारण चुने गए हैं।

महोदय, यह 12वीं लोकसभा इतिहास में अवश्य अंकित होगी क्योंकि जैसा कि मेरे अनाद्रमुक मित्र ने कहा है कि दो पीठासीन अधिकारी दक्षिण से हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य विशेषता यह है कि अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति से हैं और उपाध्यक्ष महोदय अनुसूचित जन जाति से हैं। मैं समझता हूं कि यह परम्परा जारी रहेगी और उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी को मिलेगा। मैं समझता हूं कि दोनों पद दक्षिण के लोगों को मिलने चाहिए और दोनों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए।

महोदय, यह कहा जाता है कि संसदीय पद्धति की सरकार बोलने वाली सरकार होती है। जब उपाध्यक्ष के पद की मेरे दल को पेशकश की गई थी, उस समय मैंने पीठाध्यक्ष से पूछा था कि इसका मानदण्ड क्या है और उस पद के लिए मुझे किसे चुनना चाहिए तो उन्होंने कहा था कि मुख्य मानदण्ड है कि उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे उम्मीदवार की गरजती हुई आवाज होनी चाहिए जो सभी अन्य सदस्यों की आवाजों पर हावी हो। इनकी आवाज न केवल गरजती है बल्कि यूं कहिए कि इनमें लोकसभा की व्यवहार कुशलता भी है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा जाता है कि पीठाध्यक्ष अधिकारी को हाउस ऑफ कामन्स की व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए। इनमें लोकसभा व्यवहार कुशलता है क्योंकि यह पिछले 5 वर्षों से सभापति तालिका में रहे हैं।

महोदय, प्राय: यह कहा जाता है कि हाउस ऑफ कामन्स विश्व का सबसे प्रभावशाली मंच है। इसी प्रकार हमारी लोक सभा भारत का अत्यन्त प्रभावशाली मंच है। इतना ही नहीं, हाल ही में यह विश्व का सबसे अच्छा टेलीविजन प्रसारण स्टेशन बन गया है। यह स्वभाविक है कि हममें से कुछ अपनी आवाज उठाना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने अनुभवी सांसद के रूप में, सत्तादल के सदस्य के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में और विपक्ष के सदस्य के रूप में कार्य किया है। अत: उनमें इस सदन का उपाध्यक्ष बनने के सभी गुण मौजूद हैं और मुझे इसके बारे में बहुत खुशी है।

[श्री मुरासोली मारन]

महोदय, अपने दल की ओर से और स्वयं अपनी ओर से, मैं एक बार पुन: उन्हें और लक्षद्वीप के लोगों को बधाई देता हूं और उन्हें अपना सहयोग देने की पेशकश करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, आप समता पार्टी का ख्याल नहीं रखते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम ही पुकारने वाला था। आप पीठाध्यक्ष द्वारा कही गई बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : आज श्री पी० एम० सईद साहब के उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और समता पार्टी की तरफ से हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत ने देश में धर्मनिरपेक्षता को कायम रखा है और फिर एक दलित ने उपाध्यक्ष पद सुशोभित करके दुनिया को यह दिखाने का काम किया है कि इस पंचायत के लोग अपने लोगों में चयन करने में कितने सक्षम हैं।

इसलिए श्री पी० एम० सईद जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी तरफ से निर्विरोध चुने जाने का प्रस्ताव किया गया और किसी तरह का द्वन्द्व या विरोध नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री नवीन पटनायक (आस्का) : महोदय, बीजू जनता दल की ओर से मैं श्री पी० एम० सईद को इस माननीय सदन का सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर, उन्हें बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वह तीन दशकों के अपने विस्तृत और भरपूर अनुभव से इस सदन का और अधिक प्रभावी ढंग से संचालन करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर सर, मैं अपनी और अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से श्री पी० एम० सईद साहब को डिप्टी स्पीकर बनने पर बहुत-बहुत मुबारकबाद देता है। मैं समझता हूं कि आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत अच्छा दिन है जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत के डिप्टी स्पीकर मायनारिटी और दलित वर्ग से चुने गए हैं और इन वर्गों का व्यक्ति आज इस पद को सुशोभित कर रहा है। इसके लिए जहां सभी पार्टियां प्रशंसा और मुबारकबाद की पात्र हैं वहां मैं विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस देश की परम्परा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आखिर में, मैं पुन: श्री पी० एम० सईद जी को मुबारकबाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी और अपने दल, शिव सेना की ओर से श्री पी० एम० सईद को उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए बधाई देता हूं।

सबसे पहले, मुझे गर्व है कि ये मुम्बई में उसी कालेज के विद्यार्थी रहे हैं जहां पर मैंने शिक्षा ग्रहण की है। यह पूर्व-सिद्धार्थीयन हैं।

दूसरा, यह हमारे देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके कारण ही वह ऐसे पद पर आसीन हो रहे हैं। जिससे विवाद कम होंगे।

तीसरा, इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है क्योंकि विपक्ष के नेता ने कहा है कि अब वह उनके अधिक निकट बैठेंगे। मैं कामना करता हूं कि यह स्थिति अगले चार वर्षों के लिए जारी रहेगी ताकि इस सदन में सभी विवादों को कम किया जा सके। अन्यथा इस सदन के प्रत्येक संसद सदस्य को अत्यन्त भारी सन्देह है। यह शंका व्यक्त की जा रही है कि उन्हें चुनाव कराने पड़ेंगे लेकिन उनके निर्वाचित हो जाने से मैं समझता हूं कि उस आशंका का समाधान हो जाएगा और लोगों के दिमाग स्थिर होंगे और स्थिर सरकार और स्थिर संसद होगी।

एक और बात है। संस्कृति की दृष्टि से भी वह स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। अधिकतर नेताओं जो वास्तव में इस सदन में समस्याएं खड़ी करते हैं, ने बधाई देते हुए उन्हें सदन की कार्यवाही निर्बाध चलाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वह भी अतिरिक्त योग्यता है जो उनके पास है।

श्री सईद हमारी भारतीय संस्कृति का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं मेरी तो यही कामना है कि वह हर प्रकार की गतिविधियों में सफल हों। वह मेरे श्रेष्ठतम मित्रों में से एक हैं। जब से मैं इस सदन में आया हूं मेरी उनसे दोस्ती हुई है इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं। इस का पूरा श्रेय हमारी सरकार के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह तभी संभव हो पाया है क्योंकि लोग परम्परा की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस परम्परा का इस संसद के प्रत्येक सदस्य को सम्मान करना चाहिए। जब कभी हम परम्परा के बारे में कहते हैं तो सभी पहलुओं पर कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। मेरी केवल यही आकांक्षा है। यदि पूर्व में ऐसा होता रहा है तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव को इतना लम्बा नहीं टाला जाना चाहिए था।

एक बार पुन: मैं अपने मित्र और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री पी० एम० सईद को शुभ कामना देता हूं।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, अपने दल आर० एस०पी० की ओर से मैं श्री पी० एम० सईद को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं।

महोदय, उन्हें 12वीं लोक सभा के गठन का पता है, सत्ता पक्ष गठबंधन और विपक्ष लगभग बराबर का है। छोटे दलों की संख्या भी अधिक है और मुझे पक्का विश्वास है कि विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय देंगे।

मैं आशा करता हूं कि आपके साथ-साथ, वह माननीय सदस्यों के अधिकारों और इस माननीय सदन की मर्यादा की रक्षा करेंगे। मैं एक बार पुन: श्री पी० एम० सईद को आश्वस्त करता हूं कि मेरा दल निष्पक्ष तरीके से इस सदन की बैठकों का संचालन करने में उन्हें भरपूर सहयोग देगा और मैं उनके अत्यन्त सफल कार्यकाल की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री पी० एम० सईद को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत मुबारकबाद, बधाई और नेक ख्वाहिशात पेश करना चाहूंगा। एक बात बार-बार कही गयी है कि श्री पी० एम० सईद साहब नौवीं बार लोक सभा के लिए चुनकर आये हैं। जिन लोगों ने श्री पी० एम० सईद साहब को देखा नहीं होगा, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे इस माननीय सदन ने किसी बहुत बुजुर्ग, वृद्ध, मोअम्मर शख्स को इस सदन का डिप्टी स्पीकर चुना है लेकिन सईद साहब पर एक नजर पड़ते ही वे सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं।

श्रीमन् भारत के लिए एक वाक्य कहा गया है "पूरा अपि नव एवति पुराना" - कभी वृद्ध न होने वाले नौजवान। सईद साहब के ऊपर ऐसा लगता है, अगर किसी एक शख्स के ऊपर उस वाक्य को, जो हमारे देश के लिए कहा गया है, देखें तो चाहे जितनी बार वह चुनकर आयें, लगता है कि हर इलैक्शन के साथ उनके चेहरे पर ज्यादा ताजगी, ज्यादा मुस्कराहट है। यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि उम्र यकीनन बढ़ रही है लेकिन ज़हीफ कहीं से भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में एक लायक और बासलाहियत डिप्टी स्पीकर श्री पी० एम० सईद साहब की शक्ल में मिले। आखिरी में एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए मैं एक शेर कहना चाहूंगा -

"निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं,
वह आदमी है मगर देखने की ताब नहीं।"

[अनुवाद]

श्री आर० एस० गवई (अमरावती) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिष्ठित सभा के सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए मैं माननीय श्री पी० एम० सईद को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।

महोदय, यह सभा सर्वोच्च और प्रभुता-सम्पन्न है। संसदीय भाषा में इस सभा को प्रजातंत्र के मंदिर के रूप में संबोधित किया जाता है। हमने लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की परन्तु हम सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता से काफी दूर हैं, जिसके कारण हमें ज्ञात हैं। जब तक हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए सभा लोकतंत्र का मन्दिर होने के कारण और करोड़ों देवी और देवताओं के होने के कारण हम यहां पर भक्तगण हैं। वृहत् लोकतंत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से हम जिस किसी प्रकार की संसदीय पद्धतियों को प्रयोग में क्यों न लाएं, मैं आशा करता हूं, आपके और माननीय उपाध्यक्ष, श्री सईद के माध्यम से हम राजनीतिक लोकतंत्र और साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

एक बार फिर मैं श्री पी० एम० सईद को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उनके कार्यकाल में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की ओर से माननीय सदस्य को बधाई देता हूं जो सभा के उपाध्यक्ष बन गए हैं।

महोदय, इस सभा के गठन के पश्चात् अब तक लम्बी अवधि में विख्यात पुरुषों और महिलाओं ने इस सभा की शोभा को बढ़ाया है।

अंग्रेजी कविता में शायद रॉबर्ट हैरिक ने कहा है कि "लघुता सुन्दर होती है।" लक्षद्वीप सुन्दर है और श्री सईद काफी हद तक उस सुन्दरता को प्रतिबिम्बित करते हैं। यहां पर सौहार्द का माहौल बना हुआ है और यह सौहार्द श्री सईद के सर्वसम्मति से निर्वाचन के कारण बना हुआ है। इस सौहार्द का स्वागत है क्योंकि दुर्भाग्यवश कभी-कभी यह सभा विभाजित होती है। परन्तु आज मुझे इस सौहार्द को देखकर प्रसन्नता होती है और इस सौहार्द के लिए मैं न केवल विपक्ष की प्रशंसा करता हूं अपितु मैं भाजपा की भूमिका की भी सराहना करता हूं जिसने अन्तत: इस बात को समझा कि इस सभा में इस उच्च पद पर श्री सईद के निर्वाचन से लोकतंत्र और सौहार्द सुदृढ़ होगा क्योंकि वे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और सभा के सभी वर्गों में वे लोकप्रिय हैं।

मैं आपको भी बधाई देता हूं क्योंकि आपको भी श्री पी० एम० सईद से बेहतर सहयोगी नहीं मिल सकता था।

अन्तत: मैं कहना चाहूंगा कि श्री सईद की तहजीब ने उन्हें यहां पर लोकप्रिय बनाया है। वे एक सुसंस्कृत व्यक्ति हैं और अपने सहयोगियों के प्रति वे उदारता दिखाते हैं और वे अपनी काबिलियत के आधार पर इस पद के लिए चुने गए हैं। उन्होंने न केवल समुद्री झीलों के लिए प्रसिद्ध लक्षद्वीप का सम्मान बढ़ाया अपितु उन्होंने अपने समुदाय, मुस्लिम समुदाय का भी सम्मान बढ़ाया है।

इस पद को सुशोभित करने वाले वह पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पद पर विराजित होने वाले वे पहले मुस्लिम व्यक्ति होंगे।

अब क्योंकि श्री आरिफ मोहम्मद खां ने कुछ पंक्तियां सुनाईं। मुझे उससे कुछ ज्यादा याद है परन्तु इसका श्रेय श्री आरिफ मोहम्मद खां को जाता है। सभा इसका रसास्वादन करेगी।

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज]

इकबाल का शेर है -

निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज़ व जान पुरसोज़
यही है रिख्ते-सफर, मेरे कारवां के लिए।
نگاہ بلند، سخن دلنواز و جان پر سوز
یہی ہے رخصت سفر، میرے کارواں کے لئے

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए श्री पी॰ एम॰ सईद साहेब को हार्दिक बधाई देता हूं और मेरी ओर से और मेरी पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से मुबारकबाद देता हूं।

महोदय, यह निर्वाचन एक बात को दर्शाता है। विभिन्न मामलों पर वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद हमने सभा की उच्चतम लोकतांत्रिक परम्परा को चलाए रखने में एकजुटता दिखाई है और सभा के मुख्य विपक्षी दल के सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुना है यद्यपि इसमें कुछ विलम्ब हुआ है।

महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्रसन्न हूं कि मेरे नजदीकी मित्र को सभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। जब वे 1967 में चुने गए थे तब मैं केरल विधान सभा के लिए चुना गया था और जब कभी भी हम, नौजवान विधायक यहां आते थे तो श्री सईद हमें इस प्रतिष्ठित सभा की दशक दीर्घा तक ले जाया करते थे और उनका स्कूटर हमारे लिए आवाजाही का एकमात्र वाहन था। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि मेरे एक पुराने सहयोगी इस पद के लिए चुने गये हैं। मैंने उनमें जो गुण देखा वह यह है वह 1967 से लक्षद्वीप से नौ बार न केवल चुने गए अपितु शायद सभा में वे ही एकमात्र ऐसे सदस्य होंगे जो 1971 में सभा के लिए सर्वसम्मति से बिना किसी मुकाबले के चुने गए थे।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : 1967 में वह 26 वर्ष की आयु में इस सभा के लिए चुने गए थे।

श्री ई॰ अहमद : जी हां। मैं भी केरल विधान सभा के लिए ऐसे ही चुना गया था।

श्री सईद की प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि वे सौम्य हैं; मृदु-भाषी हैं और निरभिमानी हैं और यही बातें उन्हें सभी का प्रेमपात्र बना देती हैं और वह इस पद के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं।

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद को ग्रहण करने का पहला अवसर प्रदान किया जा रहा है यद्यपि देश में मुस्लिम समुदाय इससे ज्यादा प्राप्त करने का अधिकारी है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार श्री सईद सभा का संचालन कर रहे हैं वह आपके द्वारा और आपके पूर्ववर्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण कि सभा में छोटे दलों का ध्यान अधिक रखा जाए, का पालन करेंगे। मुझे विश्वास है कि श्री सईद सभा में कार्य-संचालन के अपने सौम्य और गुणवत्तापूर्ण स्तर को बनाए रखेंगे।

महोदय, लक्षद्वीप के हमारे भाईयों के लिए आज खुशी का दिन है। वे प्रधानमंत्री, श्री चन्द्रशेखर, श्री गुजराल, श्री शरद पवार और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर बोले गए प्रत्येक शब्द को सुन रहे होंगे। यह लक्षद्वीप-वासियों के लिए महान दिन है और सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एक लोकप्रिय सदस्य को चुने जाने के कारण सभा के लिए भी महान दिन है।

महोदय, वह ऐसे व्यक्ति हैं जो मलयालम, तेलुगू, कन्नड़, हिन्दी और भी कई भाषाएं जानते हैं। सभा के किसी सदस्य को उनसे बातचीत करने में कठिनाई नहीं होगी। महोदय, मैं एक बार फिर अपनी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से उन्हें मुबारकबाद देता हूं और मेरी ओर से भी उन्हें बधाई देता हूं। ईश्वर. उन्हें सफलता प्रदान करें।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, सभा के सभी माननीय सदस्य अत्यधिक प्रसन्न हैं कि लक्षद्वीप के सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। वह न केवल लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं अपितु श्री पी॰ एम॰ सईद से मेरा परिचय पिछले 22 वर्षों से है। मैंने उनमें देशभक्ति की भावना देखी। वह एक सज्जन व्यक्ति हैं। वह एक अच्छे सांसद हैं। इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, मैं आपसे और उपाध्यक्ष महोदय से भी अपील करता हूं कि सभा में हमारा छोटा समूह है। परन्तु सबसे छोटे दल का क्या होगा? पूर्व अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ यहां पर हैं। पूर्व उपाध्यक्ष डा॰ एम॰ थम्बी दुरई भी यहां पर हैं।

1984 में जब भाजपा के दो सांसद थे उस समय श्री बलराम जाखड़ अध्यक्ष और श्री एम॰ थम्बी दुरई उपाध्यक्ष थे। वे छोटी पार्टियों को भी अवसर दिया करते थे। आजकल भाजपा के 2 के स्थान पर 182 सदस्य हैं।

हमारी संख्या कम हो सकती है, परन्तु हमारा दृष्टिकोण तार्किक है और विभिन्न विषयों पर हमारा अलग दृष्टिकोण है जिसे यहां पर परिलक्षित होना चाहिए जिससे कि राष्ट्र इसे जान सके।

महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बार फिर श्री पी॰ एम॰ सईद को उपाध्यक्ष बनने पर एक बार फिर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष जी, मुझे बेहद खुशी है कि सारे सदन ने एकमत होकर श्री पी॰ एम॰ सईद साहब को डिप्टी स्पीकर चुना और मुझे सबसे ज्यादा इसलिए खुशी है कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन इनकी रहनुमाई से शुरू किया। यह ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1970 में जब मैं वकील बनकर आया तो इन्होंने मुझे और श्री पी॰ सी॰ चाको जी को इंडिया यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी नौमीनेट किया था।

श्री अजीत जोगी : चेला भी अच्छा निकला।

श्री सुरेन्द्र सिंह : प्रधान मंत्री जी, चन्द्रशेखर जी और संगमा जी के भाषण के बाद इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी जोड़ना असंभव है। जब शरद पवार जी इनके चुनाव पर कुछ कह रहे थे तो इनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का जिक्र किया कि इनके निर्वाचन

क्षेत्र में 38000 वोटर्स हैं। चाहे कितना ही छोटा मतदाताओं का दायरा क्यों न हो लेकिन वे एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को चुनकर भेजते हैं। मैं एक बात कहूंगा, जैसे सोज साहब ने कहा कि माइनॉरिटीज को इस सदन में जितना यहां मौका मिला है, उससे हम सबकी बहुत हौसला अफजाई होगी बशर्ते इस सदन में माइनॉरिटीज को जो माइनॉरिटीज पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं, वह उनका पूरा ख्याल रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद साहब को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आज बाहर मौसम धुंधभरा, मेघाच्छन्न और अंधकारमय है। लेकिन सभा के भीतर सूर्य निकला हुआ है। यह श्री पी॰ एम॰ सईद के सर्वसम्मत चुनाव के कारण सम्भव हो पाया है जिसके लिए हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में चुनने के लिए और कुमारी ममता बनर्जी को यह सुझाव देने के लिए कि उनका समर्थन किया जाना चाहिए और मेरी वरिष्ठ सहयोगी डा॰ जयललिता को स्थिति को दृढ़ता प्रदान करने के लिए और उनके चुनाव को बाध्यकारी बनाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री को सभा के अंकगणित को स्वीकारने और पूरे प्रकरण को सही अंजाम देने के लिए बधाई देते हैं।

महोदय, मेरे विचार से यह चुनाव मुझे गर्व की अनुभूति भी देता है क्योंकि पूरा विश्व देख सकता है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है कि संसद के दो शक्तिशाली पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी न केवल उच्च शिक्षित हैं अपितु देश के वंचित समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे विचार से विश्व के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है, धीरे-धीरे अधिकारिता प्रदान की जा रही है और देश की एकता सुदृढ़ होती जा रही है।

मैं श्री पी॰ एम॰ सईद से मुझ पर विशेष ध्यान रखने का आग्रह करता हूं क्योंकि मैंने उनके नाम का प्रस्ताव किया था।

मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सब आज उनके निर्वाचन पर अत्यधिक प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल, हरियाणा लोकदल (राष्ट्रीय), की तरफ से सईद साहब को उनके उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन पर मुबारकबाद देता हूं। जहां तक उनके परिचय का संबंध है, सभी सीनियर लीडर्स ने उनके बारे में परिचय दे दिया है। मुझे पूरा विश्वास है, सईद साहब बहुत अनुभवी और काबिल आदमी हैं। मैं विश्वास करता हूं, वे अध्यक्ष महोदय की तरह नए सदस्यों को सदन में बोलने के ज्यादा अवसर देंगे। मैं सईद साहब से अनुरोध करूंगा कि इस सदन में जितने नए सदस्य हैं, उनको लक्षद्वीप का दौरा करायेंगे। इस चुनाव में पहले कुछ कन्ट्रोवर्सी थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद वाजपेयी जी को देता हूं कि उन्होंने संसदीय परम्परा को कायम् रखा है। मैं पुन: अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दोबारा सईद साहब को बधाई देता हूं।

श्री एस॰ एस॰ ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, मैं मुसररत के साथ पी॰ एम॰ सईद साहब को मुबारकबाद देता हूं। उनका नाम ही सईद है और आज वे सईद हैं। मुझे खुशी है कि एक अकलियत का नुमाइन्दा डिप्टी स्पीकर के लिए मुनतखिब हुआ है। मुझे तव्वको है कि वे अपने दौर में उन तमाम मसायल के लिए जद्दोजहद करेंगे, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। उनका मुस्कराता हुआ चेहरा और चमकती हुई आंखों से यह तव्वको है कि वे इस एवान के वकार को बरकरार रखते हुए तमाम मसायल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए मैं मशकूर हूं।

سلطان صلاح الدین اویسی (**حیدرآباد**) : اسپیکر صاحب، میں مسرت کے ساتھ پی۔ایم۔ سعید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انکا نام ہی سعید ہے اور آج وہ سعید ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک اقلیت کا نمائندہ ڈپٹی اسپیکر کیلئے منتخب ہوا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ اپنے دور میں ان تمام مسائل کیلئے جدوجہد کریں گے، جن کیلئے ہم لڑ رہے ہیں۔ انکا مسکراتا ہوا چہرہ اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے یہ توقع ہے کہ وہ اس ایوان کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آپ نے وقت دیا اسکے لئے میں مشکور ہوں۔

***श्री ए॰ गणेशमूर्ति** (पलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी मरुमलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से मैं श्री पी॰ एम॰ सईद को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें आज सभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। मैं इस प्रतिष्ठित सभा में पहली बार चुनकर आने वाला सदस्य हूं। अब मुझे एक वरिष्ठ सदस्य, जिन्होंने लगातार नौ बार सभा में प्रतिनिधित्व किया है, को बधाई देने का अवसर मिल रहा है। मेरे पास आयु और अनुभव नहीं है परन्तु मैं फिर भी उनकी उपलब्धियों के प्रति प्रशंसा भाव रखते हुए अपनी तथा अपनी पार्टी मरुमलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। हम उनकी सफलता की कामना करते हैं।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रसन्नता और खुशी को सदन में प्रकट किया गया है, उसके साथ मैं अपने आपको जोड़ते हुए श्री पी॰ एम॰ सईद को मुबारकबाद देता हूं। आज हमारे पीएम को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। उनकी मित्र मंडली में हम लोग उनको पीएम कहते हैं, यह आज से नहीं जब से हमने यहां संसदीय कार्य शुरू किया है। जिस उम्र में सईद साहब संसद में आए, ठीक उसके पांच साल पहले मैंने भी उसी उम्र में इस सदन में प्रवेश किया।

श्री पी॰ एम॰ सईद को इस पद पर सर्वसम्मति के साथ चुना गया है इसलिए आज केवल लक्षद्वीप में ही दीपमाला नहीं हो रही बल्कि जितने भी देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर और कामाक्ष्य से काठियावाड़ तक, सभी लोगों के दिलों में एक नया द्वीप जल उठा है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जब श्री सईद इस पद को ग्रहण करने जा रहे हैं तो हमारे संविधान में जो दलित और आदिवासी भाईयों और बहनों के लिए प्रावधान रखे गए थे उनका एक-एक करके हनन कर दिया गया है, केन्द्र सरकार की ओर से

---

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बूटा सिंह]

मैं उम्मीद करूंगा, सईद साहब और अध्यक्ष जी, आप स्वयं मिल कर हमारे जो गरीब वर्ग हैं, खास कर दलित और आदिवासी भाईयों को, उनके संवैधानिक हक दिलाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। मै सब की ओर से उनको पूरा सहयोग देने का वचन देते हुए पुनः मुबारकबाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰ एम॰ सईद को सभी पसन्द करते हैं। इसीलिए सभी सदस्य बोलना चाहते हैं।

***श्री था० चौबा सिंह** (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में श्री पी॰ एम॰ सईद के उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। महोदय, प्रजातन्त्र में बड़े दलों द्वारा छोटे दलों का दमन अनावश्यक और अवांछनीय है. लेकिन इस निर्वाचन ने यह स्पष्ट दर्शाया है कि बड़े राज्यों की प्रधानता कायम नहीं रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विपक्ष के नेता की भी प्रशसा करता हूं कि उन्होंने यह लोकतांत्रिक प्रयास किया। महोदय हम छोटे राज्यों से हैं और श्री पी॰ एम॰ सईद भी हममें से एक हैं। एक बार पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री. माननीय विपक्ष के नेता और इस सदन के सभी सदस्यों की श्री पी॰ एम॰ सईद को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुनने के लिए प्रशंसा करता हूं। हमें इस प्रथा को प्रोत्साहन देना चाहिए और बड़े और शक्तिशाली द्वारा छोटे और कमजोर की रक्षा चलती रहे। हम सभी को पी॰ एम॰ सईद जी को उपाध्यक्ष चुनकर बहुत प्रसन्नता है।

***श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि कन्नड़ भाषा और कन्नड़ संस्कृति के महान् प्रेमी श्री पी॰ एम॰ सईद इस माननीय सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हमारे दल लोक शक्ति में तीन माननीय सदस्य हैं और कर्नाटक राज्य से कुल 28 सदस्य हैं। इस सभी को श्री पी॰ एम॰ सईद द्वारा इस सदन में बोलने और अपनी समस्याएं बताने का मौका दिया जाता रहा है।

श्री पी॰ एम॰ सईद प्रसिद्ध और अनुभवी सांसद हैं। वह एक निष्पक्ष नेता हैं और सर्वगुण सम्पन्न हैं। मैं अपने दल की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उन्हें आश्वासन भी देता हूं कि हम उन्हें लोक सभा का संचालन करने में भरपूर सहयोग देंगे। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके शून्य काल में इन्हें पीठासीन रखें। वह शून्य काल का संचालन अधिक वैज्ञानिक और विधिपूर्वक तरीके से करने में सक्षम हैं। इस सदन के सभी सदस्य माननीय उपाध्यक्ष पद पर इनके आसीन होने में प्रसन्न हैं और मुझे विश्वास है कि हम सभी इनका सहयोग करेंगे। मैं इनके लिए दीर्घायु, शक्ति सम्पन्न होने और हर प्रकार की सफलता की कामना करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, अरब सागर की गोद में खेलता हुआ एक छोटा सा प्रायद्वीप, जिसमें लहरें हमेशा सुन्दर गाना गाती हैं, जिसके नारियल के पेड़ों में हवा झंकरित होती रहती है वहां एक मीठा सा प्राणी, जिसका नाम उसके घर वालों ने पी॰ एम॰ रख दिया। यहां तो पी॰ एम॰ चुने जाते हैं और चले भी जाते हैं लेकिन यह हमेशा पी॰ एम॰ रहे हैं इसलिए हम इन्हें पी॰ एम॰ कहते हैं। यह मीठा प्राणी है, इसकी जुबान भी मीठी है। ऐसा प्राणी आया, जिसने सब का मन मोह लिया और सब को अपना बना लिया, इसी को इंसान कहते हैं। जहां इंसान होता है वहां इंसानियत होती है और उसमें लोगों के लिए और अपने लिए एक आदर्श होता है।

मैंने इनका साथ देखा है, मेरा साथ इसी कुर्सी पर बैठे हुए इन्होंने दिया है। जिस तरह से ये काम करते हैं और जो इनकी क्षमता है, उसका पता मुझे है तथा सबका मन जीत कर सदन को सुचारु रूप से चलाने में ये सफलता प्राप्त करेंगे। हम उनका मान करते हैं। लोगों के प्रति रुचि रखकर इन्होंने उन्हें अपना बनाया है। आज सही मायने में इंसान होना देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि "इंसान है तो इंसान से मौहब्बत करना सीखो, बस यही राह खुदा के घर जाती है।" वह राह इस शख्स ने कबूल कर ली है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इनके बारे में सब कुछ कह दिया गया है। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यह जितने नरम लगते हैं उतने ही ये सख्त भी हैं। रामायण में राम जी के लिए कहा गया है "कोमलानी कुसुमादपि, कठोराणी वज्रादपि।" ये गुलाब की पंखुरी की तरह कोमल हैं लेकिन जब ये अपने निश्चय पर खड़े हो जाते हैं तो पाषाण की तरह कठोर भी हैं। इन दोनों बातों का होना यह साबित करता है कि ये इस पद के काबिल हैं। इस पद पर बैठकर राम की पद्धति पर चलते हुए यह सबको एक दृष्टि से देखेंगे और ऐसा माहौल तैयार करेंगे जो सबके लिए अच्छा होगा। मैं तो एक बात इनके लिए कहता हूं। "तू सांई है, काम है परवाज तेरा, तेरे लिए आसमां और भी हैं।" आगे बढ़ों और ठीक ढंग से इसको चलाओ। इससे हमारा और सदन का नाम ऊंचा होगा। आपका चुनाव प्रेम और सर्वसम्मति से हुआ है और वह होना ही चाहिए था क्योंकि दूसरी बात आपको शोभा ही नहीं देती। आप आदमी ही ऐसे हैं जिसके लिए चुनाव होना ही नहीं चाहिए और न ही हुआ। इसलिए मैं सारे सदन को और आपको बधाई देता हूं और आने वाले समय को भी बधाई देता हूं कि आप इस पद को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे श्री पी॰ एम॰ सईद के लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई देते हुए प्रसन्नता हो रही है। उनका सर्वसम्मति से चुना जाना इस सभा के सामूहिक विवेक और बातचीत के माध्यम से सर्वसम्मति बनाने की लोकतन्त्रिक परम्परा की विजय है।

श्री पी॰ एम॰ सईद ऐसे गुणों के प्रतीक हैं जो उन्हें एक सफल और सक्षम संसदविद् बनाता है। अन्तरात्मा के निर्णय से चलने वाले, कुशाग्र, ज्ञान सम्पन्न और मिलनसार श्री पी॰ एम॰ सईद की संसदीय संस्थाओं के महत्व और विरोधी विचारधाराओं के प्रति सम्मान में अटूट आस्था है। वह 30 वर्षों से अधिक समय से संसद में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इस प्रकार लोकसभा के सदस्य के रूप में

*मूलतः मणिपुरी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।
*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह उनका नौवां कार्यकाल है जिससे उनकी अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रियता प्रदर्शित होती है।

श्री सईद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय संसद के सदस्य के रूप में अपनी भूमिकाएं विवेकपूर्ण निभाई हैं। इस सभा के सदस्य के रूप में सभा की विभिन्न समितियों और संयुक्त समितियों के सदस्य के रूप में उनका योगदान अत्यन्त सराहनीय है। संसदीय परम्पराओं की समझ और नियमों और परिपाटियों की गहन जानकारी के बल पर ही वह सभापति के पैनल के सदस्य के रूप में इस सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित करने में कामयाब रहे हैं।

वर्ष 1979-80 और 1997-98 के दौरान केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपने दो कार्यकालों के दौरान उन्हें कार्यपालिका के कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है।

ऐसे अनुभवी, प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति का लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर चुनाव करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं।

मैं श्री पी॰ एम॰ सईद को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में इस नयी भूमिका में पूर्ण सफलता के लिए शुभ कामनाएं देता हूं।

श्री पी॰ एम॰ सईद (लक्षद्वीप) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता श्री अटल जी, विपक्ष के माननीय नेता शरद जी, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुरुदेव चन्द्रशेखरजी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय गुजराल जी, माननीय वरिष्ठ नेता और मेरे माननीय सहयोगियो, मैं इस सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर इस माननीय सभा के प्रति कृतज्ञता की भावना से अभिभूत हूं और सदस्यों द्वारा मेरे अभिनन्दन स्वरूप जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं मैं उनके लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी इस विजय के क्षण में किसी दल अथवा समूह की हार या जीत नहीं देखता बल्कि मुझे इस विजय में इस सभा की उदात्त परिपाटियों की ही विजय नजर आती है।

लोग जब नौ बार संसद सदस्य निर्वाचित हो चुके पी॰ एम॰ सईद को देखने आते हैं तो समझते हैं कि वह प्राय: उन्हें बर्फ की तरह सफेद बाल और भरपूर दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के रूप में होंगे। उन्हें अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से झटका लगता है क्योंकि उनकी कल्पना वास्तविकता से मेल नहीं खाती। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे द्वीप के लोगों ने मुझे तभी पकड़ा था जब मैं नवयुवक था उन्होंने पहली बार इस सदन में मुझे तब चुनकर भेजा जब मैं मात्र 26 वर्ष का था। अब 57 वर्ष की अवस्था में, उम्र मुझे क्षीण नहीं कर पाई है न ही रीति रिवाजों ने हमारे लोगों को मुझसे उकता दिया है। वे मेरे साथ हैं और 1967 से मुझे इस सदन में लगातार वापस भेजते रहे हैं जिसमें 85 प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारिता होती है जो देश में सबसे अधिक है।

वास्तव में मेरे द्वीप के लोगों और मेरे बीच संबंध एक अटूट रोमांस है। मेरा यह चुनाव मेरे निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप के लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। मैं आज जिस मुकाम पर हूं अतत: वहां तक पहुंचाने का श्रेय मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को जाता है मैं उन्हें कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने देश के 1 बिलियन लोगों में लघुतम निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे यहां देश के कुल 500 मिलियन मतदाताओं की तुलना में लगभग 40,000 मतदाता हैं, प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 10 लाख मतदाता होते हैं। इस पृष्ठ भूमि में मेरे इस निर्वाचन से यह संदेश जाता है कि राष्ट्रीय अखण्डता की शक्तियों की विजय हुई है।

स्वर्गीय राजीव गांधी के दिल में इस द्वीप के लोगों की चिन्ताओं के प्रति विशेष जगह थी। हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने द्वीप्र विकास प्राधिकरण का गठन किया था। उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन के इस अवसर पर मैं उस स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लक्षद्वीप इस देश का अकेला द्वीप नहीं है अंडमान और निकोबार द्वीप भी हैं। अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन में मैं सभी द्वीपों का प्रतिनिधित्व करूंगा।

मुझे इस बात का अहसास है कि मेरे इस चुनाव में हमारे देश की बढ़ती हुई महिला शक्ति का समर्थन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपनी महिला शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं।

आज के राजनैतिक द्वन्द्व के माहौल में और परिणामस्वरूप जो त्रिशंकु सदन की स्थितियां बन रही हैं उसमें पीठासीन अधिकारी के निर्वाचन में सर्वसम्मति की भावना का महत्व और भी वांछनीय हो गया है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मेरे निर्वाचन में सर्वसम्मति की भावना सदन के कार्यसंचालन में हमेशा परिलक्षित होगी। मेरा प्रयास होगा कि मैं सर्वसम्मति की भावना के अनुरूप पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कृत्यों और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करूं। मैं माननीय सदस्यों से भी आशा करता हूं कि सभा के कार्यों के निर्वहन में सहयोग देते हुए वे सर्वसम्मति की भावना का प्रर्दशन करेंगे।

हमारे विशाल सदन में माननीय सदस्य कभी कभी पीठासीन अधिकारी की नजर में नहीं पड़ते हैं। हालांकि पीठासीन अधिकारी को सबसे सजग व्यक्ति के रूप में जाना जाता है लेकिन मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मेरी सजगता और उनकी आवाज में सामंजस्य बना रहेगा। इस तथ्य को समझते हुए मैं माननीय सदस्यों के सहयोग का आकांक्षी हूं जिसके बिना मैं अपने पद पर सफल नहीं हो सकता।

संचार माध्यम, (मीडिया), चौथा स्तम्भ हमारे प्रजातंत्र का एक अनिवार्य अंग है। हमारे संविधान में संसद में संचार माध्यम की भूमिका की परिकल्पना की गई है। हमारे संचार माध्यम ने हमेशा हमारा ध्यान इस सभा की परम्पराओं की तरफ दिलाया है। आज उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में भी संचार माध्यम ने हमारी परम्पराओं की याद दिलाई है और मैं समझता हूं कि सहमति का वातावरण तैयार करने में योगदान दिया है जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। इसकी भूमिका के लिए इसकी सराहना की जानी चाहिए।

अंतत:, अध्यक्ष महोदय, श्री बालयोगी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सभा में तीन से अधिक दशकों से संसदविद् के रूप में मैंने जो स्थान बनाया है और यहां तक कि जैसे जैसे हमारी संसदीय संस्कृति, परम्परा और परिपाटियां विकसित हुई हैं, वह एक शानदार अनुभव रहा है। महोदय, क्या मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं अपनी भूमिका से तथा अनुभव से आपका विश्वासपात्र बन सकूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। अब श्री मल्लिकार्जुनय्या जी बोलें।

श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं इस सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 बंगलौर से तुमकुर तक है। अब 20 वर्ष बाद 30 किलोमीटर सड़क को दोहरा बना दिया गया है और शेष 40 किलोमीटर सड़क को अभी दो मार्ग वाली सड़क नहीं बनाया गया है।

दूसरी बात यह है कि नेल्लमंगला और तुमकुर तक फैली सड़क पर हर रोज दो-तीन दुर्घटनाएं होती हैं। विधानमंडल और जिला परिषद के जाने-माने लोग इस सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। इसका कारण है कि सड़क कम चौड़ी है और यातायात बहुत अधिक है।

महोदय, मैं पिछले 15-20 सालों से नेल्लमंगला और तुमकुर के बीच एक दो मार्ग वाली सड़क बनाने का अनुरोध करता आ रहा हूं परन्तु मैं अपने प्रयासों में अभी तक सफल नहीं हुआ हूं। समय-समय पर सरकार ऐसा करती रही है कि एक दिन कहती है कि वह भूमि अधिग्रहण के लिए 3 करोड़ रुपये जारी करेगी और अगले ही दिन घोषणा करती है कि इस काम के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे परन्तु अब तक एक इंच जमीन का भी अधिग्रहण नहीं किया गया है। मेरा केन्द्र सरकार तथा कर्नाटक सरकार से भी अनुरोध है कि नेल्लमंगला से तुमकुर तक दो मार्ग वाली सड़क का निर्माण करने के लिए सहयोग करें।

महोदय, यह मेरा सविनय अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गंभीर विषय पर अपनी बात इस सदन में रखना चाहता हूं। इंडिया टुडे अंग्रेजी संस्करण 21 दिसंबर, 1998 और हिन्दी संस्करण 23 दिसंबर, 1998 को ''हार नहीं मानूंगा'' आवरण कथा में मेरा जिक्र बहुत गलत ढंग से किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, आप इस संबंध में नोटिस दे चुके हैं। यह मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे सम्मान का सवाल है और जो इंडिया टुडे में छपा है कि स्वदेशी के विषय पर मैंने माफी मांगी है . . . ।

अपराह्न 01.47 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, मेरे पास 56 नाम हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पीकर साहब से इस सवाल पर मिला था। यह सवाल मेरे सम्मान के साथ जुड़ा है और मेरी विश्वसनीयता के साथ जुड़ा है। . . . *(व्यवधान)* मैं इस बारे में कहां बात करूंगा। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैंने कहा कि अभी हम जीरो ऑवर शुरू कर रहे हैं और पौने दो बज चुके हैं। आप संक्षिप्त रूप से अपनी बात बताइए। सब लोगों को चान्स मिलना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं संक्षिप्त रूप से कहूंगा।

इंडिया टुडे के अंग्रेजी संस्करण 21 दिसंबर, 1998 और हिन्दी संस्करण 23 दिसंबर, 1998 के अंक में ''हार नहीं मानूंगा'' आवरण कथा में मेरा जिक्र बहुत गलत ढंग से किया गया है। उसमें यह वर्णन किया गया है कि मैंने स्वदेशी के सवाल पर प्रधान मंत्री जी से माफी मांगी है। स्वदेशी के सवाल पर पार्लियामैंट्री कमेटी के अंदर जो बात की जाती है, वह कैसे प्रैस में छपी। दूसरा सवाल यह है कि स्वदेशी अवधारणा के आधार पर हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और यह विषय जो छपा है कि मैंने प्रधान मंत्री जी से माफी मांगी है, मुझसे न तो स्वदेशी के सवाल पर माफी मांगने के लिए कहा गया और न मैंने माफी मांगी है। स्वदेशी की अवधारणा के आधार पर हमने राजनीतिक कार्यक्रम को स्वीकार किया है। इससे मेरे क्षेत्र में और देश के दूसरे हिस्सों में लोग मेरी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह मेरी विश्वसनीयता का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो जन्म स्थान है, वहां 1857 में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गयी, 1942 में साम्राज्यवाद के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। वह मेरा जन्म स्थान है और चन्द्रशेखर जी उस स्थान का नेतृत्व करते हैं और जानते हैं कि स्वदेशी के आधार पर हम लोगों ने झुकना स्वीकार नहीं किया है, बलिदान देना स्वीकार किया है। बलिया का शहीद स्मारक इसका जीता जागता प्रमाण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया टुडे पत्रिका में जो छपा है कि मैंने माफी मांगी है और प्रधान मंत्री ने मुझसे माफी मांगने के लिए कहा है, तो न मैंने माफी मांगी है और न स्वदेशी के सवाल पर मैं माफी मांगने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह मेरी विश्वसनीयता का सवाल है, आप मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं, यह बताइये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए. . . *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.) : उपाध्यक्ष जी, हर समय जब ऐसे सवाल यहां उठते हैं तो अध्यक्ष महोदय की ओर से यह कहा जाता है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। अगर किसी सदस्य के बारे में कह दिया जाए कि वह राष्ट्रद्रोही है। किसी सवाल पर जो उसकी मौलिक मान्यता है, उसने माफी मांगी है। इसको आप तुरंत प्रिविलेज कमेटी में क्यों नहीं भेज देते हैं, इस पर क्या जांच कर रहे हैं? जब सदस्य कह रहा है कि उसने माफी नहीं मांगी है और किसी अखबार वाले ने यह बात छापी है तो उसे तुरंत विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लियर कट विशेषाधिकार का मामला बनता है। किसी प्रैस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के विषय में अपमानजनक और असत्य बातें छापकर उसकी छवि को धूमिल करे। इसलिए सदस्यों की मर्यादा और गरिमा की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस मामले में माफी मांगे, इसका तो सवाल ही नहीं उठता।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : सर, यह मामला प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए और इस तरह की गलत बातें नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला स्पीकर साहब के पास है. . . *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : सर, स्पीकर साहब ने मुझसे कहा है कि मैं इसे प्रिविलेज कमेटी में भेज रहा हूं। मेरी उनसे निजी तौर पर बात हुई है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे दरख्वास्त है और मैं आपसे सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि आप माननीय अध्यक्ष महोदय को सदन की भावना से अवगत करा दें। यह एक गंभीर मामला है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला स्पीकर साहब के पास है, इस पर क्या कार्रवाई करनी है, वह करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है . . . *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है, यह एक बहुत सीरियस मामला है . . . *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैंने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है, उसको आपको पहले लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मामला भी स्पीकर साहब के पास है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय मैं इस सभा के ध्यान में एक बहुत गंभीर मामला लाना चाहता हूं। सरकार और नौसेना के बीच विवाद है। नियुक्ति से संबंधी केबिनेट समिति . . . *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सर, मुझे कहने तो दीजिए कि मामला क्या है। मैंने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। बिहार के पूर्णिया में कम से कम दर्जनों ट्राइबल्स लोगों की हत्या कर दी गई है। उनको जला दिया गया है, उनके बच्चों और औरतों को जला दिया गया है, उनके घरों को जला दिया गया है, एक मुसलमान को भी जला दिया गया है। वहां स्थिति बहुत टैन्स है, काफी गंभीर है। मैं चाहता हूं कि वहां और टेन्शन न फैले इसके लिए सदन में या तो होम मिनिस्टर स्टेटमैंट दें या हम लोगों को कोई दूसरा मोशन - कालिंग अटेन्शन या किसी अन्य माध्यम से इस मामले पर वहां डिस्कशन करना चाहिए जिससे कि वहां सामान्य स्थिति कायम हो सके। वहां जिस तरह का टेन्स वातावरण हो गया है और हर पार्टी के लीडर्स वहां जा रहे हैं, वहां स्थिति काफी भयावह है और उस भयावह स्थिति को शांत करने का काम भारत सरकार और राज्य सरकार का है। वहां स्थिति काफी विस्फोटक है, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां बिहार सरकार ने सारे मैजर्स लिये हैं। वहां पर . . . *(व्यवधान)*

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री : इस मामले पर बिहार सरकार को बरखास्त करने की बात होनी चाहिए।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : बिहार सरकार को बरखास्त करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर दी है। जो लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज हो रहा है। जो मारे गए हैं, उनको एक-एक लाख रुपये देने का ऐलान कर दिया गया है। कैसेज नोट कर लिए गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये लोग बेमतलब के सवाल को यहां उठाते हैं। यह मामला बिहार की विधान सभा में उठना चाहिए। ये इसे यहां उठा रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहां गिरफ्तारी हो रही है। बिहार सरकार सारे कदम उठा रही है। ये लोग बिहार सरकार को बर्खास्त करने के लिए इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। बिहार सरकार ठीक कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय संचार मंत्री अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंटों के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.55 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंट

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा, अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है, इस प्रणाली के अंतर्गत 1,27,162 अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं। अतिरिक्त विभागीय एजेंट, जिनकी संख्या 3,09,825 है, 2 से 5 घंटे की अवधि के लिए नियुक्त हैं और इन्हें पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों की तदनुरूपी श्रेणियों के कार्यभार और वेतनमानों के संदर्भ में यथानुपात आधार पर मोटे तौर पर पारिश्रमिक दिया जाता है। उनकी सेवा की निबंधन और शर्तें पृथक नियमों अर्थात् डाक-तार अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण एवं सेवा) नियम, 1964 द्वारा विनियंत्रित होती हैं जो इस संबंध में महानिदेशक, डाक द्वारा बनाए गए हैं।

डाक सेवाओं तथा एजेंसी कार्यों में वृद्धि तथा बढ़ते निर्वाह व्यय और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए पहले तीन समितियां गठित की थीं ताकि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिये जाने वाले लाभों, जिसमें भत्तों की दर भी शामिल है, की पुनरीक्षा की जा सके। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों के दौरान अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं। ये समितियां केंद्रीय वेतन आयोगों के संदर्भ में गठित की गई थीं, जिनका गठन केंद्र सरकार द्वारा नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए किया गया था।

सरकार द्वारा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों के अध्ययन के लिए 31.3.95 को न्यायमूर्ति चरणजीत तलवार की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति तलवार समिति ने 30 अप्रैल, 1997 को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें ऐसी व्यापक सिफारिशें की गई थीं, जिनके लागू होने से अतिरिक्त विभागीय एजेंट केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों के समान हो जायेंगे। इस समिति की सिफारिशों पर विधिवत कार्रवाई की गई और पोस्टल स्टाफ फेडरेशनों से भी परामर्श किया गया। नवंबर, 1997 में सरकार ने निर्णय किया कि समिति की सिफारिशों पर चूंकि व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है, अत: अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियों के मूल मासिक भत्ते को 1.1.96 से 3.25 गुना बढ़ा दिया जाए। तथापि, स्टाफ फेडरेशनों को यह स्वीकार नहीं था, ये फेडरेशनें अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को पहले तो न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों, विशेषकर वेतन के प्रथम दो वेतनमान देने, पेंशन, छुट्टी तथा ग्रेच्युटी से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बल दे रही थीं।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए न्यायमूर्ति तलवार समिति की सकारात्मक सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन का मुद्दा भी उस मांगपत्र में शामिल था, जिसे लेकर दो डाक फेडरेशन जुलाई 1998 के दौरान हड़ताल पर रहीं। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों ने भी न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

सरकार ने अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंटों पर न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों तथा इस संबंध में डाक फेडरेशनों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर पूर्णतया और सावधानीपूर्वक विचार किया है और अब यह निर्णय किया है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेंगे :-

अपराह्न 2.00 बजे

(1) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1 जनवरी, 1996 से 28 फरवरी, 1998 तक की अवधि के लिए, उनके नियत मूल मासिक भत्ते को 3.25 गुना बढ़ाकर, भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

(2) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियों को 1 मार्च, 1998 से दो समय संबद्ध निरंतरता भत्तों (टाइम रिलेटिड कंटीन्यूटी अलाउंस) में रखा जाएगा जो न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा संस्तुत वेतन के प्रथम दो वेतनमानों के अनुरूप, उनके रोजगार के घंटों पर निर्भर करेंगे। अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टर के मामले में, उन्हें केवल एक समय संबद्ध निरंतरता भत्ते में रखा जाएगा।

(3) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अब प्रत्येक छमाही के लिए 10 दिन की दर से सवेतन अवकाश स्वीकार्य होगा जिसमें इस अवकाश को अगली छमाही में ले जाने अथवा भुगतान किए जाने का प्रावधान नहीं होगा तथा यह 1 जुलाई, 1998 से लागू होगा।

(4) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को इस समय 6000 रु० की राशि अनुग्रह उपदान के बतौर मिलती है, इसे बढ़ाकर 18000 रु० कर दिया जाएगा।

(5) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को स्वीकार्य कार्यालय रख-रखाव भत्ते की मौजूदा राशि को 25/- रु० से बढ़कर 50/- रु० प्रतिमाह किया जाएगा।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सेवा-उपरांत लाभ प्रदान करने के उपाय के रूप में, सरकार ने 65 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त विभागीय एजेंट की सेवानिवृत्ति पर अथवा अतिरिक्त विभागीय एजेंट की मृत्यु पर 30,000/- रु० की एकमुश्त सेवा-विच्छेद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 20 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंट के मामले में, जिसने केवल 15 से 20 वर्ष की ही निरंतर सेवा पूरी की हो, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु पर सेवा-विच्छेद राशि 20,000/- रु० होगी। 20,000/- रु० की सेवा-विच्छेद राशि का भुगतान ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भी किया जाएगा जो अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर 15 वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात् नियमित विभागीय पदों पर विलयित हो गए हों।

इस संबंध में आवश्यक आदेश तत्काल जारी किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1.1.96 से 28.2.98 तक की अवधि के लिए संशोधित मूल मासिक भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने से सरकार पर 157.74 करोड़ रु० का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है जबकि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अब मुहैया कराई जा रही अन्य अनेक सुविधाओं पर प्रतिवर्ष 301.35 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है।

संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होने के बावजूद सरकार हमेशा से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा-शर्तों में सुधार लाने के प्रति प्रयत्नशील रही है। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि इस समय अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का मौजूदा वार्षिक वेतन बिल लगभग 230 करोड़ रु० है। इस वेतन बिल में अब 301.2 करोड़ रु० की राशि प्रतिवर्ष और जोड़ी जाएगी व इस प्रकार वेतन बिल की कुल राशि बढ़कर 531.2 करोड़ रु० हो जाएगी।

सरकार अपने एजेंटों का मनोबल बढ़ाने तथा विभाग की कार्य-प्रणाली में एक नया समर्पण भाव व गतिशीलता लाने के प्रति उत्सुक है। सरकार यह आशा करती है कि कार्यकुशलता तथा उत्पादकता का उच्च स्तर हासिल करने के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेंट अपना बेहतर योगदान देंगे। . . . *(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : यह करार का स्पष्ट उल्लंघन है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जोस (मुकुन्दपुरम) : डाक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। . . . *(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह एक स्पष्ट उल्लंघन है।. . . *(व्यवधान)*

श्री ए० सी० जोस : काफी लंबे समय से हड़ताल हो रही थी। हड़ताल के आखिर में उन्होंने एक करार पर हस्ताक्षर किए। . . . *(व्यवधान)* सरकार ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (कन्नानौर) : महोदय, हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं . . . *(व्यवधान)*

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : तलवार समिति की सिफारिशों के संबंध में आपका क्या कहना है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन जी, मैं बोल रहा हूं, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देने के बाद किसी स्पष्टीकरण की मांग नहीं की जाती। इस सभा की ऐसी कोई परंपरा नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

श्री एन०एन० कृष्ण दास (पालघाट) : इसपर चर्चा होनी चाहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कई अन्य अवसर उपलब्ध होते हैं।

श्री एन० एन० कृष्ण दास : हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? क्या प्रक्रिया के अनुसार मामला उठाने से कोई आपको रोक सकता है? आप इसे नियम 193 के अन्तर्गत अथवा चर्चा के किसी अन्य रूप में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बलराम जाखड़ को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, शून्य काल का क्या हुआ?. . .*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय हम चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आपके पास अन्य तरीके हैं। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो आप नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह भ्रान्तिजनक वक्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे इस प्रकार नहीं उठा सकते। कुछ नियम का पालन करना चाहिए। आप इसे इस प्रकार कैसे उठा सकते हैं? . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने वक्तव्य दिया है। हो सकता है यह भ्रान्तिजनक हो। मुझे उसके बारे में पता नहीं है। यह जो कुछ भी हो यदि आप इस मामले को उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और सूचना देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप स्वयं राज्य विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। मैं खड़ा हूं कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं आशा करता हूं सरकार चर्चा के लिए सहमत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे सरकार राजी हो या न हो आप सूचना दे सकते हैं। इसे आप अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जाखड़, कृपया आप आरम्भ कीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, आपने मुझे पुकारा था।

उपाध्यक्ष महोदय : माफ करना, श्री फातमी खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : अभी माननीय मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं उन्हें स्पष्ट करने दीजिए क्या वह तलवार कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने जा रहे हैं अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार मंत्री द्वारा दिए गए किसी भी वक्तव्य पर आप स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : कृपया उन्हें स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन का समय व्यर्थ मत कीजिए। आप किसी अन्य तरीके से यह मामला उठा सकते हैं। आपके लिए अन्य रास्ते खुले हैं। कृपया अब व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आप चर्चा का निर्णय ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको किसी नियम के अन्तर्गत कुछ सूचना देनी पड़ेगी। जब तक आप यह नहीं करते, मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया था। . . . *(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। मुझे मौका मिला है। . . .*(व्यवधान)* मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं? . . .*(व्यवधान)* जब मेरा समय समाप्त हो जाए तब आप बोलिएगा। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप केरल विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं यदि किसी मामले पर चर्चा की जानी है तो उसके लिए सूचना अवश्य होनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि इस सदन का संचालन नियमों के अनुसार किया जाता है। यदि आप व्याकुल हैं तो आप किसी नियम के अन्तर्गत सूचना दीजिए। उसके पश्चात् आपको इस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक बहुत गंभीर मामला लाना चाहता हूं। यह सरकार जो आज यहां बैठी है, यह कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकती। लेकिन बहुत जल्दी में न जाने कितने बिल सदन के सामने रख रही है। एक बिल, जिसके बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, यह बिहार के विभाजन से संबंधित है, जिसको कैबिनेट ने पास करने का काम किया है। मैं इसी मामले को सदन में उठाना चाहता हूं। बड़े अफसोस की बात है कि बिहार एसेम्बली में जो प्रपोजल यहां से गया था, उसको नकारने का काम किया था, पूरे सदन ने वहां पर वोटिंग करके रिजैक्ट करने का काम किया था . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : उसमें बहुमत भी होता है। . . .*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मुझे बोलने दीजिए। . . . *(व्यवधान)* बिहार एसेम्बली ने इस प्रपोजल को रिजैक्ट करके भारत सरकार के पास भेजने का काम किया है और कहा है कि बिहार का विभाजन किसी भी तरह से बिहार को मंजूर नहीं है। मैं आज भारत सरकार पर इल्जाम लगाना चाहता हूं, वह इन्टिगेट करके बिहार के वातावरण को खराब करना चाहती है। बिहार एक रहना चाहता है और किसी भी लिहाज से बंटना नहीं चाहता है। किसी भी राज्य को बांटने के लिए कुछ चीजें होती हैं, उनको सामने रख कर ही किसी राज्य का बंटवारा होना चाहिए . . . *(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत ही सीरियस मामला है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सीरियस मामला है, इसीलिए आपको मौका दिया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : वहां पर लोग हथियार लेकर सड़क पर निकल आयेंगे . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं? आप उन्हें ऐसा करने के लिए कह सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इससे पूरे देश को नुकसान होगा, अगर बिहार डिस्टर्ब होता है। . . . *(व्यवधान)* यह मामूली मामला नहीं है, इसको सुना जाए। . . . *(व्यवधान)* अगर भारत सरकार छोटे राज्य बनाना चाहती है, तो उसको एक कमीशन बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि छोटे राज्य बनाने से उस क्षेत्र को फायदा होता है या नहीं होता है। इस बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, यह बिहार का मामला है और बिहार विधान सभा ने अस्वीकार कर दिया है। इस पर भी भारत सरकार जन विरोधी और बिहार विरोधी कार्यवाही करने की कोशिश कर रही है। . . .*(व्यवधान)* भारत सरकार का यह काम नहीं है कि बिहार के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम करे। . . .*(व्यवधान)* भारत सरकार क्या चाहती है? . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा कि देश के अनेक भागों में छोटे राज्य बनाने की बात चली और मांग हो रही है। इस सरकार ने केवल उन तीन राज्यों को चुना, जिनकी विधान सभाओं ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि यहां एक राज्य बनाना चाहिए। . . .*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : बिहार एसेम्बली ने उस प्रस्ताव को रिजैक्ट करने का काम किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि इस सरकार ने केवल तीन राज्यों को चुना, जिनकी विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये हुए थे। जिन राज्यों में कन्ट्रोवर्सी थी, कुछ चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे, उनको नहीं लिया। इन तीनों राज्यों में विभाजन होना चाहिए, नए राज्य का उदय होना चाहिए . . .*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जो प्रस्ताव था, उसको खारिज कर दिया। . . . *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मुझे बात कहने दीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप अपनी बात वापिस लीजिए। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : फातमी साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप सीनियर मेम्बर हैं। अगर संसदीय कार्य मंत्री यहां ऐसा कुछ गलत बयान करते हैं तो उनके ऊपर आपको प्रिविलेज का राइट बनता है। आप इस प्रकार से यहां क्यों करते हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृतान्त में दर्ज है। आपके पास पता लगाने के कई तरीके मौजूद हैं। अन्यथा हम इसे कैसे पूरा कर सकते?

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, यह कोई तरीका नहीं है, ये मुझे पूरी बात भी नहीं कहने दे रहे। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये। संसदीय कार्य मंत्री अब कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, विधानसभा में जिस प्रस्ताव को खारिज किया। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां मंत्री जी मिसलीड करते हैं तो आपका उनके ऊपर विशेषाधिकार का हक बनता है। इस तरह से बात करने से कैसे होगा।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार विभाजन के प्रस्ताव को बिहार विधानसभा ने खारिज कर दिया। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मंत्री जी की बात को सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, कोई जन विरोधी, नियम विरोधी और संविधान विरोधी काम न करे और बिहार की जनता को आंदोलन करने के लिए बाध्य न करे, यही मेरी प्रार्थना है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, संविधान के अनुसार पहले जो राज्य मांग करते हैं, . . . *(व्यवधान)* इसी विधानसभा ने पहले यह कहा कि यह राज्य बंटना चाहिए। उन्होंने कहा कि बनांचल चाहिए, उन्होंने कहा और उसे माना। उसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति उस राज्य को भेजता है जिस विधानसभा ने कुछ समय पहले यह मांग की कि बिहार का विभाजन होना चाहिए, उसी बिहार

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मदन लाल खुराना]

ने अपना व्यू बदल दिया और बदल कर केन्द्र को भेजा, उनके मुख्य मंत्री की तरफ से यह आया कि हम अपने व्यू भेज रहे हैं। पावर केन्द्र सरकार की है, केन्द्र का अधिकार हैं। . . . *(व्यवधान)* उसके अनुसार मेरा यह कहना है कि जिस समय बिल आएगा उस समय आप अपनी बात कह लीजिए। . . . *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा यह कहना है कि अगर बिहार के हितों के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो वहां बड़ा भारी जन आंदोलन होगा। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जी, यह ठीक नहीं है। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब में खड़ा हूं तो आप लोगों को बैठना चाहिए।

मंत्री महोदय ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। यदि आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो उसको कहने के लिए कई तरीके हैं। व्यवधान डालने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है, यह राष्ट्र की रक्षा का मामला है। मैं इसको तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि यह मामला ही ऐसा है जिसमें चिन्ता का विषय बनना चाहिए। अगर मेरी जगह जार्ज साहब होते तो पता नहीं इसके कितने चिथड़े उड़ाते लेकिन मैं इस चीज को इस तरीके से उछालना नहीं चाहता। इस तरीके से हमारे सम्मान का विघटन हो रहा है, जिस तरह का वैमनस्य पैदा हो रहा है यह अच्छी बात नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती झाझा महतो : विघटन नहीं हो रहा है यह छोटे राज्य का निर्माण हो रहा। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिये।

श्री बलराम जाखड़ : उसका सिलसिला यह है कि एक कमांड में एक कमांडर और एक फील्ड कमांडर या ऑपरेशन कमांडर होता है। उसके नीचे एक आदमी ऐसा लगा दो जिससे आपस में लड़ाई हो, तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार हो जाती है। हमेशा यह देखा जाता है कि कमांड सही रहनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। यह अंदरूनी बात है और यह आपको करनी चाहिए, देश हित में करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम सदन में इसकी बखिया उधेड़ें। यह चिंता का विषय है और आपको इस पर सोचना चाहिए क्योंकि यह रक्षा का मसला है और रक्षा किसी अकेले की नहीं, सबके लिए है, देश के लिए है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नेवल-हैडक्वार्टर का मसला है इसको ठीक ढंग से निपटाया जाए, नहीं तो यह चिंगारी ऐसी है जो आग लगा सकती है और ऐसी आग किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं देश के हित में यह बात कह रहा हूं कि इसको निपटाया जाए और घर में ही बैठकर निपटाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 3.20 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.21 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 3.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.25 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.25 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री खगपति प्रधानी पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, हम इराक पर बम वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। आप कृपया घोषणा करें क्या यह विषय 193 के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य नियम के अन्तर्गत की जा सकती है। हम इस पर चर्चा चाहते हैं। यह तो इराक पर खुला आक्रमण है। प्रधानमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया है लेकिन हम इस पर व्यापक चर्चा चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय के वक्तव्य देने के पश्चात् इसे उठा सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री शाम को एक विस्तृत वक्तव्य देंगे।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : लेकिन हमें समय के बारे में बताया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक हो रही है। उस बैठक में वे समय के बारे में निर्णय लेंगे।

अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

अपराह्न 3.26 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए स्वीकृत धनराशि को केवल उनके कल्याण के लिए ही खर्च करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए दी जाने वाली उपयोजना राशि को जनसंख्या के आधार पर उन क्षेत्रों में विकास के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान है। परन्तु मध्य प्रदेश में इस राशि का समुचित उपयोग नहीं किया जाता है तथा मध्य परिवर्तन कर गैर आदिवासी क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया जाता है। निरंतर मैंने इस बात के लिए मध्य प्रदेश व भारत सरकार को इसकी कोई निश्चित प्रावधान किये

जाने हेतु अनुरोध किया था। परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। आज भी इस स्थिति में उपयोजना क्षेत्र की राशि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों के हित में दी जाने वाली राशि को सीधी उनके हित में कोई विशेष योजनाबद्ध कार्यक्रम के आधार पर या सीधे उन आदिवासी जिलों के कलेक्टरों को सीधे भारत सरकार से निर्गत किये जाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(दो) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहने वाली चम्बल नदी पर मुरैना में उदसघाट पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, मुरैना संसदीय क्षेत्र के अम्बाह क्षेत्र के उदसघाट पर चम्बल नदी पर आवागमन की दृष्टि से पुल की भारी आवश्यकता है। वर्तमान में पीपों का पुल बना हुआ है जिससे वाहनों को भारी असुविधा होती है।

इस पुल से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के लाखों नागरिकों को लाभ होगा। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकारों को पुल के निर्माण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में उरई में दूरदर्शन केन्द्र की रिले क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद जालौन (उ.प्र.) में जिला मुख्यालय उरई में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित है। उसकी जितनी क्षमता है वह उतनी दूरी पर भी काम नहीं कर रहा है। मेरे जिले की भौगोलिक स्थिति उरई नगर से चारों ओर 60 कि.मी. है। वर्तमान में जो केन्द्र बना है उसमें मेरे क्षेत्र के लोगों को टेलीविजन की सुविधा मात्र उरई नगर को ही प्राप्त होती है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दूरदर्शन की रिले क्षमता 5-60 कि.मी. बढ़ाने का कष्ट करें जिससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके।

(चार) शोलापुर में बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिन्दे (शोलापुर) : महोदय, मैं कुटीर उद्योगों के श्रमिकों विशेषकर महाराष्ट्र के शोलापुर शहर में रहने वाले 50,000 से अधिक बीड़ी श्रमिकों की आवास समस्या पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उचित आवास सुविधाओं के अभाव में उन्हें झुग्गियों और झोंपड़ियों में रहना पड़ता है और वहां उन्हें शौचालय की सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने शोलापुर में बीड़ी श्रमिकों के लिए 60,000 रुपये प्रति इकाई की अनुमानित लागत पर 10,000 आवासों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें राज्य सरकार एक-तिहाई अर्थात 20,000 रुपये प्रति इकाई देने को तैयार है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा एक-तिहाई राशि अंशदान किया जाएगा और शेष 1/3 राशि सम्बद्ध श्रमिक के लिए जाने का प्रस्ताव है।

यह प्रस्ताव 1997 में केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ा है। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस योजना को शीघ्र स्वीकृति दें। मैंने माननीय मंत्री जी को इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए 2 पत्र भी लिखे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

(पांच) बांदीकुई और आगरा के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, बांदीकुई-आगरा के मध्य ब्रॉडगेज लाइन नहीं होने के कारण रोजाना लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही मद्रास, कलकत्ता जाने वाले यात्रियों को सवाई माधोपुर घूमकर जाना पड़ता है जिसके कारण धन ज्यादा खर्च होने के अतिरिक्त समय भी ज्यादा लगता है। जनता की परेशानी, समय और आर्थिक नुकसान न हो, इसलिए इस मार्ग पर ब्रॉडगेज लाइन शीघ्र डाली जाकर जयपुर दर्शनीय स्थान को देखने के लिए सुविधा की जाए।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस कार्य को प्राथमिकता दे।

(छह) आई.डी.पी.एल. को पुनः चालू किए जाने तथा उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि॰ (आई.डी.पी.एल) की स्थापना मूल औषधों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 1961 में की गई थी। इससे पहले इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार था। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है और देखा है कि आई. डी.पी.एल. ने 10 वर्षों में वह उपलब्धि प्राप्त की है जिसे अन्य संस्थाओं ने 50 वर्षों में प्राप्त किया है। भारतीय चिकित्सा संघ ने टिप्पणी की है कि आई.डी.पी.एल. की औषधियां गुणवत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय मानण्ड की हैं।

आई.डी.पी.एल. सदैव समाज कल्याण की भावना से प्रेरित रहा है और उसने कभी भी वाणिज्यिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। विभिन्न महामारियां फैलने पर इसने दवाइयों की आपूर्ति करके राष्ट्र की सेवा की है।

स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा 800 करोड़ रुपये की दवाओं के आर्डर दिये जाते हैं जिसमें से कम से कम 200 करोड़ रुपये मूल्य के आर्डर आई.डी.पी.एल को दिये जाते हैं।

निगम द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उपदान और छुट्टी की नकद प्रतिपूर्ति की 249 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण वे लोग बहुत चिंतित हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आई.डी.पी.एल की सेवा में बिताया है।

[श्री नादेन्दला भास्कर राव]

आई.डी.पी.एल. को फिर से चालू करने की दिशा में स्थाई समाधान यही होगा कि इसे स्वास्थ्य मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए क्योंकि इससे उत्पादन और उपभोक्ता दोनों एक ही संस्था के अन्तर्गत आ जाएंगे।

(सात) महाराष्ट्र के पुने जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल (खेड़) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाने की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, सरकार की नीति के अनुसार देश के सभी गांवों को सन् 2000 तक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, किन्तु यह सर्वविदित है कि अभी भी 70 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां टेलीफोन की सुविधा के दूर-दूर तक दर्शन नहीं हैं जबकि निर्धारित समयावधि समाप्त होने में केवल एक वर्ष बाकी रह गया है। महोदय, महाराष्ट्र के पूना जिले के अंतर्गत लगभग 60 प्रतिशत गांव टेलीफोन सुविधा से वंचित हैं। जिले के कई गांवों के लिए टेलीफोन एक्सचेन्ज तो मंजूर कर लिये गए हैं, किन्तु उनको शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री तथा धन उपलब्ध नहीं करवाया गया है और इस तरह से वे एक्सचेन्ज सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो गए हैं। महोदय, पूना जिले में जो मौजूदा टेलीफोन एक्सचेन्ज हैं, वे भी अपने क्षेत्र की मांग की पूर्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन एक्सचेन्जों की क्षमता काफी कम है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरन जिले के लिए मंजूर किये गए सभी टेलीफोन एक्सचेन्जों को आवश्यक सामग्री एवं धन उपलब्ध करवाकर शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवाएं।

(आठ) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पालघाट इकाई पर लगाई गई देयताओं का बोझा हटाने और उसे एक सरकारी उपक्रम बनाए रखने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन०एन० कृष्ण दास (पालघाट): महोदय, द इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पालघाट इकाई की स्थापना केरल में 1974 में एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के रूप में की गई थी। यह इकाई अपनी स्थापना के समय से ही लाभ कमा रही है। यद्यपि पालघाट इकाई समस्त कार्यकलापों में सफल है उसकी अन्य अन्य इकाइयां लगातार घाटा उठा रही हैं। इस सपूर्ण कम्पनी में भारी संकट है। अक्तूबर 1993 में कम्पनी को बी. आई. एफ. आर को संदर्भित किया गया था और इसे रुग्ण घोषित किया गया था। उस समय भी यह हैरानी की बात थी कि पालघाट इकाई लाभ कमा रही थी। दिसम्बर, 1996 में, कम्पनी के निदेशक मंडल ने एक बैठक में पालघाट इकाई को सहायिका का दर्जा देकर और कम्पनी के लिए कुल पुनरुद्धार योजना बनाकर और इसे एक स्वतंत्र लाभकारी केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने बी.आई.एफ.आर से क्लीयरेन्स के लम्बे इन्तजार के बाद कम्पनी के लिए अब कुल पुनरुद्धार योजना घोषित की है। उसके अनुसार पालघाट इकाई संयुक्त उद्यम बन जाएगी जिसमें 35 प्रतिशत निजी भागीदारी रहेगी और इस इकाई को देयताओं का बड़ा हिस्सा वहन करना पड़ता है। यह असंगत और अन्यायपूर्ण है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लाभ करने वाली इस पालघाट इकाई पर देयताओं का बोझ न लगाने और पालघट इकाई को सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने देने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं।

(नौ) बरास्ता पांडिचेरी टिंडीवनाम और कुड्डालौर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री एम०सी० दामोदरन (कुड्डालौर): महोदय, सरकार का ध्यान रेल द्वारा बरास्ता पांडिचेरी कुड्डालौर की टिंडीवनाम से जोड़ने की काफी समय से लंबित पड़ी मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुड्डालौर एक जंक्शन है और तमिलनाडु का जिला मुख्यालय भी है। इसका एक पत्तन भी है जिसके चारों तरफ समुद्री खाद्य उद्योग समुद्री खाद्य के निर्यात में लगे हैं।

टिंडीवनाम एक प्राचीन शहर है जो उत्तरी तमिलनाडु में परिवहन तंत्र का केन्द्र बिन्दु है। पांडिचेरी अपनी दृष्टि से अनोखा शहर है जिसकी सीमाएं कुड्डालौर को छूती हैं। यहां सही रेल संपर्क न होने की वजह से यह शहर अलग-थलग पड़ जाता है। पांडिचेरी एक जाना माना पर्यटन केन्द्र है जहां देश-विदेश से पर्यटक श्री अरविन्द आश्रम, सुन्दर समुद्री तट इत्यादि देखने के लिए आते हैं। आम तौर पर पर्यटक पहले तमिलनाडु देखने आते हैं फिर वहां विभिन्न पर्यटन और धार्मिक केन्द्र देखने के बाद वे पांडिचेरी जाते हैं। प्रस्तावित रेल लिंक उनके लिए उपयोगी साबित होगी।

टिंडीवनाम और कुड्डालोर को पांडिचेरी के साथ जोड़ने से इस क्षेत्र में सड़क यातायात पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है। पांडिचेरी और तमिलनाडु के साथ लगे जिलों के लोग इसमे काफी लाभ उठा सकेंगे। इस प्रस्तावित लाइन से टिंडीवनाम और कुड्डालौर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। प्रस्तावित लाइन की लम्बाई केवल लगभग 65 किलोमीटर है। सरकार एक लाइन परिवर्तन के साथ-साथ कई कई रेल लाइन परियोजनाएं शुरू कर रही है। यह विशेष लाइन की काफी लम्बे समय से मांग थी।

अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इस लाइन की उपयोगिता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाए।

(दस) देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): बेरोजगारी की समस्या आसमान को छू चुकी है। रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए पंजीकृत आवेदनकारियों की राज्य-वार संख्या वर्ष 1997 में 3 करोड़ 91 लाख थी।

(दिनांक 8.12.98 के लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 127 के अनुसार) पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवकों की संख्या लगभग 57 लाख 39 हजार है।

आज स्थिति यह है कि बेरोजगार युवक असहाय हो गए हैं और सरकारी नौकरियों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिम बंगाल में कई बेरोजगार युवक पिछले बीस सालों से रोजगार कार्यालय का कार्ड लिए घूम रहे हैं और उन्हें रोजगार कार्यालय से नौकरी के लिए अभी तक कोई बुलावा नहीं आया। केन्द्र सरकार को चाहिए कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके देश की बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या को सुलझाने के सभी प्रयास करे।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जिसके कार्यवृत्त में केवल बेरोजगारी को ही एक मुद्दा बनाया जाए और इसका कोई सकारात्मक समाधान युद्ध स्तर पर निकाला जाए।

(ग्यारह) थीन बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, गत एक लम्बे अरसे से पंजाब की थीन बांध परियोजना निर्माणाधीन है और जैसे-जैसे इसके कार्य के पूरा होने में देरी होती जा रही है, इसकी निर्माण लागत भी बढ़ रही है और दूसरी ओर राज्य के आम नागरिक को सुविधा मिलने में भी देरी हो रही है। थीन बांध के पूरा हो जाने से पंजाब की नदियों रावी, व्यास और सतलुज का औसत पानी उपयोग हो सकेगा वहीं राज्य की बिजली की कमी भी दूर हो सकेगी। राज्य सरकार की ओर से मांग की गई है कि अविलम्ब 150 करोड़ रुपया परियोजना निर्माण के संबंध में जारी कर दिया जाए ताकि इस परियोजना को आगामी 12 फरवरी 1999 को पूरा कर देश को सौंपा जा सके।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह और देरी न कर 150 करोड़ रुपया जारी कर दे ताकि आम आदमी को सुविधा देने में राज्य सरकार समर्थ हो सके।

अपराह्न 3.42 बजे

संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा मद संख्या 39 पर चर्चा करेगी। संसदीय कार्य मंत्री, श्री मदन लाल खुराना जी प्रस्ताव करेंगे कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को सुविधाएं प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

संसद कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को सुविधाएं प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को सुविधाएं प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मैं मदन लाल खुराना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वे आज ऐसा बिल लेकर आए हैं जो सांसदों से संबंधित है अन्यथा वे हमेशा नौकरशाहों के फायदे का ही बिल लेकर आते रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इसमें किसी का विरोध नहीं है। इसे पास किया जाए।

श्री मोती लाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति महोदय, इसे आज ही पारित कर दिया जाए। इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : यह विधेयक आज सिर्फ प्रस्तुतीकरण हेतु ही लाया गया है। इसको सोमवार को पारित किया जाए।

सभापति महोदय : इंट्रोड्यूज तो हो गया।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, इसके ऊपर जब किसी का विरोध ही नहीं है, तो इस पर चर्चा करके इसे आज ही पारित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, हम इसे बिना चर्चा के पारित कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मोती लाल वोरा : आज केवल इसे पुर: स्थापित किया जाना था। हम इस पर सोमवार को चर्चा कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, हम इसे चर्चा के बिना पारित कर सकते हैं।. . .*(व्यवधान)*

अपराहन 3.45 बजे

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक के बारे में

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मुझे इंश्योरेंस रैगुलेटरी बिल के बारे में आपसे एक रिक्वैस्ट करनी थी। यहां यह बिल इण्ट्रोड्यूस हो गया था। सम्बन्धित लोगों से, मैंने स्पीकर साहब से बात कर ली, इस संबंध में मेरा एक मोशन है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2 दिनांक 17.12.98 में प्रकाशित।

[श्री मदन लाल खुराना]

[अनुवाद]

यदि यह सभा सहमत होती है तो हम 15 दिसम्बर, 1998 को इस सभा में पुरः स्थापित किए गए बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 को संबंधित स्थायी समिति को सौंपे जाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर सकते हैं। . . .*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : हम सहमत हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : यह घोषणा की गई थी कि इसे संयुक्त चयन समिति को भेजा जाएगा। . . .*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई और पश्चिम) : जो कुछ समझौता हुआ वह पूरी तरह भिन्न था। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, यह तो स्पीकर को पावर है, हम स्पीकर को पावर दे रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदय, यह फैसला किया गया था कि इसे संयुक्त समिति को भेजा जाएगा। अब संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। मंत्री जी इस सभा को गुमराह कर रहे हैं।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। आपको याद होगा, मैंने कहा था, यह बात रिकार्ड पर है कि अगर जोइंट कमेटी बननी है तो मुझे चेयरमैन, राज्य सभा से जाकर बात करनी है, तब यहां बताएंगे। जब मैंने वहां चेयनमैन से बात की तो जो राय बनती है, वह यह बनती है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाये, इसलिए मैंने स्टैंडिंग कमेटी का मोशन रख दिया।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : नहीं, सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की थी कि इसे एक संयुक्त समिति को भेज दिया जाएगा। . . . *(व्यवधान)*

श्री एन०एन० कृष्णदास (पालघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सभा में यह घोषणा की थी कि इसे संयुक्त समिति को भेजा जाएगा। अब क्या हुआ? . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप थोड़ा बैठ जायें, हम बताएंगे।

श्री मदन लाल खुराना : मैं तो हाउस के सामने रख रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसका फैसला कुछ समय बाद अध्यक्ष महोदय करेंगे। यह मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि यह हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। इसका फैसला अध्यक्ष महोदय करेंगे। . . .*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, कृपया इसे लंबित रखिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इसमें क्या हुआ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसका फैसला अध्यक्ष महोदय करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जरा हमें मालूम होना चाहिए कि स्पीकर साहब कब आयेंगे और कब डिसाइड होगा, तब उसके मुताबिक हम भी तैयार हों। यह तो बिल्कुल सरप्राइज में मामला होता लगता है। जब ऐसा होता है तो हमें हैरानी होती है। कुछ वक्त बता दीजिए कि कितने बजे है, उस वक्त हम मौजूद रहें।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی): ذرا ہمیں معلوم ہونا چاہیئے کہ اسپیکر صاحب کب آئیں گے اور کب ڈسائڈ ہوگا، تب اسکے مطابق ہم بھی تیار ہوں۔ یہ تو بالکل سرپرائز میں معاملہ ہوتا لگتا ہے۔ When it comes, we are taken by surprise. کچھ وقت بتا دیجئے کہ کتنے بجے ہیں، اس وقت ہم موجود رہیں۔

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। बैठक में लिए जाने वाले फैसले की तुरंत घोषणा की जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : "सून आफ्टर" का क्या मतलब होता है?

شری جی ایم بنات والا (پوننانی): "سون آفٹر" کا کیا مطلب ہوتا ہے؟

अपराह्न 3.48 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक—जारी

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

उच्च न्यायालयों एवम् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तम्भ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका को जगाने के लिए, उनको हमेशा सजग रखने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता है, इसलिए न्यायपालिका के सदस्य न्यायमूर्तियों को चिन्तामुक्त, तनावमुक्त रहना ही चाहिए। उनको अपने ऊपर परिवार के भरण-पोषण के लिए हमेशा चिंतित नहीं रहना चाहिए, इसके लिए यह बिल लाया गया है। इस बिल का स्वागत किया जाना चाहिए था। मगर कुछ कारणों से, कुछ बिन्दुओं से, जिनको मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा, इस बिल का समर्थन करने से हिचकिचा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि यह बढ़ोत्तरी हिन्दुस्तान के आम आदमी के वेतन की बढ़ोत्तरी के अनुपात में होनी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ होता तो यह न्यायसंगत होता। इसके साथ-साथ अगर न्यायाधीश अपनी सुख-सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के बाद किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होते तो यह न्यायसंगत होता। न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह इस प्रकार की है जिसमें सिफारिश और पैरवी की बहुत गुंजाइश है। जब सिफारिश और पैरवी से न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होगी तो हमारी ही नहीं, लोगों की भी आशंका है कि पैरवी से नियुक्त न्यायाधीश पैरवी की ही बात सुनेंगे। यह पैरवी कई प्रकार की हो सकती है, मित्रों के माध्यम से हो सकती है, कभी-कभी अपने मनचाहे वकीलों के ब्रीफ लेने से भी हो सकती है।

एक कहावत है कि न्यायालयों में न्यायाधीशों के कान तो कानूनविद् भरते हैं, लेकिन आंख भरने के लिए उनके प्रिय वकील ब्रीफ लेकर सामने आते हैं। इससे यह भावना बनती है कि भ्रष्टाचार का प्रवेश किस प्रकार से न्यायालयों में हो गया है। आज कई निचली और ऊंची अदालतों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि न्यायाधीशों के घर का खर्च उनके रजिस्ट्रार वगैरह चलाते हैं, यह मैं उनकी अवहेलना के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आप किसी भी न्यायालय में चले जाएं, बिना खर्च किए हुए काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार का प्रवेश एक और कारण से हो सकता है कि न्यायालयों में न्याय मिलने में जो देरी होती है, उससे भी भ्रष्टाचार को मौका मिलता है। किसी न किसी माध्यम से रुपये का आदान-प्रदान होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में न्याय जल्दी मिल जाता है। हमने यह भी देखा है कि कई मामलों में तो रात में बैठकर तुरत-फुरत केसों का फैसला किया गया है। जबकि ऐसे भी केस हैं जिनमें दादा ने मुकदमा दायर किया तो पोते को भी फैसला सुनना नससब नहीं हुआ, इतने बरस न्याय मिलने में लग जाते हैं। यह निश्चित रूप से रुपए के आदान-प्रदान के कारण ही होता है। अगर शहरी सम्पति का सर्वेक्षण कराया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि शहरों में न्यायालयों के न्यायाधीशों की कितनी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं और वे कितने मूल्य की होंगी, इससे भ्रष्टाचार का पता चल सकता है।

जहां तक मैंने पूर्वाग्रह की बात कही, तो स्वतंत्रता के पहले और आजादी मिलने के बाद तक यह व्यवस्था थी कि न्यायालयों में ज्यूरी हुआ करती थी। ज्यूरी के सामने मुकदमे पेश होते थे। अगर किसी केस को लम्बित करने का इरादा होता था तो सारी ज्यूरी को एक जगह रखा जाता था कि वे अखबार न पढ़ें, रेडियो न सुनें और आपस में डिसकस न करें, ऐसी व्यवस्था थी। परंतु अब सालों तक मुकदमा चलता है और जो माननीय न्यायाधीश होते हैं वे रेडियो भी सुनते हैं, टी.वी. भी देखते हैं, अपने मित्रों से विचार का आदान-प्रदान भी करते हैं तथा जिन लोगों को मुकदमे का आधा-अधूरा ज्ञान होता है, उनके निष्कर्ष भी सुनते हैं और फिर केस के बारे में अपनी धारणा बनाते हैं। इससे मुझे आशंका है कि वे फैसला देने में पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होते। इसलिए जहां हम उनकी सुख-सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, हमें इस पर भी रोक लगानी चाहिए।

आज न्यायालयों की जो मैंने चर्चा की कि जो मुकदमे लम्बित रहते हैं और उसके कारण बहुत पद खाली रहते हैं लेकिन मेरा कहना है कि न्यायालयों की लम्बी-लम्बी छुट्टियां भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। स्कूल और कॉलेजों की तरह से न्यायालयों में भी लम्बी छुट्टियां देने का क्या तात्पर्य है? यह मेरी समझ में नहीं आता। जब सभी सरकारी कार्यालयों में साल भर काम चल सकता है तो न्यायालयों में छुट्टी की क्या आवश्यकता हो सकती है? इसलिए वहां पर छुट्टी की अवधि कम की जानी चाहिए। मैंने सुना है कि न्यायालयों के फैसले शीघ्र सर्वोच्च न्यायालय में आ जाएं, इसके लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की गई है। राज्य के उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय से कम्प्यूटर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वहां के फैसले शीघ्र सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएं लेकिन इसका क्या मतलब है अगर फैसला देने में ही देर लग जाए ?

मैं पी. आई. एल. के विरोध में नहीं हूं। पी. आई. एल. सरकार और कार्यपालिका को जगाने का काम करती है परंतु एक दफा न्यायमूर्ति श्री ए. एस. आनन्द ने भी कहा था:

[अनुवाद]

"न्यायपालिका कार्यपालिका को जगाती है। ... यह अलार्म घड़ी का काम करती रहेगी।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मेहता जी, अब समाप्त कीजिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : सिर्फ पांच मिनट और लगेंगे। अभी हाल में हमारे राष्ट्रपति के०आर० नारायणन जी ने भी कहा था :

[अनुवाद]

"अगर देर से दिए गए न्याय को न्याय न दिया गया समझा जाए तो लोगों का न्यायिक निपटान में विश्वास कम हो जाएगा।"

इस स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। जस्टिस आनन्द के कथन पर मैक्स का कथन है :

[हिन्दी]

"भारत में समय-समय पर न्यायपालिका और कार्यपालिका को जागरूक करना न केवल न्यायपालिका बल्कि धीमी न्यायपालिका के लिए भी जरूरी है। *[हिन्दी]* इसलिए ज्यूडिशियरी में मुकदमों के जल्दी निष्पादन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरी एक और शिकायत है कि ज्यूडिशियरी में अपनी जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति है।"

पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था और जिन आतंकवादियों या अपराधियों पर मुकदमे चल रहे थे तो उनके लिए लम्बी-लम्बी तारीखें तय की जाती थीं और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि न्यायाधीश ही बीमार हैं और इसलिए तारीखें आगे बढ़ती जाती थीं।

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

लेकिन जब आतंकवाद का दौर समाप्त हुआ तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ह्यूमन राइट्स वालों के अनुरोध पर लोगों को जल्दी-जल्दी जेल में भेजा जाने लगा, उनके ऊपर मुकदमे चलाये जाने लगे जिन लोगों ने आतंकवाद को वहां समाप्त किया था। उन लोगों को जेल में उन्हीं आतंकवादियों के साथ रखने का प्रयास हुआ जिसके कारण एक कर्तव्य-परायण पुलिस अधिकारी को आत्महत्या तक करनी पड़ी।

मैं कह रहा था कि न्यायालयों में शिष्टाचार का भी पालन करना चाहिए। जजों को बेमतलब दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार केवल ज्यूडिशियरी में बैठने के कारण ही नहीं हो जाता। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे सहयोगी कल्पनाथ राय जी के ऊपर जब "टाडा" का मुकदमा चल रहा था तो किस-किस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां कोर्ट ने उनके ऊपर दीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो इश्यूज उनके सामने नहीं रहते हैं, उनके ऊपर भी वे टिप्पणी देते हैं, जैसे बिहार के केस में कई बार ऐसा हुआ कि म्युनिसपेलिटीज का चुनाव नहीं हुआ और उसका मुकदमा आया और हाई कोर्ट ने टिप्पणी दे दी कि यहां तो कांस्टीट्यूशनल फेलियर है।

अपराह्न 4.00 बजे

जिसके बारे में इस सदन में हंगामा हुआ था।

महोदय, एक्जिक्यूटिव्स में कोई व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उसकी जांच के लिए विजिलेंस कमीशन की व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था जुडिशियरी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे का सारा मामला इम्पीचमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाए। अगर जुडिशियरी में विजिलेंस की व्यवस्था होती तो इस तरह की बात नहीं होती और जज भी सावधान रहते।

अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाल ही में एक ब्रिटिश एडिटर के वक्तव्य की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यहां मैं प्रसिद्ध ब्रिटिश संपादक श्री रिचर्ड इन्ग्रामस का कहा हुआ उद्धृत करता हूं :

"मैं कानून न्यायालय को चर्च नहीं कहता बल्कि जुआघर कहता हूं जहां बहुत कुछ तो डाइस के फेंकने पर निर्भर करता है।"

[हिन्दी]

अगर इस तरह की बात होगी, तो लॉ-कोर्ट से हमारा विश्वास उठ जाएगा। हम लोग न्यायालय में न्याय पाने के लिए जाते हैं। हमारे यहां एक कहावत है—पंच परमेश्वर होता है। अगर न्यायालयों के न्यायाधीश भी इस तरह के हो जायें, तो हम कहां जायेंगे।

महोदय, इन्हीं कारणों से मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूं। मैं विरोध तो नहीं करूंगा। न्यायाधीशों का इस आमदनी में काम नहीं चलता है, तो आमदनी बढ़े, लेकिन वे न्यायप्रिय हों। मैं इस बिल पर न्यूट्रल रहते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या* (तुमकुर) : सभापति महोदय, मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूं। अगर आवश्यक व्यवस्था की जाती तो मैं तो कन्नड़ में बोलने की अपनी इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुका हूं। *(व्यवधान)* आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण में कन्नड़ नामक भाषा है। आपको उन भाषाओं के संपर्क में रहना चाहिए जो इस देश में चल रही हैं।

*सभापति महोदय, सरकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 1998, न्यायाधीशों के वेतन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आई है। इस विधेयक में न्यायाधीश अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। सरकार द्वारा विधेयक के खण्ड 4, 6, 9, और 11 का कार्यान्वयन अविलम्ब किया जाए। मैं इस विधेयक के प्रयोजन को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर विचार करने और उनमें सुधार करने के लिए समय-समय पर वेतन आयोग गठित किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग में श्रमिक वर्ग और किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। वेतन आयोग में उच्च अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। वे पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और सफेद कालर अधिकारियों को अधिकाधिक सुविधाएं देने की सिफारिश करते हैं। साधारण व्यक्ति वेतन आयोग की सिफारिशों से सहमत भी होगा। वस्तुत: हमारे देश में यह प्रथा है। आयोग ने भारतीय प्रशानिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन बढ़ाए हैं।

हाल ही में वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु दो वर्ष बढ़ा दी गई है। युवा वर्ग महसूस कर रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 60 से 62 वर्ष और 58 में 60 वर्ष में वृद्धि के कारण उनके नौकरियों के अवसर समाप्त हो रहे हैं। पिछले 25-30 वर्ष से सभी सुविधाएं भोग रहे इन कर्मचारियों का सेवाकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार सेवाकाल का बढ़ाया जाना मुझे बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगता। हमारे पूरे राष्ट्र में बेरोजगारी की व्यापक समस्या है। कुछ लोग नक्सलवादी बनते जा रहे हैं। वे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। वे महसूस करते हैं कि उनके लिए न्याय नहीं है। वे यह भी महसूस कर रहे हैं कि बेचारे युवकों का अधिकतम सीमा तक शोषण किया जा रहा है। उच्च अधिकारी सभी सुविधाएं हड़प रहे हैं और नवयुवकों के लिए नौकरियां नहीं हैं। युवा पीढ़ी के दिमाग में यही भावना उन्हें क्रान्तिकारी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। वे कई प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने लगते हैं। सरकार को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं और सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है। लेकिन इस आयोग का गठन किसने किया था? पिछली सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। सफेद-काला नौकरशाह और अन्य सरकारी कर्मचारी ही वेतन अयोग का गठन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का हित किया है।

लेकिन गरीब की देखभाल कौन करेगा। वह झोंपड़ी में रहता है। वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता। उसके पास कपड़ा

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नहीं है उसके लिए कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। उसे नहीं लगता कि उसका आने वाला कल बेहतर होगा। उसके बारे में कौन सोचेगा? अधिकतर धन पढ़े-लिखे लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अंततः वह भीख मांगने लग जाएगा। आप समाज में समानता किस प्रकार ला सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम सभी समान हैं। लेकिन समानता कहां है और हमारे समाज में समान अवसर कहां हैं? समाज में जिन लोगों का वर्चस्व है उन्हें समान ही नहीं अपितु बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब और दलित लोगों का कोई भविष्य नहीं है। वह अपनी जीविका नहीं कमा सकता। वह दो जून भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे देश में गरीब की दयनीय स्थिति है। वह अपने बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दिला सकता। इन दयनीय परिस्थितियों में हमारे अपने लोग गरीब लोगों की जरूरतों को नजर अन्दाज कर रहे हैं। वे सारी की सारी सुविधाएं अपने लिए चाहते हैं। मैं इसे समाज के विरुद्ध एक नृशंस अपराध कहूंगा। यह बिल्कुल उचित नहीं है। न्यायाधीशों को और अधिक वेतन मिलना चाहिए। उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कार्य सौंपे जाने चाहिए। उन्हें उपदान राशि, परिवार पेंशन आदि सहित सभी पेंशन सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी ओर यदि कोई गरीब दुर्घटना में मरता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। दुर्घटना में मरने वाले गरीब व्यक्ति के बच्चों को कौन सी सुविधाएं हम दे रहे हैं? उसकी विधवा को क्या मिलता है? हम उसे रहने के लिए मकान नहीं देते हैं। उसकी विधवा और बच्चों को जमीन तक नहीं दी जाती है। 20,000 रुपये की तुच्छ राशि भी मरने वालों के परिवार को नहीं दी जाती है। यह किस प्रकार की समानता है? यह कैसा समाज है जिसमें हम रह रहे हैं? हमारा एक संविधान है। लोगों को मतदान करने का अधिकार है। दुर्भाग्यवश हम इस तथ्य को भूल गए हैं कि गरीबों का शोषण किया गया है। वे अनजान हैं और हम चाहते हैं कि वे ऐसे ही बने रहें। कन्नड़ में कहावत है। उस कहावत के अनुसार गणीगीती यानि उत्पादक के पास तेल है यदि बच्चे को नहीं दिया जाता है तो वह बच्चों के लिए बेकार है। हम यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास समाज के गरीब वर्गों की समानता के लिए समय नहीं है।

निचली अदालतों में बार एसोसिएशनों की हालत बहुत ही खस्ता है। वहां पुस्तकालय नहीं हैं। यदि पुस्तकालय है, तो उसमें कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। वहां पुस्तकालय के नाम पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां बैठकर पढ़ा जाए। निचली अदालतों के न्यायाधीशों को कोई सुविधाएं नहीं हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ करना चाहिए। हमने सरकार को निचली अदालतों की इन समस्याओं के बारे में कई बार बताया है। हमने कर्नाटक सरकार और भारत सरकार दोनों को पत्र लिखे हैं। लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। लोग कहते हैं कि न्याय को स्वयं चलकर लोगों के दरवाजे पर जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के लिए काफी समय से मांग की जाती रही है। हम दक्षिण भारत में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में उच्च न्यायालयों की खण्डपीठ स्थापित करने के लिए कह रहे हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। इस मामले पर 10वीं लोकसभा में विस्तार से चर्चा की गई थी। हमारे आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में इस मामले पर काफी समय से आंदोलन चल रहा है लेकिन फिर भी न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित नहीं की गई।

सभापति महोदय : अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : महोदय, हमने शून्यकाल के दौरान अपने विचार प्रकट करने के लिए अग्रिम सूचनाएं दी थीं, किन्तु हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कृपया मुझे बोलने दीजिए।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, जहां तक दक्षिण भारत में खण्डपीठ स्थापित किए जाने का संबंध है हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। यह मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है और सरकार के पास लम्बित पड़ी है। चूंकि कानून मंत्री दक्षिण भारत से हैं, अतः वे निश्चित रूप से इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर खण्डपीठों की स्थापना की मांग को लेकर लम्बे अरसे से आन्दोलन किया जा रहा है, किंतु ये स्थापित नहीं की जा रही हैं। मैं यही बात कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : हमने 9.00 बजे अथवा 9.30 बजे शून्यकाल में बोलने के लिए सूचना दी है, किन्तु हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अन्य अवसरों पर भी हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। जब हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता तो हम सदन में क्यों आएं? मैंने यह बात कल भी कही थी। आपने कृपा की जो मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से संसद में हैं और आप सदस्यों की कठिनाईयों को समझते हैं।

मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को उदार बनाना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और वकील दिल्ली छोड़कर जाना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि दक्षिण भारत में खण्डपीठ की स्थापना की जाएं इसी प्रकार बंगलौर के वरिष्ठ वकील नहीं चाहते कि धारवाड अथवा गुलबर्गा में खण्डपीठ स्थापित की जाए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : महोदय, यह दृष्टिकोण है। यदि हमें सभा में अपनी बात करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जायेगा, तो हम किस प्रकार सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। हमने पत्र लिखे है। क्या हमें उन पत्रों का जवाब दिया जाता है? क्या उन्होंने मामलों पर चर्चा करने के लिए हमें बुलाया है और हमसे चर्चा की? उनमें न तो धैर्य है और न उनके पास समय है तो फिर हम सदन में क्यों आएं। मुझे खेद है कि मैं अपना बहुमूल्य समय बरबाद कर रहा हूं। मैं वकालत करता हूं और कृषक भी हूं। यदि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है तो बेहतर यही होगा कि हम अपने घरों में बैठे रहें। हमने इस मामले का अध्ययन किया है हम यहां इस मामले से न्याय करने आए हैं।

जिला न्यायालयों में पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और पदोन्नति दी जाए। न्यायाधीशों के रिक्त पद भरे जाने चाहिए। सरकार को विभिन्न प्रांतों में खंडपीठ स्थापित करने का विचार करना चाहिए। बार संघों में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या नगण्य के बराबर है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टाम्प शुल्क में बार-बार वृद्धि की जाती है। स्टाम्प शुल्क कौन अदा करता है? आम आदमी जो

[श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या]

न्याय की गुहार लगाता न्यायालय में आता है, वह स्टाम्प शुल्क अदा करने की स्थिति में नहीं है, हम आम आदमी और इस देश में निर्धनता की बात करते हैं। हम आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए अपनी शिकायतें रखते हैं। आम आदमी को न्याय दिलाने में हम कहां तक सफल रहे हैं? यहां कुछ लोग बैठकर कानून या संकल्प पारित कर देते हैं, परिणामस्वरूप हम आम आदमी को न्याय दिलाने की स्थिति में नहीं हैं।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अधूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं भारतीय न्यायिक प्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात मैं न्यायिक जवाबदेही के बारे में कहना चाहता हूं।

जहां तक संविधान का संबंध है न्यायिक जवाबदेही के मामले में हम पीछे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय न्यायपालिका समय की कसौटी पर खरी उतरी है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि भारतीय न्यायपालिका ने कुछ उच्च परम्पराएं स्थापित की हैं। इस बारे में कोई संशय नहीं है। न्यायपालिका ने भारत के संविधान में प्रतिपादित सिद्धान्तों का विस्तार किया है और आम आदमी व गरीब आदमी को संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों में करने के लिए आगे आई है। ये सब बातें न्यायपालिका के पक्ष में हैं किन्तु न्यायपालिका में कुछ मूल खामियां भी हैं और इसलिए मैं न्यायिक जवाब देही पर बल देना चाहता हूं

वर्तमान में प्रवृत्त न्यायालय अवमानना अधिनियम औपनिवेशक शासकों ने पारित किया था। यह सम्पूर्ण न्यायपालिका को पूरा संरक्षण प्रदान करता है। वे किसी प्रकार की सही आलोचना को सुनना पसंद नहीं करते हैं। यदि न्यायपालिका के बारे कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और अवमानना संबंधी कार्यवाही इस सीमा तक पहुंच गयी है कि सम्पूर्ण राज्य तंत्र भी न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अंतर्गत आ गया है। इसलिए यह उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। जहां तक न्यायपालिका का संबध है हमें निष्पक्ष आलोचना की अनुमति देनी चाहिए। हम कानून और आलोचना से परे नहीं हैं। उन्हें आलोचना को स्वीकार करने की स्थिति में लाना चाहिए । मेरे विद्वान मित्र श्री तम्बी दुरई को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि वर्तमान न्यायालय अवमानना अधिनियम में संशोधन किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं।

जहां तक उच्चतर स्तर के न्यायाधीशों का संबंध है, उनके लिए महाभियोग की कार्यवाही का प्रावधान है। हम उन्हें इस सभा में ला सकते हैं। किन्तु वह एक प्रभावी प्रणाली नहीं है। न्यायमूर्ति रामास्वामी के मामले में हमारा कटु अनुभव रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि इस सभा में उनके विरुद्ध बहुमत से निर्णय लिया था, कुछ भी नहीं किया गया। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने के बारे में प्रावधान इतने अप्रभावी हैं। न्यायिक जवाब देही की अन्य पहलुओं के संबंध में भी व्यवस्था कराई जा सकती है। हमारे यहां एक ऐसा सांविधिक तंत्र, एक न्यायिक तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा न्यायिक कार्यों की आवधिक जांच की जाएगी। उनमें यह भावना भी होनी चाहिए उनके अच्छे या बुरे कार्यों पर नजर रखने के लिए राज्य के पास एक तंत्र है। संपूर्ण न्यायपालिका के कृत्यों, कार्यों व गलत कार्यों पर नजर रखने के लिए कोई प्राधिकरण होना चाहिए। मुझे खेद है कि हमारी वर्तमान प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक तंत्र होना चाहिए। यह किस प्रकार का तंत्र हो, इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, किन्तु इस समय नहीं क्योंकि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

हमारे संविधान में राज्य के तीन स्तम्भ हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। और विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह है। हम मानते हैं कि जनता संप्रभु है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि न्यायपालिका को भी संप्रभु जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। हालांकि कई लोग इससे सहमत न हों किंतु मेरा सुझाव है कि हमारे यहां निर्वाचित न्यायपालिका हो। अमेरिका और पश्चिमी देशों में निर्वाचित न्यायपालिका है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी न्यायाधीशों को चुना जाए। किंतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मान्यता प्राप्त वकीलों, न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। इसलिए उच्चतर न्यायपालिका, अर्थात उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए। वे किसी विशेष प्राधिकारी के प्रति जवाबदेह हों। ब्रिटेन में हम जानते हैं कि न्याय का अधिष्ठाता राजा है। किन्तु भारत में समग्रत: जनता न्याय की अधिष्ठात्री है। राजा कोई गलती नहीं कर सकता, इस अवधारणा के साथ हमने ब्रिटिश प्रणाली को विरासत में ले लिया था। आज भी हमारे यहां औपनिवेशिक प्रणाली के वही अंश हैं। कितनी अजीब बात है? मैं एक वकील हूं, मुझे बार का 40 साल का अनुभव है। आज भी मुझे न्यायाधीश को 'माई लॉर्ड' कहकर संबोधित करने के लिए बाध्य किया जाता है। जहां तक सब लोगों का संबंध है, हमारा केवल एक ही 'लार्ड' भगवान कृष्ण है। कोई अन्य भगवान नहीं है, मैं राजा के न्याय के अधिष्ठाता होने की बात समझ सकता हूं। किंतु उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हम 'माई लार्ड' कहकर क्यों संबोधित करें। इस संबोधन को सुनने के बाद ही 'लार्ड' मुस्कराएगा और आपकी बात सुनेगा। हर बार वकील को न्यायाधीश को 'माई लार्ड', 'माई लार्ड' कहकर संबोधित करने के लिए बाध्य किया जाता है मानो कि वहां भगवान कृष्ण या प्रभु यीशु हों। हमें उन लोगों को संबोधित करना होता है जो खंडपीठों में लॉर्ड की तरह बैठते हैं। हम इसे बदलते क्यों नहीं ? हमें उन्हें "न्यायाधीश महोदय" कहकर संबोधित करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है ? हमारे यहां गणतंत्रीय संविधान है। हम ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं। जहां पर राजा न्याय का अधिष्ठाता होता है *(व्यवधान)*

श्री गादेन्दला भास्कर राव : महोदय, मेरे विद्वान मित्र सही नहीं कर रहे हैं कि हम अभी भी उन्हें "माई लॉर्ड" कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह प्रथा अब समाप्त हो गई है। अब हम उन्हें "न्यायाधीश महोदय" कहकर संबोधित करते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : इसलिए, औपनिवेशिक व्यवस्था के ये सभी अवशेष समाप्त होने चाहिए। इसके पश्चात हम भारतीय नागरिकों और भारतीय वकीलों में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को

''न्यायाधीश महोदय'' कहकर संबोधित करने का साहस हो। यह उद्देश्य होना चाहिए। हम दास नहीं हैं और हम औपनिवेशिक देश की प्रजा भी नहीं हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि हमें इस प्रणाली को बदलना चाहिए। हमें न्यायालय की अवमानना की प्रक्रिया को भी बदलना चाहिए।

अब मुझे आगे कुछ और कहने की अनुमति दी जाए। आपका सुझाव स्वीकार करते हुए मैं एक अन्य सुझाव देता हूं। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों सहित लगभग सभी न्यायालयों में लाखों मामले लम्बित पड़े हैं। एक कहावत है न्याय में विलम्ब करना न्याय से वंचित करना है। मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें को विभिन्न उच्च-न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। मैं जानता हूं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के दर्जनों पदों को अभी भरा जाना है। विधि मंत्रालय को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए ताकि ये रिक्तियां भरी जाएं। मामलों के लम्बित होने का एक कारण यह है। यही नहीं इसके पीछे एक मौलिक तर्क भी है कि न्यायिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

न्यायिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जिन मामलों का जिला स्तर पर निर्णय किया जा सकता है उन्हें उच्चतम न्यायालयों में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। एक विशेष राज्य से संबंधित ऐसे मामले जिनमें उच्च न्यायालय स्तर पर अंतिम निर्णय दिया जा सकता है, उन्हें उच्चतम न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। अन्य कई वक्ता बोलने वाले हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : राष्ट्र से संबंधित मुद्दों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब इन सभी मामलों को उच्चतम न्यायालयों में ले जाया जाता है और इन मामलों की सुनवाई करने में उच्चतम न्यायालय को खुशी होगी किंतु किसी भी मामले में समुचित समय में निर्णय नहीं दिया जाएगा। इसलिए न्यायिक शक्तियों का पूर्णरूपेण विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। यदि व्यक्तियों के बीच विवाद हो तो इस मामले को उच्चतम न्यायलय में क्यों ले जाया जाए? किसी संपत्ति विशेष के बारे में विवाद हो सकता है उसे उच्चतम न्यायालय ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कानून का प्रश्न हो तो फिर वे कहेंगे कि उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के स्तर पर किया जाना चाहिए। परिणाम क्या होगा? आम गरीब आदमी न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लिए न्याय एक महंगा सौदा है। हम सभी कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। हम समाजवाद व निर्धन जनता की बात करते हैं किंतु क्या एक निर्धन व्यक्ति सस्ता न्याय प्राप्त कर सकता है? यह भारत में असंभव है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि न केवल कार्यपालिका की शक्तियों, अपितु न्यायिक शक्तियों का भी विकेन्द्रीकरण हो। प्रत्येक मामले का निर्णय गुणावगुण के आधार पर एक विशिष्ट निचले स्तर पर होना चाहिए। इसे उच्चतम न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने दस मिनट ले लिए हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : अब मैं न्यायिक सक्रियता पर आता हूं। जब कार्यपालिका या सरकार के अन्य स्तंभ अपने संवैधानिक कृत्यों को उचित समय पर या उचित ढंग से नहीं करेंगे तो न्यायिक सक्रियता होगी। किन्तु अति न्यायिक सक्रियता अच्छी नहीं है। अति न्यायिक सक्रियता के अनेक उदाहरण हैं। मैं सांसदों के टेलीफोन और गैस कनेक्शनों के संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने निर्णय किया कि इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। वास्तव में इस प्रक्रिया के बारे में निर्णय हमें करना चाहिए, न कि न्यायालय को। उन्हें हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। गैस कनेक्शन के वितरण के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी निर्णय विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका का स्पष्ट हस्तक्षेप है यह न्यायिक अति सक्रियता का एक उदाहरहण है और इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। वे दिशा निर्देश अनुपूरक हों, न कि विरोधाभासी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन सभी मामलों में हमारे देश में न्यायपालिका के कार्यकरण के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मैं माननीय विधि मंत्री से इस बारे में प्रभावी उपाय करने कर अनुरोध करता हूं ताकि न्यायिक जवाबदेही के बारे में कुछ किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं इस पहल की सराहना करता हूं, चाहे यह प्रस्ताव न्यायपालिका से मंत्रालय को आया हो या मंत्रालय ने स्वयं ही इस विशेष विधेयक को प्रस्तुत किया हो। न्यायाधीशों के जीवन पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश न्यायाधीशों, जिनका चयन या नामांकन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, कि उससे पहले अच्छी प्रैक्टिस होती है और उन्हें बाद में अपनी फूलती-फलती प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती है। साथ ही उनका सामाजिक जीवन बिल्कुल ही कट जाता है।

श्री राधाकृष्णन एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे चुका था। मैं तो यूनीवर्सिटी की पूर्व परीक्षा का असफल छात्र हूं। मैं अभी संघर्ष कर रहा हूं और इन जैसे लोगों से प्रेरणा ले रहा हूं और उन्हें जब भी मौका मिले, चाहे सभा में हों या सभा के बाहर, हमें सहयोग देना, प्रोत्साहित करना चाहिए तथा हमारी भूल सुधारनी चाहिए।

उसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद भी न्यायाधीशों का जीवन अलग-थलग ही रहता है। यह वास्तव में बहुत दुःख की बात है। मैं इस सम्मानित सदन को यह बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को काफी बलिदान करना पड़ता है। यह कोई साधारण बलिदान नहीं है। आखिर उन्होंने न्यायाधीश बनने के लिए अपनी अच्छी प्रैक्टिस और अपने सामाजिक जीवन छोड़ा है। यह किसी व्यक्ति का कोई सामान्य निर्णय नहीं है। मैं उनके बलिदान की सराहना करता हूं।

[श्री के० बापीराजू]

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान ने हमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका नामक तीन स्तम्भ दिए हैं। यह बहुत दुःख की बात है कि हम सदन के भीतर या बाहर आम तौर पर चर्चा करते रहे हैं कि इन तीनों स्तम्भों में कौन सा सर्वोच्च है कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम गुणों, शक्तियों या अधिकारों को देखें तो इसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु हम आम आदमी को बलि का बकरा बनाकर अपने अहम से लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस त्रिपक्षीय प्रणाली में कोई भी दूसरे से लड़ता है तो उनमें से कोई भी घाटे में नहीं रहेगा, बल्कि इस देश के लोग ही घाटे में रहेंगे। मैं समझता हूं कि हमने इसी चर्चा में 50 वर्ष लगा दिए कि कौन सर्वोच्च है।

हमारे विद्वान वरिष्ठ सदस्य, श्री राधाकृष्णन ने 'माई लोर्ड' तथा अन्य बातों के प्रयोग की भी बात की। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। 'माई लोर्ड' का प्रयोग न्यायाधीश के अहम को मार देता है। यह बहुत दुख की बात है कि किसी को भी किसी न्यायाधीश या पीठासीन व्यक्ति के अहम को मारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहां भी, अध्यक्ष महोदय का ध्यान अपनी ओर खींचना हम जैसे साधारण सदस्य के लिए बहुत कठिन है।

लोकतंत्र में कौन सर्वोच्च है ? लोग ही सर्वोच्च हैं और हममें से कोई नहीं। हमारे लोग इतने महान हैं क्योंकि उनमें बहुत अधिक सहनशक्ति है।

इस प्रणाली की बात करते समय हम कोई भेद नहीं करते। फिल्मों में न्यायाधीशों या विधायकों या सांसदों या नौकरशाहों को इस तरह दिखाया जाता है कि हम जैसे सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसे नहीं देख सकते। हमें ग्लानि होती है कि हम सांसद या विधायक हैं। जब हम पर फिल्मों में टिप्पणियां होती हैं तो लोग भरपूर मनोरंजन लेते हैं। यहां इसी तरह चल रहा है। लोग इस बात की चिन्ता बिल्कुल नहीं करते कि सरकार न्यायाधीशों को क्या वेतन देती है। जब आप उनके द्वारा किए गए बलिदान को देखते हैं तो आप उन्हें अधिक वेतन दे सकते हैं। परन्तु जिस सवाल पर अधिक बल दिया जाना चाहिए वह यह है कि उनका योगदान क्या है और वे किस हद तक जवाबदेह हैं। प्रधान मंत्री, विधि मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य विद्वान व्यक्ति एक साथ बैठकर देख सकते हैं कि हम कहां पीछे हैं और न्यायपालिका के सामने किस प्रकार के मामले आ रहे हैं और न्याय किया जा रहा है या नहीं। आंकड़ों के अनुसार आप यह विश्लेषण कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में किस प्रकार के मामले आ रहे हैं। सत्तर प्रतिशत मामले मजिस्ट्रीयल कोर्ट, 20 प्रतिशत मामले जिला कोर्ट, अन्य आठ प्रतिशत मामले उच्च न्यायालयों में जाते हैं और मुश्किल से एक प्रतिशत मामले उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। आम आदमी उच्चतम न्यायालय में जाने की बात सोच भी नहीं सकता। अगर इस पवित्र सदन में कोई ऐसा सोचता है कि आम आदमी ऐसा कर सकता है तो यह केवल स्वप्न ही है। आम आदमी उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता क्योंकि यह उसकी कल्पना से परे की बात है।

उच्चतम न्यायालय इस देश में सर्वोच्च प्राधिकरण है, परन्तु आम आदमी कभी भी इसमें नहीं जाता। इसका समाधान करने के लिए आप यह देखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि आम आदमी को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिले। इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के पक्ष में मत देने से पहले — हम हर हाल में आपका समर्थन कर रहे हैं — जो उन्होंने पुरःस्थापित किया था, क्या मंत्री जी हमें यह बताएंगे कि न्याय पाने के लिए कितने लोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय गए हैं ? हम शायद ही कोई आशा करते हैं। कृपया आम आदमी के पक्ष में कुछ समुचित उपाय करें। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि क्या मैं न्यायाधीशों के अधिक वेतन की बात कर रहा हूं या नौकरशाह अधिक वेतन ले रहे हैं। राजकोष का अस्सी प्रतिशत धन वेतन पर खर्च हो रहा है, विकास कार्यों पर 20 प्रतिशत और देश के आम आदमी के पास मुश्किल से दो से पांच प्रतिशत तक धन ही पहुंच पाता है। मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है जब मुझे यह पता चलता है कि आम आदमी के पास राजकोष से कितनी राशि पहुंचती है। लोग इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि हम कितना वेतन ले रहे हैं।

लोग चाहते हैं कि न्यायाधीशों को अपनी क्षमता और अधिकार के अनुसार न्याय देना चाहिए। लोग चाहते हैं कि वे जवाबदेह हों दुर्भाग्यवश जवाबदेही के अभाव में हममें से यहां कोई भी लोगों का सामना नहीं कर सकता। प्रजातंत्र में लोग सर्वोच्च होते हैं और कोई नहीं तथा लोग उसका इन्तजार कर रहे हैं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं जो कुछ श्री राधाकृष्णन ने कहा है उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यद्यपि मैं श्री राधाकृष्णन जी की तरह विद्वान नहीं हूं कि ऐसा उल्लेख करूं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव चाहते हैं। अगर हम चुनाव प्रक्रिया देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कितने तरीके शामिल हैं। मुझे खेद है कि इस प्रणाली को बदलना होगा, परन्तु हमारा अनुभव यह है कि चुनाव आयोग का चुनावी कदाचार रोकने के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने का सुझाव पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। अब वह चाहते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चुनाव हों। यह कल्पना से परे की बात है। न्यायपालिका को यह सुझाव देने से पहले हम चुनावों का क्रमबद्ध तरीका अपनाएं। न्यायपालिका को थोड़ा और जागरूक हो जाने दें। वहां की चुनावी प्रक्रिया इतनी खराब नहीं है। इसे जारी रहने दें। हम न्यायपालिका को मजबूत करें, परन्तु साथ ही हम उन्हें विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति न दें। एक माननीय सदस्य ने गैस और टेलीफोन के कूपनों का मामला ठीक ही उठाया है। उच्च न्यायालयों के लिए उस बारे में सोचना अनावश्यक था। विधायिका के समक्ष लाखों लाख अन्य मामले लम्बित पड़े हैं।

अपराह्न 4.42 बजे

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर इतने अधिक लोगों द्वारा बोले जाने के बाद मैं समझता हूं कि मैं भी इस विधेयक पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहूं। मैं यह पता लगाने के लिए इस विधेयक की जांच नहीं करना चाहता कि न्यायाधीशों को वेतन के रूप में कितना धन दिया जाएगा, क्योंकि मुझे उससे कोई दुर्भावना नहीं है। सरकार ने जो भी आवश्यक समझा वह हमारे

सामने है और हम इस पर मतदान करेंगे। न्यायाधीशों को सम्मानपूर्वक जीना चाहिए और वे जो सुविधाएं चाहते हैं, वे उन्हें मिलनी चाहिए। हम उन्हें वह सब देने के लिए तैयार हैं। परन्तु हमारे सामने काफी गंभीर सवाल हैं।

महोदय, हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने एक सेमिनार का उद्घाटन किया था और उस सेमिनार में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे। शाम को 'न्यूज बुलेटिन' में स्टार टी०वी०, जी०टी०वी० जैसे निजी क्षेत्र के टी०वी० चैनलों ने तथा हमारे अपने दूरदर्शन ने माननीय राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी श्री सोली सोराबजी के भाषण को प्रसारित करने के लिए काफी समय आवंटित किया था।

महोदय, आखिर संसद का गठन कैसे होता है ? इसमें भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन लोक सभा और राज्य सभा आते हैं। उस सेमिनार में माननीय राष्ट्रपति ने न्यायालयों में रिक्तियों पर टिप्पणी की थी। मुख्य न्यायाधीश तक ने कुछ सुधार करने की बात की थी तथा श्री सोली सोराबजी ने जवाबदेही की बात की थी। परन्तु यह सब हाल ही में हुआ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे माननीय विधि मंत्री श्री तम्बी दुरई से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कुछ उस सेमिनार में राष्ट्रपति जी ने कहा था उस पर कृपया गौर करें। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था। तथापि, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने क्या कहा था। उन्होंने जो कुछ उस समय कहा था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। हम व्यस्त थे और कभी-कभी मुझे लगता है – मैं नहीं जानता कि क्या मुझे यह कहना चाहिए या नहीं – लोक सभा का एक तरह से ह्रास हुआ है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमने उस पर गौर नहीं किया। श्री वर्मा ने देश को बताया – जब वे भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे, संभवत: उनकी सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन – कि हमारी प्रणाली में किसी भ्रष्ट न्यायाधीश को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। वह अपने देशवासियों के साथ अपना दुख बांट रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत एक न्यायाधीश को सजा दी जा सके। इस संसद को एक भ्रष्ट न्यायाधीश को सजा देने का अवसर मिला है। लेकिन दक्षिण के मेरे कुछ मित्रों ने उसका समर्थन किया, जबकि भ्रष्टाचार के मामले पूरे देश के समक्ष सिद्ध हो गए थे।

महोदय, हम कानून देने वाले हैं और हम विधि-निर्माता हैं। माननीय न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त होते जाते रहते हैं। लेकिन हम, संसद सदस्य के रूप में, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के पास समझ की कमी है।

यह जनता का आखिरी मंच है। हमें एक भ्रष्ट न्यायाधीश को सजा देने का अवसर मिला था, लेकिन हमने उसे बिना दण्ड दिए जाने दिया। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था कि हमारे तंत्र में एक भ्रष्ट न्यायाधीश को सजा देने के लिए व्यवस्था में कोई प्रावधान नहीं है। मैंने कुछ ब्यौरे एकत्रित किए हैं मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मुझे न्यायपालिका में रुचि है। मैंने न्यायिक सुधार संबंधी विषय के संबंध में सूचना दी है। जब उस विषय पर चर्चा की जाएगी तो मैं न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में बोलूंगा।

दक्षिण के एक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश शुक्रवार को अपने घर गया और जब वह सोमवार को वापस आया तो उसने शनिवार और रविवार के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की मांग की। उसे कोई दण्ड नहीं दिया गया। जब तक यहां और पश्चिम बंगाल की विधान सभा में आवाज उठाई गई, तब तक उस न्यायाधीश को रोका नहीं जा सका जिस पर अपने परिवार के सदस्यों के लिए चश्मे खरीदने के संबंध में लगभग 35,000 रु. लेने का आरोप लगाया गया था। उसने कलकत्ता में कहा कि उसका दर्जा केंद्रीय मंत्री के रैंक के बराबर है। मैं स्वयं केंद्रीय मंत्री था और मुझे हैरानी हुई कि केंद्रीय मंत्री को इतने अतिरिक्त लाभ प्राप्त थे। जब न्यायाधीश ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री के स्तर के बराबर है तो क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि वह इस बारे में किसी से बात कर ले कि केंद्रीय मंत्री को क्या अनुलाभ प्राप्त थे। उन्होंने अपने दो बेटों और एक बेटी के लिए 35,000 के चश्में खरीदे। मंत्री जी द्वारा उस राशि को स्वीकृति प्रदान नहीं कि गई। यह राशि पश्चिम बंगाल के सम्बन्धित मंत्री के जमा-खाते में चली गई जिन्होंने इसकी अदायगी को स्वीकृति प्रदान करने से मना कर दिया। मंत्री महोदय ने कहा कि यह अनुज्ञेय नहीं था। तत्पश्चात् न्यायाधीश ने काफी हंगामा किया। उस राज्य में एक योग्य सरकार होने के कारण न्यायाधीश अपनी मनमानी नहीं कर सका। मैं यह बात कहना चाहूंगा कि मेरी राय में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार पूरे देश में सबसे बढ़िया सरकार है। मंत्री जी ने वह धनराशि अदा करने की अनुमति नहीं दी। दक्षिण में एक न्यायाधीश ने यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लिया, यह बात रिकार्ड में है और उन्होंने ऐसा कई बार किया।

मुख्य न्यायाधीश वर्मा एक न्यायाधीश को सजा देना चाहते थे। मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश वर्मा एक भ्रष्ट न्यायाधीश को सजा देना चाहते थे लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके अंतर्गत वह ऐसा कर सकते थे। उन्होंने उस न्यायाधीश को बुलाया और सलाह दी कि वह स्वयं को सुधार लें। उस न्यायाधीश ने अपने आपको सुधारने से इंकार कर दिया। यहां ऐसी स्थिति है।

न्यायाधीशों की जवाबदेही आवश्यक है। हमें कानून में संशोधन करना होगा। लेकिन उससे पहले, मैं माननीय कानून मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करें, चाहे न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश इस बात से सहमत हों अथवा नहीं। इस बात का निर्णय हमें लेना है, न कि न्यायपालिका को। संसद-सदस्यों, लोक सभा, राज्य-सभा और भारत के राष्ट्रपति को इस बात का निर्णय लेना है। ये ही जनता की आवाज है। हम एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले एक चर्चा होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, चूंकि अब आप अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए आप समय के बारे में फैसला कर सकते हैं। हम न्यायपालिका में जिन सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है, उसके संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। न्यायालयों में काफी संख्या में बकाया मामले पड़े हैं।

वे जनहित याचिकाओं पर निर्णय दे रहे हैं। गैस और टेलीफोन कूपनों के मामले में यदि एक माननीय संसद सदस्य ने गलती की है तो न्यायाधीशों को यह अधिकार नहीं है, कि वे यह निर्णय लें कि सभी संसद सदस्य गलत थे। केरल में न्यायाधीश ने कहा

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

था कि इसका उचित प्रचार होना चाहिए। शायद उन्होंने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यह कहते हुए मामले का विश्लेषण किया है कि इसका प्रचार किया जाना चाहिए। इन न्यायाधीशों को इस बारे में बताया जाना चाहिए। वास्तव में, श्री राधाकृष्णन ने हमारे द्वारा उन्हें 'माई लार्ड' सम्बोधित करने पर प्रश्न उठाया है। किसी औपनिवेशिक विचारधारा के कारण, कोई यह सोच सकता है कि यह गलत है। लेकिन उन्हें 'माई लार्ड' सम्बोधित करने से हमारा कुछ नहीं जाता है *(व्यवधान)* हम उन्हें 'मिस्टर जस्टिस' भी कह सकते हैं। मैं उस संबंध में आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। इस विधेयक के लिए आवंटित समय दो घंटे है, और हमने पहले ही तीन घंटे और पंद्रह मिनट ले लिए हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, यदि हमारे पास उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है, यदि हम कानून में सुधार नहीं कर सकते, यदि हम न्यायिक सुधार पर चर्चा नहीं कर सकते और यदि हम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन नहीं कर सकते, तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। न्यायालय लोगों के दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं क्योंकि लाखों मामले लम्बित पड़े हैं। हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पर टिप्पणी दी थी। हमें तत्काल कुछ करना चाहिए और लोगों को न्याय देना चाहिए क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, जहां तक जजेज की सैलरी बढ़ाए जाने की बात है, वह बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। उनकी भी आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप उन्हें भी वेतन मिलना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि ज्यूडिशरी भी संविधान की भावना के अनुरूप काम करे, वादकारियों को सस्ता न्याय उपलब्ध कराए। दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। जसवंत सिंह आयोग कि सिफारिशों को लागू करने में न्यायपालिका बिना वजह टांग अड़ा रही है, उसको डिले कर रही है। मैं न्यायपालिका से कहना चाहता हूं कि उसे जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जसवंत सिंह आयोग ने जिस तरह से देश के विभिन्न भागों में खंडपीठ स्थापित करने का सुझाव दिया था, उसको लागू करना चाहिए। राज्य सरकारें चाहती हैं, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब नहीं चाहते इसलिए वे रुक जाती हैं। इसलिए वे भी जनभावनाओं के अनुरूप चलें और उन्हें संविधान की स्प्रिट के अनुरूप चलना चाहिए, जिससे वादकारियों को सस्ता न्याय ठीक प्रकार से मिल सके। उन्हें उदारीकरण का दृष्टिकोण लाना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे यहां हाई कोर्ट में बड़ा बैकलाग पड़ा है। मुकदमे समय पर सैटल नहीं हो पाते और लोग प्रैक्टिकली न्याय से वंचित हो जाते हैं।

उपभोक्ता न्यायालयों की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उनकी संख्या बढाई जाए। उनकी जो पीठ हैं, उनके सदस्यों की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं, जिससे हाई कोर्ट में न जाना पड़े और वहीं पीठ के अंदर लोगों को, उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके।

लोअर ज्यूडिशरी के सदस्यों की सेवाओं और वेतन में सुधार किया जाना चाहिए। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की चिंता तो कर लेते हैं, लेकिन लोअर ज्यूडिशरी की चिंता नहीं कर पाते, जबकि उनकी हालत काफी खराब है। जजों को सेवा निवृत्ति के बाद जितनी तनख्वाह देनी है, वह दे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पोलिटिकल एक्टीविटीज में आने से उनको रोकना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि ज्यूडिशरी को किसी प्रकार से कोई सत्ताधारी दल या विपक्षी दल प्रभावित नहीं कर सकेगा, कोई मन में वैराग्य या अनुराग का भाव पैदा नहीं होगा। यह न्यायपालिका के अंदर गरिमा और विश्वास बनाने के लिए बहुत आवश्यक है।

मैं एक बात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी कहना चाहूंगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि नाम तो पब्लिक इंटरेस्ट का होता है, लेकिन एक-दो पक्ष को सुनकर वे अपना पक्ष रख देते हैं और जनसामान्य का पक्ष नहीं रखा जाता है। इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर पब्लिक का उत्पीड़न हो जाता है। ताज ट्रिपीजियम के मामले में, ताजमहल को पर्यावर्णीय प्रदूषण से बचाने के नाम पर यही स्थिति बनी है। वहां पर जो रिट पीटिशन फाइल की गई, उसमें कुछ मांग मानी गईं और बाद में किसी ने बहस कर दी, उसके अनुरूप जो वास्तविक रिट पीटिशन थी, उसके कंटेंट्स में और फैसले में कोई तालमेल नहीं है। इस कारण वहां सारे उद्योग-धंधों को चौपट करने की तैयारी की घोषणा कर दी गई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोर्ट एक बार कोग्नीजेंस लेती है किसी लिटिगेशन में, तो उसके बाद पब्लिक एटलार्ज को यह मौका हो कि वह उसके अंदर हस्तक्षेप कर सके, अपना पक्षकार बनाकर अपना पक्ष रख सके, जिससे इंटरेस्ट के नाम पर उसके उत्पीड़न की शुरूआत न हो सके।

कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिससे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो फैसले होते हैं, उनकी अनुपालना एक्जीक्यूटिव ने ठीक प्रकार से की है या नहीं, इस बात को देखा जाए, स्क्रूटनाइज किया जाए। होता यह है कि फैसले हो जाते हैं, मुझे याद है 1984-85 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में यमुना रिवर में प्रदूषण के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की। वहां से वर्डिक्ट हो गया कि सरकार रोके, लेकिन सरकार ने आज तक उसकी परवाह नहीं की। हालांकि बाद में जब मैं यहां संसद सदस्य चुनकर आया तो मैंने उस मांग को उठाया। उसका कुछ असर हुआ, यमुना कार्य योजना बनी तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर उस वक्त जो फैसला दिया था, उसका क्या हुआ। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जहां सुप्रीम कोर्ट भी मानिटरिंग करे। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्शन प्लान के खिलाफ और ताज ट्रिपीजियम के मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने ऐसे फैक्ट्स दिए जो सुप्रीम कोर्ट के तथ्यों के विपरीत हैं, गलत हैं। उन्हीं के आधार पर सारा मुकदमा चल रहा है। राज्य सरकार जो पक्ष रख रही है, उसमें कितनी विश्वसनीयता है, कितनी तार्किकता है, कितनी सत्यता है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन और सहूलियतें बढ़ाने का यह बिल है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

जजों की सुख-सुविधाएं और सहूलियतें बढ़ानी चाहिए लेकिन बहाली की जो प्रक्रिया है, हम देखते हैं कि किसी चीज के चुनाव में हम लोग, वोट से जीतकर आते हैं अथवा कमीशन से भी बहालियां होती हैं, परीक्षाएं होती हैं लेकिन जजों की बहाली, जिसमें पैरवी से बहाली होती है। उसमें जज जो होते हैं, उनके खानदान तक एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरी बहाली होती है, इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि संविधान में इस तरह का प्रावधान और संशोधन किया जाए कि जजों की बहाली में भी मेधा के आधार पर अथवा जैसा राधाकृष्णन जी ने कहा था, उसके आधार पर उनकी नियुक्तियां हों और सारी नियुक्तियों में हम देखते हैं कि आरक्षण लागू है तो जजों की नियुक्तियों में आरक्षण क्यों नहीं लागू हो सकता ? इसलिए मेरा कहना है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन होना चाहिए और उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और दलित आदि के लिए आरक्षण की जो सब लोग मांग कर रहे हैं, जजों की बहाली में भी प्रावधान होना चाहिए।

ज्यूडिशियल एक्टिविज्म समाप्त होना चाहिए। पब्लिक लिटिगेशन, पी आई.एल. जो पब्लिसिटी लिटिगेशन हो गया है, बंद होना चाहिए और ज्यूडिशियल एक्टिविज्म बंद होना चाहिए। ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कोर्ट्स में जो मामले लम्बित हैं, न्याय मिलने में विलम्ब होना न्याय से वंचित करने समान है वाली जो बात है, जो देर होती है, उसे सुधारने का प्रबन्ध होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

इसकी देखभाल करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक को भी यह राइट होना चाहिए, उसका कोई नियम बना दिया जाए। पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक एट लार्ज का रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकेगा, उस प्रकार से उस प्रक्रिया के अन्तर्गत यह काम होना चाहिए।

फाउंडरीज को बंद किया गया लेकिन फाउंडरीज एसोसिएशन, आगरा की चिल्लाती रही कि हमें बंद किया जा रहा है। हमारी भी दरख्वास्त सुन लीजिए लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया। मैंने एक उदाहरण के लिए यह बात कही, इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया बनाकर यह व्यवस्था की जाए।

अंत में, मैं एक बात और कहूंगा कि युवा अधिवक्ताओं और गरीब लोगों के हितों के लिए शासन को भी व्यवस्था बनानी चाहिए और हाई कोर्ट के जजों को भी यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से गरीब लोगों को न्याय मिल सके और युवा अधिवक्ता, जिनमें बड़ी भारी बेरोजगारी है, उनके हितों को संरक्षण देने के बारे में हम सोचें और उसे न्याय प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर, उनके हितों का संरक्षण करके किस प्रकार की प्रक्रिया बनाई जाए, इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : माननीय सभापति महोदय, मुझे भी कुछ समय के लिए कानून मंत्री बनने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था और मुझे विश्व के अन्य भागों की तुलना में भारत के न्यायाधीशों विशेषकर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों पर काम का इतना अधिक बोझ देखकर आश्चर्य हुआ था। उदाहरण के लिए, अमरीका के उच्चतम न्यायालय में वर्ष भर में न्यायाधीशों ने केवल 200 मामलों की सुनवाई की, और जो वकील मामले के पक्ष तथा विपक्ष में बोलते हैं वह 20 मिनट से अधिक नहीं बोल सकते हैं और वादी को अन्त में प्रतिवाद के लिए दस मिनट दिए जाते हैं। यहां न्यायाधीश प्रतिदिन 200 मामलों की सुनवाई करते हैं और उन्हें मौखिक बहस सुननी पड़ती है जो कि बहुत लम्बी होती हैं और इसलिए मुझे आज उन न्यायाधीशों के साथ पूर्ण सहानुभूति है जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हैं और उन्होंने निश्चय ही भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और उसकी जड़ें मजबूत करने में काफी योगदान दिया है।

अपराह्न 5.00 बजे

यदि आज मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो गया है, तो इसका श्रेय न्यायपालिका को जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार न केवल न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाये बल्कि कई न्यायपीठें का गठन करके उनके काम के बोझ को भी कम करे।

पहले भी एक आयोग 'जसवन्त सिंह आयोग' गठित किया गया है। उसका उनके जसवन्त सिंह से कोई मतलब नहीं था, इसकी अध्यक्षता कोई अन्य जसवंत सिंह कर रहा था। यह आयोग पहले ही इस मामले की जांच कर चुका था। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु राज्य को ही लीजिए। वहां उच्च न्यायालय राज्य के एक छोर पर है यानि आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर है। काफी समय से एक न्यायपीठ की स्थापना की मांग चली आ रही है। वास्तव में मैंने कानून मंत्री के रूप में वर्ष 1990 में पत्र-व्यवहार आरम्भ किया था और आज तक भी इसकी स्थापना नहीं की जा सकी है। मुझे नहीं मालूम कि क्या समस्या है और कानून मंत्री इस मांग को कार्यान्वित क्यों नहीं कर सके कि राज्य के मध्य में एक न्यायपीठ की स्थापना की जानी चाहिए। लोगों को काफी लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, उदाहरण के लिए, लोगों को अपने मामलों के लिए कन्याकुमारी से चेन्नई तक जाना पड़ता है। महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, जिसका उच्च न्यायालय जबलपुर में होने पर भी लोगों को काफी लम्बी यात्रा करके वहां पहुंचना होता है।

मुझे नहीं मालूम कि ऐसी क्या बात है जो कि उन्हें न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए रोकती है। निश्चय ही मैं इस बात को समझता हूं कि यदि न्यायपीठ की स्थापना की गई तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के कार्य पर असर पड़ेगा और उनकी आय कम हो जाएगी। लेकिन, हमें ऐसा ही करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मदुरै के विशेष संदर्भ में मुझे बतायें कि इस कार्य को मूर्त रूप देने में सरकार क्यों असमर्थ है ?

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि यहां कानून लिखे जाते हैं और न्यायाधीश केवल उसकी व्याख्या कर सकते हैं और यह देख सकते

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

हैं कि क्या यह संविधान की रूप-रेखा के भीतर है। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है कि जो लोग लम्बे अरसे तक किसी राजनीतिक दल में होते हैं उन्हें न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। मेरे विचार में ऐसा कानून होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में 3 या 5 वर्ष तक होता है, उसे न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य में, फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक दल के सदस्यों को विशेष अदालतों का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है और इससे इस बात की गंभीर शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या न्याय मिल सकेगा। मेरे विचार में इसमें संशोधन आवश्यक है। . . .*(व्यवधान)* इसमें उनको क्या कठिनाई है ?. . .*(व्यवधान)* ऐसा करने से उन्हें इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि वह ऐसा कर रहे हैं और वह दोषी हैं।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें।

(व्यवधान).

सभापति महोदय : 'अपराधी' शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग न करें।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू (दक्षिण मद्रास) : उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को स्थानान्तरित कर दिया। यह केवल डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के कहने पर हुआ है।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, कृपया केवल अपने सुझाव दीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं केवल अपने सुझाव दे रहा हूं लेकिन वह भड़क गए हैं। इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यह है कि वह ऐसा कर रहे हैं. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : महोदय यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय और राष्ट्रपति के सुझाव के बाद यह सर्वविदित हो गया है। नौ माननीय न्यायाधीशों ने एक सर्वसम्मत निर्णय लिया है। माननीय सदस्यों को यह भलीभांति ज्ञात है कि न्यायाधीशों के स्थानान्तरण और उनकी नियुक्ति के लिए कौन कदम उठाता है।. . .*(व्यवधान)* वह कहते हैं कि इसके लिए विधि मंत्री उत्तरदायी है। यह विधि मंत्री पर अति व्यापक टिप्पणी है। वह कह रहे हैं कि ऐसा मैं कर रहा हूं।. . .*(व्यवधान)* उन्हें इसे बदलना होगा।. . .*(व्यवधान)* आप जो चाहते हैं वैसा करने के लिए मुझे कुछ शक्तियां दीजिए।. . .*(व्यवधान)* इसलिए केवल टीका-टिप्पणियां करना अच्छी बात नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, अब कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं केवल यह कह रहा था कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो भी पांच वर्ष से ज्यादा किसी एक राजनीतिक दल का सदस्य रहा हो, वह न्यायाधीश न बन सके।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह भविष्य के लिए अच्छा सुझाव है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी परम्परा रही है कि यदि आपको अपने राजनीतिक विरोधी को परेशान करना हो तो आप एक विशेष न्यायालय का गठन कीजिए और विशेष अदालत के न्यायाधीश के रूप में किसी पार्टी कार्यकर्त्ता को नियुक्त कर दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : यह तमिलनाडु के लिए नई बात नहीं है। ऐसा पूरे भारत में होता है।

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें। वह नहीं मान रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं केवल सामान्य टिप्पणी कर रहा था।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह ली। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं केवल सामान्य टिप्पणी कर रहा था। मैं समझ रहा था कि वे इसका स्वागत करेंगे।

**

इसलिए मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि मदुरै पर विशेष ध्यान देते हुए मंत्री महोदय को खण्डपीठों के बारे में उत्तर

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

देना चाहिए; और दूसरी बात, उन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिए क्या वे इस आशय का कोई कानून लाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का पांच वर्षों से अधिक सदस्य रहता है तो वह न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय आपसे पहले अध्यक्षपीठ पर विराजमान सभापति महोदय ने टिप्पणी की थी कि – मैंने प्रश्न किया था – क्या विदेशी मंत्री इराक की परिस्थिति पर वक्तव्य देंगे। उन्होंने एक टिप्पणी की थी – यह एक प्रकार का निर्णय है – कि नियम 377 के अंतर्गत उठाए जाने वाले मामलों के बाद विदेशी मंत्री एक विस्तृत वक्तव्य देंगे। इसीलिए अब सभा के समक्ष यह कार्य है।

उन्होंने यह टिप्पणी की थी। आप कार्यवाही वृतान्त देख सकते हैं। मैंने यह प्रश्न किया था। इसलिए अब श्री जसवन्त सिंह को आकर वक्तव्य देना चाहिए। अपने देश की स्थिति को अनदेखा करते हुए अमेरिका ने इस असभ्यता और गुण्डागर्दी का प्रदर्शन किया है।

यह टिप्पणी उनकी थी कि विदेश मंत्री द्वारा एक विस्तृत वक्तव्य दिया जाएगा। सभा के समक्ष अब यह कार्य है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सरकार से कुछ कहने का अनुरोध करता हूं *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था कि *(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही-वृत्तान्त में है *(व्यवधान)* यदि श्री आडवाणी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं तो यह अच्छी बात है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने सरकार से अनुरोध किया है; वे वक्तव्य देंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : माननीय गृह मंत्री को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। अध्यक्षपीठ ने टिप्पणी की थी कि नियम 377 के अंतर्गत उठाए जाने वाले मामलों के बाद एक व्यापक वक्तव्य दिया जाएगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं उस समय वहां पर था *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस वक्त आपकी गैर हाजिरी में कहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सुबह जिस समय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे नहीं लगा कि उस वक्तव्य के बाद कुछ और कहने की जरूरत है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफद्दीन सोज : मैंने इस मामले को उठाया था और सभापति ने ऐसा कहा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं जानता। मैं इस बात से अवगत नहीं हूं।

सभापति महोदय : मैं आपकी टिप्पणी को सम्प्रेषित कर दूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब यह हो रहा है। उन्होंने कहा था कि नियम 377 के अंतर्गत उठाए जाने वाले मामलों के पश्चात् विदेश मंत्री विस्तृत वक्तव्य देंगे।

सभापति महोदय : अब निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में है।

सभापति महोदय : इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे। अब श्री विधि मंत्री बोलेंगे।

डा० एम० तम्बी दुरई : सभापति महोदय, सभा के समक्ष विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए रखा गया विधेयक, सामान्य विधेयक है।

पिछले सत्र में हमने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की थी। इस आधार पर उनकी पेंशनों में वृद्धि करने वाले अध्यादेश को भी हमने प्रख्यापित किया था। इस संबंध में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। यह सामान्य प्रकृति का है।

जब हमनें न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की थी उसी अनुपात में हमने न्यायाधीशों की पेंशन में भी वृद्धि की थी। दूसरे यह किराए के संबंध में भी है। आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली और अन्य शहरों में मकानों के क्या किराए हैं ? इसीलिए किराए को बढ़ाने के लिए मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष लाया हूं।

जब सदस्यगण अपने विचार प्रकट कर रहे थे उस समय श्री मोतीलाल वोरा ने वर्तमान न्यायिक प्रणाली, देश में व्याप्त परिस्थितियां न्यायपालिका के संबंध में आम आदमी के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, इस पर अपनी चिन्ता दर्शाने लगे थे।

आरम्भ में मैं माननीय सदस्यों को विधेयक को पूर्ण समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भविष्य में न्याय विभाग द्वारा नीतिगत योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को उपयोग में लाया जाएगा। वाद-विवाद के दौरान श्री मोतीलाल वोरा, श्री अजय चक्रवर्ती, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री चन्द्रशेखर साहू, प्रो० कुरियन, प्रो० जोगेन्द्र कवाडे, श्री पी०सी० गहलोत, श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन, श्री के० रोसैया, श्री एस०पी० जैन, श्री टी०आर० बालू, श्री बी०एम० मेनसिंकाई, प्रो० अजीत कुमार मेहता, श्री मल्लिकार्जुनय्या, श्री वारकला राधाकृष्णन, प्रो० सैफुद्दीन सोज, श्री के० बापीसजू, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी और अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कतिपय मुद्दों को उठाया। चर्चा के दौरान जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया वह प्रमुख रूप से मामलों के लम्बित रहने, न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की कमी, न्यायालयों का आधुनिकीकरण और न्यायपालिका को अवसंरचनात्मक सुविधायें प्रदान किया जाना, जनहित याचिकाओं द्वारा कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का कथित हस्तक्षेप, भारत के तीन विभिन्न स्थानों में उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठों की स्थापना, कम से कम राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालयों

[डा० एम० तम्बी दुरई]

की खण्डपीठों की व्यवस्था किया जाना, केन्द्र सरकार द्वारा न्यायपालिका के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन में संशोधन और अन्य सुविधाओं को प्रदान किए जाने पर ध्यान दिया जाना, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, न्यायपालिका के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएं और आवास प्रदान किया जाना, लेखन-सामग्री उपलब्ध कराए जाने सहित न्यायालय कक्षों की स्थिति में सुधार लाना, झूठे साक्ष्य के लिए दण्ड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानान्तरण नीति की समीक्षा, शीघ्र और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना, न्यायपालिका द्वारा आत्म निरीक्षण और सेवानिवृत्ति विशेषकर राजनीति को अपनाने के पश्चात् न्यायाधीशों के पुनर्नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाना इत्यादि से संबंधित थे।

इन मुद्दों के अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों ने विधि मंत्री के रूप में मेरे कार्यकरण पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मैं न्यायाधीशों का स्थानान्तरण कर रहा हूं और कतिपय कारणों के चलते मैं वकीलों की नियुक्ति कर रहा हू। मैंने बीच में जो कुछ कहा उसे पुन: दोहराना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मेरी शक्ति सीमित है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि एक क्लर्क के समान उच्चतम न्यायालय की अधिशासी समिति द्वारा दिए गए परामर्शों को संबंधित प्राधिकारियों तक पहुंचाता हूं। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष तथ्यों को रखना चाहता हूं। संसद को कुछ शक्ति तभी मिलेगी जब सांसद आगे बढ़कर न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन करेंगे। ऐसा केवल आपके माध्यम से किया जा सकता है। फिर उस प्राधिकार को सम्बद्ध मंत्री को सौंपा जा सकता है क्योंकि मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में कुछ बदलाव करने के बारे में कहा। उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हम उनके बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। हमें इन वर्गों की आकांक्षाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा ही माननीय राष्ट्रपति जी ने दो सप्ताह पहले एक सम्मेलन में कहा था, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। हमारे समुदाय के 25 प्रतिशत के लगभग लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों से संबंध रखते हैं।

उन्हें न्यायिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। मैं यहां कही गई सभी बातों को आपके सम्मुख रख रहा हूं। मैं सम्बद्ध अधिकारियों, जिन्हें निर्णय लेना है को यह सभी बातें बता दूंगा। मैं तो बस यही कर सकता हूं। निर्णय लेने का काम उनका है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में वचन दिया है कि हम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करेंगे। यह सत्य है और हम उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम उसका समर्थन करते हैं।

डा० एम० तम्बी दुरई : यदि सभी सदस्यों की यही भावना है तो मैं इसे केबिनेट में पहुंचा दूंगा और इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराऊंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पूरा सदन इस पर एकमत है।

डा० एम० तम्बी दुरई : विभिन्न नेताओं ने भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर यही विचार व्यक्त किए थे। ज्यादातर सदस्यों ने महसूस किया था कि इस संदर्भ में हमें कुछ करना चाहिए। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

अब, मैं सरकार द्वारा उसमें पाई गई त्रुटियों का हल ढूंढने अथवा उन्हें दूर करने के लिए किये गए अन्य उपायों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

सरकार मामलों के निपटान में होने वाले विलम्ब के कारण मुकदमा करने वाले लोगों को होने वाली कठिनाईयों से अवगत है। 1993 में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस संदर्भ में कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में नागरिक प्रक्रिया संहिता ओर दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों की संख्या में वृद्धि, लोक अदालतों को सांविधिक आधार का प्रावधान, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अध्याय III के प्रावधानों का विस्तार करने के पश्चात् उसे सिविल (नागरिक अदालतों) कोर्ट की शक्तियों को प्रदान करना, विशेष न्यायिक म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और झगड़ों के निपटान के लिए अन्य वैकल्पिक और स्थानीय उचित उपायों को अपनाना शामिल है।

इनके अतिरिक्त, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे विधि की समान समस्याओं वाले मामलों के ग्रुप बनाना और वर्गीकरण करना, विशेषीकृत खण्डपीठ की स्थापना करना, रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करना आदि। उच्च न्यायालयों ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे मामलों को बार-बार स्थगित न करें। श्री वोरा ने मामलों के बार-बार स्थगन करने के संबंध में यह कहते हुए मुद्दा भी उठाया है कि न्यायाधीश जब और जैसे चाहते हैं मामले को स्थगित करा देते हैं जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा करने वाले लोगों को काफी भुगतान पड़ता है। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे बार-बार मुकदमों को स्थगित न करें। हम इसके लिए विशेष अनिवार्य शर्त भी लगाने जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या जहां 31 दिसम्बर, 1991 को 1,04,936 थी, वह घटकर 1 मई 1998 को 19,561 हो गई है। यद्यपि उच्च न्यायालयों में मामलों के निपटान में वृद्धि हुई है तथापि उनमें बकाया मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि मुकदमों का ढंग बदल गया है। उच्च न्यायालय में 31.12.93 को 26.51 लाख मामले लम्बित पड़े थे जो अब 31.12.1997 को बढ़कर 31.5 लाख हो गए हैं। यदि आप प्रमुख न्यायालयों को लें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या 8,65,455 है, मद्रास उच्च न्यायालय में यह संख्या 3,20,619 और कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2,82,290 तथा केरल उच्च न्यायालय में यह 2,50,261 है।

श्री के०एस० राव (मछलीपत्तनम) : आप राज्यों में भी खण्ड पीठ क्यों नहीं स्थापित करते जिससे लम्बित पड़े मामलों की संख्या कम होगी ? *(व्यवधान)*

डा० एम० तम्बी दुरई : आपने उत्तर भी दे दिया है। श्री स्वामी ने जसवन्त सिंह आयोग के बारे में बताया था। हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद ही हम कोई कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री टी०आर० बालू : क्या आपको अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

डा० एम० तम्बी दुरई : इसमें कुछ विवाद है। सदस्य कह रहे हैं कि वे स्थायी न्यायपीठ चाहते हैं। प्रस्ताव केवल सर्किट बेंच के लिए है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर मुझे एक प्रस्ताव सर्किट बेंच के लिए प्राप्त हुआ है। यदि सदस्य इससे सहमत है तो हम आगे कार्यवाही करेंगे *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : माननीय मंत्री जी आप हर सप्ताह तमिलनाडु आते-जाते हैं। आप उनसे वार्तालाप क्यों नहीं करते और इस काम को पूरा क्यों नहीं कराते ? यह आपके हित में ही है। क्या आप मदुरै में न्यायपीठ स्थापित करने के इच्छुक नहीं हैं ?

डा० एम० तम्बी दुरई : मैंने पत्र लिखे हैं। मेरे पूर्व मंत्री द्वारा प्राप्त उत्तर के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने महसूस किया है कि मदुरै क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। यह उनके उत्तर के अनुसार है। अत: वे यह करने के इच्छुक नहीं हैं। राज्य सरकार को मद्रास के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मांगी गई सभी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, तभी इसे किया जा सकेगा *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, दलगत भावना से ऊपर उठकर हम सब इस मामले पर एकमत हैं *(व्यवधान)* हम तमिलनाडु में मदुरै में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने में अत्यन्त इच्छुक हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आप भी राज्य सरकार से बातचीत क्यों नहीं करते *(व्यवधान)* विधि मंत्री वहां जा सकते हैं और राज्य में लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है ?

डा० एम० तम्बी दुरई : मैं बातचीत करना चाहता हूं लेकिन वे दस किलोमीटर दूर रहते हैं, मैं उनसे बातचीत नहीं कर सकता। इस प्रकार वे समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : मंत्री महोदय, तमिलनाडु में मदुरै में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं।

श्री सी० गोपाल (अर्कोनम) : आप स्थिति समझने की हालत में नहीं हैं *(व्यवधान)*

डा० एम० तम्बी दुरई : मैं सदन के साथ-साथ श्री बालू और डा० स्वामी सहित माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हम तुरन्त कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह कहते हुए पत्र लिखें कि राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं पर्याप्त हैं। हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

श्री टी०आर० बालू : आप मंत्री हैं आपको इसमें राजनीति का खेल नहीं खेलना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से जवाब दे रहे हैं ?

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय अभी हम मदुरै न्यायपीठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार केरल से भी मांग आई है। केरल राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम में फाइल करने की सुविधाओं सहित खण्ड न्यायपीठ का अभाव भी है। क्या सरकार त्रिवेन्द्रम में न्यायपीठ स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री विजय शंकर (मैसूर) : महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कर्नाटक के बारे में भी कुछ कहें।

डा० एम० तम्बी दुरई : मैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश कर्नाटक सहित सभी राज्यों के बारे में कहूंगा।

श्री मोती लाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, माननीय विधि मंत्री ने कहा है कि जसवन्त सिंह आयोग ने रायपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यायपीठ है ही नहीं। हमने भोपाल में सर्किट बेंच की स्थापना के लिए अनुरोध किया था। कृपया उसपर विचार कीजिए।

डा० एम० तम्बी दुरई : मैं तो देश के सभी भागों में या तो सर्किट बेंच अथवा स्थायी न्यायपीठ स्थापित करना चाहता हूं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। हम इस संबंध में सभी उपाय कर रहे हैं। यदि उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्य सरकार से हमें प्रस्ताव भेजा जाता है तो हम सभी कदम उठाएंगे। कुछ राज्यों में पहले ही कुछ विवाद चल रहा है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार ने कुछ स्थानों का चयन किया था। फिर उनकी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं। उन्होंने एक स्थान के रूप में मेरठ का सुझाव दिया था लेकिन आगरा के लोगों ने उसका विरोध करना आरंभ कर दिया। यहां-वहां कुछ आंदोलन हो रहे थे। वह केन्द्र सरकार पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं। हम स्थानीय मामलों को सुलझाने की स्थिति में नहीं हैं। यह मामले राज्य सरकारों द्वारा ही सुलझाए जाने चाहिए। यदि वह प्रस्ताव भेजते हैं तो निश्चय ही हम सर्किट बेंच अथवा स्थायी पीठ की स्थापना करने के लिए सभी संभव कदम उठायेंगे। सरकार का यह उद्देश्य है। हम इस संबंध में सभी कदम उठा रहे हैं। कर्नाटक में भी यही समस्या चल रही है वहां कुछ लोग स्थान बदले जाने पर विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। जो कुछ भी श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है वह सही है कि कुछ स्थानीय समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें समस्या का समाधान करने दीजिए। मैं केवल इस तरह के स्थायी, सर्किट बेंच की स्थापना ही नहीं चाहता बल्कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायपीठ की भी स्थापना चाहता हूं। मैं इस पक्ष में हूं। लेकिन पहल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही की जानी चाहिए। यदि ऐसा प्रस्ताव आता है तो मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा।

अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या जो कि 31.12.95 को 2.18 करोड़ थी वह 31.12.1997 को घटकर 2 करोड़ हो गई है। हमारे पास अधनस्थ न्यायालयों के स्तर पर लम्बित मामलों की संख्या अभी भी करोड़ों में है। हम इसकी संख्या में कमी लाने

[डा० एम० तम्बी दुरई]

के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने पहले ही सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन के लिए न्यायिक सुधार संबंधी एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो कि कष्टप्रद और बेकार मुकदमों को निपटाने के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त विधेयक में किसी मामले में एक पक्ष को तीन बार से अधिक स्थगित किए जाने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान भी है। हम इस विधेयक को पेश करना चाहते हैं। इस विधेयक पर गृह संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में दण्ड प्रक्रिया संहिता के व्यापक संशोधन के लिए सिफारिश की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 को राज्य सभा में पेश किया गया था जिसमें मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनेक उपाय विनिर्दिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त 154वीं रिपोर्ट में जांच एककों के लिए एक पृथक और विशेष संवर्ग की स्थापना के संबंध में भी विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि समय पर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। यह कुछ उपाय हैं जो हम कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं लोक अदालतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अधिकतर सदस्यों ने आम आदमी को मुफ्त कानूनी सुविधा दिए जाने की मांग की है। यह लोक अदालत का उद्देश्य है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के कार्यान्वयन से विश्वासजनक और मैत्रीपूर्ण कोशिशों द्वारा झगड़ों के वैकल्पिक समाधान के लिए लोक अदालतें एक प्रभावी प्रणाली साबित हुई हैं। हमने इस संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। लोक अदालतों को सांविधिक आधार प्रदान किया गया था और अब उन्हें सिविल न्यायालय के अधिकार भी दिये गये हैं।

निर्धनों ओर जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करके, 1987 का अधिनियम सस्ता न्याय दिलाने की दिशा में एक नया कदम है। वर्ष 1997-98 में 9352 लोक अदालतें थीं और 9,45,090 मामले निपटाए गए थे।

जहां तक कि उच्च न्यायालय में और न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है, न्यायालयों में न्यायाधीशों के 31 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है और अब न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में अभी पुनर्विचार होना है।

उच्च न्यायालयों में टैलेक्स, फैक्स, इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों इत्यादि जैसे विभिन्न आधुनिक उपकरण पहले ही दे दिए गए हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों और राज्य-सरकारों ने यह सूचित किया है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों को चरणबद्ध तरीके से इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर और फोटो कॉपी मशीनें प्रदान कर रहे हैं। देश में न्यायालय को कम्प्यूटरों द्वारा आधुनिक बनाने और प्रभावी बनाने के लिए हमने अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं और हम उन सब बातों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब तक लगभग 253 जिला न्यायालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इससे मुकदमा लड़ने वालों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।

अगस्त, 1998 में मेरे द्वारा भेजे गए पत्र के उत्तर में उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि वह मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पहले ही यह कदम उठा रहे हैं।

(क) मामलों का अधिक व्यावहारिक वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण;

(ख) जहां तक संभव हो सके, एक खास दिन सुनवाई के लिए उठाए जाने वाले नियत मामले उसी दिन सूचीबद्ध किए जाएं;

(ग) जिन मामलों में कमियां हैं, उनको एकत्रित न किया जाए;

(घ) पुराने लंबित विविध मामलों के लिए अधिक और पर्याप्त समय देना ताकि उन्हें क्रमबद्ध रूप से सूचीबद्ध किया जा सके।

(ङ) कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा रजिस्ट्री स्टाफ के प्रशासन और कार्य शक्ति को प्रभावी बनाना।

इसके साथ-साथ, लम्बित मामलों में कमी 1996 की जनहित याचिका (सिविल) संख्या 112ख में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1.5.1996 के अपने विनिर्णय में दिए गए निर्देशों के कारण दिखाई दे रही है जिसमें दो तथा दो वर्ष से अधिक लम्बित मामूली अपराधों वाले मामलों को बंद करने के लिए कहा गया था जिन पर अभी कार्यवाही आरंभ नहीं हुई थी तथा यातायात संबंधी और मामूली मामलों के निपटान के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 और 18 के अंतर्गत विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के कारण भी मामलों में कमी आई है।

मुझे सभा के सदस्यों को यह सूचित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। मेरा मंत्रालय रिक्तियों को भरने के संबंध में उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार करता रहा है। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकतर रिक्तियां संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जा रही हैं जहां उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि भी होते हैं। जहां तक कि हमारे राजतंत्र में निरीक्षण तथा नियंत्रण प्रणाली और उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने वाली जनहित याचिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि केवल सम्मान्नीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को सीमित करके ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। जहां तक कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का संबंध है, मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। कुछ राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। जहां तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित स्थानांतरण नीति का संबंध है, इस मामले को उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में शामिल किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नियुक्त और स्थानान्तरित किया जाता है और 28 अक्तूबर, 1998 को राष्ट्रपति के अनुरोध पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए विनिर्णय में है।

जहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के और न्यायपीठों की स्थापना का संबंध है, इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी प्रस्ताव आएगा, सरकार सभी संभव कदम उठाएगी।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करवाने की कोशिश की।

मैं शेट्टी आयोग के संबंध में भी उल्लेख करना चाहता हूं जो कि अधीनस्थ न्यायिक आयोग के लिए वेतनमानों इत्यादि के संबंध में पहले ही अपनी विभिन्न सिफारिशें देने जा रहे हैं, जिन पर सरकार को विचार करना है।

अत: मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह तहे-दिल से विधेयक का समर्थन करें।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : उच्चतम न्यायालय के न्यायपीठों के गठन के संबंध में क्या हुआ ?

डा० एम० तम्बी दुरई : वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को प्रस्ताव देना है। जैसे प्रस्ताव प्राप्त होगा, हम उस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

डा० एम० तम्बी दुरई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.35 बजे

विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

सभापति जी, यह विस्फोटक पदार्थ विधेयक या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जो मूल कानून है जिसके अधीन देश में विस्फोटक पदार्थों का नियमन होता है, वह आज से 90 साल पहले बना था। 1908 का यह विधेयक है ओर इन 90 सालों में वैज्ञानिक प्रगति बहुत हुई है। वह वैज्ञानिक प्रगति मानवता के हित के लिए भी होती है और अहित के लिए भी होती है। जो वैज्ञानिक पदार्थ नए-नए निकले हैं उनमें से कुछ बहुत भयंकर रूप के हैं जिनका अनुभव इस देश में पिछले कुछ सालों में आतंकवादियों के माध्यम से किया गया है। मैं अगर उनमें से कुछ का नाम ले लूं—आर.डी.एक्स., जिसका अर्थ है रिसर्च डिवेलपमेंट एक्सप्लोसिव। दूसरा है पी.ई.टी.एन. जिसका अर्थ है—पेंटा ऐरीथ्रिटॉल टैट्रा नाईट्रेट और तीसरा है एच.एम.एक्स. यानी हाई मैल्टिंग एक्सप्लोसिव। ये तीन जिनका मैंने नाम लिया है उनका उपयोग देश में आतंकवादी ही करते रहे हैं। इनके अलावा एक और वस्तु का उपयोग करते रहे हैं और वह है रिमोट कंट्रोल डिवाइस। एक्सप्लोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। 1908 के मूल कानून में जो एक्सप्लोसिव सबस्टांस की व्याख्या की गई है उसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

"विस्फोटक पदार्थ" पद के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोटक कारित करने या कारत करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या अनुकूलित या कारित करने में सहायता के लिए अनुकूलित कोई साधित्र, मशीन, उपकरण या सामग्री भी तथा ऐसे किसी साधित्र, मशीन या उपकरण का कोई भाग भी समझा जएगा।

[हिन्दी]

पिछले दिनों में मुख्य मंत्रियों से संपर्क हुआ, डायरैक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, आई.जी. पुलिस और पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, तो सबकी यह राय बनी कि हिन्दुस्तान में सामान्य कार्यों के लिए जो विस्फोटक काम में आते हैं, उनमें ये उपयोग नहीं किए जाते। अगर ये किसी के पास होते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह इनका किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वह गलत कामों के लिए इन विस्फोटकों का इस्तेमाल करता भी है। इसलिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में इस प्रकार के पदार्थों का किसी के पास होना, गंभीर मामला है और उसके लिए सामान्य से यदि अधिक दंड का प्रावधान होगा, तो वह हमें आतंकवादियों के साथ मुकाबला करने में सहायता करेगा।

इस प्रस्ताव पर काफी चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह विधेयक सदन में लाया गया है जिसमें पहली बात की गई है कि अधिनियम में दो व्याख्या की गई हैं। एक तो पहली व्याख्या है ही जिसमें सामान्य विस्फोटक पदार्थ आते हैं और दूसरी व्याख्या में इन विस्फोटक पदार्थों का उल्लेख किया गया है। जिनको हमने कहा है—स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव। उसमें रिमोट कंट्रोल डिवाइस का भी उल्लेख हमने किया

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

है क्योंकि इसका प्रावधान पहले के अधिनियम में है। यह अन्तर कर के इस बात का प्रावधान किया गया है कि पहले के नियम के अनुसार इसमें आजन्म कैद हो सकती है, लेकिन अब जो इसका उपयोग करेगा, तो मृत्युदंड होगा। यह अंतर मोटे तौर पर इसमें किया है। यह छोटा सा विधेयक है, और उसे हमने सदन में पेश किया है। मैं चाहूंगा कि आज सदन इस पर विचार करे और इसको पारित करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय सभापति जी, विस्फोटक पदार्थ संशोधन विधेयक 1998 गृह मंत्री जी ने अभी प्रस्तुत किया है। 1908 के अधिनियम में जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, वे संशोधन धारा दो, तीन, चार और पांच में हैं। जैसा कि हम सब इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोहियों ने जिस प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग करना शुरू किया है, उन प्रयोगों से जहां जन हानि हुई है, सम्पत्ति की हानि हुई है वहां राष्ट्र की अस्मिता को और राष्ट्र की सुरक्षा को भी जबरदस्त खतरा पैदा हुआ है।

अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सामान्य रूप से जो विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले लोग हैं, वे उनका उपयोग पहाड़ों को तोड़ने के लिए, सुरंगों को बनाने के लिए, कहीं नदी के मोड़ को अलग करना है या किसी स्थान पर उसका उपयोग बहुत आवश्यक हो, उन सामान्य कार्यों के लिए जो कि जन हित के कार्य हुआ करते थे, उनके लिए ही इसका उपयोग करने वाले थे। विगत वर्षों में उससे जन-जीवन को किसी प्रकार की हानि कहीं पर भी नहीं देखी गयी। लेकिन आज चाहे पंजाब का मामला हो, आंध्र प्रदेश का मामला हो, आसाम का मामला हो या जम्मू और कश्मीर का मामला हो, आये दिन इन आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आर.डी.एक्स., पी.टी.एन. और एच.एम.एक्स. का उपयोग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। हमारे 1908 के अधिनियम को लगभग 90 वर्ष बीत चुके हैं। दुनिया में विज्ञान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। विज्ञान का उपयोग मानव के विनाश के लिए नहीं बल्कि उसका उपयोग मानव को आगे बढ़ाने के लिए है। दुनिया के कई देशों ने विज्ञान के माध्यम से प्रगति की है और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को हमेशा कहा है कि जो देश विज्ञान और तकनीकी के मामलों में पीछे रहेगा, वह दुनिया के उन विकसित राष्ट्रों के समकक्ष नहीं आ पायेगा। पंडित जी ने यह बात कही थी और देश के महान नेताओं ने समय-समय पर विज्ञान को आगे बढ़ाने की बात कही है। आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान बढ़ा है लेकिन इसके साथ ही दुनिया के तमाम देशों में न केवल हिन्दुस्तान में आतंकवादियों ने जिन विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया है, उसके लिए पूरे देश में चिंता व्यक्त की जा रही है।

अगर हम जम्मू-कश्मीर के मामले को देखें तो आये दिन इस बात की शिकायतें मिलती हैं कि पाकिस्तान की ओर से बहुत से लोग ट्रेंड होकर, शिक्षित और प्रशिक्षित होकर आते हैं। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आदमी प्रशिक्षित होने के बाद कुछ अच्छा काम करेगा लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विनाश के कामों में निरंतर वे व्यक्ति लगे रहते हैं। यदि हमने समय रहते कार्यवाही नहीं की तो आज जो हालत असम की है, आंध्र प्रदेश की है, वही हालत बाकी स्थानों की भी हो सकती है। समय रहते कार्यवाही करना बहुत आवश्यक था। 1908 के अधिनियम में जो चार धाराएं आपने नयी रखी हैं, उन धाराओं को मैंने भी देखा है। मैं समझता हूं कि यह सामयिक हैं। उस वक्त 1908 के अधिनियम में हमने जहां आजीवन कारावास की सजा अथवा 10 वर्ष की सजा की बात कही थी, तो अब स्थिति ऐसी आ गयी है कि उससे वह संभाली नहीं जा रही है। आंतकवादियों के हौंसले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे पदार्थ बनाने वाले लोगों का भेद करना भी बहुत मुश्किल है। उनका विभेद करना भी कठिन है। आखिर वही लोग उनके साथ रहते हैं जैस कि माननीय गृह मंत्री ने कहा कि सामान्य रूप से विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले ऐसा काम नहीं करते। जिनके पास आर.डी.एक्स., पी.टी.एन, और एच.एम.एक्स. प्राप्त हो जाये, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही हो क्योंकि वह जन हित में नहीं है।

वह देश हित में नहीं है, मानव हित में नहीं है और वे देश हित और देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले लोग हो सकते हैं। इसलिए इस अधिनियम में जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और उसमें मृत्युदंड देने का जो प्रावधान दिया है, वह आवश्यक होना ही चाहिए अन्यथा उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा और जब तक भय नहीं रहेगा तब तक वे इस प्रकार के काम में संलग्न रहेंगे। मैं अपने गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

हम कानून बना लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको पालन करने वाले लोग, चाहे राज्यों का मामला हो, उन राज्यों की सरकारों को भी सख्त हिदायतें दी जानी चाहिए कि इसका पालन होना चाहिए अन्यथा कानून तो बन जाएगा, जिनके पास विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं, वे कई मामलों में छूट भी जाते हैं। हम कानून को इतना सख्त बनाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार के पदार्थों को बनाने वाले लोग हिम्मत न कर सकें, साहस न कर सकें और हम देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित करें। जहां तक कठोर दंड देने का सवाल था, उसके बजाए मृत्युदंड देना ही इस अधिनियम में सबसे उपयुक्त प्रावधान होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आपने इस अधिनियम में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जम्मू-कश्मीर उग्रवाद का भुक्तभोगी है। पिछले नौ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में आई.एस.आई. ने, पाकिस्तान ने अपने ट्रेंड लोग जो वहां पर भेजे हैं, कुछ हथियार लेकर आते हैं और कुछ लोग आर.डी.एक्स. इत्यादि लेकर आते हैं। आपको याद होगा, वहां पर हर तरह का प्रोटैक्शन, हर तरह की सर्च करने के बाद भी 26 जनवरी, 1995 को जब हमारे गर्वनर महोदय हमारी सेना की परेड का निरीक्षण कर रहे थे तो मानो उनके पांव

के नीचे से ही किसी ने रिमोट कंट्रोल से एक आर.डी.एक्स. बम का विस्फोट किया था जिससे बहुत सारे जवान मृत्यु को चले गए थे और बहुत सारे जख्मी भी हुए। हमारी पुलिस के बड़े-बड़े सिपाही, ऑफिसर्स की 25 जनवरी, 1992 को, जिस समय डा० मुरली मनोहर जी एकता यात्रा लेकर जा रहे थे, पुलिस के डायरैक्टर जनरल के ऑफिस पर बम विस्फोट हुआ यानी उनका पहुंचना कहां तक संभव था, इसका नतीजा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इस प्रकार का विधेयक लाए हैं। मैं समझता हूं कि यह उन लोगों के लिए, विशेष रूप से जो पाकिस्तान और हमारे ऐडजॉयनिंग देशों से इस तरह के विस्फोटक पदार्थ लेकर आ रहे हैं, डैटरेंट साबित होगा, यह मिलिटैंसी को कर्व करने के लिए, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए एक पोजीटिव स्टैप है परन्तु साथ ही मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आखिर वे लोग बार्डर क्रॉस करके आते हैं, हमारा बार्डर इतना सैन्सिटिव है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मेरे पास उदाहरण है, हमारे होम सैक्रेटरी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि पिछले कुछ वर्षों में 43,000 किलोग्राम आर.डी.एक्स. हमने अपने देश में पकड़ा है। इतनी अधिक मात्रा में दूसरे देशों से हमारे यहां किस तरह से ये चीजें पहुंच रही हैं, इसकी तरफ हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। बार-बार हमने कहा है कि हम अपने बार्डर को सील करेंगे और इसके ऊपर वायर लगा देंगे, लेकिन विशेषकर जम्मू-कश्मीर के अन्दर हम वायर नहीं लगा पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वायर लगाने का जो प्रावधान है, इसकी तरफ भी माननीय गृह मंत्री जी ध्यान दें। साथ ही मैं यह चाहता हूं, पिछली बार भी एक सजेशन आया था कि पांच किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी हम अपने बार्डर के ऊपर खड़ी कर दें, जिसको हम नो मेन लैंड कहें, जिसकी सुरक्षा इस तरह से हो कि कोई भी आने वाला आदमी उसमें से पकड़ा जा सके, देखा जा सके।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं, आम तौर से देखा गया है कि जो लोग आर.डी.एक्स. के लिए पकड़े गये हैं, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गये हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं चलते, अगर केस चलते भी हैं तो वे वर्षों तक चलते रहते हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। हमने तो अपने यहां अनुभव किया है कि हजारों लोग जो पकड़े गये हैं, बाद में या तो वे छूट जाते हैं या उनको किसी तरह की कोई सजा नहीं हो पाती। आपने इसके लिए मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उत्तम चीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप स्पेशल कोर्ट्स बना दें, जो एक लिमिटेड टाइम के अन्दर ऐसे लोगों का ट्रायल करें, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक साल का अर्सा रखा जाये कि एक साल के अन्दर उनको अपना निर्णय करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें कुछ पकड़ में आ सकेंगी। आज हमारे देश के अन्दर आई.एस.आई. ने जिस तरह से जाल बिछाया हुआ है, उसके कारण मैं समझता हूं कि सारे के सारे देश के अन्दर आंतकवाद फैला हुआ है। कोई आदमी सुबह घर से चलता है तो शाम को घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, हमारे क्षेत्र के अंदर तो कम से कम यह बात हमेशा उसके ध्यान में रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा चौरा जी ने कहा है कि इस लॉ का जरा सख्ती के साथ उपयोग होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर आप स्पेशल कोर्ट्स बनाकर इनको ट्रायल करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

जितने भी एक्सप्लोसिव्ज का मूवमेंट होता है, उसको विशेष रूप से देखने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर जैसा बताया गया, हमारे यहां तो बहुत सारे जो भी डैम बनते हैं या पहाड़ों को तोड़कर कहीं सड़क बनाने की बात होती है तो उनमें इन सब का उपयोगा होता है। आज जिस तरह की स्थिति देश के अन्दर बनी हुई है, कहीं भी ये रास्ते में चोरी हो जाते हैं, कहीं भी स्टोर में से ये निकल जाते हैं तो एक इफैक्टिव कन्ट्रोल, जहां कहीं भी हमारे पास एक्सप्लोसिव्ज हैं, उनको हम बिल्कुल इफैक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें, यह भी हमें देखना पड़ेगा।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार फिर मैं यहां इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोग इसके साथ कभी-कभी ह्यूमन राइट्स को जोड़ देते हैं, लेकिन मैं ममझता हूं कि देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके लिए जो भी सख्त से सख्त स्टैप उठाने पड़ें, वे उठाने चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक (मथुरापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने कुछ संशोधन भी दिए हैं।

विधेयक को पेश करते हुए माननीय मंत्री ने कहा है कि यह एक बहुत साधारण विधेयक है। हां यह साधारण विधेयक है क्योंकि मूल अधिनियम में केवल तीन या चार संशोधनों का प्रस्ताव है। किंतु यह साधारण विधेयक नहीं है क्योंकि सश्रम कारावास के स्थान पर मृत्युदंड का प्रस्ताव किया जा रहा है, वर्तमान स्वरूप में विधेयक में बहुत कमजोर परिभाषाएं हैं। विधेयक का आशय आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों के अवैध उपयोग से निपटना है।

1884 का मूल अधिनियम तब प्रस्तुत किया गया था जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था।

उस विधेयक का आशय दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से विस्फोटक पदार्थों के विनिर्माण, कब्जा, प्रयोग, बिक्री, परिवहन और आयात पर नियंत्रण रखने का था। 1984 के अधिनियम में यह प्रावधान था। उस विधयेक का नाम 'विस्फोटक अधिनियम, 1884' था। पुन: 1908 में अंग्रेजों ने एक अन्य अधिनियम अधिनियमित किया जिसका नाम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 था। वह अधिनियम ब्रिटेन के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अनुसार अधिनियमित किया गया था उस विधेयक का उद्देश्य निम्नवत बताया गया था :-

> "इस विधेयक का आशय विस्फोटकों के अवैध प्रयोग से पैदा हो रहे अपराधों पर नियंत्रण करना है।"

ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सारे देश में विशेष रूप से बंगाल में आतंकवाद व स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। उस आतंकवाद, बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन का सामना करने के लिए अंग्रेज इस विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 लाए। इस विधेयक के खंड 17 में 'विस्फोटक' की परिभाषा को अन्य विस्फोटक पदार्थों पर विस्तार किया गया है।

[प्रो० आर०आर० प्रमाणिक]

उस समय आर.डी.एक्स. और टी.एन.टी. नहीं थे। कुछ अन्य उच्च विस्फोट भी नहीं थे। उस धारा 17 में इन विस्फोटकों को सम्मिलित करने का प्रावधान था। क्योंकि विस्फोटक पदार्थ समाप्त नहीं होते हैं।

अब इस विधेयक, जिसे माननीय गृहमंत्री ने पेश किया है, विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा बहुत कमजोर है। विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा के बारे में यह लिखा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :-

"इस अधिनियम में 'विस्फोटक पदार्थ' पद के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री समझा जाएगा।"

अब यदि मैं कहता हूं "राम का घर कहां है ?" और कोई कहता है, "यह श्याम के घर के बगल में है।" जब मैं पूछता हूं, "श्याम का घर कहां है ?" और वह कहता है, "यह राम के घर के बगल में है।" इसलिए आप जिन्दगी भर राम के घर को श्याम के घर की बगल में और श्याम के घर को राम के घर की बगल में कह सकते हैं। किंतु आपको यह नहीं मिलेगा।

इसी तरह 'विस्फोटक पदार्थ' की परिभाषा के बारे में आपने इसे विस्फोटक पदार्थ के अर्थों में परिभाषित किया है। यह किस प्रकार की परिभाषा है ? "विस्फोट पदार्थ" क्या है ? 'विस्फोटक पदार्थ' को विस्फोटक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए यह परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा सटीक होनी चाहिए। कानून में परिभाषा सटीक, सही और निश्चित होनी चाहिए, कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। परिभाषा परम्परागत अर्थों में होनी चाहिए न कि परमाणु अर्थों में।

परम्परागत अर्थ के अनुसार 'विस्फोटक' को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"कोई ठोस, गैस या द्रव्य पदार्थ जिसे जब दागा जाए तो बहुत तेज, स्वयंधारित ऊष्माक्षेपी अपघटन के माध्यम से भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करेगा और दबाव पैदा करेगा।" यह प्रक्रिया है, किंतु इस विधेयक जिसे माननीय गृह मंत्री लाए हैं परिभाषा कमजोर है।

एक पूर्व न्यायाधीश ने हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के हत्या के मामले में एक टिप्पणी की है, विरले मामलों में से सबसे विरले में वह दंड दिया जाना चाहिए। यह टिप्पणी एक न्यायाधीश ने की है। विरले मामले की परिभाषा क्या है ? उससे अधिक विरले मामले' की परिभाषा क्या है ? और 'सबसे अधिक विरले मामले' की परिभाषा क्या है। इसलिए परिभाषा आत्मनिष्ठ है। यह टिप्पणी मैंने नहीं की है यह टिप्पणी एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने की है।

यहां इस विधेयक में भी परिभाषा बहुत अस्पष्ट है।

सभापति महोदय : प्रो० आर०आर० प्रमाणिक कृपया विषय पर आएं।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : महोदय मैं विषय पर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, 'विस्फोटक पदार्थ' की परिभाषा बहुत कमजोर है। अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए ही मैंने सबसे विरले मामले के बारे में पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी का उल्लेख किया है। कानून में आपको परिभाषित करना होगा कि विस्फोटक पदार्थ कौन है– अग्न्यायुध, आतिशबाजी भी *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कोई संक्षिप्त विस्फोटक नहीं है। *(व्यवधान)*

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : इसलिए इसे स्पष्टतया परिभाषित किया जाना चाहिए।

"विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थों के बारे में माननीय गृहमंत्री ने तीन उदाहरण दिए हैं। कई अन्य उच्च विस्फोटक भी हो सकते हैं उदाहरणार्थ, नाइट्रो ग्लीसरीन, नाइट्रो ग्लाइकोल, डी-नाइट्रो टोलून, ट्रिनाइट्रो टोलून, पिक्रिक एसिड, डिनाइट्रो फेनोल, ट्रिनाइट्रो ऐसोरसिनोल, साइक्लो ट्राई मैथीलीन, ट्राई-नाइट्रामाइन आरडीएक्स, पीईटीएन और कई अन्य पदार्थ हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

यह सूची विस्तृत नहीं है। विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ यह होने चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन का समय छः बजे तक का है। यदि सदन सहमत हो तो आधा घंटा इसके लिए समय बढ़ा दिया जाए।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए०वी०एस०एम० (गढ़वाल) : आधा घंटे में इसे समाप्त किया जाए।

सभापति महोदय : जब तक यह बिल पारित नहीं होता है, हम बैठेंगे। सदन सहमत हो तो इस पर विशेष समय नहीं लगेगा।

[अनुवाद]

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : मैं मृत्युदंड के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं परिभाषा के बारे में बोल रहा था। मेरा संशोधन है कि आप को उपखंड (ग)(i) सम्मिलित करना होगा। अधिनियम में विशेष प्रवर्ग का विस्फोट पदार्थ परिभाषित किया गया है। जैसा यहां उल्लेख किया गया है एक विशेष कोटि के विस्फोटक पदार्थ में अनुसंधान विकास विस्फोटक आरडीएक्स सम्मिलित किया गया माना जाएगा। इस सब का उल्लेख अधिनियम में है। मैं विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थों में इन्हें जोड़ना चाहता हूं मैं इस प्रवर्ग में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम भी शामिल करना चाहता हूं।

5 किग्रा० यूरेनियम 235 एक विस्फोटक पदार्थ है अणु बम या हाइड्रोजन बम जिसे हिरोशिमा पर गिराया गया था, यह केवल 5 किग्रा० यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम है। यह केवल 4 या 5 किग्रा० है। वह एक क्रान्तिक द्रव्यमान है। यह पदार्थ विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत आना चाहिए क्योंकि अब कुछ क्रान्तिक अणु बमों

का निर्माण संभव है। अर्थात टीनएनटी के 200 टन न कि किलोटन न मेगाटन न ही हाइड्रोजन के क्रान्तिक, जो क्रान्तिक द्रव्यमान से कम होते हैं छोटे अणु बम जो इस संसद भवन को नष्ट कर सकते हैं। यूरेनियम 235 की अल्प मात्रा यह कर सकती है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। जब अंग्रेजी शासन के दौरान यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तब आरडीएक्स नहीं था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं साइक्लोनाइट–आरडीएक्स, साइक्लो–ट्राइमेथीलीन–ट्राइनिट्रामाइन की खोज हेनरिंग ने 1899 में की थी और इसका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके विस्फोटक गुण का पता 1920 में चला। यह विधेयक 1884 में पारित किया गया था। उस समय आरडीएक्स और पीईटीएन नहीं थे। इसकी खोज विलब्रैंड ने 1891 में की थी। एक समय ऐसा भी आएगा जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम के छोटे अणु बम बनाए जाएंगे। तब फिर इस अधिनियम में संशोधन का प्रश्न उठेगा। इसलिए विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ होने के कारण मैंने संशोधन दिया है जिसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम को भी इस कोटि में शामिल किया गया है।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक और खंड (ग) सम्मिलित किया गया है जिसे परम्परागत विस्फोटक पदार्थ कहा गया है क्योंकि विस्फोट पदार्थ परम्परागत व गैर-परम्परागत पदार्थ दोनों होते हैं। सभापति महोदय जैसे मानव जाति में पुरुष व महिलाएं दोनों शामिल हैं इसी तरह विस्फोटक पदार्थों में परम्परागत विस्फोटक पदार्थ और गैर परम्परागत विस्फोट पदार्थ शामिल हैं।

अब मैं मृत्युदंड के प्रावधान पर आता हूं। अंग्रेजी शासन के दौरान 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को आतंकवाद का सामना करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यदि आप अंडमान जाएं तो आपको वहां सेलुलर जेल मिलेगी। इस जेल के सात स्कन्धों में से तीन आतंकवादियों के लिए बनाए गए थे। अंग्रेज आंतकवादियों से डरते थे। आतंकवादी बन्दूक, रिवाल्वर आदि का प्रयोग करते थे उस समय आरडीएक्स और पीईटीएन नहीं थे। अंग्रेजों ने इस अधिनियम में अंडमान जेल में पांच से 20 वर्ष का सश्रम कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान कर इसे अधिनियमित किया था। सभी कोठरियों में वे भरे रहते थे। जो उस समय गिरफ्तार किए गए थे उनमें से अभी भी कुछ पश्चिम बंगाल में जीवित हैं। आतंकवाद का सामना करने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था।

भारतीय दंड संहिता के अधीन कानून हैं जिनमें निम्नलिखित के लिए मृत्युदंड निहित है :-

1. आजीवन कारावास के अधीन जब किसी व्यक्ति द्वारा हत्या की जाए तो इसे अवश्य दिया जाना चाहिए।

2. भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना इत्यादि। इसलिए आतंकवाद के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। किंतु यहां मृत्युदंड का उल्लेख किया गया है। गृह मंत्री किसे मृत्युदंड देना चाहते हैं ? यहां उल्लेख किया गया है, "कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धतया और विद्वेषतया किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोट पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, वह चाहे क्षति किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुत: हुई हो अथवा नहीं मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा।"

इसलिए यदि कोई विस्फोट होता है और किसी की मृत्यु नहीं होती है फिर भी यदि यह विधेयक अधिनियमित होता है तो इस विधेयक के अनुसार उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा।

आतंकवादियों के लिए एक कानून है जिसके अनुसार मात्र किसी के कब्जे में विस्फोटक पदार्थ होने से वह मृत्युदंड का भागी होगा। एक प्रावधान है कि कब्जा उस व्यक्ति के ज्ञान में होना चाहिए जिसके कब्जे में ये पदार्थ हैं। उदाहरणार्थ यदि मेरी जानकारी के बिना मेरी जेब में कुछ आर.डी.एक्स. रखा जाता है और यदि यह विधेयक अधिनियमित होता है तो मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास आर.डी.एक्स. है। कितना आरडीएक्स है, क्या यह मेरी जानकारी में है और क्या यह मेरे नियंत्रण में इन बातों पर गौर नहीं किया जाएगा।

मैं मृत्युदंड के खिलाफ हूं और मैंने एक संशोधन की सूचना दी है। मैं मृत्युदंड के खिलाफ हूं क्योंकि अंग्रेजों ने भी आतंकवादियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं किया था। उन्हें भी आतंकवाद का सामना करना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मैं कुछ ऐसा उद्धृत करना चाहता हूं जो मैंने नहीं कहा है। 'क्या मौत का डर देशप्रेम की भावना या उन्मत आतंकवादियों, निराश गुरिल्लाओं या कट्टर माफिया के आत्मघाती दस्ते द्वारा आयोजित देशद्रोही कामों को रोक सकता है ?'

यह प्रश्न स्वयं माननीय न्यायाधीश श्री वी०आर० कृष्ण अय्यर ने उठाया था। प्रमुख न्यायाधीश, श्री वी०आर० कृष्ण अय्यर ने मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के लिए बहस की थी। वे विद्यमान मृत्यु दण्ड के विरुद्ध हैं और हमारे माननीय गृह मंत्री विस्फोटक पदार्थों के विशेष वर्ग के लिए एक नया मृत्यु दण्ड ला रहे हैं। विद्यमान मृत्यु दण्ड को समाप्त करने वालों तथा समर्थकों के बीच वाद-विवाद है। इसलिए, श्री अय्यर कहते हैं :

"एक प्रमुख आतंकवादी ने मृत्यु दण्ड समाप्त करने की अपील की है। एक न्यायाधीश के रूप में, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि वर्तमान समय में मृत्यु दण्ड की आवश्यकता नहीं है। परंतु चूंकि भारतीय कानून ने कुछ मामलों में मृत्यु दण्ड देना निश्चित किया है इसलिए वे कानून को बदल नहीं सकते। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि मृत्यु दण्ड कम से कम मामलों में दिया जाए।"

सभापति महोदय : धन्यवाद। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : मैंने एक संशोधन दिया है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं लगातार कह रहा हूं कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : जो कुछ महात्मा गांधी जी ने कहा था उसके बारे में मैं एक अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि केवल भगवान ही जीवन ले सकता है क्योंकि केवल वही जीवन देता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके पास केवल सात मिनट बाकी हैं परंतु आप लगभग 20 मिनट बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : इसलिए, और कोई व्यक्ति जिन्दगी नहीं ले सकता। परंतु अब वे केवल 'विस्फोटक पदार्थ रखने और विस्फोट करने' के लिए मृत्युदण्ड शुरू कर रहे हैं चाहे कोई व्यक्ति न मरा हो। आतंकवाद की समस्या को राजनैतिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। आतंकवाद एक राजनैतिक मुद्दा है। वह कोई साधारण अपराधी नहीं है। इस समस्या को राजनैतिक तरीके से ही सुलझाया जा सकता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

अब आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं उनसे लगातार अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहा हूं। परन्तु वे समाप्त नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे अपनी बात समाप्त करने के लिए पांच बार कहा था परंतु वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं मृत्युदण्ड के खिलाफ हूं परंतु इसे इस विधेयक में केवल विस्फोटक पदार्थ 'रखने और विस्फोट' के लिए शामिल किया गया है। वह कोई हत्यारा नहीं है। आजीवन कारावास की सजा तो है ही। आतंकवाद की समस्या राजनैतिक ढंग से दूर किया जाना चाहिए न कि मृत्यु दण्ड देकर। इसलिए मैं मृत्यु दण्ड के खिलाफ हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद। अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय आप कह सकते हैं।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : मुझे अपने संशोधन के बारे में बहुत कुछ कहना है। मैं मृत्यु दण्ड के खिलाफ हूं। कृपया मुझे उस समय बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल और उसका प्रयोग रोकने के लिए पुराने जमाने का जो कानून था उस कानून को और सख्त करने के लिए यह बिल लाए हैं, ऐसा उनके भाषण को सुनने से मालूम पड़ा। विस्फोटक पदार्थ की चर्चा होती है तो मुझे याद आता है जब नोबल साहब साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उस आविष्कार के बाद उससे जो पैसा एकत्र हुआ उसी से नोबल पुरस्कार हो रहा है। इन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार चलता है। अब शांति के लिए, इकोनिमिक्स, फिजिक्स, सब चीजों के लिए पुरस्कार मिलता है।

महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अब विज्ञान आगे बढ़ा है। अब नये-नये विस्फोटक पदार्थ और खतरनाक विध्वंसकारी पदार्थ का आविष्कार हुआ है, उसको कोई रखेगा या इस्तेमाल करेगा तो उसे भारी दंड दिया जाएगा, उसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान लाया गया है। इससे तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें आतंकवाद या इस तरह का जो अपराध होता है, जिससे जनजीवन को भारी क्षति होती है, बर्बादी होती है, जानें जाती हैं और विध्वंस होता है तो उनमें कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए और उनको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन हम नहीं जानते कि आर.डी.एक्स. या जो अभी विशेष विस्फोटक कैटेगरीज के पदार्थों का वर्णन हुआ है ये अपने देश में बनते हैं या आतंकवाद फैलाने वाले विदेशी लोग बाहर से भेजते हैं। उनको रखने या इस्तेमाल करने के बारे में वे बता रहे थे कि ऐसे लोगों पर जो इनको रखते या इस्तेमाल करते हैं, पर्याप्त सख्ती की जाए। अब कोई किसी की डंडे, लाठी या हंसुली से हत्या कर दे या उसको किसी चीज से मार कर हत्या कर दे तो उसको संविधान में फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन विस्फोटक पदार्थ को रखने में फांसी का प्रावधान न्याय के पलड़े में संतुलित नहीं बैठता है। लेकिन हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद को किसी भी हालत में रोकना चाहिए और आतंकवाद फैलाने वाले को दंड देना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि इनकी भावना ठीक है कि ऐसे लोगों पर सख्ती होनी चाहिए। इनकी भावना का हम समर्थन करेंगे लेकिन Jurisprudence is the eye of law ठीक है, सजावार को सजा होनी चाहिए लेकिन किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। Jurisprudence is the eye of law. का यहां मतलब है। मान लीजिए कि किसी भले आदमी की जेब में कोई आदमी चुराकर कोई विस्फोटक पदार्थ या आर.डी.एक्स. रख देता है जोकि सुना है कि बड़ा खतरनाक होता है, हम सुनते हैं पावडर होता है, तो क्या उस भले आदमी को फांसी देना उचित होगा। इसलिए हमें कड़ा कानून बनाने में लाख बार सोचना चाहिए कि कहीं बेकसूर को सजा न हो जाए। कानून जो भी बने वह न्यायसंगत होना चाहिए।

वे कह रहे थे कि एटम-बम, प्लूटेनियम, यूरेनियम को भी इस कानून में शामिल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यही लोग इसमें धरे जाएंगे क्योंकि इन्होंने हाल ही में परमाणु विस्फोट किए हैं। छोटा विस्फोट हो तो दंड मिले लेकिन एटम-बम का विस्फोट करने वालों को कौन दंड देगा ? इसलिए इस कानून को बनाने में ध्यान से हर संभव उपाय किये जाने चाहिए और कड़ा कानून बनाकर एक्सप्लोसिव

को देश में आने पर रोक लगाई जाये, इसे रुकवाया जाए तथा पता किया जाए कि यह विदेश से आता है या हमारे देश में ही बनता है क्योंकि उसकी आम आदमी को जानकारी नहीं है। कोई भी भला आदमी, बेकसूर आदमी इसमें न फंसे, इन सबका ध्यान रखते हुए कड़े से कड़ा कानून बनाएं। हम उनकी भावना का आदर करते हैं। आतंकवाद से देश की सुरक्षा को, जनजीवन और मानवता को खतरा होता है। इसलिए इसको रोकने के सभी उपाय किये जाने चाहिए, लेकिन ये उपाय न्यायसंगत होने चाहिए।

बड़ोदरा डायनामाइट पर इनके मंत्री जॉर्ज साहब कहते थे कि एक निर्जीव की हत्या, हत्या नहीं; सजीव की हिंसा, हिंसा है। यह भी एक जुझारू अहिंसा, छापामार सत्याग्रह होता है। राजनीतिक कारणों से भी लोग इस तरह से ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्जीव चीजों की हत्या करते हैं। अब उनको भी वही सजा और सजीव पर भी हमला हो तो वही सजा, न्याय के हिसाब से संतुलन हो तो इनके मंत्री भी इसके अंतर्गत धरे जाएंगे। इसलिए ऐसा कानून नहीं बनाइये कि आपके मंत्री धरे जाएं। इसलिए आतंकवाद को पहचानकर, जो आतंकवादी हैं, जो जनजीवन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो देश की रक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए—हम उसके पक्ष में है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे पूर्व वक्ता मृत्यु दण्ड के प्रावधान के खिलाफ बोल रहे थे। यह सैद्धान्तिक चर्चा के रूप में कहना बहुत आसान है कि कोई भी आतंकवादी एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता होता है। क्या पाकिस्तान से आया एक आई.एस.आई का एजेन्ट, जिसने करोड़ों रुपये मूल्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सैकड़ों लोगों को मारने के लिए विस्फोट किया था, एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता है ? मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि उनके साथ राजनैतिक रूप में फैसला किया जाए। मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह केवल सैद्धान्तिक चर्चा की ही बात थी। मैं उनकी बात का कड़ा विरोध करता हूं। मैं उस विधेयक का डटकर विरोध करता हूं जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने सभा में प्रस्तुत किया है। मैं मृत्यु दण्ड के पक्ष में हूं।

मैं जानता हूं कि इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है। जैसा कि आपने स्वयं कहा है, कुछ निर्दोष व्यक्तियों को समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की जेब में आर.डी.एक्स. रखता है, नशीले पदार्थों से संबंधित नियम की तरह ही, तो उसे कुछ परेशानी हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय कानून के न्यायालयों में कम से कम मामलों में मृत्यु दण्ड दिया जाता है। इसलिए, ऐसी बात नहीं है कि न्यायाधीश इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगा। न्यायाधीश मृत्यु दण्ड देने से पहले मामले पर विस्तार से चर्चा करेगा। वह निश्चित रूप से संतुष्ट होगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में घृणित अपराध करने जा रहा था। मैं खण्ड 3(ख) का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है :

> "किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, वह चाहे क्षति किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुत: हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

अब मैं एक ऐसा मामला लेता हूं जिसमें विस्फोट से कोई नहीं मरा है। परंतु हमें उस व्यक्ति की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। जब संबंधित व्यक्ति ने विस्फोट किया था तब उसका इरादा लोगों को मारना था, इस प्रणाली को नष्ट करना था, बरबाद करना था। उसका इरादा देश में आतंक फैलाना था और यह मात्र इत्तेफाक ही था कोई मरा नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को बचने दिया जाए तो वह वही काम करेगा। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह वही काम एक बार, दो बार या तीन बार करने की कोशिश करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक उस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड नहीं दे दिया जाता। तथापि, मैं यही कहूंगा कि मानवता के विरुद्ध ऐसा घटिया अपराध करने वाले अपराधियों के लिए मृत्य दण्ड तक ही पर्याप्त नहीं होगा। मृत्यु दण्ड देने से हम केवल एक घृणित अपराधी से ही छुटकारा पा सकते हैं परंतु उसके गलत कामों से हम सैकड़ों लोगों की जिन्दगी खो सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देने में क्या नुकसान है ? इसमें कोई नुकसान नहीं है। श्री चमन लाल गुप्त ने कहा है कि हमारे देश में पिछले वर्षों में 43,000 किलोग्राम आर.डी.एक्स. पकड़ा गया है।

इतना ही नहीं, आसूचना ब्यूरो ने यह भी पाया है कि पाकिस्तान ने भारत में 51,000 किलोग्राम आर.डी.एक्स. पहुंचाया था। महोदय, जरा देखिए, इस मामले में अपराधी और विलेन कौन लोग हैं ? भारत में यह काम ज्यादातर आई०एस०आई० और उसके एजेंट करते हैं। मैं आपको पिछले दस सालों का उदाहरण दिखाता हूं कि भारत में आई०एस०आई० के घृणित कामों से क्या हुआ है। पिछले दस वर्षों में आई०एस०आई० के आतंकवाद के कारण लोग मारे गए—21,951; पिछले दस वर्षों के दौरान आई०एस०आई० के कामों से 5,101 सुरक्षा कर्मी मारे गए; 2,78,000 लोग इन कामों की वजह से बेघर हो गए; 2,000 करोड़ रुपये की सम्पति नष्ट हो गई, 61,900 हथियारों की भारत में तस्करी हुई ? क्या हम भारत को राजनैतिक और आर्थिक रूप से कमजोर देश बनाना चाहते हैं ? हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। हम कैसे दे सकता हूं ? मृत्यु दण्ड सीमा पार से आने वाले वाहकों और घुसपैठियों के लिए सुरक्षात्मक उपायों का काम करेगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

भारत में आई०एस०आई० की गतिविधियां न केवल जम्मू और कश्मीर बल्कि केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पूर्वोत्तर में भी फैल गई हैं। वे लोग केरल, तमिलनाडु, कानपुर, फिरोजाबाद और हर प्रकार के स्थानों में फैल गए हैं। आई०एस०आई० बहुत से लोगों को वित्त पोषित कर रही है अब यह कश्मीरी दुकानदारों की भी वित्तपोषित कर रही है। पंच तारा होटलों में रहने वाले लोग महत्वपूर्ण स्थानों की परिसम्पतियों के लिए कुछ भी मूल्य देने को तैयार रहते हैं जहां गुप्तचरों के मिलने और आतंकवादियों के मिलने के ठिकाने हों।

दूसरा, वे अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की उनकी किताबें, तस्वीरें और अन्य चीजें खरीदकर मदद भी करते हैं। वे उन फिल्मी कलाकारों को भी वित्त प्रदान करते हैं जो पाकिस्तान जाते हैं और उनके समर्थक बन जाते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यदि कोई भी एक्सप्लोसिव सबस्टेंस रखेगा उसको दंड देने का है। चाहे आई०एस०आई० रखे या बी०एस०आई० रखे।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मुझे दो मिनट और दें। मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता है। मैं जानता हूं कि मैं इसे अच्छा आकार देने के लिए कुछ समय लूंगा क्योंकि हमारे पास भारत में म्यानमार, मध्य पूर्व और अन्य स्थानों के बारे जानने वाले विशेषज्ञ नहीं हैं। *(व्यवधान)* महोदय मुझे बहुत दुख है कि मुझे और दो मिनट नहीं दिए गए थे।

[हिन्दी]

बाकी लोग 20-25 मिनट बोलते थे तो उनको तो आपने कुछ नहीं कहा।

[अनुवाद]

महोदय, मैं केवल इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे यह देखें कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कोई कमी हो तो उसे दूर किया जाना चाहिए। रोमेश शर्मा के राजनैतिक संबंधों को उजागर किया जाना चाहिए और लोगों को यह पता होना चाहिए कि उनके किनके साथ संबंध थे। लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि भारत में दाऊद इब्राहिम और रोमेश शर्मा भारत में कैसे अपराध कर रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री को इसी अनुरोध के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस० सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : सभापति महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मैं इस बात से सहमत हूं कि सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे आशंका है कि विशेषकर मौत की सजा के प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है। अत: मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि आतंकवाद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों और अन्य प्रकार की गतिविधियों में अंतर होना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों में हमारे देश में आतंकवाद में वृद्धि हुई । इस विधेयक को पुर:स्थापित करते हुए गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा था कि पंजाब, जम्मू और कश्मीर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पूर्वोत्तर और कई स्थानों में भिन्न-भिन्न जगहें हैं जहां आतंकवाद में वृद्धि हुई है। कश्मीर और अन्य स्थानों में आई०एस०आई० नामक राष्ट्र विरोधी तत्व है। मैं इस प्रस्ताव को निसंकोच स्वीकार कर लेता यदि यह प्रस्ताव आई०एस०आई० अथवा ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध होता जिन्हें बाहर से सहायता प्राप्त हो रही है और वे इस देश की अखण्डता को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और जो इस देश की एकता को नष्ट करना चाहते हैं।

देश के भीतर आतंकवाद को भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता हूं। मैं आंध्र प्रदेश से हूं जहां पीपुल्स वार ग्रुप हिंसा का प्रयोग कर रही है और 100 से अधिक नेताओं और हमारे सी०पी०आई० दल के अनुभवी कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई है। 200 से अधिक सीपीआई नेता "हिटलिस्ट" की लक्ष्य सूची में हैं। लेकिन अभी भी मैं नहीं समझता कि नक्सलवाद और पीपुल्स वार ग्रुप को केवल कानून और व्यवस्था के मामले के रूप में मानकर समाप्त किया जाना चाहिए। यह समाजिक-राजनीतिक-आर्थिक मुद्दा है और इसे उस दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है। जब वह हथियार उठाएंगे तो स्वभाविक है कि दूसरे भी हथियार उठाएंगे और सरकार भी इससे निपटने के लिए हथियार उठाएगी। आंध्र प्रदेश के कई भागों में नकली मुठभेड़ हुई हैं। दुर्भाग्यवश निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही है। अत: इसे भिन्न कोण से देखा जाना चाहिए।

यह आतंकवाद असम में क्यों उठा ?. दुर्भाग्यवश पूरे भारत को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। असम के लोग अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, वे बाहर से आने वालों से अपनी अखण्डता बचाना चाहता है जिसे रोका नहीं जा सका। मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता हूं इसे स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए जब न्यायोचित मांगों को तर्कसंगत तरीके से पूरा नहीं किया जाता तो कुछ लोग आतंकवाद का प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य से लोगों का कुछ हिस्सा उसका समर्थन करता है। हमें देखना चाहिए कि आतंकवाद की मूलभूत समस्या को मात्र कानून और व्यवस्था का मामला मानने के बजाय उसका हल करना चाहिए।

जैसा कि आपने ठीक ही कहा है यह इतिहास की विडम्बना है कि पिछले सप्ताह हमने नोवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रो० अमर्त्य सेन को मुबारक दी थी। यह व्यक्ति कितना अच्छा था जिसने डॉयनामाइट और विस्फोटक का आविष्कार करने के लिए अरबों डॉलर कमाये थे। वह विस्फोटकों का जनक है। आज यह नोबल पुरस्कार पूरे विश्व में अत्यन्त सम्मानजनक और अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। आज उसी संसद में उस घटना के एक सप्ताह के पश्चात् हम उन लोगों के लिए मृत्युदण्ड सहित मौत की सजा देने के लिए विधेयक ला रहे हैं जिनके पास विस्फोटक मिले। मैं सहमत हूं कि उन लोगों को और अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए जो लोगों की हत्या करने के उद्देश्य से जनसंहार करते हैं।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री को मौत की सजा से संबंधित विधेयक की धारा 3 पर पुन: विचार करना चाहिए।

धारा 5 के अंतर्गत संदेहजनक स्थिति में विस्फोटक रखने पर सजा के बारे में मुझे विशेषरूप में आशंका है। इस का दुरुपयोग किया जा सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की तरह देश के अन्य भाग में भी बारूदी हथियार पर पाबन्दी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी रक्षा करने के लिए, जंगली जानवर को मारने के लिए, अपनी फसल की रक्षा के लिए हथियार रखते हैं। अधिकतर लोगों को बिना अनुमति के बिना लाइसेंस के हथियार रखने के लिए बन्दी बनाया जा रहा है।

हम जानते हैं कि इस देश में कानून का पालन करने वाले नागरिकों के सिवाय डाकू असमाजिक तत्वों, नक्सलवादियों, देश में हर एक व्यक्ति हथियार रख सकता है। यदि उनके पास हथियार है तो उन्हें इस प्रकार के कारण के लिए जेल में रखा जाना चाहिए। अब गैर नक्सलवाद गतिविधियों के नाम पर यह किया जा रहा है।

अत: आतंकवाद की भर्त्सना करते हुए मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मृत्युदण्ड और अन्य चीजों पर पुन: विचार करें।

इन शब्दों के साथ मृत्युदण्ड को छोड़कर मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मैं विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं अपने दल डी.एम.के. की ओर से कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करते हुए आर.डी.एक्स., पी.ई.टी.एन., एच. एम.एक्स., टी.एन.टी. आदि जैसे उच्च और घातक विस्फोटक साम्रगियों, रिमोट नियन्त्रित उपकरण को विशेष श्रेणी विस्फोटक पदार्थ कहा है और चूककर्त्ताओं को अधिकतम दण्ड (मृत्युदण्ड) देने का प्रावधान किया है।

हालांकि इस विधेयक के उद्देश्य और भावना मुझे ठीक दिखाई देती है तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है जिसके होने से आतंकवादी और असमाजिक तत्व विस्फोटक सामग्री से लैस होकर आजाद घूम रहे हैं। वे देश में विस्फोटकों की नियमित रूप से तस्करी कैसे कर रहे हैं ? एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 43,000 किलोग्राम आर.डी.एक्स. बरामद किया गया। ऐसी विस्फोटक सामग्री से अभूतपूर्व विनाश हो सकता है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार पाकिस्तान ने लगभग 51,810 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री देश में भेजी है जिसमें ज्यादातर आर.डी.एक्स. है।

विस्फोटक सामग्री की देश में तस्करी रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार को उन सभी राज्यों में विस्फोटक नियन्त्रण ब्यूरो खोलने चाहिए जहां विस्फोटकों के प्रयोग का खतरा रहता है। अत: जब तक केन्द्र सरकार तटीय क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी सतर्कता व्यवस्था और इस प्रकार के बढ़ते हुए अन्देशा से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाती इस स्थिति में सुधार के बजाय और गिरावट आती जाएगी।

राज्यों में आर.डी.एक्स. विस्फोटकों की तस्करी रोकने के लिए और लोगों में असुरक्षा की भावना हत्या साम्प्रदायिक दंगों के भय को दूर करने हेतु माननीय गृह मंत्री को राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। राज्य में तस्करी किये गए विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए व्यवस्थित कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और मशीनरी की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार संसाधनों के अभाव में स्वयं अपने खर्च पर ऐसे भारी काम का बोझ नहीं वहन कर सकती है। इसलिए माननीय गृह मंत्री बढ़ती निगरानी और इनके अमल के लिए वाहनों और संचार उपस्करों की खरीद जैसी इस मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने पर विचार करें।

हाल ही की कुछ रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए 6 दिसम्बर 1998 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ के अवसर पर आतंकवादी गतिविधियों की आशंका है हमारे माननीय मुख्य मंत्री डा० कालिगर करुणानिधि के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आम जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए हर प्रकार के एहतियाती कदम उठाएं। यहां तक अमरीका के प्रशासन ने बम फेंके जाने के डर से उस अवधि के दौरान तमिलनाडु में अपने पर्यटकों को न जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने सुरक्षा को बढ़ाकर और निरन्तर पहरा करके सभी एहतियाती उपाय किये हैं और कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है।

हमारे मुख्य मंत्री ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता व्यवस्था मजबूत करने और सागर में गहन गश्ती व्यवस्था के जरिये उच्च विस्फोटक सामग्री की तस्करी को रोकने और ऐसी सामग्री को जब्त करने की मांग की है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे आवश्यक कार्यवाही करे ताकि प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके और विस्फोटक सामग्री को तट तक पहुंचने से पहले ही जब्त किया जा सके।

इस विधेयक के माध्यम से माननीय गृह मंत्री विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत और अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे और चूककर्ताओं को मृत्युदण्ड की सजा दे पाएंगे। लेकिन एक कहावत है "सत्ता भ्रष्ट करती है और सम्पूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट करती है।" अत: मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे संसद में आश्वासन दें कि सरकार में निहित इन शक्तियों का राजनीतिक प्रयोजनों में दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, और निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से तंग नहीं किया जाएगा। कुछ सुरक्षोपाय और मार्ग निर्देश होने चाहिए ताकि सरकार इस विधियक के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री के०एस० राव (मछलीपत्तनम) : सभापति महोदय, आजकल ऐसा नहीं रहा है कि जब ऐसी घटनाएं कभी-कभार हुआ करती थीं। जिसमें विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। इनका उपयोग शहीद भगत सिंह द्वारा राष्ट्रहित में किया गया था। उन्होंने ऐसा देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर किया था। परन्तु आजकल की परिस्थिति में, जब मूल्यों में गिरावट आ गई है और नैतिकता नहीं रही है, भाड़े के सैनिक हैं और आतंकवादी हैं जो इसे अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं और जो स्वयं को सूरमा समझते हैं। ऐसे कुछ अच्छी हैसियत वाले नागरिक हैं जो उनकी निन्दा करने के बजाय उनके साथ अपने संबंध को बताने में संकोच नहीं करते। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी स्थिति में जिसमें अपराधी जिसने विस्फोट या किसी की हत्या करने या सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के लिए विस्फोटक का प्रयोग कर ग्लानि महसूस करने के स्थान पर स्वयं को सूरमा समझता है।

एक कठोर विधान को लाने और वर्तमान अधिनियम में संशोधन लाने के लिए मैं गृह मंत्री की प्रशंसा करता हूं। मैं इसके पक्ष में हूं। परन्तु मैं केवल यह चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसाकि मुझसे पहले वाले वक्ता ने कहा उन्हें राजनीतिक कारणों के लिए अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ खण्डों को सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। जैसाकि श्री सुधाकर रेड्डी ने कहा, एक बार मृत्यु दण्ड दिए जाने के बाद यदि बाद में पता चलता है कि वह निर्दोष है तो हम उसे बचा नहीं सकते हैं। हम इससे सहमत हैं। भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुसार हम सुधारों में विश्वास रखते हैं। हम अभी भी सुधार में विश्वास रखते हैं। परंतु हाल की घटनाएं और प्रवृत्तियां यह दर्शा रही हैं कि यदि मृत्युदण्ड का भय न हो तो

[श्री के०एस० राव]

ऐसे मामलों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। इसीलिए मृत्युदण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मृत्युदण्ड का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं केवल यह चाहता हूं कि कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। इस प्रसंग में मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय विधेयक का संदर्भ लें। विधेयक के खण्ड 3 में जीवन या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले विस्फोट के लिए दिए जाने वाले दण्ड का प्रावधान किया गया है और दण्ड नुकसान हो या न हो दोनों ही स्थितियों में दिया जाएगा। यह ठीक है। खण्ड 4 के भाग 1 में विस्फोट करने के लिए किए गए प्रयास पर दिए जाने वाले दण्ड का प्रावधान है। खण्ड 3 में भी, नुकसान हो या न हो, वे दण्ड दे रहे हैं। जब तक प्रयास नहीं होगा वह असफल भी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे विचार से उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। खण्ड 4 का पहला भाग जोकि विस्फोट करने के प्रयास के लिए दिए जाने वाले दण्ड से संबंधित है, को खण्ड 3 में होना चाहिए न कि खण्ड 4 में। वे इस पर विचार कर सकते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो वे बाद में संशोधन लाने पर विचार कर सकते हैं।

जैसाकि कुछ सदस्यों ने कहा, मेरा भी यही विचार है कि इन मामलों को निपटाने में होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखकर इस उद्देश्य के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। जब नागरिकों के मन में कानून का भय नहीं होगा तो इस प्रकार की गतिविधियों को कितनी ही पुलिस या कितनी ही सुरक्षा रोक नहीं सकती। मूलत: नागरिकों को इस बात का भय होना चाहिए कि यदि वे अपराध करते हैं तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। इस प्रकार का भय अपराधियों के मन में नहीं रहा है; केवल विधि का पालन करने वाले नागरिक कष्ट उठा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति, जो विधि की परवाह नहीं करते हैं, इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। उन्हें शरण भी मिल रही है। यदि अच्छी हैसियत वाले लोग अनजाने में ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं तो यह बात मेरी समझ में आती है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उनके पूर्व चरित्र और उनकी गति-विधियों को जानने के बाद भी वे कहते हैं कि वे ऐसे अपराधियों से संबंध रखते हैं।

आप का मृत्युदण्ड दिए जाने का फैसला सही है और आप कह रहे हैं कि बलात्कार के मामले में भी ऐसा किया जाना चाहिए। मेरी चिन्ता केवल वर्तमान परिस्थिति में ऐसी बातों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति के बारे में है। इसका उपयोग राजनीतिक कारणों या राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री बी०एम० मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : मैं मृत्यु दण्ड के प्रावधान वाले इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि किसी अपराधी को मृत्यु दण्ड देने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

श्री के०एस० राव : इस संबंध में, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय देश की असमानताओं के कारणों पर भी ध्यान दें क्योंकि जिनके चलते कभी-कभी कुछ लोग आक्रामक हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप देश में व्यापक रूप से फैले हुए भ्रष्टाचार पर और अमीर और गरीब के बीच की असमानताओं पर ध्यान केन्द्रित करें। यदि हम भ्रष्टाचार और गरीबी को मिटा देते हैं तो हम आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की संख्या भी कम कर सकते हैं।

इन कुछ बातों के साथ, ज्यादा समय न लेते हुए, कठोर दण्ड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक का, इस समय जबकि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति जी, आज जो विस्फोटक बिल यहां पर लाया गया है, उसका मैं शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूं। आज हिन्दुस्तान में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा है जहां बम विस्फोटक न हुआ हो। खुद हमारे गृह मंत्री जी के बाल-बाल बचे हैं। आई.एस.आई. ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। कश्मीर में आजादी के बाद में चार हजार बम विस्फोट हुए और 50 हजार से ज्यादा लोग मारे गये। सारे हिन्दुस्तान में बम विस्फोट हो रहे हैं। मुम्बई में भी बम विस्फोट हुए हैं। यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं और विनती भी कर रहा हूं कि मुम्बई में जो बम विस्फोट हुए, उनके सरगना दाउद इब्राहिम और अन्य साथी फरार हैं। सदन में यह बताया गया था कि मुम्बई में जो बम विस्फोट हुए, उसमें आई.एस.आई. का हाथ है। इसके पीछे पाकिस्तान है। अभी दाउद इब्राहिम दुबई से भागकर पाकिस्तान में चला गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप उसे हिन्दुस्तान में लाने वाले हैं या नहीं या उसे माफ करने वाले हैं ?

सभापति जी, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद हाउस में आया हूं। आई.एस.आई. के बहुत से प्रशिक्षण केन्द्र हिन्दुस्तान में हैं। पहले यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बताया कि यहां प्रशिक्षण केन्द्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक इस देश में कितने प्रशिक्षण केन्द्र बचे हैं और उनको आप उड़ा क्यों नहीं देते ? अभी आपने इसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया है। मेरा कहना है कि अगर किसी की सम्पत्ति की हानि होती है तो वह वापिस आ जाती है लेकिन अगर किसी की जान जाती है तो वह वापिस नहीं आती है। आज हिन्दुस्तान की हर जगह महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, तमिलनाडु में आदि हर जगह बम विस्फोट हुए हैं जिसमें बहुत सी जानें गयीं हैं।

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितना आर.डी.एक्स. हिन्दुस्तान में लाया गया है। जब बम विस्फोट हुआ तो ऐसा बहुत सा आर.डी.एक्स. लाया गया। महाराष्ट्र में 1993 में जो दंगा हुआ था, उसके बाद वहां से बम गोले और मशीनगनें आई थीं, उसमें दो बार छापा मारा गया। टैरेरिस्ट्स जो मशीनगनें इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए। मैं जानना चाहता हूं कि इसके अलावा और कितना आर.डी.एक्स. आ रहा है। आज सारा हिन्दुस्तान खतरे में है।

यहां कम्युनिस्ट भाई नहीं हैं और कांग्रेस वाले सदस्य भी बहुत कम हैं। यहां अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। जब कल्पिट पकड़े जाते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस० सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : क्या ये केवल अल्पसंख्यक हैं ?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब माईनौरिटी के लोग पकड़े जाते हैं, उस वक्त इनके पास से ऐसा जवाब आना चाहिए, हम सब एक हैं, एकता की आवाज होनी चाहिए, कल्प्रिट किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। यदि कोई छोटी-मोटी बात हो जाती है तो हिन्दू-हिन्दू करके हमारे ऊपर हमला हो जाता है। ये सब वोटों के लिए लाचार हैं इसलिए जोर से नहीं बोलते। *(व्यवधान)* मैं जो बोल रहा हूं, उसे सुन लीजिए। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं लेकिन आपको बोलने की हिम्मत नहीं है। *(व्यवधान)* आप जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसे जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पकड़ा जाए तो उसे तत्काल गोली मारकर उड़ा दो। जिसकी जान जाती है, जिसके घर के लोग मारे जाते हैं, हर रोज कहीं न कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, आप ऐवरेज देखिए। कश्मीर में चार हजार से ज्यादा बम विस्फोट हुए। आप पूरे हिन्दुस्तान का ऐवरेज ले सकते हैं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी० गोपाल (अर्कोनम) : महोदय, मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। तमिलनाडु में बम-विस्फोट हुआ था जिसमें मंत्री महोदय बाल-बाल बच गए थे। तमिलनाडु राज्य की भाजपा इकाई ने इस मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिस पर लाखों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इस मामले में किसी श्री बाशा को पकड़ा गया था और आशंका की जा रही थी कि वह एक आई.एस.आई. एजेण्ट है *(व्यवधान)*

श्री सी० कुप्पुसामी : महोदय, तमिलनाडु सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए थे और केन्द्रीय गृह मंत्री भी परिस्थिति से संतुष्ट थे। *(व्यवधान)*

श्री सी० गोपाल : महोदय, मैं समझता हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने इस मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराए जाने के लिए पत्र लिखा था। मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मोटे तौर पर इस विधेयक को समर्थन दिया। बहस के दौरान कुछ सवाल पूछे गए, कुछ शंकाएं भी प्रकट की गई हैं और मैं संक्षेप में उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह कि प्रो० प्रमाणिक एक ही सदस्य थे, जिन्होंने संशोधन दिए हैं। लोग उस समय ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं ध्यान दे रहा था और मैं कहूंगा कि उन्होंने अध्ययन किया। पढ़ा और उसके बाद कई सारे जो संशोधन दिये, उसके कारण मुझे भी मंत्रालय से फिर से जानकारी करनी पड़ी, यहां तक कि मुझे प्रतिरक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री से भी पूछना पड़ा, क्योंकि ये प्लूटोनियम भी ले आये, यूरेनियम भी ले आये और कहा कि आखिर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव आप लिखते है तो यह भी कैटेगरी है, उसका भी तो उल्लेख होना चाहिए और इस कारण मुझे पूछना पड़ा कि हमने जो केवल आर.डी.एक्स. कहा है, एच.एम.एक्स. कहा है, टी.एन.टी. कहा है, लेकिन यह एक संशोधन आया है, उस संशोधन के बारे में क्या कहना है तो मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि यह जो रेडियो एक्टिव सब्सट्रांसेज हैं, वैसे तो आप भी शायद फिजिक्स के हैं, एक तो ये कम्पाउंड नहीं है और यहां पर कम्पाउंड्स करके लिखा हुआ है,

[अनुवाद]

यह एक यौगिक नहीं है, यह एक तत्व है। इसके अलावा, यह एक ऐसा रेडियोधर्मी पदार्थ है, जो विस्फोटक नहीं है। जब इसे संवर्धित किया जाता है विखण्डन अत्यधिक उच्च तापमान पर विखण्डन की प्रक्रिया होने पर यह विस्फोटक बन जाता है। अन्यथा ये उस प्रकार से विस्फोटक नहीं है।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : यूरेनियम 235 एक विखण्डनीय पदार्थ है और विस्फोटक नहीं है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम 238 विस्फोटक तत्व है, विखण्डनीय नहीं है। एक बम बनाने के लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। परन्तु यूरेनियम 235 एक विस्फोटक नाभिकीय पदार्थ है। जब आप किसी पदार्थ को विस्फोटक कहते हैं तो यह पारम्परिक विस्फोटक या नाभिकीय विस्फोटक हो सकता है परन्तु यह विस्फोटक पदार्थ है। एक बम को बनाने के लिए, क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, विस्फोटन की आवश्यकता होती है और कई प्रकार की प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। परंतु यूरेनियम 235 संवर्धित होता है। प्लूटोनियम विखण्डनीय पदार्थ है। 'सब-क्रिटीकल' बम अभी बन रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपके ज्ञान को ध्यान में रखूंगा। परंतु मैं विधि में ऐसे संशोधन नहीं करना चाहता जिससे लोगों को 'आइडिया' मिले पहली बात यह एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिक टिप्पणी कर सकते हैं; मैं ऐसा करने का दावा नहीं कर सकता। परन्तु मैंने पता किया था, आपके संशोधन के बाद मैंने पूरे विषय पर विचार किया था। इसके बावजूद भी, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विधि का वर्तमान स्वरूप सर्वोत्तम है क्योंकि यह सम्मिलित करता है और इसमें किसी भी बात को छोड़ा नहीं गया है। आजकल, कम से कम हम इस बात से अवगत हैं कि जिस प्रकार के विस्फोटक पाकिस्तान या आई.एस.आई. आतंकवादियों को उपलब्ध करा रहा है वो मुख्य रूप से यही तीन हैं। यही वो पदार्थ है जिन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और इसीलिए उनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

यह जो बार-बार कहा गया है कि अगर गलती से किसी के पास मिल गया तो उसको तो फांसी पर चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक प्रोवीजन में लिखा गया है, जैसे आप देखेंगे कि क्लाज तीन है :

> "कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धत: और विद्वेषत: किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा"

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

यह जो सारी शब्दावली है, इससे स्पष्ट है। फिर इसका निर्णय कोई एक्जीक्यूटिव तो करेगा नहीं, किसी को फांसी पर चढ़ाने का सवाल नहीं है। इसका निर्णय तो कोर्ट करेगी, अदालत करेगी और जिस अदालत के निर्णय के बारे में योग्य स्थान पर अपील होगी। हां, यह बात तो कोई कह ही सकता है, आप कृष्ण अय्यर को कोट कर रहे थे और यह मत दुनिया भर में क्या हिन्दुस्तान में भी चला है, वर्षों से मैंने यह बहस सुनी है, वकीलों में सुनी है, न्यायाधीशों में सुनी है कि कैपीटल पनिशमेंट वास्तव में कोई हल है कि नहीं है, कैपीटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं इस मत का हूं कि हिन्दुस्तान के संदर्भ में कैपीटल पनिशमेंट का उपयोग है और अगर किसी की हत्या करने पर मृत्यु दंड मिलता है तो फिर जो इस प्रकार से काम करता है कि आर.डी.एक्स. पाकिस्तान से लाकर ट्रेन को उड़ाये और कहीं पर आकर बेगुनाहों की हत्या करें,

सायं 7.00 बजे

उसके लिए तो मृत्युदंड निश्चित होना चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए। हां, मृत्युदंड न्यूनतम पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मूल विधेयक में आजन्म, आजीवन कारावास का प्रोविजन था, उसको भी बनाए रखा है। जैसे न्यायाधीश पूरी परिस्थितियों का अवलोकन करे, अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस केस में मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, आजीवन कारावास देना चाहिए तो वह दे देगा, निर्णय उसको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बात को ध्यान में रखकर कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के आतंकवाद को और खासकर ऐसा आतंकवाद जिसमें आतंकवादी पाकिस्तान की सहायता लेकर काम करता है और उसमें विफल रहता है, कोई मृत्यु नहीं हुई इसलिए यह अपराध से बरी नहीं हो जाता। वह विस्फोट तो करता है, कोई मरा नहीं, इसीलिए इस बात को देखा जाए कि अगर वह विस्फोट तो करता है, मृत्यु हो या न हो, जैसे वह ट्रेन गिराता है, मान लो लोग बच जाते हैं, कोई मृत्यु नहीं होती, लेकिन ट्रेन गिराना इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए दंड होना चाहिए, खासकर इस केस में प्रमुख कोर है स्पैशल केटेगरी का जो एक्सप्लोसिव का उपयोग करेगा, हत्या करने की कोशिश करता है, उसके लिए प्रावधान है।

मोहन रावले जी ने 1993 के बम विस्फोट के सीरियल बॉम्बिंग का उल्लेख किया। मैं उस वक्त अगले दिन वहां गया था। मैंने जो दृश्य वहां देखा, क्योंकि मेरा पहला-पहला अनुभव था जब मैंने आर.डी.एक्स. के उपयोग के बाद की स्थिति देखी, उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया। मैंने दिल्ली में, पंजाब में और अन्य जगहों में बम विस्फोट देखे हैं, लेकिन आर.डी.एक्स. से हुए विस्फोट की स्थिति पहली बार देखी। मैं उन 13 जगहों पर गया जहां इसका उपयोग हुआ था, खासकर वर्ली का दृश्य मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसा लगता था जैसे 1945 की वार का दृश्य हो, जिसमें हमने बॉम्बिंग को देखा था, ऊपर से बमबारी को देखा था, वहां आर.डी.एक्स. की वजह से बड़े-बड़े क्रेटर्स बन गए थे। उसको देखकर लगा कि इस प्रकार के जो स्पेशल केटेगरी विस्फोटक हैं, उनको अपने पास रखने मात्र के लिए भी दंड की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह डेटरेंट बनें। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करे। बाकी जो कुछ सवाल माननीय सदस्यों ने पूछे कि आई.एस.आई. के बारे में क्या किया जा रहा है, चमन लाल जी ने कहा कि लोग अंदर आते हैं, ये सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार सतर्क है। केवल मात्र यह व्यवस्था करने से ही आतंकवाद की समस्या हल हो जाएगी, ऐसा दावा मैं या सरकार नहीं करती। इसके साथ-साथ और भी उपाय करने पड़ेंगे तथा और कदम उठाने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : क्या ये आई.एस.आई. के लिए है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ये आई.एस.आई. के लिए नहीं है। आई.एस.आई. का कोई उल्लेख नहीं है। ये विस्फोटक यहां पर उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने इसे उन लोगों से प्राप्त किया *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : परन्तु महोदय, मेरे संशोधन अभी आने हैं। मुझे आश्वस्त किया गया था कि मैं बाद में संशोधनों पर बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खण्ड-2

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10 और विधेयक में जहां कहीं भी

"कोई विस्फोटक पदार्थ" शब्द आये हैं के स्थान पर "कोई परम्परागत विस्फोटक पदार्थ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,—

"समिश्र" के पश्चात्—

"नाभिकीय विस्फोटक पदार्थ, अर्थात् यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम" अन्तःस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 13 के पश्चात्—

"(ग) पारम्परिक विस्फोटक पदार्थों में विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थों के सिवाय सभी विस्फोटक पदार्थ सम्मिलित माने जायेंगे" अन्तःस्थापित किया जाए। (3)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, वे पहले ही बोल चुके हैं। वास्तव में उनका पूरा भाषण ही उनके संशोधनों पर था। मैंने प्रत्येक बात को नोट कर लिया है। मुझे खेद है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

आप अगर कंवेंशनल की व्याख्या करेंगे तो आपको अनकंवेंशनल की भी करनी पड़ेगी। हमारे यहां पर व्याख्या की गई है। एक तो एक्सप्लोसिव सब्सटांस की और दूसरे की गई है स्पेशल एक्सप्लोसिव सब्सटांस की। दो ही केटेगरी हैं, इनसे काम हो जाता है। आपके प्लूटोनियम और यूरेनियम के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि आपके संशोधन को स्वीकार करना मैं इस कानून के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं मानता। आपकी राय होगी कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार की राय है कि जब तक मृत्युदंड का प्रावधान हमारे कानून में है, तब तक ऐसे अपराध के लिए कम से कम मृत्युदंड होना चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना संशोधन वापस लें और यह सदन सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण कानून को स्वीकार करे।

[अनुवाद]

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : इस विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय गृह मंत्री ने आर.डी.एक्स., पी.टी.ई.एन., आई.एस.आई. और पाकिस्तानी लोगों का उल्लेख किया था। परंतु विधेयक में आई. एस.आई. के लोगों या जासूसों या पाकिस्तानी लोगों का उल्लेख नहीं है। परंतु उत्तर देते समय माननीय गृह मंत्री ने आई.एस.आई., पाकिस्तानी एजेंटों और विदेशी राष्ट्रिकों का उल्लेख किया है। राष्ट्र विरोधी लोगों के लिए विधि है। उनके दण्ड और मृत्यु दण्ड का प्रावधान है। मैं उनका उल्लेख किया था। ऐसा दण्ड है। ऐसा प्रावधान है। मृत्युदण्ड की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो राष्ट्र विरोधी हैं। उत्तर देते समय, गृह मंत्री ने पाकिस्तानी एजेण्टों का उल्लेख किया था परंतु विधेयक में आई.एस.आई. और पाकिस्तानी एजेण्टों का उल्लेख नहीं है। मैं पाकिस्तान और सीमा पार के लोगों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का विरोध करता हूं। परंतु विधेयक में, इसका उल्लेख "किसी व्यक्ति" के रूप में है, यहां पर आर.डी.एक्स. और पी.टी.ई.एन. उपलब्ध नहीं है। किसी भी विस्फोटक को यहां पर बनाया जा सकता है, उसे यहां प्राप्त किया जा सकता है और कोई भी भारतीय नागरिक उन पर कार्य कर सकता है। परंतु हमारे देश में आतंकवादी और नक्सलवादी भी हैं। वे पाकिस्तानी एजेण्ट नहीं हैं। वे आई.एस.आई. के लोग नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, इनका कोई संशोधन ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि आई.एस.आई. जोड़ो। इनके जो संशोधन हैं, उसमें एक भी ऐसा संशोधन नहीं है जिसमें लिखा हो कि अगर कोई आई.एस.आई. वाला ऐसा करता है तो उसे दंड होना चाहिए, उसे मृत्यु-दंड होना चाहिए।

हमनें ऐसा सुझाव नहीं दिया है। स्पष्ट रूप से मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आई.एस.आई. या पाकिस्तान देश में हथियार और विस्फोटक भेज रहा है ? जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं आवश्यक नहीं है कि वे आई.एस.आई. के लोग ही हों परंतु वे भी देश को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : ऐसी विधि है। केवल आर.डी. एक्स. और विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। यह मृत्युदण्ड के अधीन आता है। मैं समझता हूं कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह आई.एस.आई. के विरुद्ध नहीं है।

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : इस बात की पूरी संभावना है कि इस विधेयक का दुरुपयोग विरोधियों को राजनीतिक रूप से दबाने के लिए किया जाएगा। अंग्रेजों ने भी विस्फोटक अधिनियम, 1889 का दुरुपयोग किया था।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधनों को वापस ले रहे हैं ?

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : इस विषय पर मैं अपने संशोधनों को वापस नहीं ले रहा हूं। मैं दण्ड के पक्ष में हूं परंतु मृत्युदण्ड का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं अब प्रो० आर०आर० प्रमाणिक द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

*संशोधन संख्या 4

*संशोधन संख्या 5

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 और 19,—

"आजीवन कारावास से या" शब्दों का लोप किया जाए। पृष्ठ 2, पंक्ति 25 और 26,— (6)

"मृत्यु या" शब्दों का लोप किया जाए। (7)

सभापति महोदय : मैं अब प्रो० आर०आर० प्रमाणिक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 से 7 तक को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

खण्ड 4

प्रो० आर०आर० प्रमाणिक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 और 4

"कठोर आजीवन कारावास से, या" शब्दों का लोप किया जाए। (8)

सभापति महोदय : मैं प्रो० आर०आर० प्रमाणिक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या (8) को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिया गया। खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं .प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.13 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1998/ 27 अग्रहायण, 1920(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

©1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।